लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. B.....60.....
Date.....5/3/90.....

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

सोमवार, 27 मार्च, 1989/6 चैत्र, 1911 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
2	13	"शिष्ठमंडल" के स्थान पर "शिष्टमंडल" पढ़िये ।
27	15	"(ग)" के स्थान पर "(घ)" पढ़िये ।
49	12	उत्तर के आरंभ में "(क)" पढ़िये ।
72	नीचे से 13	"निजि" के स्थान पर "निजी" पढ़िये ।
74	3	"भूटा" के स्थान पर "भूटम" पढ़िये ।
93	नीचे से 18	"श्री कांत दत्त" के स्थान पर "श्री श्रीकांत दत्त" पढ़िये ।
161	6	"गंदूर" के स्थान पर "गुंदूर" पढ़िये ।
192	नीचे से 8	"जब्त" के स्थान पर "जब्त" पढ़िये ।
194	नीचे से 10	"जघदीश" के स्थान पर "जगदीश" पढ़िये ।
227	नीचे से 10	"7579/89" के स्थान पर "7569/89" पढ़िये ।
334	नीचे से 6	"बी0के0घढ़वी" के स्थान पर "बी0के0गढ़वी" पढ़िये ।

विषय सूची

अष्टम माला, खंड 47 तेरहवां सत्र, 1989/1910—1911 (शक)

अंक 19, सोमवार, 27 मार्च, 1989/6 चैत्र, 1911 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	—1
आयरलैंड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 348,350,352 से 354, 356,357 और 359	6—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—219
तारांकित प्रश्न संख्या : 349,351,358 और 360 से 369	22—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3290 से 3310, 3312 से 3378, 3380 से 3388 और 3390 से 3496	32—219
दिनांक 13.3.1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2449 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	220—226
सभा पटल पर रखे गए पत्र	227 - 234
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	235 - 240
समिति के लिए निर्वाचन	—241
राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति	241
दिल्ली नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक	—242
पुरः स्थापित	
नियम 377 के अधीन मामले	243—245
(एक) कालीन बुनकरों को अधिक प्रोत्साहन दिये जाने और उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे पनिका	—243

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय

(दो) रसोई गैस के रेगुलेटरों और सिलेंडरों की आपूर्ति करने से पूर्व उनकी जांच किए जाने और उनको प्रमाणित किए जाने को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाए जाने तथा दुर्घटना की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए बीमा संबंधी उपबंध किए जाने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित —243

(तीन) उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अकबरपुर में एक कम शक्ति वाला रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे सुमन —244

(चार) पाली जिले के सूखा पीड़ित लोगों को राहत प्रदान किए जाने हेतु राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री शंकर लाल 244

(पांच) सिकन्दराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली वेंकटदरी एक्सप्रेस की गति बढ़ाए जाने और उसका समय बदले जाने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 245

(छः) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म जिस मकान में हुआ था, उसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की आवश्यकता

कुमारी ममता बनर्जी —245

(सात) बंगलौर में उच्चतम न्यायालय की एक खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर —245

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1988-89 246—273

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव 246—249

श्री गिरधारी लाल व्यास 250—252

श्री अजय विश्वास 253 - 255

कुमारी ममता बनर्जी 256—258

श्री तम्पन थामस 259—260

श्री वृद्ध चन्द्र जैन 261—262

श्री शांति धारीवाल 262—263

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 263—264

श्री चिरंजी लाल शर्मा 265—266

श्री वी० के० गड़वी 267—273

विषय	पृष्ठ
विनियोग विधेयक, 1989	—274
पुरः स्थापित	—274
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढ़वी	—274
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	274
श्री बी०के० गढ़वी	—274
पंजाब बजट, 1989-90—सामान्य चर्चा	—275
लेखानुदानों की मांगें (पंजाब), 1989-90 और अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1988-89	
श्री डी०एन० रेड्डी	278—281
श्रीमती सुखबन्सकौर	281—285
श्री सैफुद्दीन चौधरी	285—288
श्री विजय एन० पाटिल	289—290
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	290—292
चौधरी राम प्रकाश	292—293
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	294—295
श्री राम नारायण सिंह	296—297
श्री केयूर भूषण	298—299
श्री चरजीत सिंह वालिया	311—313
श्री बुद्धि चन्द्र जैन	314—315
श्री इन्द्रजीत गुप्त	315—320
श्री शमिन्दर सिंह	321—322
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	322—324
श्री के०डी० सुल्तानपुरी	325—326
डा० जी०एस० ढिल्लों	—327
श्री बी० के० गढ़वी	—328
ठक्कर आयोग का प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जाने के संबंध में दिनांक 23 मार्च, 1989 को अधिसूचना संख्या का०आ० 223 (क) के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	
सरदार बूटा सिंह	300—302
पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1989	—336
पुरः स्थापित	—336
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री बी० के० गढ़वी	—336

विषय		पृष्ठ
खंडवार विचार		—337
पारित करने के लिए प्रस्ताव		—337
श्री बी०के० गढ़वी		—337
पंजाब विनियोग विधेयक, 1989		—337
पुरः स्थापित		—337
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
श्री बी०के० गढ़वी		—338
खंडवार विचार		—338
पारित करने के लिए प्रस्ताव		
श्री बी० के० गढ़वी		—338
सभा का कार्य		338—339

लोक सभा

सोमवार, 27 मार्च, 1989/6 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं बड़े खेद के साथ अपने दो भूतपूर्व सहयोगी सर्वश्री छुट्टन लाल और हेमवती नन्दन बहुगुणा के दुखद निधन का समाचार सभा को देता हूं।

श्री छुट्टन लाल 1971-77 में पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। वह राजस्थान के सवाई माधोपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आये थे। इससे पहले 1959-71 के दौरान वह राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

निष्ठावान समाज सेवी श्री छुट्टन लाल हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान में विशेष रुचि रखते थे और उन्होंने अस्पृश्यता निवारण के लिए सतत प्रयास किया। वह राजस्थान आदिवासी सेवा संघ के चेयरमैन थे?

श्री छुट्टन लाल का निधन 69 वर्ष की आयु में 8 मार्च 1989 को जयपुर (राजस्थान) में हुआ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा 1971-74, 1977-1979 जनवरी से मई, 1980 तक जुलाई 1982 से दिसम्बर 1984 तक पांचवीं, छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ और गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। वह 1952-69 और 1974-77 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे। एक प्रतिष्ठित राजनेता और एक योग्य प्रशासक श्री बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश सरकार में और केन्द्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न मंत्रालयों का कार्य बखूबी निभाया। उन्हें पहली बार 1971 में संचार मंत्री के रूप में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। बाद में मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री रहे तथा 1979 में उन्होंने वित्त मंत्री का कार्य भार सम्भाला। 1973-75 के दौरान वह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे।

पुराने स्वतंत्रता सैनानी, श्री बहुगुणा ने भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के लिए इलाहाबाद विश्व विद्यालय में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें भगोड़ा करार कर दिया। 1943-45 के दौरान वह कई बार जेल गए।

श्री बहुगुणा ने कृषक और प्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में छात्र आन्दोलन और ट्रेड यूनियन गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने कई ट्रेड यूनियनों का स्वयं गठन किया और उत्तर प्रदेश में इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के एक विख्यात नेता बन गये।

जाने माने समाज सेवी श्री बहुगुणा उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई सामाजिक, राजनैतिक और शिक्षा संस्थानों से संबद्ध रहे और उन्होंने दलितों के उत्थान तथा युवाओं के कल्याण में विशेष रुचि दिखाई।

श्री बहुगुणा समाज के कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यक लोगों के हितचिन्तक थे। वह आखिरी वक्त तक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए अथक प्रयास करते रहे। वह अनेक लोकप्रिय मामलों का समर्थन करके जनता के प्रिय बन गए।

श्री बहुगुणा का निधन 70 वर्ष की आयु में 17 मार्च, 1989 को अमरीका में क्लीवलैंड अस्पताल में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और मुझे आशा है कि यह सभा मेरे साथ शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदना प्रकट करेगी।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहेंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

आयरलैंड के ससंदीय शिष्ठमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से आयरलैंड की ससद के लोअर हाऊस के अध्यक्ष महामहिम श्री सीआन ट्रिवी और आयरलैंड के संसदीय शिष्ठ मण्डल के माननीय सदस्यों का, जो कि हमारे अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करते हुए बेहद खुशी है।

शिष्ठ मण्डल के अन्य माननीय सदस्य हैं :

1. श्री नोयल डेवर्न, टी०डी०
2. श्री माईकल एहर्न, टी०डी०
3. सीनेटर रोरी केयली
4. श्री ब्रेन्डेन मैकगाहन, टी०डी०
5. श्री चार्ल्स फलेनगन, टी०डी०
6. श्री रूआरी क्विन, टी०डी०

शिष्ट मंडल परसों सुबह दिल्ली पहुंचा। वे अब विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं।

हम उनके जरिए महामहिम राष्ट्रपति, संसद और आयरलैण्ड के मित्रवत लोगों के प्रति अपनी शुभकामनायें भी भेजते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोविचेट्टिपालयम) : महोदय, मैं एक बहुत गंभीर और महत्व पूर्ण मामला उठा रहा हूं। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल है।

(**व्यवधान**)

श्री पी० कुलनदईवेलू : महोदय, वास्तव में आप लोकतन्त्र के परिरक्षक और संरक्षक हैं। तमिलनाडु विधान सभा में एक महिला सदस्य जोकि विपक्ष की नेता हैं, की पिटाई की गई···। (**व्यवधान**)।

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : तमिलनाडु के मुख्य मंत्री पर हमला किया गया ··। (**व्यवधान**)।

(इस समय श्री पी० कुलनदईवेलू और श्री एन० वी० एन० सोमू आये और सभापटल के निकट बैठ गये)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। वे वहां क्या कर रहे हैं, ऐसा यहां नहीं कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या जो कुछ तमिल नाडु विधान सभा में हुआ है, उसे संसद में उठाया जा सकता है? यह मामला विधान सभा से सम्बन्धित है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने स्थानों पर चले जाएं। मैं किसी भी चीज की अनुमति नहीं दे रहा हूं। ···आप मेरे मत से परिचित हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप हर वक्त चिल्लाते रहते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वहां जाईये। यदि आप वापस नहीं जायेंगे तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री कुलनदईवेलू मैंने आपको अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा है। आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता।

(इस समय श्री पी० कुलनदईवेलू और श्री एन० वी० एन० सोमू अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये

श्री मधुदंडवते : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। क्या ऐसा मामला जो कि विधान सभा में घटित हुआ हो संसद में उठाया जा सकता है? (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए···आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं। आप आपस में बातें कर रहे हैं। यह गलत बात है श्री कुलनदईवेलू अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यहां देखिए जो कुछ आप यहां करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी मैं इजाजत नहीं दे सकता। मेरे पास कोई दो नियम नहीं हैं वह भी एक आपके लिए और दूसरा इस

पक्ष के लिए। मेरे पास एक ही नियम है और जो नियम पुस्तिका दी गई है वह इस सदन के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईनेलू : महोदय, आप संरक्षक हैं, आप लोकतन्त्र के परिरक्षक हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : हां मैं हूं ; लेकिन मैं यह सब अपनी उस सीमा और शक्ति के अन्दर कर सकता हूं जो आपने मुझे दी है ; अत: मैं उससे परे नहीं जा सकता। आपने मुझे जनादेश और नियम दिये हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं। मैं जानता हूं। मैं केवल यही कह सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे कुछ कहने देंगे ? कृपया बैठ जायें। समस्या यह है कि आप इस बात को महसूस नहीं करते कि आप क्या कर रहे हैं। राज्य विधान सभा के मामले यहां नहीं उठाये जा सकते।

मैं यह महसूस करता हूं कि जिस तरीके से हम काम करते हैं वह वास्तव में लज्जा जनक है। हमारे माप दण्ड मौजूद हैं। विधान सभाओं में भी·····परसों पश्चिम बंगाल में, कभी हरियाणा में तो कभी उत्तर प्रदेश में। हम कब तक यह सब करते रहेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनवईनेलू : किसी भी विधान सभा में इस तरह की छेड़खानी नहीं हुई है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन यह राज्य विधान सभाओं को देखना है। स्थिति अभी भी वैसी ही है जो मैंने उस दिन कही थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह इस तरह चिल्लाने से नहीं हो सकता। विधान सभाओं को उनकी अपनी सदाचार की परंपराओं और नियम तथा विनियमनों के अनुसार कार्य करना चाहिए और इन मुद्दों को विधान सभा में ही सुलझा लेना चाहिए। यही मैं महसूस करता हूं। मेरी स्थिति यह है·····।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरा सुनिए ; मैंने यह बात इसी अध्यक्ष पीठ से कही थी मैंने बाहर भी यही कहा था सज्जनों हमें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। यह वही वृक्ष है। इसमें

शाखाएं भी हो सकती हैं लेकिन मुख्य वृक्ष यही है। परन्तु यदि आपको कतिपय चीजें बदलनी हैं तो नियम बदलिये और जो कुछ आप चाहते हैं अध्यक्ष से करने को कहिए। लेकिन आप अध्यक्ष को अपनी इच्छानुसार काम करने के लिए नहीं कह सकते। मैं नियम नहीं बदल सकता। मैं यह जानता हूं। परन्तु मैं केवल सहानुभूति जता सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे मैं इसे कर सकने की स्थिति में हूं। मैं स्वयं अतिरिक्त गतिविधियों में नहीं पड़ना चाहता। मेरा ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने नियमों के अनुसार कार्य करता हूं। अन्यथा मैं नहीं कर पाऊंगा।

(व्यवधान)

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : महोदय, जो घटनाएं विधान सभा के स्थगित होने के बाद हुई हैं वे कार्यवाही का भाग नहीं हैं। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। यही मेरा कहना है। मैं जानता हूं कि जब यहां महिला सदस्य और ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो बुद्धिमत्तापूर्ण और अच्छी भावना के अनुसार हो।

श्री पी० कुलनदईवेलु : आपको इसकी निन्दा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कुलनदईवेलु जी, मैं तो केवल अपील कर सकता हूं। मैं तो वहां उन सदस्यों से, यहां आपसे भी और इस सभा के माध्यम से अच्छे लोकतंत्रीय समाज की परम्पराओं को बनाए रखने के लिए संबंधित सभी सदस्यों से अपील कर सकता हूं। आप विश्व के इस भाग में बल्कि पूरे विश्व में एक अत्यधिक वास्तविक लोकतांत्रिक समाज का अंग है और मैं चाहता हूं कि इस परम्परा को बनाए रखें और यदि आप इसे खत्म कर देंगे तो यह हमारे हित में नहीं होगा और न ही यह वर्तमान और भावी पीढ़ियों के हित में होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे कायम रखें। मुझे आपके साथ नियमों के मुताबिक चलना है और मैं तो तमिलनाडु में उन सदस्यों अथवा किसी अन्य विधान सभा के सदस्यों से यह अनुरोध ही कर सकता हूं कि संसद और राज्य विधान सभाओं में उचित व्यवहार करें। धन्यवाद।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : तमिलनाडु के बारे में जो कुछ कहा गया है वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित क्यों नहीं हो सकता ? (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : डा० दत्ता सामन्त।

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अमरीका में "सुपर-कन्डक्टिंग सुपर कोलाइडर" के निर्माण में भारत का सहयोग

*348. **डा० वत्सा सामंत**† :

श्री शरद दिघे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत, टेक्सास, अमरीका में "सुपर-कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर" के निर्माण हेतु अपना सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत का क्या योगदान रहेगा और इससे देश को होने वाले विभिन्न लाभों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) अमरीका में टेक्सास में सुपर-कन्डक्टिंग सुपर कोलाइडर परियोजना में भारतीय वैज्ञानिकों के भाग लेने के बारे में भारत और अमरीका के वैज्ञानिकों के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई है। इस संबंध में न तो किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और न ही व्यय के संबंध में कोई वचन दिया गया है। अगले वर्ष या उसके आस-पास इस परियोजना के बारे में ब्यौरे तैयार किए जाएंगे। भारत द्वारा इस परियोजना के लिए उपकरणों का निर्माण करने और जनशक्ति उपलब्ध कराने के रूप में सहयोग देने की परिकल्पना की गई है। चूंकि परियोजना में उच्चस्तर की प्रौद्योगिकी इस्तेमाल में लाई जाएगी इसलिए भारत के इस परियोजना में भाग लेने से भारतीय वैज्ञानिकों को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्र में कार्य करने का अच्छा अवसर मिलेगा।

डा० वत्सा सामन्त : महोदय, प्रश्नों का उत्तर देते समय सरकार सदा सही उत्तर देने से कतराती है। अमरीका में गृह ऊर्जा/समिति में श्री राबर्ट हंटर ने पहले ही 26 फरवरी को एक वक्तव्य दिया है कि भारत अमरीका के सुपर कोलाइडर एटम स्मैशर के लिए 50 मिलियन डालर का योगदान करने को सहमत हो गया है और यह इस 4.6 बिलियन डालर की परियोजना के लिए सहायता देने वाला पहला देश है। जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया और अन्य देश अभी शर्तों पर बात चीत कर रहे हैं। यह वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। यह घोषणा गृह ऊर्जा समिति की एक बैठक में संयुक्त निदेशक श्री राबर्ट हंटर द्वारा की गई थी और यह भारतीय समाचार पत्रों में छपी है।

एक माननीय सदस्य : 26 फरवरी के इंडियन एक्सप्रैस में।

डा० वत्सा सामंत : यदि इस करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो सरकार ने क्या वचन दिया है ? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। यदि भारत ने योगदान किया है तो प्रबन्ध और निर्माण के रूप में लाभ किसे मिलेगा ? सदन को पता होना चाहिए कि यदि आपने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो आप किस बारे में सहमत हुए हैं इस बारे में पूरा ब्यौरा और तय की गई शर्तें क्या हैं। कृपया यह सदन को बताएं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया हमें बताएं कि ये सुपर कोलाइडर क्या हैं।

श्री के. आर. नारायणन : अनौपचारिक बातचीत के अलावा सरकार ने इस बारे में कोई वचन नहीं दिया है। यह सच है कि एक अमरीकी कांग्रेस सदस्य ने वक्तव्य दिया था। लेकिन मुझे डर है कि

यह सच नहीं है। यह हमारा वक्तव्य नहीं है। जहां तक भारत सरकार का संबंध है, यह सच नही है। हमने अनौपचारिक बात चीत की है और हम इस परियोजना में भाग ले सकते हैं और उस समय यह उससे पहले हम इस बारे में ब्यौरे तैयार करेंगे। अमरीकी कांग्रेस सदस्य ने तो दिए जाने वाले योगदान के बारे में ही कहा है। लेकिन हमने अनौपचारिक वार्ता में बता दिया है कि हमारा योगदान मुख्य रूप से उपकरणों का निर्माण करने और जनशक्ति उपलब्ध कराने के क्षेत्र में होगा।

डा० वत्ता सामन्त : सरकार स्पष्ट स्थिति नही बता रही है। लेकिन इससे सदन को अवगत कराना चाहिए। यह परियोजना टैक्सास में होगी और 85 किलोमीटर लम्बी भूमिगत सुरंग में प्रोटोन के अंश एक दूसरे से टकराएंगे और एक अत्यधिक शक्तिशाली आण्विक एक्सेलेटर का उपयोग करते हुए 20 गुणा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। हम योगदान के रूप में 70 करोड़ रुपये व्यय करने जा रहे हैं, यह धन राशि के रूप में नही होगा। मैं जानना चाहूंगा कि अमरीका में होने वाली इस परियोजना से भारत या भारतीय वैज्ञानिकों को क्या मदद मिलेगी। मंत्री महोदय इस मामले पर ब्यौरा दें और इसे स्पष्ट करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सुपर-कोलाइडर क्या है ?

श्री के. आर. नारायणन : महोदय, यह परियोजना विश्व में प्रारम्भ की गई अत्यधिक महत्व पूर्ण वैज्ञानिक परियोजना है। जिसे हम सुपर कंडक्टिंग सुपर कोलाइडर कहते हैं वह वास्तव में असाधारण परमाणु विध्वंसक हैं, एक बहुत बड़ा एक्सेलेटर है और इसका उद्देश्य अनुसंधान के लिए पदार्थ के लिए अन्ततः कणों का पता लगाना है और इससे संभवतः जीवन के रहस्य की खोज सहित अनेक बातों का पता लग सकेगा; और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से विश्व के लिए इसके प्रभाव लाभकारी रहेंगे।...(व्यवधान)।

डा० वत्ता सामंत : इसमें हमारे देश के लिए विशेष क्या है ?

श्री के०आर० नारायणन : इसमें हमारे देश के लिए विशेष यह है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी से अवगत होना, इस उच्च ऊर्जा भौतिकी के संबंध में प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों से हमारे वैज्ञानिकों को अवगत कराना और अनुभव देना है। मुख्य लाभ यह है और भौतिकी में भी इसका अनेक रूप में प्रयोग होगा। इस परियोजना में समूची प्रौद्योगिकी निहित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हर पहलू निहित है। इस प्रकार इससे हमें प्रौद्योगिकी की प्रत्येक शाखा में अत्यधिक अनुभव प्राप्त होगा और यह हम कहीं और प्राप्त नहीं कर सकते। आपने स्वयं भी कहा है कि जापान, यूरोप भी इस योजना में भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे यहां पर्याप्त वैज्ञानिक विकास हुआ है और इस परियोजना से अनेक वैज्ञानिक लाभान्वित हो सकेंगे और हम ऐसा करना चाहेंगे।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, सुपर कंडक्टिंग प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान परियोजना में भाग लेने का यह दुर्लभ अवसर अपने वैज्ञानिकों को उपलब्ध कराने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसके औद्योगिक उपयोग की कोई संभावना है, और जहां तक उद्योगों में इसके उपयोग का संबंध है क्या हमारी प्रौद्योगिकी का और विकास करने में इससे हमें मदद मिलेगी।

श्री के. आर. नारायणन : महोदय यह परोक्ष रूप से औद्योगिक उपयोगों तथा कृषि में भी सहायक हो सकती है। लेकिन यह भविष्यवाणी करना संभव नहीं है कि इसका ठीक उपयोग क्या-

क्या होगा। जैसा कि मैंने कहा है कि यह विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में एक वैज्ञानिक प्रयोग है, और जो कुछ इससे प्राप्त होगा उनके बारे में इस समय हम भविष्य वाणी नहीं कर सकते। लेकिन यह ऐसा कार्य है जिसमें विश्व के सभी वैज्ञानिक रुचि रखते हैं। यह प्रकृति और जीवन के रहस्यों में एक रोमांच है।

उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

*350. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान स्थापित प्रमुख उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ख) इनमें किन-किन वस्तुओ का उत्पादन किया जाता है और इनका मूल्य कितना है ;

(ग) उक्त अवधि में इन उद्योगों की वृद्धि-दर और उत्पादित वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का यदि निर्यात किया गया है तो वह कितना है और कितने मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया है और इन उद्योगों द्वारा वर्ष 1990 और आगामी वर्षों में कितना निर्यात करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1986, 1987 तथा 1988 के दौरान श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों, रंगीन दूरदर्शन सेटों, टू-इन-वन/टेप रिकार्डरों, वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों तथा अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के विनिर्माण के लिए जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1986	16
1987	12
1988	12

इस अवधि के दौरान उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन नीचे दिए अनुसार हुआ :—

(दस लाख रुपयों में)

	1986	1987	1988 (अनुमानित)
श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेट	3965.1	5810	8360

रंगीन दूरदर्शन सेट	5022.2	7170	8970
रेडियो	1261.3	1550	1600
टेपरिकार्डर	1380.4	1785	2275
(जिसमें टू-इन-वन शामिल हैं)			
इलेक्ट्रॉनिक दीवार घड़ियां	216.1	750	750
इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां	218.0	350	730
अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	686.9	785	1225
कुल	12750.0	18200.0	24000
			(अनुमानित)

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास की दर का प्रतिशत नीचे दिए अनुसार रहा :—

1986	23.8%
1987	42.7%
1988	31.9% (अनुमानित)

(घ) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात (निर्यात संसाधन क्षेत्र से निर्यात को छोड़कर) वर्ष 1986 में 9 करोड़ रु. वर्ष 1987 में 19.5 करोड़ रु. तथा वर्ष 1988 में 18 करोड़ रु. (अनुमानित) का हुआ है। आठवीं योजना के दौरान निर्यात के अनुमानों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : महोदय, हमारे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में इस उद्योग ने पिछले तीन वर्षों में बहुत अधिक योगदान किया है। जहां हमारे उद्योग रुग्ण हो रहे हैं वहां यह क्षेत्र बहुत अधिक उत्पादन कर रहा है और यह क्षेत्र उत्पादन तथा रोजगार के मामले में भी अत्यधिक योगदान कर रहा है। महोदय, अब मंत्री महोदय का वक्तव्य दर्शाता है कि इस क्षेत्र ने अत्यधिक विकास किया है तथा इसका काफी योगदान रहा है। लेकिन बजट में इलैक्ट्रानिकी उद्योग का सम्पूर्ण आधार ही नष्ट कर दिया गया है और सम्पूर्ण उपभोक्ता इलैक्ट्रानिकी के सामान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा उपकरण निर्माता इससे प्रभावित होंगे और इसका विकास धीमा पड़ जाएगा। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इसका क्या औचित्य है और क्या वह कुछ विशेष रियायतें देने का प्रयास करेगी ताकि विकास धीमा न पड़े ।

श्री के. आर. नारायणन : बजट प्रस्तावों पर कोई भविष्यवाणी करना मेरे लिए संभव नहीं है ।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आपका क्या मत है ?

श्री के. आर. नारायणन : मेरा मत वही है जो सरकार का है। इसलिए आप बजट के मत को इलैक्ट्रानिकी विभाग के मत से अलग नहीं कर सकते। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि स्वयं वित्त

मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस उद्योग ने विकास किया है और लाभ अर्जित किया है। इसलिए इसे भारत के लोगों के हित में राजस्व का कुछ भार वहन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस उद्योग ने भारत के लोगों का मनोरंजन किया है और इसलिए इस उद्योग को इसके लिए कुछ अदा करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। इन शुल्कों और उत्पाद करों का यही औचित्य है। इस से इस उद्योग के विकास में किसी प्रकार भी बाधा नहीं आयेगी। इसके साथ मैं यह भी कहता हूं कि हमें उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर हम ध्यानपूर्वक विचार कर रहे हैं और हम अपनी सिफारिशें सरकार के संबंधित मंत्रालयों को भेज रहे हैं और मुझे आशा है कि वे इन पर ध्यानपूर्वक तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : ऐसे व्यक्ति से बहस करना बहुत ही कठिन है जो केवल प्रतिष्ठित ही नहीं हैं बल्कि मंत्री महोदय की तरह मिलनसार और खुशमिजाज भी हो। मुझे इस बात की खुशी है कि वह अनुभव करते हैं कि किसी प्रकार के अभ्यावेदन की आवश्यकता है ...।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपकी और उनकी विचार धारा में कुछ अन्तर्प्रवाह है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : आठवें दशक में इस सभा को सूचित किया गया था कि इन वस्तुओं की भारत में अत्यधिक तस्करी हो रही है क्योंकि संगत समय की सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नीतियों के कारण इन वस्तुओं के उत्पादन में सुधार नहीं हुआ। इसलिये यह बहुत स्वागतयोग्य बात है कि इस सरकार ने शासन में आकर इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ विशिष्ट कदम उठाये। अन्तर्राष्ट्रीय विकास, सूचना प्रौद्योगिकी आदि की उन्नति के लिये देश की यह प्रमुख आवश्यकता है। यदि सरकार के वर्तमान दृष्टिकोण से इस उद्योग का विकास नहीं हो सकता तो इन वस्तुओं की पुनः बड़े पैमाने पर तस्करी होने लगेगी। इसके विपरीत, छोटे पैमाने के क्षेत्र में इस उद्योग के विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा नीतिगत वक्तव्य देंगे जिससे इस उद्योग को प्रोत्साहन मिले।

श्री के. आर. नारायणन् : इलैक्ट्रोनिकी के क्षेत्र के क्षेत्र में प्रोत्साहन और उदारता की नीति मान्य है। मेरे विचार से उस नीति का लगभग प्रत्येक पहलू जैसे स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास उद्योग के प्रौद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आयात् आदि आज भी मान्य है। केवल यह हुआ कि कर लगा दिये गये हैं .....।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन् : कुछ मामलों में 56 प्रतिशत तक ।

श्री के. आर. नारायणन् : इस बारे में वैसा ही है जो वित्त मंत्री सही समय पर चर्चा के दौरान जवाब देंगे। मैं उसके सम्बन्ध में पहले से कुछ नहीं बता सकता। परन्तु मैंने माननीय सदस्य को पहले ही बता दिया है कि हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और हमने उनकी जांच की है। उसके बारे में अन्तिम निर्णय लेना सरकार का काम है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं अर्थात् साधे टी.वी. सैटों तथा रंगीन टी.वी. सैटों और टेपरिकार्डरों का देश में कितना उत्पादन हो रहा है, तथा वे अभी भी आयातित पुर्जों को जोड़ने अर्थात् उपकरणों को कसने वाली प्रौद्योगिकी पर कहां तक निर्भर हैं? मैं जानता हूं कि उन्होंने मूल्यों में आंकड़े दिये हैं। इसलिये उनके लिये तत्काल जवाब देना कठिन है। परन्तु मैं मोटे तौर पर जानना चाहता हूं कि इन वस्तुओं के कितने

अनुपात में या कितने प्रतिशत निर्माण पूर्णतः देश में किया जा रहा है तथा कितना अनुपात आयातित पुर्जों पर अभी भी निर्भर करता है····· ।

श्री के. आर. नारायणन् : महोदय, मैं इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूं। जहां तक साधे टेलीविजनों का सम्बन्ध है, इनका पूर्णतः निर्माण देश में किया जाता है । हम साधे टेलीविजन के मूल्य के केवल पांच प्रतिशत आयात पर निर्भर करते हैं और हमें आशा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक यह घटकर तीन अथवा दो प्रतिशत रह जायेगा । अतः आज भारत में साधे टेलीविजनों का लगभग पूर्ण निर्माण देश में होता है । जहां तक रंगीन पिक्चर टेलीविजनों का सम्बन्ध हैं, 1988 में देश की मांग का 75 प्रतिशत आयात किया गया और हमें आशा है कि 1989 में यह घटकर 25 प्रतिशत रह जायेगा । यह रंगीन पिक्चर ट्यूबों के और अन्य कारखानों की स्थापना करके किया जायेगा जिन्हें हम पहले ही स्वीकृति दे चुके हैं और जिनके बारे में आधे से अधिक काम पहले ही हो चुका है । रंगीन टेलीविजन के आयात पर निर्माता की प्रतिशतता या डिग्री को भी पर्याप्त रूप से कम किया जायेगा । जहां तक कम्प्यूटरों का सम्बन्ध है, हम केवल 25 प्रतिशत अथवा 28 प्रतिशत आयात पर निर्भर करते है । अतः विगत कुछ वर्षों, विशेषत 3-4 वर्षों, के दौरान इलैक्ट्रोनिकी उद्योग का पर्याप्त स्वदेशीकरण हुआ है ।

श्री विजय एम. पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि इलैक्ट्रोनिकी उद्योग का पर्याप्त स्वदेशीकरण हुआ है परन्तु उन्नति सन्तोषजनक नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि गतिरोध हो गया है । जितनी हमें आशा थी उसके अनुसार उपलब्धि नहीं हुई है । परसों ही प्रधान मंत्री ने राष्ट्र को सुपर कम्प्यूटर समर्पित किया था । कल रक्षा मंत्री ने विभिन्न विभागों को बहुत शक्तिशाली राडार दिया, जिसके द्वारा बहुत ही कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों का पता लगाया जा सकता है । यह राडार केवल चार देशों में उपलब्ध है । परन्तु यद्यपि हममें क्षमता है हम उपयोग नहीं करते हैं । रंगीन टेलीविजन, साधे टेलीविजन, दीवार की घड़ियों और इलैक्ट्रोनिक घड़ियों के बारे में वक्तव्य में उल्लेख किया गया है । परन्तु हमारे पास अनेक ऐसी चीजें हैं जिनका भारत में उत्पादन नहीं होता है और जिन्हें दवाई, कृषि तथा संचार में प्रयोग किया जा सकता है । उदाहरणार्थ दूध में चिकनाई का परीक्षण करने वाली मशीनों का भारत में उत्पादन नहीं होता है । अधिकांश उत्पादन रंगीन टेलीविजनों, साधे टेलीविजनों, दीवारी घड़ियों और इलैक्ट्रोनिक घड़ियों का होता है । परन्तु दवाई संचार, कृषि और दूसरे क्षेत्रों में विशेषकर चीनी कारखानों में प्रक्रिया नियंत्रण तथा चिकनाई का परीक्षण करने वाली मशीनों में प्रयोग का क्या होगा ? इनमें अत्यधिक रोजगार देने की क्षमता है तथा एक करोड़ रुपये के निवेश से, 3000 अथवा उससे भी अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है जबकि इंजीनियरी उद्योग में 300 लोगों अथवा पेट्रो—रसायन में 30 से भी कम लोगों को रोजगार दिया जा रहा है । इसके बारे में आप क्या कर रहे है (**व्यवधान**) ।

प्रो. मधु दंडवते : तब तो आप कृषि उत्पादों के लिये लाभकारी मूल्यों के बारे में भी पूछ सकते हैं (**व्यवधान**) ।

श्री विजय एम. पाटिल : ये उपभोक्ता वस्तुयें हैं । श्री दंडवते को प्रोफेसर होने के कारण प्रत्येक बात समझने की आवश्यकता नहीं है····(**व्यवधान**) ।

श्री के. आर. नारायणन् : महोदय, जैसा कि उल्लेख किया गया है, माननीय सदस्य ने उपभोक्ता इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं से लेकर उत्पादकता की वस्तुओं के उत्पादन तक का जिक्र किया है ।

परन्तु फिर भी मैं सामान्यतः कह सकता हूं क्योंकि यह सब इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता कि हम इलैक्ट्रोनिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि, उद्योग और दवा समेत प्रत्येक क्रियाकलाप क्षेत्र में कर रहे हैं।

भाषा के आधार पर जनगणना का संकलन

*352. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों के बारे में भाषा के आंकड़ों के प्रकाशन के बारे में 24 फरवरी, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 344 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 की जनगणना करते समय व्यक्तिगत पर्ची के माध्यम से मातृ-भाषा एवं अन्य दो भाषाओं का ज्ञान होने के संबंध में जो जानकारी एकत्र की गई थी, वह इस बीच संकलित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इसे कब तक संकलित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) 1981 की जनगणना की व्यक्तिगत पर्ची के आधार पर मातृ-भाषा और अन्य दो भाषाओं का ज्ञान होने के संबंध में आंकड़े बड़े राज्यों के बारे में 20% रेखीय नमूने के आधार पर और छोटे राज्यों के बारे में 100% तालिका के आधार पर संकलित किए जाने हैं। परिवार में मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा पर आधारित 1981 की जनगणना के भाषा आंकड़े, जो परिवार अनुसूची के माध्यम से एकत्र किए गए थे, प्रकाशित किए जा चुके हैं और इसके बाद ही प्रश्नाधीन तालिका का काम शुरू किया गया है। व्यक्तिगत पर्ची पर आधारित मातृ-भाषा और द्विभाषित संबंधी तालिकाएं इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध हो जाने की संभावना है।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि रेखीय नमूने और तालिका संकलित वाले कितने बड़े और छोटे राज्य हैं तथा उनके नाम क्या हैं ? दूसरे, राज्यों को बड़े और छोटे राज्यों में विभाजित करने का क्या औचित्य है तथा इस कार्य को पूरा करने में विलंब इतना अधिक होने के क्या कारण हैं ? शायद एक वर्ष और दो महीने बाद अगली जनगणना का कार्य शुरू होगा। इस दृष्टिकोण से छोटे और बड़े राज्यों का क्या वर्गीकरण किया गया है तथा कौन से राज्य हैं और विलंब का क्या कारण है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : छोटे राज्य अधिकांशतः केन्द्र शासित राज्य हैं या ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या एक करोड़ से कम है। मेरे पास उन विशेष राज्यों के नाम नहीं हैं। मैं इसे सभा पटल पर रख सकता हूं। विलंब का कारण यह है कि हम परिवार में बोली जाने वाली भाषा पहले ही प्रकाशित कर चुके हैं। व्यक्तिगत पर्ची पर आधारित मातृ-भाषा और दूसरी भाषाओं की जानकारी संकलित की जा रही है तथा इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध करा दी जायेगी।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : मंत्री महोदय के जवाब को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या मातृ-भाषाओं की संख्या को लिया गया है अथवा व्यक्तिगत रूप से बोली जाने वाली भाषाओं की संख्या को। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनगणना में लिखी गयी मातृ-भाषाओं की संख्या को समूचे देश और विभिन्न राज्यों के लिये निर्धारित किया गया है। दूसरे, मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय कोई निश्चित तारीख देंगे जिस तक इसे प्रकाशित कर दिया जायेगा, अर्थात् क्या इसे अक्तूबर, या नवम्बर तक प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि गौण भाषायें बोलने वाले अपने विकास से सम्बन्धित आर्थिक लाभ उठा सकें।

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा मैंने बताया कि हम परिवार में बोली जाने वाली भाषायें पहले ही प्रकाशित कर चुके हैं। प्रारूप से स्पष्ट होता है कि किसी विशेष राज्य में एक व्यक्ति मातृ-भाषा और दो अन्य भाषायें बोलता है। प्रत्येक राज्य के लिये व्यक्तिगत पर्चिया संकलित कर ली गयी हैं। ये बहुत अधिक संख्या में हैं, इसमें समय लगेगा और छोटी भाषाओं को आर्थिक लाभ पहुंचना भी संकलन का बुनियादी उद्देश्य है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इस वर्ष के अन्त अर्थात 31 दिसम्बर तक इसे प्रकाशित कर दिया जायेगा और गौण भाषाओं के विकास के लिये उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री हरेन भूमिज : महोदय, असम भारत का छोटा सा राज्य है। हिन्दी और बंगला बोलने वालों के अतिरिक्त चाय बागान के श्रमिक जो असम की कुल जनसंख्या के 1/4 भाग हैं। अपनी भाषा अर्थात् 'सदनी' बोलते हैं। यद्यपि उन्होंने असम कि भाषा अपना ली है फिर भी वे अपनी भाषा अर्थात् 'सदनी' बोलते हैं महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनगणना सूची तैयार करते समय सरकार गणना करने वालों को स्पष्ट निर्देश देगी कि असम में 'सदनी' भाषा बोलने वालों को भी जनगणना सूची में सम्मिलित किया जाए।

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि पिछली बार हम असम में जनगणना नहीं कर सके। परन्तु आगामी जनगणना के लिये हम राज्य सरकार के साथ पत्र व्यवहार कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम उस राज्य की जनगणना करा सकेंगे। जनगणना करते समय माननीय सदस्य के सुझाव पर ध्यान दिया जायेगा।

जैसलमेर और बाड़मेर जिलों से सेना में युवकों की भर्ती

[हिन्दी]

*353. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान पड़े लगातार सूखे के कारण वहां पर बेरोजगारी में हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन जिलों से युवकों को सेना में भर्ती करने के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को मैट्रिक से कम करके मिडिल पास करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) भर्ती और छूट में पात्रता के मानदंड देश के किसी भी भाग में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर आधारित नहीं है। तथापि, उल्लिखित क्षेत्रों में अन्यथा पात्र उम्मीदवारों, जो अपने क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की कमी के कारण ही न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं पूरी नहीं करते हैं, को समान अवसर प्रदान करने के लिए, ऐसे क्षेत्रों के उम्मीदवारों के संबंध में विशेष अवधि के लिए समय-समय

पर कुछ रिआयतें अधिसूचित की जाती हैं। इस आधार पर सेना में भर्ती के लिए "सामान्य भर्ती दर" की न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं मैट्रिक से कम करके कक्षा-8 तक करने का निर्णय लिया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ इसके अंतर्गत जैसलमेर और बाड़मेर जिलों की सरहदी तहसीलों के युवक भी आ जाएंगे। यह छूट 01 अप्रैल, 1989 से 3 वर्ष के लिए लागू रहेगी।

(व) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष जी, आपने जो दसवीं से लेकर के आठवीं तक की रियायत दी है इसका हम स्वागत करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। प्रश्न यह है कि यह जो आपने रियायत दी है वह बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की सीमावर्ती तहसीलों के लिए है। लेकिन मैं समझता हूं कि सीमावर्ती बाड़मेर जिला और जैसलमेर जिला सारा का सारा अकाल से प्रभावित है और रहता है इसलिए सीमावर्ती सारे बाड़मेर और जैसलमेर जिले को यह रियायत दी जानी चाहिए। इसके संबंध में आप क्या जवाब प्रस्तुत करते हैं। दूसरे और किन-किन क्षेत्रों को आप यह रियायत दे रहे हैं, इसके लिए भी हमें जानकारी प्रस्तुत करें ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : अध्यक्ष जी, राजस्थान में, अजमेर में जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस है। उसके आलावा चार रिक्रूटमेंट आफिस जोधपुर, अलवर, कोटा और झुंझनु में है। नीति यह है कि सारे देश के हर हिस्से से लोग फौज में आ सकें। इसके आलावा जगह जगह से लोगों को लिया जाता है और उसमें रिक्रूटेबल मेल पापुलेशन है उसका एक अनुपात रखा गया है। जितनी मेल पापुलेशन है उसका एक हिस्सा, उसकी निर्धारित संख्या को हर राज्य में इसी तरह से विभाजित किया जाता है। मैं देख रहा हूं कि राजस्थान में पिछले चार वर्षों में जो उसकी निर्धारित संख्या थी उसमें इनटेक भी उतना ही है, उसमें कमी नहीं है। आपका जो यह ख्याल है कि राजस्थान से जितने लोग लिये जाने थे उससे कम लोग लिये जा रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि कम लोग लिये जा रहे हैं। हम यह चाहते हैं सीमावर्ती क्षेत्र जो अकाल से प्रभावित होते हैं उनमें से ज्यादा लोगों को सेना में भर्ती किया जाए ताकि उनकी अनएम्पलाएमेंट की प्राब्लम हल हो सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इसलिए उनकी ज्यादा भर्ती के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : अब जो रियायत दी गयी है उस पर तो आपने भी तारीफ की है।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झनू) : जनाब सदरे मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान का बहादुरी का एक बहुत शानदार इतिहास रहा है। राजस्थान का हरेक आदमी फौज में भर्ती होना अपना फक्र समझता है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि राजस्थान के लोगों की बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए वहां निकट भविष्य में क्या कोई फौजी लगाने की कोई योजना है या नहीं है ? यदि है तो सीकर और झुन्झनू में यह मेला कब लगने वाला है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां रिक्रूटमेंट मेले लगाने की आवश्यकता होती है वहां वे लगाये भी जाते हैं। जहां तक झुंझुनू का प्रश्न है, वहां पर रिक्रूटमेंट आफिस है, वहां पर बी.आर.ओ. अभी भी है, वहां पर मेला लगाने का प्रश्न कहां उठता है।

श्री रामलगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों का दौरा किया था, उस वक्त वे देवरिया जिले में भी गए थे। यह इलाका काफी समय से उपेक्षित चला

आ रहा है। आजादी की लड़ाई में वहां से तमाम लोग शहीद हुए थे। आज भी वहां पर अच्छे नौजवान हैं जो फौज के लिए बहुत उपयुक्त हैं। वहां के लोगों की मांग थी कि फौज में भर्ती के लिए वहां पर कोई केन्द्र स्थापित किया जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पूर्वांचल क्षेत्र के नौजवानों को फौज में भर्ती करने के लिए क्या देवरिया में भर्ती केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आपने जो बात कही है, उससे मुझे सहानुभूति है। मैं जानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस वक्त रोजगार की बहुत कठिनाई है, लेकिन भर्ती की जो नीति है, उसमें आबादी के आधार पर सब जगह अलग अलग ब्रांच रिक्रूटमेंट आफिस खोले गए हैं। और उत्तर प्रदेश में शायद 9 रिक्रूटमेंट आफिसेस हैं। अगर आबादी के आधार पर अधिक केन्द्र खोलने की गुंजाइश होगी तो और भी खोले जा सकते हैं। इस बारे में सारे देश में एक सा व्यवहार किया जाता है, ताकि सब लोगों को बराबर का मौका मिले।

श्री रामनगीना मिश्र : ऐसा पता लगा है कि पहले वहां पर सेंटर था, जिसे बाद में बंद कर दिया गया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : इसको हम देखेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, माननीय सदस्य सभा में बैठे बात कर रहे हैं.....।

प्रो. मधु दंडवते : सभा उनके लिए बहुत अनुकूल है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं कांग्रेस (आई) के सदस्यों का उनकी ही पार्टी में स्तर उठाने के लिए उत्सुक हूं। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे खयाल से कुमार मंगलम जी ने चेंक्स कर दिया है।

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के मामले में देश के विभिन्न भागों को समान रूप से अवसर दिए जाने की संकल्पना पर सही बल दिया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में रियायतें दिए जाने का कारण, मेरे विचार में, उन क्षेत्रों का शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ापन है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सिद्धान्त रूप से, इसी प्रकार की रियायतें दूसरे ऐसे किन्हीं जिलों या तहसीलों को दी जाएगी जो शिक्षा की दृष्टि से इसी प्रकार पिछड़े हुए हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : हां, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां रियायतें दी गई हैं और मैं उनमें से कुछ का उल्लेख करूंगा। शारीरिक मानकों में और शिक्षा मानक की दृष्टि से रियायतें दी गई हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है। उदाहरण के तौर पर, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए, सिखों (एम.एण्ड.आर.) राजस्थान के खैम खानिस और महाराष्ट्र तथा उड़ीसा के, आदिवासियों के लिए शिक्षा का मानक दसवीं कक्षा से घटाकर आठवीं कक्षा किया गया है।

क्षेत्रीय शारीरिक मानकों में भी उदाहरण के तौर पर पश्चिमी या पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में रियायतें दी गई हैं। कुछ क्षेत्रों में कद की रियायत दी गई है और कुछ क्षेत्रों में सीने की तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में वजन की रियायत दी गई है। मेरे पास दो पृष्ठों का विवरण है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

*354. **श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000 तक कितनी परमाणु ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है ;

(ख) यह लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था ;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के स्वदेशीकरण को पर्याप्त महत्व दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परिमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) वर्ष 2000 तक परमाणु बिजली की अधिष्ठापित क्षमता 10,000 मेगावाट प्राप्त करने के लिए परमाणु बिजली संबधी कार्यक्रम वर्ष 1984 में बनाया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के प्रारम्भिक चरणों से ही इस कार्यक्रम के स्वदेशीकरण को प्रर्याप्त महत्व दिया गया है। भारत ने आज परमाणु संयंत्र के डिजायन, निर्माण, विनिर्माण, उसे चालू करने तथा उसके प्रचालन के कार्यों और परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के संबद्ध अन्य सहायक कार्यों को देश में ही करने में व्यापक क्षमता हासिल कर ली है।

श्री चन्द्र प्रताप नरायण सिंह : मेरा विश्वास है कि आठवें दशक के प्रारम्भ में परमाणु बिजली का निर्धारित लक्ष्य, जोकि 10,000 मेगावाट था, 1990 तक प्राप्त किया जाना था। अब इसे 1989 में वर्ष 2000 तक बढ़ा दिया गया है। क्या यह कमी 1977-80 की अंतरिम सरकार के कारण हुई जिसने कुछ स्थलों का चयन करने की अनुमति नहीं दी जिससे इस कार्यक्रम में प्रगति नहीं हुई ?

श्री के०आर० नारायणन : वास्तव में 10,000 मेगावाट परमाणु बिजली बनाने सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रस्ताव वर्ष 1983 में नियुक्त समिति ने किया था। निसन्देह, लक्ष्य एक अनौपचारिक रूप से पहले निर्धारित किए गए थे। मुझे नहीं मालूम कि इसका सही कारण राजनैतिक था या कोई और। मैं आपको एक तकनीकी उत्तर दे सकता हूं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : माननीय मंत्री ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा के स्वदेशीकरण कार्यक्रम को अपेक्षित महत्व दिया गया है। प्रारम्भिक रिएक्टर 'कैन्डोउ' किस्म का रिएक्टर था जोकि कनाड़ा से मंगाया गया था और जिसे ट्राम्बे में अधिष्ठापित किया गया था। बाद में कलपक्कम में हमारे वैज्ञानिकों ने स्वदेशीकरण की दिशा में एक नया प्रयोग किया जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। 1990 की इस कमी को वर्ष 2000 तक पूरा किया जाना है। अब हमें बिल्कुल भिन्न डिजाइन का आयात करना है जैसे हेवीवाटर, दोनों प्रकार के यूरेनियम, थोरियम और हमारे पास लाइटवाटर रिएक्टर भी है। है यह मिलीजुली व्यवस्था है परन्तु इस व्यवस्था से हमें लाइटवाटर

रिएक्टर सोवियत संघ से प्राप्त होगा और फ्रांस से जो बातचीत चल रही है उस के फलस्वरूप प्राप्त रिएक्टर से, कितनी परमाणु बिजली प्राप्त होगी ? कब तक इतनी बिजली का उत्पादन शुरू होने की आशा है ?

श्री के०आर० नारायणन : 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य पूर्णतया स्वदेशी रिएक्टरों से प्राप्त किया जा रहा है । सोवियत रिएक्टर से जो कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि फ्रांस के साथ अभी तक कोई करार नहीं हुआ है, 10,000 मेगावाट के लक्ष्य के अतिरिक्त होगा जोकि हम स्वदेश में विकसित एवं अधिष्ठापित विद्युत संयंत्रों से प्राप्त करेंगे । यह लक्ष्य वर्ष 2000 के लिए निर्धारित किया गया है और हमें आशा है कि इसे प्राप्त कर लिया जाएगा ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : कितना ?

श्री के०आर० नारायणन : 10,000 मेगावाट ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : हम सोवियत रिएक्टर से कितनी अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री के०आर० नारायणन : सोवियत रिएक्टरों से 2000 मेगावाट बिजली ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : कब तक ?

श्री के० आर० नारायणन : इस शताब्दि के अन्त तक ।

डा० कृपासिन्धु भोई : जैसा कि होमी भाभा और मेरे माननीय मित्र ने कहा है यूरेनियम ही परमाणु ऊर्जा संयत्रो द्वारा अपेक्षित सामग्री नही है । वर्ष 1990 तक हम 10,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा कर सकते हैं और देश स्वदेशी परमाणु सामग्री के प्रयोग से देश में पैदा की गई परमाणु बिजली के बल पर ही जी सकता है । इसके आधार पर, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी ने कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है जिसने देश के विभिन्न भागों में स्थलों का सर्वेक्षण किया है और क्या उस समिति में भू-वैज्ञानिकों को शामिल किया गया है ताकि हमें थोरियम, जोरिकन, इल्मेनाइट, सिलिमेनाइट तथा अन्य परमाणु खनिजों के भण्डारों का पता लग सके, और इस प्रकार हम केरल और उड़ीसा में भी परमाणु संयंत्र लगा सकते हैं ।

श्री के०आर० नारायणन : हमारे पास यूरेनियम का लगभग 70,000 टन भण्डार है, जोकि हमारे कार्यक्रमो के लिए पर्याप्त होना चाहिए । निसन्देह, हमारे पास थोरियम का अपार भण्डार है । जिसे थोरियम पर आधारित परमाणु कार्यक्रम के तीसरे चरण के लिए इस्तेमाल किए जाने का हमारा प्रस्ताव है ।

डा० कृपासिन्धु भोई : क्या यह केरल और उड़ीसा के लिए है ?

श्री के०आर० नारायणन : हां, थोरियम केरल और उड़ीसा से । हम इसे संसोधित करके यूरेनियम-233 तैयार करते हैं और फिर उसे नए रिएक्टरों पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के लिए इस्तेमाल करते हैं ।

श्री ई० अय्यपूरेड्डी : महोदय, यह एक गलत धारणा है कि परमाणु बिजली संयंत्र सुरक्षित नहीं है, इसलिये कुछ राज्य सरकारें परमाणु बिजली संयंत्र लगाने के लिए

स्थान सुलभ कराने के इच्छुक नहीं हैं। इस प्रकार राज्यों में परमाणु बिजली संयंत्र लगाने के प्रति उत्साह कम हो गया है। इस गलत धारणा को समाप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है कि राज्य सरकारें परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए स्थान का चयन करने में अधिकतम सहयोग दें ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में कई बार यह दिया गया है।

श्री के०आर० नारायणन : महोदय, जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, परमाणु बिजली संयत्रों की मांग करने में उन्हे, कोई झिझक नहीं है। वास्तव में प्रत्येक राज्य उनकी मांग कर रहा है। परन्तु हो सकता है कि उनके अपने राज्यों में विद्यमान जनमत पर दोहरा दृष्टिकोण हो। परन्तु कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिनकी मंशा न हो। वास्तव में वे परमाणु संयंत्र प्राप्त करने के बहुत उत्सुक हैं।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि सरकार परमाणु ऊर्जा के बारे में व्याप्त गलतफहमी या भय को दूर करने के लिए क्या कर रही है हमने ऊर्जा के रूप में परमाणु बिजली के सुरक्षित होने के बारे में जनता को समझाने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। निसन्देह, हम जानते हैं कि इसमें खतरा तो है। हम भारतीय परमाणु रिएक्टरों से हर प्रकार के परमाणु विकिरण को रोकने के लिए प्रौद्योगिकीय तथा अन्य उपाय कर रहे हैं। वास्तव में, हमारे परमाणु संयंत्रों से विकिरण के निकलने की कोई घटना नहीं हुई है जिससे कि जनता के लिए पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न हुआ हो। हम सेमिनार कर रहे हैं। हम पुस्तकें एवं पैम्फलेट छपवा रहे हैं। इससे जनता को पता लगेगा कि परमाणु बिजली की आवश्यकता है और इसे सुरक्षित बनाया जा सकता है।

इंदिरागांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन में लगाए गए राडारों का कार्यकरण

*356. **श्री बाई०एस० महाजन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन नई दिल्ली में लगाए गए राडारों में खराबी पैदा हो गई है और उड़ानों के व्यस्ततम समय के दौरान कई अवसरों पर उन्होंने काम करना बन्द कर दिया जिससे विमानों की उड़ानों में बाधा पड़ी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि राडारों के कार्यकरण में इस प्रकार फिर से खराबी न आए और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली पर विमान यातायात नियंत्रण प्रयोजनों के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार के राडार हैं, ये हैं :—

(i) **टर्मिनल एप्रोच राडार जिसे सामान्य रूप से विमान निगरानी राडार (ए. एस. आर.) के रूप से जाना जाता है।**

इस राडार का उपयोग पहुंच राडार नियंत्रण प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसकी उपलब्धता से विमान नियंत्रकों को काफी संख्या में विमानों के आगमन और प्रस्थान की अनुमति देने की सुविधा मिल जाती है।

(2) विमान मार्ग निगरानी राडार (ए. आर. एस. आर.)

इस राडार का उपयोग विमान के दिक्चालन, आरोहण और अवतरण के लिये किया जाता है।

(3) सूक्ष्म एप्रोच राडार (पी. ए. आर.) :

विमान निगरानी राडार के साथ, इस राडार का उपयोग अवतरण साधन के रूप में किया जाता है।

विमान के प्रस्थान के लिए महत्वपूर्ण केवल दो राडार हैं जिनका नाम है ए. आर. एस. आर. और ए. एस. आर.। पिछले तीन महीनों में इन राडारों की सेवा उपयोगिता का प्रतिशत निम्न प्रकार है :—

	दिसम्बर, 88	जनवरी, 89	फरवरी, 89
(1) विमान निगरानी राडार	98.8%	99.6%	99.7%
(2) विमान मार्ग निगरानी राडार	99.56%	99.52%	92.2%

फरवरी, 1989 में विमान मार्ग निगरानी राडार को दो अवसरों पर 10 से 12 घंटों की अवधि के लिए हटा दिया गया था, पहले को इसलिए हटाया गया था कि बेतार योजना और समन्वय संगठन कुछ अन्य राडारों और माइक्रोवेव लिंकों पर फ्रीक्वेंसी व्यवधान का पता लगा सके। दूसरी बार इसे राडार टावर के अनुरक्षण के लिए हटाया गया था। इन दोनों को हटाये जाने की पूर्व सूचना विमान चालकों को दी गयी थी। जब भी राडार अस्थाई रूप से सेवा योग्य नहीं होते तो विमानों के प्रस्थान की सुरक्षा और नियमितता सुनिश्चित करने के लिए कार्यविधि संबंधी नियंत्रण का सहारा लिया जाता है।

(ग) पूर्व योग्यता वाले इलैक्ट्रोनिक इंजीनियर ड्यूटी पर रहते हैं जिससे वे निवारक कार्यवाही कर सकें और आपातकालीन मरम्मत कर सकें। विमान यातायात नियंत्रण के लिए प्रयोग किये जाने वाले सभी राडारों में दोहरी चैनल प्रणाली होती है, जिससे एक एकतरफ चैनल के फैल हो जाने पर इस सुविधा को हटा लिया जाना आवश्यक न हो जाये।

श्री वाई.एस. महाजन : महोदय, विमान मार्ग निगरानी राडार का उपयोग विमान के दिक्चालन, आरोहण और अवतरण के लिए किया जाता है। दो बार इसका उपयोग बन्द कर दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि किन तारीखों को यह बन्द किया गया था और क्या इससे विमानों के अवतरण और रवानगी पर प्रभाव पड़ा है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : महोदय, फरवरी के महीने में ऐसा किया गया था और ऐसा राडार के स्पैंड की मरम्मत के लिए किया गया था। कुछ समय के लिए विमान परिवहन पर इसका प्रभाव पड़ा।

श्री वाई.एस. महाजन : महोदय, लिखित विवरण में बताया गया है कि गत तीन महीनों के दौरान इन राडारों की सेवा उपयोगिता का प्रतिशत इस प्रकार रहा : विमान मार्ग निगरानी राडार — जनवरी 89 में यह 99.52 प्रतिशत और फरवरी में 92.2 प्रतिशत था। विमान निगरानी राडार के सम्बन्ध में दिसम्बर, 88 में यह 98.8 प्रतिशत था और फरवरी 1989 में 99.7 प्रतिशत। क्या दुर्घटनाओं की सम्भावना को समाप्त करने के लिए सेवा उपयोगिता शत-प्रतिशत करना सम्भव नहीं है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : इन राडारों का उपयोग हवाई अड्डों से विमानों को उतरने-चढ़ने में दिशा-निर्देश करने के लिए किया जाता है। विमानों के उतरने-चढ़ने में प्रयुक्त अन्य पद्धतियां भी हैं। हमारे पास ये अत्याधुनिक उपकरण हैं और उनके रख-रखाव की आवश्यकता है। कई बार उपकरण काम नहीं करता। कई बार रख-रखाव कार्य के लिए ये उपलब्ध नहीं होते। इस कार्य के लिए अन्य पद्धतियों अपनाई जाती हैं। इनसे विमान के उतरने और चढ़ने में कुछ अधिक समय लगता है। जब इन यंत्रों का इस्तेमाल होता है तो विमान इन कार्यों के लिए कम समय लेता है।

[पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को पहचान-पत्र जारी करना

*357. श्री बनवारी लाल पुरोहित† :

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के तीन सीमावर्ती जिलों अर्थात् अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर के गांवों में रहने वाले लोगों को पहचान-पत्र जारी करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) पहचान-पत्र कब तक जारी किये जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने तीन जिलों की सीमा से 5 कि.मी. पट्टी के अन्दर रह रहे व्यक्तियों को पहचान-पत्र जारी करने का निर्णय किया गया है। तैयारियां प्रारम्भ कर दी गयी हैं लेकिन पंजाब सरकार द्वारा इस प्रायोगिक योजना को पूरा करने के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गयी है।

(हिन्दी)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार के इस निर्णय का तो स्वागत करता हूं कि उसने 5 किलोमीटर बेल्ट में आइडेन्टिटी कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है परन्तु यह भी पूछना चाहता हूं कि पंजाब में आने इसके लिये कोई डेटलाइन फिक्स क्यों नहीं की है। वहां अधिकारियों का जिस तरह काम चल रहा है, यदि आप कोई डेटलाइन फिक्स नहीं करेंगे तो इस कार्य में वर्षों निकल जायेंगे। मेरा सरकार से आग्रह है कि गृह मंत्रालय की ओर से डेटलाइन फिक्स करने सम्बन्धी आदेश शीघ्र दिए जाने चाहियें, इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है। दूसरे, सुरक्षा की दृष्टि से पहले सरकार के पास एक प्रोपोजल आया था कि जितने हमारे बोर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे एरिया में एक सीक्योरिटी स्ट्रिप बना दी जाये, उस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई क्योंकि यह स्ट्रिप बनाकर

मिलिटरी के सुपुर्द की जानी थी ताकि बौर्डर पर पूरी सीक्योरिटी रहे और किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन न होने पाये। इस दिशा में सरकार ने क्या किया है। इसके अलावा जितने हमारे देश में बौर्डर स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, क्या उनमें भी लोगों को आइडैन्टिटी कार्ड्स जारी करने के लिये सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है या नहीं।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में यह योजना पहले से ही लागू है। पंजाब में, यह हाल ही में शुरू की जा रही है और अभी तारीख निश्चित नहीं की गई है क्योंकि पंजाब के अधिकारी इस योजना का कार्यान्वयन देखने के लिए गुजरात और राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। इस महीने काम शुरू करने का फैसला किया गया है और कार्ड छापे जाने चाहिएं। नासिक प्रेस और भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र को यह कार्य सौंपा गया है। और शीघ्र ही यह कार्य शुरू हो जाएगा। आतंकवादी घटनाओं के कारण पंजाब में कुछ कठिनाई है। सामान्यतः यहां अन्य राज्यों की अपेक्षा कुछ अधिक समय लगेगा। हम सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य शीघ्र हो।

जहां तक सुरक्षा उपायों का सम्बन्ध है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय कड़े करना सरकार की एक अनवरत प्रक्रिया है और सीमा सुरक्षा बल और पैरा-सैन्यबल इससे पहले ही परिचित हैं। हमने कुछ कार्यवाही की है जिसका श्री चिदम्बरम् बहस के दौरान सभा में पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। मुझे विश्वास है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, मैं खाली टैररिस्ट एक्टीविटीज के बारे में ही नहीं बोल रहा हूं, बल्कि पूरे बौर्डर एरियाज में और खास तौर से वैस्टर्न बौर्डर पर जिस तरह से इन्फिलटरेशन होता है, टैररिस्ट एक्टिविटीज चल रही हैं, उन्हें रोकने के लिए सरकार के सामने पहले पूरे बौर्डर पर सीक्योरिटी स्ट्रिप बनाने का विचार था, उसके बारे में क्या कार्यवाही हो रही है।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : सुरक्षा उपाय किए जा चुके है। मंत्री जी जो योजना बता रहे हैं, उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नही है। इस समय, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और मैं उन्हें इस विषय में कुछ नहीं बता पाऊंगा।

श्री जी.जी. स्वैल : पहचान पत्र जारी करने का कार्य स्पष्टता चुने हुए क्षेत्रों में होगा। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या मेघालय के लोगों को भी पहचानपत्र जारी किए जाएंगे। राज्य सरकार के क्या प्रस्ताव हैं और क्या भारत सरकार ने उन प्रस्तावों पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

श्री सन्तोष मोहन देव : हमें विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। परन्तु जब हमें राजस्थान और गुजरात में आरम्भ की गई और पंजाब में शुरू की जा रही प्रायोगिक परियोजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी तब हम अन्य राज्यों के बारे में निर्णय लेंगे।

वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकाप्टर सेवा

*359. **श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर)** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जुलाई, 1988 को सांझी छत में हुई हेलीकाप्टर दुर्घटना के बाद से वैष्णो देवी मंदिर के लिए हेलीकाप्टर सेवा बन्द कर दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह हेलीकाप्टर सेवा पुनः कब शुरू की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) महानिदेशक, नागर विमानन द्वारा हेलीकाप्टर यात्री सेवा से संबंधित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को कार्यान्वित कर दिये जाने के बाद वैष्णों देवी मंदिर के लिये हेलीकाप्टर सेवा पुनः शुरू किये जाने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

"फील्ड गन फैक्टरी", कानपुर में चोरियां

*349. **श्री अतीश चन्द्र सिन्हा :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कानपुर स्थित "फील्ड गन फैक्टरी" में हुई चोरियों के बारे में अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) क्या इस मामले की जांच करने हेतु फैक्टरी के अधिकारियों की ही एक समिति का गठन किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) फील्ड गन फैक्टरी, कानपुर से "कारबाइड टिप्स" की मदों की चोरी का पता 23.5.1988 को लगा और फैक्टरी के महाप्रबंधक ने एक प्रारंभिक जांच बोर्ड गठित किया जिसमें एक कार्य-प्रबंधक और एक फोरमैन थे। दिनांक 17.6.88 को प्रारंभिक जांच बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गोदाम में जो सामान कम पाया गया वह विभिन्न चरणों में थोड़ा-थोड़ा करके चोरी हुआ होगा। प्रारंभिक जांच बोर्ड ने गोदाम के एक सर्वेक्षण को सामान की कमी और लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया। कई अलमारियां खुली पाई गई उनको देखने से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला जिससे कि यह लगे उन्हें खोलने के लिए जोर लगाया गया हो। सर्वेक्षक को 18.6.88 को निलंबित कर दिया गया। सहायक स्टोर होल्डर, जोकि सर्वेक्षक से वरिष्ठ था, को भी 1.12.88 को निलंबित कर दिया।

2. प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयुध निर्माणी बोर्ड ने 11.11.88 को एक नियमित जांच बोर्ड के आदेश दिए। इस बोर्ड में दो अन्य फैक्टरियों के दो संयुक्त महाप्रबंधक और एक लेखा अधिकारी शामिल थे। इनका कार्य 7.53.222.74 रुपए के मूल्य के कारबाइड टिप्स की 86 मदों के चोरी चले जाने की जांच करने के साथ-साथ निम्नलिखित तथ्यों के बारे में भी जांच करना था :-

(I) मई 1988 के दौरान कारबाइड टिप्स के चोरी होने के कारण 7,53,222.74 रु० की हानि होने के कारणों/परिस्थितियों का निर्धारण करना और सरकार को इसके परिणाम-स्वरूप हानि।

(II) क्या चोरी सुरक्षा या प्रशासनिक चूकों के कारण हुई ;

(III) इस गोदाम के लिए उत्तरदायी अफसर ;

(IV) उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों का पता लगाना जो चोरी होने की परिस्थियों के लिए उत्तरदायी है/हैं और उसके/उनके उत्तरदायित्व का स्वरूप/सीमा ; और

(V) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय सुझाना।

इस बोर्डकी रिपोर्ट की जा रही है।

3. 23.5.88 को चोरी का पता लगते ही पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरन्त दर्ज करवाई गई। जांच शीघ्र पूरी करने के लिए नवम्बर, 1988 और फरवरी, 1989 में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया गया था। पुलिस जांच अभी पूरी होनी बाकी है और उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो, लखनऊ के प्राधिकारियों से भी कहा गया है, कि वे मामले को जांच के लिए अपने हाथ में लें।

4. नियमित जांच बोर्ड और पुलिस की रिपोर्टें प्राप्त होने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कर्नाटक में पर्यटन का विकास

*351. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में विभिन्न पर्यटक, स्थलों का उचित ढंग से विकास किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक में पर्यटन के अपेक्षित विकास के लिए कोई विशिष्ट योजनाएं विचाराधीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने हेतु पर्यटक केन्द्रों की पहचान करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए स्थान की उपादेयता, मौजूदा आधार-संरचना, वर्तमान तथा भावी पर्यटक यातायात, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान अभी तक, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने कर्नाटक में 19 पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के लिए 206.39 लाख रु० स्वीकृत किए हैं।

(ख) और (ग) यह विभाग पंचवर्षीय योजनाओं में परियोजनाएं न तो राज्य-वार न ही स्थान-वार बल्कि स्कीम-वार शामिल करता है। अतः आठवीं पंचवर्षीय योजना में कर्नाटक में पर्यटन का विकास करने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

केरल में ज्वारीय तरंग परियोजना

*358. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ज्वारीय तरंगों से विद्युत उत्पन्न करने की कोई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्, महासागर विकास विभाग ने समुद्रों से तरंग ऊर्जा के उपयोग के संबंध में एक परियोजना प्रायोजित की है जिसके लिए केरल में त्रिवेन्द्रम के निकट विझिंजम में समुद्र परीक्षण प्रयोग प्रगति पर हैं।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में 155 मिलीमीटर की तोपों का निर्माण

[हिन्दी]

*360. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री दिनेश गोस्वामी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने बोफोर्स एफ. एच. 155 मिलीमीटर की तोपों का देश में ही निर्माण करने की एक योजना को कार्यान्वित करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना सरकार को कब भेजी गई थी और इस परियोजना की प्रस्तावित लागत कितनी है ;

(ग) इस संबंध में अब तक कोई निर्णय न लिए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (घ) 155 मि. मी. की एफ. एच. 77 बी. तोपों के देश में ही निर्माण के लिए अन्यों के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भी दिसंबर, 1988 में संभाव्यता रिपोर्ट पेश की है। इस संबंध में भारत भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से कुछ और सूचना मांगी गई है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा दी गई संभाव्यता रिपोर्ट का मूल्यांकन, उनसे मांगी गई सूचना के प्राप्त होने पर, अन्यों द्वारा दी गई संभाव्यता रिपोर्ट के साथ किया जाएगा।

राज्यों की राजधानियों में होटल-कमरों की कमी

[अनुवाद]

*361. **श्री दौलतसिंह जी जडेजा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश नगरों में होटल-कमरों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों की राजधानियों में इस समय कितने कमरों की कमी का अनुमान है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) पर्यटक व्यस्त मौसम के दौरान प्रमुख पर्यटक केन्द्रो पर सामान्यत: समुचित आवास की कमी महसूस की जाती है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा किए गए एक मूल्यांकन के अनुसार, 1991 तक कुछ प्रमुख पर्यटक केन्द्रों पर अनुमोदित कमरों की संख्या में कमी इस प्रकार होगी :—

क्रम सं.	पर्यटक केन्द्र	अप्रैल 1991 तक अपेक्षित अतिरिक्त कमरे
1.	बम्बई	3500
2.	कलकत्ता	800
3.	दिल्ली	4000
4.	मद्रास	1200
5.	अहमदाबाद	200
6.	बंगलौर	1200
7.	भोपाल	200
8.	भुवनेश्वर	250
9.	जयपुर	500
10.	लखनऊ	200
11.	पणजी (गोवा)	700
12.	पटना	250
13.	श्रीनगर	400
14.	आगरा	500
15.	औरंगाबाद	200
16.	कांचीन	200
17.	मदुरै	200
18.	पुणे	450
19.	पुरी	150
20.	तिरुचिरापल्ली	150

21.	वाराणसी	400
22.	उदयपुर	400
23.	जोधपुर	200
24.	जसलमेर	300
25.	गोरखपुर	200
26.	बोधगया	200
27.	मैसूर	450
28.	त्रिवेन्द्रम-कोवलम	300
29.	खजुराहो	200
30.	कुल्लू मनाली	400
31.	दार्जिलिंग	300
32.	चंडीगढ़	200
33.	गंगटोक	150
34.	महाबलीपुरम	200
35.	गुवाहाटी	200
36.	शिमला	150
	जोड़ :	19700

गैर-सरकारी क्षेत्र को होटल निर्माण में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने अब अनेक प्रोत्साहनों और सुविधाओं की घोषणा की है । इनमें शामिल हैं—संस्थागत ऋण देने के लिए पर्यटन वित्त निगम की स्थापना, होटल ऋणों पर ब्याज इमदाद की मंजूरी, एन· आर· आई. पूंजी-निवेश के लिए उदार शर्तें, विदेशी मुद्रा आय के संबंध में कर मे छूट, संस्थागत ऋण पर क्रमिक (ग्रेडड) छूट, आदि ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को समाप्त करना

*362. **श्री राज कुमार राय** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम समाप्त कर दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार किन-किन कार्यक्रमों को किन-किन कारणों से समाप्त किया गया ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इन्डिया के कार्यकरण की जांच के लिए विशेषज्ञ समितियां

*363. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इंडिया के कार्यकरण के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समितियां गठित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो गठित की गई समितियों का ब्यौरा और उनके विचारार्थ विषय क्या हैं ;

(ग) क्या विशेषज्ञ समितियों से विमानों के रख रखाव, सुरक्षा उपायों, चालक दल के उड़ान घंटों और हवाई अड्डे की सुविधाओं के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया के कार्य-निष्पादन के अध्ययन के लिए सरकार ने कोई भी समिति गठित नहीं की है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स में रख-रखाव और प्रशिक्षण संबंधी पहलुओं की जांच करने के लिए दो समितियां गठित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित धनराशि का उपयोग

*364. **श्री परसराम भारद्वाज** :

श्री आर. एम. भोये : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1986-87 और 1987-88 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु निर्धारित धनराशि का उपयोग नहीं किया;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्धारित राशि में से अप्रयुक्त राशि को अन्य प्रयोजनों हेतु अन्तरित करने के लिए कोई प्रावधान है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान विशेष संघटक योजना और अदिवासी उप योजना के अन्तर्गत परिव्ययों की तुलना में जिन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों ने कम व्यय किया है, उनके नाम दर्शाने वाले विवरण-1 और विवरण-2 संलग्न हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I घ

वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत कम व्यय करने वाले राज्यों के नाम

(रुपए करोड़ों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1986—87		1987—88	
		विशेष संघटक योजना परिव्यय	व्यय	विशेष संघटक योजना परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	154.30	135.00	178·59	118.90
2.	असम	—	—	29.94	29.66
3.	बिहार	103.59	76·01	130·18	92.56
4.	गुजरात	29.83	28.96	—	—
5.	हरियाणा	—	—	41.62	36.07
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	24·75	24.45
7.	कर्नाटक	104.13	87·69	88.44	88.21
8.	केरल	35 81	35.01	40.54	32.60
9.	मध्य प्रदेश	76·66	74.65	99.00	88.00
10.	मणिपुर	—	—	1.86	1.31
11.	उड़ीसा	47.07	44.92	55.50	54.34
12.	पंजाब	—	—	28·36	27.39
13.	राजस्थान	69·28	37·60	104·38	96.00
14.	सिक्किम	0·41	0·16	1·46	0·21
15.	त्रिपुरा	10·71	10.45	12.10	11·06
16.	उत्तर प्रदेश	199·44	196·40	—	—
17.	पश्चिम बंगाल	71·91	71·14	79·53	70.80
18.	चंडीगढ़	—	—	2.04	1.69
19.	गोवा, दमन और दीव	—	—	1.00	0.66
20.	पांडिचेरी	6.24	5.54	7·52	7·17

विवरण-2

वर्ष 1986-87 1987-88 के दौरान आदिवासी उप योजना के अंतर्गत कम व्यय करने वाले राज्यों के नाम

(रु. करोड़ों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1986—87		1987—88	
		आदिवासी उप योजना परिव्यय	व्यय	आदिवासी उप योजना परिव्यय	व्यय
1.	आंध्र प्रदेश	51.34	40.93	—	—
2.	बिहार	259.49	258.73	333.55	320.73
3.	गुजरात	—	—	130.08	122.60
4.	कर्नाटक	10.26	9.96	15.02	14.89
5.	केरल	—	—	8.06	7.60
6.	महाराष्ट्र	113.50	100.65	172.97	154.98
7.	मणिपुर	—	—	47.51	30.93
8.	उड़ीसा	167.58	158,93	191.08	184.59
9.	सिक्किम	3.43	2.95	13.82	8.00
10.	त्रिपुरा	37.59	36.90	43.26	41.25
11.	उत्तर प्रदेश	1.59	1.32	1.90	1·13
12.	पश्चिम बंगाल	29.83	23.73	32.67	29.48
13.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.98	5·15	7·81	6·72
14.	दमन और दीव	—	—	0.81	0.76

आंध्र प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी मामले

*365. श्री के०एस० राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन संबंधी कितने मामले लम्बित हैं ;

(ख) ये मामले कब से लम्बित पड़े हैं और इनके कब तक निपटाये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार का इन मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने के लिए गृह मंत्रालय, राज्य सरकार, राज्य के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिनिधियों की एक समिति का गठन करने का विचार है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) आंध्र प्रदेश से यथासमय प्राप्त आवेदन-पत्रों से संबंधित 33 मामले निर्णय के लिए लम्बित हैं। इन आंकड़ों में उन स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदन-पत्र शामिल नहीं हैं, जिन्होंने हैदराबाद की पूनपूर्व रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के लिए सीमावर्ती शिविरों में भाग लेने का दावा किया।

(ख) ये आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात 31.3.1982 से पहले प्रस्तुत किये गये थे और राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण/सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण निपटान हेतु लम्बित हैं और इसके लिए राज्य सरकार को समय-समय पर स्मरण-पत्र भेजे जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

सचिवालय सुरक्षा बल में सुरक्षा सिपाहियों की भर्ती के संबंध में शिकायतें

*366. **श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने सचिवालय सुरक्षाबल में सुरक्षा सिपाहियों की हाल में की गई भर्ती के बारे में शिकायतें की हैं और रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गये पात्र उम्मीदवारों की समुचित जांच करने के लिए कुछ सुझाव भी दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उम्मीदवारों का चयन केन्द्रीय पुलिस संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में गठित व्यापक चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार किया गया था। इस बारे में तथा कथित अनियमितताएँ सिद्ध नहीं हुई।

परिवहन विमानों का निर्माण

*367. **श्री एस०बी० सिदनाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने परिवहन विमानों के निर्माण में सहयोग देने और सहनिर्माण करने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के विशेषज्ञों की कोई बैठक हुई है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई समझौता हो गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) परिवहन विमानों के निर्माण में सहयोग देने और सह-निर्माण करने के बारे में फ्रांस से नागर विमानन मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के विशेषज्ञों ने 1985 में फ्रांस का दौरा किया था। विमान पुर्जों के निर्माण और सप्लाई के लिए ऐरोस्पेशियल फ्रांस और हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के बीच जून 1987 में एक समझौता ज्ञापन (ए. ओ. यू.) पर हस्ताक्षर किए गए थे नवम्बर, 1988 में हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और एयरबस इंडस्ट्री के बीच एक सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसके अनुसार यूरोप में एयरबस इंडस्ट्री की सहायक कम्पनियों सहित, एयरबस इंडस्ट्री भारतीय उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए आर्डर देगी।

कार्यालय के समय में कमी

*368. **श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांच कार्य-दिवस वाले सप्ताह की प्रणाली आरम्भ किए जाने से पूर्व और उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रति सप्ताह कार्य घंटों की संख्या कितनी रही है ; और

(ख) क्या सरकार का कर्मचारियों पर भारी मानसिक दबाव को ध्यान में रखते हुए और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के काम करने के समय में प्रतिदिन आधा घंटा कम करने का विचार है ?

धार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) केन्द्रीय सरकार के सिविल प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिन का सप्ताह 3-6-1985 से लागू किया गया था जिसमें सप्ताह में कार्य के घंटे (लंच अवधि को छोड़कर) 37½ होते हैं। 6 दिन के सप्ताह वाली प्रणाली में भी सप्ताह में कार्य के घंटे इतने ही होते थे। चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 17-11-1986 से सप्ताह में कार्य के घंटे बढ़ाकर 40 घंटे प्रति सप्ताह (लंच अवधि को छोड़कर) कर दिए गए थे।

(ख) जी, नहीं।

"आई ए फ्लाइट विदआउट दि मैनडेटरी सर्टिफिकेट" शीर्षक से समाचार

*369. **श्री पी. एम. सईद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1989 के इंडियन एक्सप्रेस (दिल्ली संस्करण) में "आई ए फ्लाइट विदआउट दि मेन्डेटरी सर्टिफिकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जिन्होंने 13 फरवरी, 1989 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम जाने वाली विमान सेवा संख्या आई ए-467 को बिना "बी" प्रमाणपत्र की जांच किये ही जाने की मंजूरी दे दी थी ; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एअरलाइंस की उड़ान आई सी-467, 13 फरवरी, 89 को जांच निरीक्षण शेड्यूल पूरा किये जाने के पश्चात् छोड़ी गई थी। गोआ में उतरने के पश्चात् स्टेशन इंजीनियरों ने जांच करने पर यह पाया कि जांच "ख" निरीक्षण की वैधता समाप्त हो चुकी है, अत: विमान को जांच "ख' निरीक्षण के बिना अगले सैक्टर पर उड़ान की अनुमति नहीं दी गई।

(ग) और (घ) मामले की जांच की जा रही है। विमान रख-रखाव इंजीनियर को कहा गया है कि वह अपना ए. एम. ई. लाईसैंस महा निदेशक नागर विमानन को प्रस्तुत कर दे और जांच कार्य पूर्ण होने तक अपने लाईसैंस के विशेषाधिकारियों का प्रयोग न करें।

वेस्टर्न घाटों के विकास के लिए केरल को आवंटित धनराशि

3290. **श्री पी०ए० एन्टनी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वेस्टर्न घाटों के विकास के लिए केरल को कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) उक्त प्रयोजन के लिए वस्तुत: कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिती घाटों के विकास के लिए केरल को दी गई राशि तथा उक्त प्रयोजन के लिए वस्तुत: उपयोग की गई धनराशि नीचे दी गई है :

लाख रु० में

वर्ष	दी गई राशि	व्यय
1985-86	492.50	492.50
1986-87	509.00	488.67
1987-88	507.18	439.88

अनुदेश जारी करना

3291. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले बारह महीनों के दौरान कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों को न्यायालयों द्वारा रद्द किये जाने का ब्यौरा क्या है और ऐसे विनिर्णयों पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) इसी तरह की परिस्थितियों में कर्मचारियों के सेवा के मामलों के बढ़ते हुए मुकदमों को रोकने के लिए न्यायालयों द्वारा दिये गये विनिर्णयों के अनुपालन हेतु सरकारी विभागों को कितने मामलों में अनुदेश जारी किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) प्रवीण कुमार बनाम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो एक स्वायत्त निकाय है, के मामले में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की चण्डीगढ़ खण्डपीठ का दिनांक 14.7.1988 का निर्णय जिसके द्वारा दिनांक 15.5.71 के का. ज्ञा. स. 21/5/70-स्था. (क),

दिनांक 30.12.76 के का. ज्ञा. सं. 22011/6/75-स्था. (घ) तथा दिनांक 16.2.79 के का. ज्ञा. सं. 22011/2/78-स्था. (क) में दिए गए अनुदेशों का कुछ अंश रद्द कर दिया गया है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की जानकारी में आया है। इस मामले में इस विभाग को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया था। केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसरण में उपयुक्त कार्रवाई, यदि कोई होगी, इसकी सभी विवक्षाओं की जांच करने के बाद ही की जा सकती है।

(ख) विभिन्न मामलों में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों को सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों को शासित करने वाले सांविधिक नियमों तथा अनुदेशों की व्यवस्था करते समय सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाता है। जहां आवश्यक समझा जाता है तो सामान्य अनुदेश जारी कर दिए जाते हैं या न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा निर्धारित रेशों के आधार पर नियमों में आशोधन कर दिए जाते हैं। ऐसे दो अनुदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए हैं।

होटल जनपथ, नई दिल्ली में गलत बिल बनाना

3292. **डा. वी. वेंकटेश :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल जनपथ, नई दिल्ली में अपने ठहरने के संबंध में अधिक धनराशि के और गलत बिल बनाये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए गए हैं अथवा जांच की गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) 1988-89 (28 फरवरी 1989 तक) के दौरान होटल जनपथ, नई दिल्ली में गलत बिल बनाए जाने के बारे में 25 शिकायतें मिली थी जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि ये शिकायतें लेखन संबंधी भूल के कारण हुई थी तथा इनकी राशि कम थी इसलिए कोई जांच करना जरूरी नहीं समझा गया। तथापि, कर्मचारियों को अधिक सावधान रहने की सलाह दी गई है।

क्रम सं०	शिकायत करने वाली पार्टी का नाम	शिकायत का स्वरूप	होटल द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	श्री डी. आर. वी. प्रसाद मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० 406, विक्रम टावर, 16, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	10 रु० अधिक लिए	27.4.88 को 10 रु० का भुगतान कर दिया।
2.	श्री आर. सुन्दररमण (निवासी प्रबंधक) दि एन फील्ड इंडिया लि० क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर), गिडोर हाउस, प्रथम तल, 51, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-19	होटल के पास जमा राशि को वापिस करने के बारे में और 20% छूट 321.10 रु०	दिनांक 4.5.88 को चैक सं. 621218 द्वारा भुगतान कर दिया।
3.	श्री एस. रामनायन, मुख्य प्रबंधक चम्पारन शुगर कंपनी लिमिटेड साउथरलैण्ड हाउस, पी. बी. नं. 303, कानपुर-208001	60 रु० अधिक लिए	25.5.88 को 60 रु. का भुगतान कर दिया गया।
4.	श्री राजेन्द्र सिंह दि बिड़ला इंस्टिट्यूट आफ साईंटिफिक रिसर्च, पी. ओ. मैसरा-835215, रांची, बिहार (भारत)	122 रु. जमा राशि के रूप में थे	25.5.88 को 122 रु. के चैक द्वारा भुगतान कर दिया गया।
5.	श्री कुलवंत सिंह बिक्री प्रबंधक विमानन, डनलप इंडिया, डनलप हाउस, 57, बी, मिरजा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-700016	13.4.88 से 16.4.88 के दौरान ठहरने के उनके बिल में रेस्तरां बिल गलती से जोड़ दिया गया 743 रु.	अतिथि अगली बार जब हमारे होटल में आया तो 12.5.88 को उन्हें यह रकम लौटा दी गई।

6.	श्री एस. पी. भावे, भूटान पोलिथिन कंपनी पोस्ट बाक्स 152, फुटशोलिंग (भूटान)	39 रु. और 84 रु. के वाउचर का गलत बिल	16.3.89 को 39 रु. वापिस कर दिए गए। 31.8.88 को 84 रु. का भुगतान कर दिया गया।
7.	मैसर्स प्रोटचेन इंडस्ट्रीज (ई) लि. 1, पुल्ला एवेन्यू शिनाय नगर, मद्रास-600030	89.10 रु. अधिक लिए	13.6.88 को 89.10 रु. का भुगतान कर दिया गया।
8.	श्री पी. वी. मैनन, 343, चौथा मेन एच. ए. एल. थर्ड स्टेज, बंगलौर-8	क्रमश: 56.20 रु. और 151 रु. के रेस्तरां वाउचर गलत चार्ज किए गए	अतिथि को 56.20 रु. का भुगतान 4.8.88. को और 151 रु. का भुगतान 17.6.88 को कर दिया गया।
9.	डा० सी. एस. मिश्र, बुकारो स्टील प्लांट, मेन एडमिस्ट्रेशन बिल्डिंग बकारो स्टील सिटी-827001 जिला धनबाद (बिहार)	24.30. रु. के लाउंड्री बिल पूर्व अतिथि के थे	13.6.88 को 24.30 रु. का भुगतान कर दिया गया।
10.	श्री वी. राधा कृष्ण प्रधान प्रबंधक (एम), राष्ट्रीय कपड़ा निगम (टी.एन.एंड.पी.), एन.टी. सी. हाउस, 10/64, सोमा सुन्द्रम मिल्स रोड, कोयम्बेटूर-641009	108.40 रु. के लांड्री/भोजन बिल गलत चढ़ाना	30.8.88 को 108.40 रु. का भुगतान कर दिया गया।
11.	श्री आर. एन. स्वेन उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि. संपर्क कार्यालय, ए-422 (प्रथम तल) डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली-110024	जोड़ में 100 रु. की गलती	17.8.88 को चैक सं. 637608 द्वारा 100 रु. का भुगतान कर दिया गया।

1	2	3	4
12.	मेफेयर हाउसिंग हैडलूम हाउस, एनेक्सी. 38, पुलिके कोर्ट लेन, फोर्ट, बंबई-1	दिनांक 4.4.88 का कमरे का गलती से लिया 605 रु.	चैक न. सं. 6376993 दिनांक 31.8.88 द्वारा वापिस कर दिए गए।
13.	नासिर हुसेन (प्रा.) लि. 24, पालि हिल रोड, बंबई-50	3.8.88 को भोजन बिल में अधिक रकम ली 113 रु.	24.9.88 को 113 रु. का चैक भेज दिया गया था।
14.	श्री एस. एन. शाह, 90, मार्फत मखुन बिहारी आटोमेबाइल, पी-4, प्रिंस स्ट्रीट, कलकत्ता-72	भोजन बिल वाउचरों में गलती 122 रु.	21.10.88 को 122 रु. का भुगतान कर दिया गया।
15.	श्री हजूरा सिंह, प्रबंध साझेदार, पंजाब क्राकरी हाउस, आबिद रोड, हैदराबाद	30 रु. और 19.80 रु. के भोजन बिल गलती से चार्ज किए गए	20.10.88 को 49.80 रु. का भुगतान कर दिया गया।
16.	श्री आई. वी. विजयन, अरबी इंटरनेशनल कोचीन-682317	157.50 रु. के भोजन बिल गलती से चार्ज किए गए	16.3.89 को 157.50 रु. का भुगतान कर दिया गया।
17.	श्री आर. के. बोस, लेखा अधिकारी भारत बेस्ट लि०, फालिया, पोस्ट बाक्स 329, कलकत्ता-1	60 रु. के भोजन बिल गलती से चार्ज किए गये	6.10.88 को 57.30 रु. का भुगतान किया गया 2.70 रु. कमीशन के रूप में समायोजित कर लिए गए।

18.	श्री सुनील राय आई. बी. पी. के लिए बाल्मेर लौरी ग्रुप आफ कंपनी, 21 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-1	3 भोजन बिल प्रत्येक की राशि 8.20 रु. और 14.50 रु. का लांड्री बिल अतिथि के नहीं थे 39.10 रु.	16.3.89 को 39.10 रु. का भुगतान कर दिया गया।
19.	श्री जे. वी. एल, प्रसाद मैगनेटिक (प्रा.) लि. सी-17, आत्माराम हाउस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-1	भोजन बिल गलती से चार्ज किया गया 53 रु.	27.10.88 को 53 रु. का भुगतान कर दिया गया।
20.	मंडलीय प्रबंधक, यूको बैंक, बी. पी. सं. 365, नई दिल्ली-1	वाउचर गलती से चार्ज किया गया 80 रु.	2.11.88 को 80 रु. का भुगतान कर दिया गया।
21.	श्री के० पांडुरंजन प्रीमियर मिल्स लि० पी. बी. सं. 3766 ए. टी. डी. स्ट्रीट, कोयम्बटूर-641018	भोजन-वाउचर 6 सं. अंतर 740 रु०	16.3.89 को 740 रु. का भुगतान कर दिया गया।
22.	श्री बी. एल. नटराजन राव डिप्टी जी. एच. (पी०) एच. एम. टी. लि., हैदराबाद	58 रु० का वाउचर गलती से चार्ज किया गया।	पार्टी को 15.11.88 को 58 रु. का भुगतान कर दिया गया ;
23.	मैसर्स वाकेमाटे हयलाम लि. पी. बी. 1908, हैदराबाद-500018	115 रु० वापिस करने के बारे में	चूंकि पहले ही भुगतान कर दिया था इसलिए कोई रकम लौटानी नहीं थी और दिनांक 23.2.89 को रसीदी प्रदत्त वाउचर की फोटो प्रति भेजते हुए अतिथि को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी।

1	2	3	4
24.	श्री आर. एस, चौहान, 18, डा. राजेन्द्रा रोड, कलकत्ता-2।	132 रु. का भोजन वाउचर गलती से चार्ज किया गया	16.3.89 को 60 रु. का भुगतान कर दिया गया।
25.	श्री पी. ए. राजन, जी. एम· (एम. आर.) टाटा देवी लि. (मार्फत) दि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड) सुचेता भवन, तृतीय तल 11-ए विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली-110002	19 रु. का वाउचर गलती से 79 रु. का चार्ज कर लिया गया	16.3.89 को 60 रु. वापिस कर दिए गए।

क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में "वापासाइड" कीट नाशक निकालना

3293. **श्री सी. अगा रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद में नीम के तेल से एक सुरक्षित और प्राकृतिक कीटनाशी मिश्रण तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर तथा वाणिज्यिक स्तर पर प्रक्रिया को तेज करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) नीम तेल से एक अति खाद्य रोधी पदार्थ "वैपासाईड" नामक कीट वृद्धि नियामक प्राप्त करने का आदर्श प्रक्रम विकसित किया गया ।

(ख) कई नाशक जीवों पर इस खाद्य रोधी की सक्रियता निश्चित की गई है । सक्रिय प्रभाज "वैपासाईड" कीटों द्वारा फसल खाने से रोकता है । और इस प्रकार कीट भूख से मर जाते हैं । नीम से निकाले गए प्रभाज का यह खाद्य रोधी तत्व नाशक जीवों की रोकथाम के लिये बहुत ही सुरक्षित उत्पाद हैं, विशेषकर तरकारियों, फलों आदि में जहां बचीखुची विषाक्तता रोकी ही जानी चाहिए । प्रयोगशाला परिस्थितियों के अंतर्गत माईथिम्ना सेपरेटा वाक (मूल रूप से ऑरिएन्टल आर्मी वर्म) पर इस कीट खाद्य रोधी पदार्थ की जांच की गई । क्षेत्रीय परिस्थितियों के अंतर्गत ज्वार के कीट नाशक जीवों की रोकथाम के लिये यह विकसित किया गया है । चित्तियों वाले डंठल वेधकों (चीलों पारटेलस स्विन), ऑरिएन्टल आर्मी वर्म (माईथिम्ना सेपरेटा वाक), कपास का भूरा धुन (माईलोसेरस प्रजातियों) पर और खटमल जैसे कीटों कैलोकोरिस पर कुछ हद तक प्रभावकारी पाया गया ।

(ग) विस्तृत जैव-प्रभावोत्पादकता संबंधी आंकड़े एकत्र और संभावित वाणिज्यिकरण को प्रायोजित आधार पर करने के लिए प्रयोगशाला ने एक पार्टी के साथ करार किया है ।

उड़ीसा में जनजातीय विकास खण्ड

3294. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास संबंधी योजना के अंतर्गत उड़ीसा में जनजातीय विकास खण्ड खोलने हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) उड़ीसा सरकार से किसी नई समेकित आदिवासी विकास परियोजना को शुरू करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथामेटिकल साइंसेस में निदेशक का पद भरना

3295. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथामेटिकल साइंसेस में गत पांच वर्षों से कोई निदेशक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त रिक्त पद को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परिमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) संस्थान के पिछले निदेशक ने वर्ष 1986 में व्यक्तिगत कारणों की वजह से अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया था।

(ख) निदेशक की नियुक्ति की कार्रवाई तब तक के लिए रोक दी गई थी जब तक कि संस्थान को इलाहाबाद में रखने के बारे में अंतिम रूप से निर्णय न ले लिया जाए। अब संस्थान को इलाहाबाद में ही रखने का निर्णय लिया जा चुका है।

(ग) वर्ष 1986 में निदेशक के पद के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगाने के वास्ते जो समिति बनाई गई थी उसने सिफारिश की थी कि दो नामों पर विचार किया जाए। समिति द्वारा नामित व्यक्तियों में से एक ने सूचित किया कि वह इस पद के लिए इच्छुक नहीं थे। दूसरे नामित व्यक्ति के साथ बातचीत चल रही है। आशा है कि नियुक्ति संबंधी कार्रवाई शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

राजगीर में विमान पट्टी

3296. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जिला नालन्दा के प्रसिद्ध पर्यटन केन्द्र राजगीर में एक विमान पट्टी के निर्माण के संबंध में अब तक उठाये गये कदमों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) यह विमान पट्टी कब तक तैयार हो जायेगी।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) (ख) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की राजगीर में विमानपट्टी के निर्माण की कोई योजनाए नहीं है।

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

3297. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वयंसेवी संगठनों को केन्द्रीय सरकार से किन-किन विशिष्ट क्षेत्रों के लिए अनुदान/सहायता मिलती है ;

(ख) इन संगठनों को अनुदान देने हेतु क्या-क्या मुख्य शर्तें निर्धारित की गई हैं ; और

(ग) इन संगठनों द्वारा धनराशि के दुरूपयोग की सरकार द्वारा किस प्रकार जांच की जाती है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जहां तक कल्याण मंत्रालय का संबंध है, स्वयंसेवी संगठनों को निम्नलिखित क्षेत्रों मे सहायक अनुदान दिए जाते हैं :--

1. अनुसूचित जातियों का कल्याण ।

2. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण ।

3. देखभाल व सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों का कल्याण ।

4. मद्य निषेध तथा नशीली दवाओं के दुरूपयोग पर नियंत्रण ।

5. वृद्धों का कल्याण ।

6. विकलांगों का कल्याण ।

(ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं । फिर भी, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ पूरी की जाने वाली कुछ मूल आवश्यकताएं इस प्रकार हैं :

(1) संगठन की समितियां पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत होना चाहिए ।

(2) संगठन सामान्यत: अखिल भारतीय स्वरूप का होना चाहिए ।

(3) संगठन को दो वर्षों से अधिक कार्यरत होना चाहिए ।

(4) संगठन को संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए ।

(5) संगठन की सेवाएं किसी जाति, रंग अथवा धर्म के भेदभाव के बिना सबको उपलब्ध होनी चाहिए ।

(6) संगठन को परियोजना की कुल लागत के कुछ भाग को करने के लिए स्वयं अपने संसाधन जुटाने के लिए तैयार रहना चाहिए ।

(ग) धनराशि के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों से सहायक-अनुदान के संबंध में लेखापरीक्षित लेखे विवरण तथा उपयोगिता-प्रमाणपत्र भेजने का आग्रह किया जाता है । स्वयंसेवी संगठनों के लेखे तथा इसके कार्यकरण की भी कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जांच की जाती है।

किराये पर कार लेने की योजना

3298. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किराए पर कार देने वाली कुछ अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों के देश में प्रवेश संबंधी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, उनके नाम आदि का ब्यौरा क्या है और ये अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियां किन शर्तों पर भारत में स्वय अथवा अन्य गैर-सरकारी या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सहयोग से अपनी कारें चलाएंगी तथा किन कारणों से सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को इन कम्पनियों के साथ सहयोग करने की अनुमति दी है ;

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वाराणसी और भुवनेश्वर के बीच विमान सेवा

3299. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-भुवनेश्वर के बीच आईसी-497 और आई सी-498 विमान सेवाओं का वर्ष 1986 में वाराणसी रुकना बंद कर दिया गया था ;

(ख) क्या भुवनेश्वर और वाराणसी के बीच इस समय कोई विमान सेवा नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वाराणसी और भुवनेश्वर के बीच विमान सेवा आरंभ करने का विचार है ; यदि हां, तो कब तक ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । मौजूदा समयावलि के अनुसार, इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली-वाराणसी-भुवनेश्वर-दिल्ली सैक्टर पर एक दैनिक बी-737 आई सी-497 सेवा का परिचालन कर रही है ।

यूरेनियम की गवेषणा

3300. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यूरेनियम के लिए कोई गवेषण कार्य चल रहा है, यदि हां, तो यह गवेषण किन-किन स्थानों पर चल रही है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) मांग को पूरा करने हेतु अधिक यूरेनियम भंडारों की खोज करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) जी, हां । परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके जिनमें हवाई सर्वेक्षण, भू-रसायन सर्वेक्षण तथा अन्य एकीकृत फील्ड जांच और उसके बाद अन्वेषणात्मक भू-छेदन और खनन करना शामिल हैं, यूरेनियम के लिए क्रमबद्ध सर्वेक्षण और अन्वेषण किए जा रहे है । अन्वेषण कार्यों में तेजी लाई जा रही है अब तक जिन 17 नई परियोजनाओं का पता लगाया गया है उनसे अनुकूल परिणाम सामने आए हैं और जब यूरेनियम के लिए इनका खनन किया जाएगा, तब ये देश के परमाणु बिजली संबंधी कार्यक्रम के लिए यूरेनियम की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी करेंगे ।

आंध्र प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रम

3301. **श्री पो० वेंचालैया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए कोई राष्ट्रीय कल्याण कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों तथा विभिन्न कार्यक्रमों में सम्पूर्ण देश में तथा आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों म भी पिछड़ी जातियों के कल्याण पर महत्व दिया गया है। कल्याण मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं, सामाजिक आर्थिक विकास तथा शिक्षा एवं रोजगार के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थ भी लागू होती है। इसी प्रकार के कार्यक्रमों का अयोजन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाता है ।

वेनसुरला का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3302. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले में समुद्र के किनारे बसा वेनसुरला शहर अपनी प्राकृतिक सुन्दरता तथा आस पास के वातावरण के कारण पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वेनसुरला को आवश्यक आधारभूत सुविधाओं सहित पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) पर्यटन आधार-संरचना के विकास हेतु पर्यटन केन्द्रों की पहचान और उनकी संभाव्यता का मूल्यांकन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वेनसुरला के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु विभाग को महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

मुस्लिम समुदाय को पिछड़ा वर्ग मानना

3303. **डा० ए० के० पटेल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां मुस्लिम धार्मिक समुदाय को पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता दी गई है ;

(ख) पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता देकर मुस्लिम धार्मिक समुदाय को किन राज्यों ने रोजगार में आरक्षण प्रदान किया है ;

(ग) प्रत्येक मामले में कितना आरक्षण रखा गया है ; और

(घ) पिछड़ेपन का आधार धर्म को मानने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सम्बद्ध राज्यों को क्या सलाह दी गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सूचियों के अलावा पिछड़ी जातियों की कोई सूची नहीं रखी जाती। 1961 में राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि जबकि उन्हें पिछड़ेपन की परिभाषा करने के लिए स्वयं अपने मानदण्ड के चयन करने की छूट है, यह बेहतर होगा कि इसका निर्धारण जाति के आधार पर न करके आर्थिक आधार पर किया जाए।

विवरण

केरल में, मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता दी गई है। अन्तिम ग्रेड सेवा के पदों में सीधी भर्ती के लिए 10 % पद मुस्लिमों के लिए आरक्षित हैं। अन्य सभी पदों (अन्तिम ग्रेड सेवा के अतिरिक्त) के लिए 12% पद मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित हैं।

2. निम्नलिखित राज्यों में, मुस्लिमों के कुछ विशेष समूहों को "अन्य पिछड़ी जातियों" से संबंधित माना गया है तथा ऐसे समूह "अन्य पिछड़ी जातियों" के साथ पदों में आरक्षण पाने के पात्र हैं। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राज्य का नाम	सभी "अन्य पिछड़ी जातियों" के लिए आरक्षण की सीमा
आन्ध्र प्रदेश	पिछड़ी जातियों का समूह "क"-7% पिछड़ी जातियों का समूह "ख"—10%
असम	15%
बिहार	अन्य पिछड़ी जातियों के लिए—8% अत्यत पिछड़ी जातियों के लिए—12%
गुजरात	श्रेणी-I तथा II में—5% श्रेणी-III तथा IV में —10%
हिमाचल प्रदेश	2%
कर्नाटक	अन्य पिछड़े वर्गों की समूह "क" श्रेणी में 5% तथा समूह "ग" श्रेणी में 16%
महाराष्ट्र	भर्ती के प्रारम्भिक स्तरों पर 10%
पंजाब	सीधी भर्ती में 5% पदोन्नति में 2%
तमिलनाडु	50%

3. अरूणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तथा सिक्किम राज्यों ने मुस्लिमों को "अन्य पिछड़ी जातियों" से संबंधित नहीं माना है।

4. मध्य प्रदेश सरकार ने सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजन हेतु मुस्लिमों के कुछ विशेष समूहों को अन्य पिछड़ी जातियों की सूची में सम्मिलित किया है। फिर भी, उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका में स्थगन आदेश को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आरक्षण से संबंधित आदेश पर रोक लगा दी है।

कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास

3304. डा. जी. विजय रामा राव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की है जैसा कि दिनांक 4 फरवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वयंसेवी एजेंसियों को लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों को लगाया गया है और उन्हें कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) कुष्ठरोग से मुक्त हुए व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य विकलांगों के पुनर्वास की वर्तमान योजना के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाता है। सरकार का मत है कि अगली पंचवर्षीय योजना में इन प्रयासों में और तीव्रता लाने की आवश्यकता है।

दिल्ली में अपराधियों द्वारा बच्चों की हत्या

[हिन्दी]

3305. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विभिन्न भागों में अपराधियों द्वारा बच्चों को फांसी देकर मारने के मामलों का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता चला है ; और

(ग) सरकार ने ऐसे मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) 1988 और 1989 (15.3.1989 तक) के दौरान इस प्रकार की कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीदे जाने वाले समाचार-पत्र

[अनुवाद]

3306. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइंस द्वारा विभिन्न हवाई अड्डों पर यात्रियों को सप्लाई करने हेतु खरीदे जाने वाले दैनिक अखबारों की प्रतियों की संख्या का हवाई अड्डे वार तथा अखबारवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन अखबारों की संख्या का भाषावार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और

(घ) अखबारों के चयन के मापदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस द्वारा विमान पर सवार यात्रियों के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर भाषा-वार खरीदे गये समाचारपत्रों और उनकी प्रतियों की संख्या को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इसके लिए कोई विशेष बजट नहीं है, समाचार पत्रों की खरीद के लिए बजट विमान पर सवार यात्रियों की सुविधाओं से संबंधित बजट का ही एक भाग है, और खरीदी गयी प्रतियों की संख्या आवश्यकता पर निर्भर करती है।

(घ) समाचार पत्रों के चयन की प्रक्रिया के मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

(क) यात्रियों की पसन्द।

(ख) समाचार पत्र की लोकप्रियता।

(ग) हिन्दी और अंग्रेजी सहित सभी भाषाओं के समाचार-पत्रों की 30,000 प्रतियों और व्यावसायिक समाचार-पत्र की 20,000 प्रतियों का परिचालन।

विवरण

समाचार पत्रों की संख्या

दिल्ली क्षेत्र

1	"दि हिन्दुस्तान टाईम्स"	इंगलिश	200
2	"दि टाइम्स आफ इंडिया"	,,	200
3	"दि हिन्दु"	,,	125
4	पट्रियाट	,,	125
5	स्टेटसमैन	,,	110
6	इंडियन एक्सप्रैस	,,	110
7	नेशनल हैराल्ड	,,	250
8	"दि एकनोमीक टाइम्स"	,,	70
9	"दि फाइनायन्स एक्सप्रेस"	,,	70
10	"दि ट्रेब्यून"	,,	20
11	हिन्दुस्तान (हिन्दी)		530

12	नवभारत टाइम्स (हिन्दी)		530
13	कौमी आवाज (उर्दू)		130
14	मिलाप (उर्दू)		180
बम्बई क्षेत्र			
1	टाइम्स आफ इंडिया	इंगलिश	600
2	इंडियन एक्सप्रैस	,,	170
3	फ्री प्रैस जनरल	,,	75
4	डेली	,,	65
5	फायनांशियल एक्सप्रैस	,,	85
6	दि एकनोमिक टाइम्स	,,	85
7	महाराष्ट्र टाइम्स (मराठी)	,,	200
8	लोक सत्ता (मराठी)		210
9	नवभारत टाइम्स (हिन्दी)		500
10	बम्बई समाचार (गुजराती)		160
11	प्रभात (गुजराती)		160
कलकत्ता क्षेत्र			
1	स्टेटसमैन (इंगलिश)		150
2	अमृत बाजार पत्रिका	(इंगलिश)	310
3	टेलीग्राफ		200
4	बिजनेस स्टैन्डर्ड	,,	150
5	दि इकनोमिक टाइम्स	,,	150
6	जुगान्तर (बंगाली)		220
7	आनन्द बाजार पत्रिका	(बंगाली)	190
8	आजकल (उर्दू)		220
9	विश्वमित्र (हिन्दी)		230
10	संमार्ग (हिन्दी)		220
गुवाहाटी क्षेत्र			
1.	सेन्तीनल (इंगलिश)		25
2.	असम ट्रिब्यून (इंगलिश)		55
3.	दैनिक असम (असमीज)		40

मद्रास क्षेत्र

1.	हिन्दू (इंगलिश)	235
2.	इंडियन एक्सप्रेस (इंगलिश)	190
3.	फायनसियल एक्सप्रेस (इंगलिश)	35
4.	दिनमानी (तमिल)	230
5.	डेली थान्ती (तमिल)	230
6.	हिन्दु (इंगलिश)	27
7.	इंडियन एक्सप्रेस (इंगलिश)	27
8.	न्युजटाइम्स (इंगलिश)	27
9.	दक्कनक्रोनिकल (इंगलिश)	27

त्रिवेन्द्रम क्षेत्र

1.	मात्रभूमि (मलयालम)	50
2.	मलयालयामनोरमा (मलयालम)	50
3.	केरल कौमोदी (मलयालम)	50

हैदराबाद क्षेत्र

1.	आन्ध्र प्रभा (तेलगू)	8
2.	आंध्र पत्रिका ,,	8
3.	इनाडू ,,	8

प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धनराशि की आवश्यकता

3307. **श्री के. मोहनदास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई आकलन किया है कि सारे देश में एक परिवार से कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए संसाधन जुटाने हेतु कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) जी, नहीं। आवश्यक राशि, एक स्थान से दूसरे स्थान और समय-समय पर भिन्न होती है जो कि सामयिक स्थितियों के अन्य घटकों पर निर्भर करती है। वर्ष 1989-90 के दौरान आबंटित 500 करोड़ रुपए तक के संसाधन 50,000 रुपए से अधिक की आय वाले करदाताओं के आयकर पर उप-कर की लेवी के माध्यम से एकत्र किए जाने हैं ताकि अत्यधिक बेरोजगारी से पीड़ित चुनीदा 120

जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के सदस्यों के लिए नया सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा सके। यह कार्यक्रम जिले में चल रहे अन्य रोजगारोन्मुख कार्यक्रमों के अलावा होगा।

औद्योगिक क्षेत्र के लिये वृद्धि दर लक्ष्य

3308. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के लिए कोई लक्ष्य निश्चित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विशेष रूप से खनन और बिजली उत्पादन क्षेत्र में निश्चित लक्ष्य और प्राप्ति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन क्षेत्रों में अधिक वृद्धि दर कायम करने की दृष्टि से सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : जी, हां।

(ख) साधन लागत पर सकल मूल्य योग के रूप में प्रथम तीन वर्षों के दौरान निर्धारित संवृद्धि लक्ष्यों और उपलब्धियों के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

(प्रतिशत प्रतिवर्ष)

	लक्ष्य	7 वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में उपलब्धियां
खनन	11.7	7.5
विनिर्माण	5.5	8.5
विद्युत, गैस व जलापूर्ति	7.9	10.5

(ग) इन क्षेत्रकों में सरकार द्वारा उच्च संवृद्धि दर प्राप्त करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अतिरिक्त क्षमता का सृजन, विद्यमान सुविधाओं के उपयोग की क्षमता में वृद्धि, उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देना, कच्चे माल तथा विद्युत, परिवहन सुविधाओं इत्यादि जैसी आधार संरचनाओं का सुधार शामिल है। लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त करना, बृहद बैंडिंग, लाइसेंसीकृत क्षमताओं का पुनः पृष्ठांकन और न्यूनतम आर्थिक आकार के प्रावधान को भी शामिल किया गया। चालू परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और उनके समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

विकलांग बच्चे

3309. **श्री सोडे रमैया** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बच्चों में विकलांगता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश में किये गए इस प्रकार के सर्वेक्षण के क्या परिणाम रहे हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष (1981) के दौरान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने देश में विकलांगता के मामले और प्रचलन का सही अनुमान लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों का एक देशव्यापी नमूना सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण में बच्चों सहित आयुवर्ग वार तीन प्रकार की विकलांगताओं अर्थात दृष्टि श्रवण और सचल विकलांगताओं को शामिल किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन रिपोर्ट के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रति 100000 की जनसंख्या में सचल विकलांगता से पीड़ित 0-4 वर्ष और 4-14 वर्ष की आयु के बीच, बच्चों की जनसंख्या निम्न प्रकार है :

ग्रामीण		शहरी	
0-4	5-14	0-4	5-14
659	832	721	797

विमान चालकों की हड़ताल के कारण उड़ानों में अव्यवस्था

3310. **श्री ए. चार्ल्स** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानचालकों और तकनीकी और गैर-तकनीकी वर्ग के कुछ कर्मचारियों द्वारा अघोषित हड़ताल करने के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान इंडियन एयरलाइंस की उड़ान अव्यवस्थित हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) गैर-तकनीकी/तकनीकी कर्मचारियों की एक दिन की हड़ताल और विमानचालकों द्वारा आंदोलन/नियमानुसार काम करो" के कारण, नवम्बर और दिसम्बर, 1988 में उड़ानों में कुछ व्यवधान हो गया था। अव्यवस्था हो गई थी।

(ख) और (ग) उन कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई थी जिन्होंने संबंधित यूनियनों के आह्वान पर की गई हड़ताल में भाग लिया था। विमानचालक संघ और अन्य संगठनों/यूनियनों के साथ समझौतों को अंतिम रूप दिया गया है।

अनुसंधान और विकास पर हुआ व्यय

3312. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** :

श्री एच. एन. नन्जे गोडा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास व्यय की तुलना में अनुसंधान और विकास (आर.एण्ड डी.) पर कितना व्यय किया गया है ;

(ख) क्या औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता स्तर में कोई महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास व्यय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन्) : (क) वर्ष 1986-87 के लिये औद्योगिक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास व्यय अनुसंधान और विकास कार्य-कलापों पर किए गए कुल राष्ट्रीय व्यय का लगभग 20 प्रतिशत था ।

(ख) और (ग) उद्योगों में अपने यहां किए गए अनुसंधान और विकास प्रयासों से देश में औद्योगिक उत्पादन में समुचित योगदान मिला है । उद्योगों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार ने कई कदम उठाए हैं और कई प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किये हैं । इनमें ये शामिल हैं :- देशी प्रौद्योगिकी पर आधारित उद्योगों को लाईसेंस प्रदान करने में प्राथमिकता का व्यवहार और वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए व्यय के लिए उपयुक्त राजस्व प्रोत्साहन तथा देशी प्रौद्योगिकी का उपयोग ।

'पे फोन" का उत्पादन

[हिन्दी]

3313. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पे—फोन" के उत्पादन के लिए ब्रिटेन की एक फर्म के सहयोग से संयुक्त उपक्रम की स्थापना करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) ग्रेट ब्रिटेन की फर्मों के सहयोग से 'पे-फोन' के विनिर्माण के लिए दो पार्टियों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं । ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

क्रम सं.	पार्टी का नाम	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	अनुमोदित वार्षिक उत्पादन क्षमता
1.	उषा प्लेसी टेलीकॉम लिमिटेड, नई दिल्ली ।	प्लेसी नेटवर्क एण्ड आफिस सिस्टम लिमिटेड, ग्रेट ब्रिटेन	15000
2.	पैसिफिक ठैलीकॉम एण्ड इन्स्ट्रूमेंट लिमिटेड, सिकन्दराबाद	रैंटडाउन इंडस्ट्रीज लिमिटेट, ग्रेट ब्रिटेन ।	50000

दिल्ली नगर निगम को केन्द्रीय सहायता

[अनुवाद]

3314. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के जल और विद्युत संस्थानों को अपने कर्मचारियों के मामले में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के कारण भारी वित्तीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली नगर निगम ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) दिल्ली जल आपूर्ति और मल निकास उपक्रम से आय तथा व्यय के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए 9.68 करोड़ रुपये के "साधन" अनुदान के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है। तथापि, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उत्तर भारत में भूकंप केन्द्र की स्थापना

3315. **श्री वी. तुलसी राम :**

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूकंपों का पता लगाने के लिए सरकार ने पूरे उत्तर भारत में भूकंप रिकार्ड करने वाले केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में किन-किन स्थानों में ऐसे केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) क्या ऐसे केन्द्र उन राज्यों में भी स्थापित किये जायेंगे जिनकी सीमा दक्षिणी पठार को छूती है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियां उत्तर भारत में 79 भूकंप वेधशालाओं का एक काफी बड़ा नेटवर्क पहले से ही चला रही हैं।

(ख) उत्तर भारत में 79 भूकंप वेधशालाओं में से 29 निम्नलिखित स्थानों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं।

1. शम्फाल
2. लेखापानी
3. शिलांग
4. तुरा

5. टोकलई
6. उत्तरी लखमीपुर
7. गेरुकामुख
8. पासीघाट
9. एलोंग
10. रोइंग
11. जीरो
12. अगरतला
13. बोमडिला
14. गोवाहाटी
15. हा-फलोंग
16. हमरेंन
17. इटानगर
18. जोरहाट
19. कोहिमा
20. खोनसा
21. काजीरंगा
22. तेजपुर
23. याओगीसेन
24. डोको
25. उमरंगसों
26. लांगस्टेयिन
27. लमपारा
28. नागरीजुली
29. गोवाहाटी विश्वविद्यालय

इसके अतिरिक्त रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी पूर्वी भारत में तीव्र गति यंत्र की दो सरणियों (प्रत्येक 50 केन्द्रों) को भी चालू रखा जा रहा है ।

(ग) और (घ) दक्खन पठार के सीमावर्ती राज्यों में 54 भूकम्प वेधशालाओं का एक नेटवर्क पहले ही कार्य कर रहा है । ये वेधशालाएं निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :-

1. भुज
2. बम्बई
3. गोवा
4. हैदराबाद
5. पूना
6. सिहोर
7. कराड
8. बिलासपुर
9. अकोला
10. झांसी
11. नागपुर
12. बदोदरा
13. जमेनपाडा
14. माखरबाद
15. वादीचंुह
16. निरपन
17. सिदुम्बेर
18. उम्बरथाना
19. उकइंडेम
20. केवाडिया
21. जिकाई
22. बकोर
23. सन्जेली
24. अरणुना

25. कांडना	40. वर्मावते
26. भटसानगर	41. आसनगांव
27. लोअर वेतराना	42. घामनी
28. कसारा	43. नासिक
29. थानसालेक	44. टाटलाडोह
30. शाहपुर	45. कोयन
31. शेनवा	46. अलौरे
32. खर्दी	47. चिपलुन
33. लाहे	48. रत्नागिरी
34. वशाला	49. कोल्हापुर
35. भाटसा डैम	50. सतारा
36. अम्नुप	51. महाबालेश्वर
37. डलखान	52. बरोच
38. जारानदीपाडा	53. केलिया डैम
39. कोकरूढ़	54. दमन गंगा डेम

उड़ान की समय-सारणी में परिवर्तन

3316. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के हैदराबाद- विजयवाड़ा क्षेत्र में उड़ान की समय-सारणी में बार-बार परिवर्तन किये जाने के कारण दैनिक यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स का हैदराबाद-विजयवाड़ा-तिरूपति-मद्रास और विजयवाडा से हैदराबाद के बीच अपनी पूर्व उड़ान समय-सारणी आरंभ करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इंडियन एयरलाइन्स से हैदराबाद-विजयवाड़ा क्षेत्र में उड़ान की समय-सारणी में बार-बार परिवर्तन नहीं किये गये हैं। 30 जून, 1988 से दो एच एस-748 विमानों के ग्राउंडिंग किये जाने के कारण इस सेवा की आवृत्ति घटाकर सप्ताह में दो दिन कर दी गई थी और हैदराबाद तथा विजयवाड़ा के बीच दैनिक संपर्क को बनाए रखने के लिए सप्ताह के अन्य पांच दिनों में हैदराबाद-विजयवाड़ा-हैदराबाद पर एक एच एम-748 सेवा शुरू की गई थी। इसके अलावा, सीमित आवृत्ति के आधार पर, वायुदूत विजयवाड़ा-तिरूपति, हैदराबाद आदि से संपर्क बनाए रखने के लिए भी डोनियर सेवा का परिचालन कर रहा है।

(ख) और (ग) अपने बेड़े में सीमित एच एस-748 विमानों के कारण हैदराबाद-विजयवाड़ा-तिरूपति-मद्रास और वापसी क्षेत्रों पर इंडियन एयरलाइन्स के लिए दैनिक सेवा का परिचालन करना संभव नहीं है।

"टी०वी० ग्लास शेल" का निर्माण

3317. श्री शांति लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर कम्पनी ने रंगीन टी. वी. ग्लास शेल के निर्माण के लिए अमरीका के सहयोग से एक परियोजना स्थापित करने के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो कितना विदेशी सहयोग किया जाएगा ; और

(ग) इस संयुक्त उद्यम की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फर्म को संलग्न विवरण में दी गई शर्तों तथा निबंधनों के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका की मैसर्स ओवेन्स इलिओनोइस इन्कोरपोरेटेड के साथ विदेशी सहयोग करने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

विवरण

रंगीन दूरदर्शन ग्लास शेलों के विनिर्माण के लिए मैसर्स जी. एन. एफ. सी. को जारी किए गए विदेशी सहयोग के अनुमोदन की शर्तें तथा निबंधन।

1. विदेशी साम्यापूंजी		कुल चुकता पूंजी की राशि का 40 प्रतिशत भाग अर्थात् 35,58,69,000 रु०।
2. रायल्टी	:	2.16 प्रतिशत जिस पर सात वर्षों तक कर लगेंगे।
3. एक मुश्त अदायगी	:	50,00,000 अमरीकी डालर जिस पर कर लगेंगे।
4. डिजाइन इंजीनियरी तथा परामर्श सेवा आदि के लिए भुगतान	:	37,87,000 अमरीकी डालर जिसमें कर शामिल नहीं है तथा भारतीय कम्पनी द्वारा कर की देनदारी का व्यय वहन किया जाएगा।
5. करार की अवधि		10 वर्ष।

नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग

3318. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली मिर्च, नारियल, काजू आदि का उत्पादन बढ़ाने हेतु जैव-प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन पौधों में प्रत्येक के संबंध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) जी नहीं, काली मिर्च, नारियल, काजू आदि का उत्पादन बढ़ाने हेतु जैव-प्रौद्योगिकी का इस समय प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(ग) नारियल तथा काजू के लिए ऊतक संवर्धन तकनीकें विकसित करने के लिए प्रयोगशाला स्तर पर अनुसंधान किया जा रहा है। काली मिर्च पर जैव-प्रौद्योगिकीय तकनीकों में फिलहाल भारत में अनुसंधान नहीं किया जा रहा है।

सेल्यूलर जेल

3319. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर जेल (अंडमान) के लिए ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन और संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अंडमान के भूतपूर्व कैदी पटकथा आदि के मामले में इस परियोजना से सम्बद्ध होंगे और इस कार्यक्रम में उनकी क्या भागीदारी होगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) सेल्यूलर जेल, पोर्ट ब्लेयर में "ध्वनिक तथा प्रकाश शो" शुरू करने के बारे में द्वीप विकास प्राधिकरण द्वारा लिए गये निर्णय के परिणामस्वरूप, सेल्यूलर जेल में, इसके मूल स्वरूप को प्रभावित किए बिना, कुछ संरचनात्मक परिवर्तन करना आवश्यक हो गया है। ऐसे परिवर्तनों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(क) जेल परिसर को प्रशासनिक ब्लाक से अलग करने वाली दीवार की ऊंचाई को कम करके जमीन से 2-1/2 फीट ऊंची करना।

(ख) अलग करने वाली दीवार के पास स्वतंत्रता के बाद निर्मित स्टोर शैड को हटाना।

(ग) दर्शक दीर्घा के सामने "टिन शैड" का निर्माण और लकड़ी की दीवार को हटाकर लोहे की ग्रिल लगाना ताकि उन विभिन्न खण्डों और कार्यशाला में रखे यंत्रों को समुचित रूप से प्रदर्शित किया जा सके, जहां राजनीतिक कैदियों से कठोर कारावास के एक भाग के रूप में काम कराया जाता था।

(घ) "फांसी शैड़ में सिमटवां ओपनिंग वाल की व्यवस्था करना।

(ङ) बरगद के पेड़ के सामने "फांसी शैड" की लकड़ी की दीवार को हटाकर सिमटवां आपनिंग वाल लगाना ताकि दर्शक शैड के भीतर फांसी के तख्यों को अच्छी प्रकार से देख सकें।

2. इस परियोजना के निष्पादन में, पर्यटन मंत्रालय और भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा संघ शासित क्षेत्र को तकनीकी विशेषज्ञता और मार्ग दर्शन दिया गया है। क्षेत्र के जन प्रतिनिधि नामत: प्रदेश परिषद् के पार्षद और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन और भूतपूर्व अण्डमान राजनैतिक कैदी भ्रातत्व सर्कल के प्रतिनिधि भी परियोजना के लिए आलेख तैयार करने और उक्त संरचनात्मक परिवर्तन प्रस्ताव से संबद्ध हैं। शो के लिए आलेख श्री ए. जे. जसपाल, मुख्य उत्पादन नियंत्रक, भारतीय पर्यटन विकास निगम और डा. मैलविले डी मैलों, कला निदेशक और परामर्शदाता, जन संपर्क माध्यम, भारतीय खेल प्राधिकरण, नामक विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। सैल्युलर जेल और इसके आसपास हुई सभी संभव सम्बद्ध घटनाओं/किस्सों को शामिल करने के प्रयास किए गये हैं। ध्वनिक और प्रकाश शो की अवधि 50 मिनट होने की आशा है।

राष्ट्रपति के पास लम्बित दया याचिकाएं

[हिन्दी]

3320. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों द्वारा सिद्ध दोष व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दिए जाने के बारे में राष्ट्रपति के पास कितने व्यक्तियों की दया याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) उस सिद्ध दोष व्यक्ति का क्या नाम है जिनकी याचिका इन में सब से अधिक समय से लम्बित पड़ी हैं ;

(ग) क्या सरकार का उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने एक हाल के निर्णय में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दया याचिकाओं का निपटान करने के लिए कुछ समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) ऐसे दो दोषसिद्ध व्यक्तियों की याचिकाएं लम्बित हैं।

(ख) ग्यासी पुत्र परम को जिला जेल, झांसी में बंद रखा गया है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय की संविधान न्यायपीठ ने अपने तारीख 7.2.1989 के निर्णय में कहा है कि मृत्यु दण्ड के विरुद्ध प्रस्तुत दया याचिकाओं को शीघ्र निपटाये जाने की आशा है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय की इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए दया याचिकाओं के निपटान के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण अथवा समय सीमा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है, फिर भी आशा की जाती है कि ऐसी याचिकाओं का निपटान शीघ्र किया जाएगा।

क्षेत्रीय असन्तुलन

[अनुवाद]

3321. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षेत्रीय असन्तुलन कम करने के लिए इस वर्ष कोई अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) चालू वर्ष की वार्षिक योजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना के वृहद ढांचे के भीतर तैयार किया गया है जो क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने पर पर्याप्त बल देती हैं। ये पिछड़े राज्यों, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, जनजातीय उप-योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, संवृद्धि केन्द्रों का विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी, एन. आर. ई. पी, आर. एल. ई. जी. पी.) आदि के पक्ष में संसाधन अंतरण के संबंध में उच्चतर अधिभार से संबंधित हैं।

1989-90 के लिए बजट प्रस्तावों से पता चलता है कि चालू राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रमों के अतिरिक्त 500 करोड़ रु० के प्रावधान का एक नया प्रोत्साहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया जाना है और जो ऐसे 120 चुने हुए जिले जो पिछड़े हुए हैं तथा काफी बेरोजगारी से ग्रस्त हैं, को अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा।

सातवीं पंचवर्षीय योजना पर व्यय का कम पड़ना

[हिन्दी]

3322. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित परिव्यय में कुल कितनी राशि कम पड़ी है ;

(ख) अभी तक कितनी कमी पड़ी है और आठवीं पचवर्षीय योजना के शुरू होने तक कितनी कमी पड़ने की संभावना है ; और

(ग) यदि राशि लगातार कम पड़ती रही है तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सातवीं योजना में परिकल्पित परिव्यय राशि में अभी तक कोई कमी नहीं पड़ी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृषि में इलेक्ट्रॉनिकी का प्रयोग

[अनुवाद]

3323. **श्री डी०बी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि चीनी, कागज लुगदी, वस्त्र, इस्पात, उर्वरक उद्योगों, जल व्यवस्था संबंधी निर्माण कार्य और सड़क परिवहन में इलेक्ट्रॉनिकी का प्रयोग करने की कोई योजना आरम्भ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी ,हां।

(ख) अनुप्रयोगों के विकास के लिए जो परियोजनाएं शुरू की गई हैं, उनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(1) केरल राज्य में त्रिचूर स्थित कृषि विश्वविद्यालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य मे गोविन्द बल्लभ पन्तनगर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में कृषि में इलेक्ट्रॉनिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(2) समुचित स्वचालन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम :—

(क) इस्पात तथा ऊर्वरक (इलेक्ट्रॉनिकी विभाग)।

(ख) वस्त्र उद्योग (भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद)।

(ग) लुगदी तथा कागज (केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, मद्रास,।

(घ) चीनी (केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी) :

(3) कुछ क्षेत्रों में जल उपचार तथा सिंचाई नियंत्रण और सड़क यातायात के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के माइक्रोप्रोसेसर अनुप्रयोग इंजीनियरी कार्यक्रम (एम. ए. ई. पी.) के अन्तर्गत परियोजनाएं।

रंगीन टेलीविजन किटों का आयात

3324. **श्री बी० कृष्ण राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगीन टेलीविजन किटों के आयात पर गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ;

(ख) क्या सरकार का इनके आयात को कम करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) से (ग) इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिये किटों, तत्काल संयोजन के लिए तैयार सेटों, आदि के आयात को आयात-निर्यात नीति के अनुसार सीमित कर दिया गया है। सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए किटों का आयात करने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

सहायक निदेशक (प्रशासन) की भर्ती

3325. **श्री राज करन सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटन विभाग मुख्यालय में सहायक निदेशक (प्रशासन) के कितने पद हैं और 1 फरवरी, 1984 से 1989 तक वर्ष-वार कितने व्यक्ति स्थायी रूप से इन पदों पर कार्य करते रहे हैं ;

(ख) विदेशों में पर्यटन कार्यालयों में सहायक निदेशक (प्रशासन) के पदों पर कार्य करने हेतु 1 फरवरी, 1984 से 1 फरवरी, 1989 तक प्रति वर्ष ऐसे कितने पदों का चयन किया गया था और इन पदों पर कितने व्यक्ति स्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अवधियों में मुख्यालय में सहायक निदेशक (प्रशासन) के कितने पद समाप्त किये गये ;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (क) के अनुसार मुख्यालय में स्वीकृत पदों और स्थाई रूप से कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में कोई अन्तर है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और स्थाई आधार पर इन पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) फरवरी 1984 में महानिदेशक (पर्यटन) के निजी सचिव को छोड़ कर, सहायक निदेशक (प्रशासन) के पांच पद थे। तब से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कुल मिलाकर आठ सहायक निदेशक (प्रशासन) नियमित किए गए हैं और 1984 से 1989 के दौरान उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि, पर्यटन विभाग में सहायक निदेशकों की स्वीकृत समग्र संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) विदेश स्थित पर्यटक कार्यालयों में कोई भी पद प्रशासन के लिए औपचारिक रूप से अभिनिर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, टोकियो और न्यूयार्क में सहायक निदेशक (प्रशासन) कार्यरत हैं। 1989 में न्यूयार्क कार्यक्रम में एक अन्य पद सहायक निदेशक (प्रशासन) को दिया गया था।

(ग) शून्य।

(घ) उपर्युक्त (क) में स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट की असफलता के बारे में रिपोर्ट

3326. **श्री पी०एम० सईद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन को पिछले संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट के असफल होने की अंतिम बाह्य मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है ;

(ख) क्या भविष्य में अन्तरिक्ष में भेजे जाने वाले वाहन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उक्त रिपोर्ट के बाद लिया जायेगा ;

(ग) क्या अगले राकेट के प्रमोचक की लक्षित तारीख पहले ही बीत चुकी है ;

(घ) यदि हां, तो क्या कोई नई तारीख निर्धारित की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) ए. एस. एल. वी.डी- 2/श्रोस-2 मिशन की असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए 21.7.1988 को राष्ट्रीय विशेषज्ञों के पैनल को शामिल करते हुए एक विशेषज्ञ पुनरीक्षण पैनल (ई. आर. पी.) का गठन किया गया था। विशेषज्ञ पुनरीक्षण पैनल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस रिपोर्ट के शीघ्र ही उपलब्ध होने की आशा है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) ए. एस. एल. वी.-सातत्य की दो उड़ानों का प्रमोचन मूल रूप में 1989-1990 की समय-अनुसूची के लिए निर्धारित किया गया था। परन्तु, ए. एस. एल. वी. की अगली उड़ान की वास्तविक प्रमोचन की तारीख अब ई. आर. पी. के जांच-परिणामों तथा इन निष्कर्षों के प्रकाश में किए जाने वाले संशोधी उपायों अथवा संशोधनों की मात्रा पर निर्भर करती है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए आरक्षित सीटें

3327. **श्री प्रतापराव जी० भोसले** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और बम्बई के बीच चल रही इंडियन एयरलाइंस की सभी उड़ानों में प्रत्येक श्रेणी में अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमानों में अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सीटों का अग्रिम आरक्षण कराने का समय बहुत ही कम है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का अग्रिम आरक्षण समय को और बढ़ाने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज जी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

(च) अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए कोई विशेष कोटा नहीं है। तथापि, इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों पर केन्द्र/राज्य सरकारों और अन्य अर्ध-सरकारी एजेंसियों के लिए अग्रता कोटा निर्धारित किये गए हैं और यदि इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें प्रस्थान से 24 घंटे पहले सामान्य यात्री जनता के लिये उपलब्ध करा दिया जाता है। तथापि, एक्सीक्यूटिव श्रेणी में कोई अग्रता कोटा नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को अति विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी यात्रा संबंधी आवश्यकताओं में सहायता पहुंचाने के लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। संसद सदस्यों को प्रतीक्षा-सूची के यात्रियों की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

विदेशों में नियुक्त जे०सी०एम० के सदस्यों को छुट्टी, यात्रा भत्ता आदि की पात्रता

3328. **श्री मुही राम सैकिया :**
प्रो० पराग चालिहा :
श्री शांति लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश में नियुक्त जे. सी. एम. की राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए छुट्टी यात्रा भत्ता और अन्य खर्चे पाने के हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) कर्मचारी पक्ष के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाए रखें जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं तथा उनकी शिकायतों को राष्ट्रीय परिषद में उठाएं। जहां तक सम्भव होता है ऐसे कर्मचारियों को बाहर तैनात नहीं किया जाता है, क्योंकि यदि इन सदस्यों को विदेश में तैनात किया जाता है तो इनकी प्रभावी सहभागिता संभव नहीं हो सकती। तथापि, जहां ऐसी तैनाती अपरिहार्य हो जाती है वहां संयुक्त परामर्श तन्त्र योजना के अनुसार शेष अवधि के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि को काम करने की अनुमति दे दी जाती है। तदनुसार, विदेश में तैनात सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देने का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है।

दिल्ली में मोटर वाहनों की चोरी

[हिन्दी]

3329. **श्री चन्द्र किशोर पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में कितने मोटर वाहनों की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ख) मोटर वाहन चोरों के कितने गिरोहों को पकड़ा गया तथा उनसे कितने वाहन बरामद किए गए ; और

(ग) क्या प्रत्येक मामले में बरामद किए गए वाहन को उसके मालिक को सौंप दिया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) :

(क)

वर्ष	सूचित किए गए मामले
1987	1979
1988	1805

(ख) पकड़े गए गिरोहों की संख्या	बरामद किए गए वाहनों की संख्या
2	7
18	38

(ग) बरामद किए गए अधिकांश वाहन उनके मालकों को वापस दे दिए गए हैं।

फर्रुखाबाद के लिए विमान सेवाएं

[अनुवाद]

3330. **श्री गंगा राम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्रुखाबाद शहर की महत्ता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से इस शहर के लिये कोई विमान सेवा शुरू करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली से फर्रुखाबाद के लिये वायुदूत/इंडियन एयरलाइंस की विमान सेवाएं कब तक प्रारम्भ की जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 44 तथा 53 से सम्बन्धित परियोजनाएं

3331. **श्री सुदर्शन दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-53 पर कटखल नदी पर पुल तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर करीमगंज स्टेशन के निकट उपरि पुल के निर्माण की परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने में उत्पन्न हुई बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर कटखल में एक बड़े स्पाई पुल के निर्माण के लिए सरकार की मंजूरी पहले ही दे दी गई है। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्माण के लिए आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि राज्य सरकार ने पुल के स्थल तक जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए अपेक्षित भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर करीमगंज में एक उपरि पुल (फ्लाई ओवर) के साथ एक उप मार्ग का निर्माण किए जाने की योजना है लेकिन कुछ प्रभावित भू-स्वामियों ने अपनी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ करीमगंज न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर कर दिया है।

(ख) सीमा सड़क संगठन भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र अधिसूचना शीघ्र जारी करने और न्यायालयीन मामले को शीघ्र निपटाने के लिए राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है।

मंत्रालयों के दैनिक कार्य में हिन्दी का प्रयोग

3332. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालयों और इनके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के दैनिक कार्य में हिन्दी का उपयोग करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग तथा उनके सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। तथापि अनेक सरकारी विभागों और कार्यालयों ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित कुछ लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है।

(ख) सरकार की नीति के अनुसार, वार्षिक कार्यक्रम को अनुनय द्वारा तथा कई प्रकार के प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान करके कार्यान्वित किया जाता है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन का मूल्यांकन तिमाही प्रगति रिपोर्टों और आवधिक निरीक्षणों द्वारा किया जाता है। इस दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में गठित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकों और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में भी की जाती है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में पाई गई कमी को संबंधित मंत्रालयों/कार्यालयों के ध्यान में लाया जाता है ताकि वे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक उपाय कर सकें।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर गोलाबारी

[हिन्दी]

3333. **श्री केशवराव पारधी** :
श्रीमती बसवराजेश्वरी :
श्री कमल चौधरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सीमा पर गोलाबारी और मुठभेड़ की घटनाओं में वृद्धि हो रही है,

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान पिछले छः महीनों की तुलना में ऐसी घटनाओं में कितनी वृद्धि अथवा कमी आई है; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही): (क) और (ख) मार्च से अगस्त, 1988 की अवधि की तुलना में सितम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान भारत-पाक सीमा तथा जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गोलाबारी/मुठ-भेड़-दोनों ही घटनाओं की संख्या में थोड़ी-सी वृद्धि हुई है।

(ग) ऐसी घटनाओं से संबंधित मामलों को, जब भी आवश्यकता होती है, दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों के बीच ध्वज बैठकें करने के माध्यम से हल किया जाता है।

बोइंग विमानों के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करना

[अनुवाद]

3334. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण विश्व में बोइंग विमानों की अनेक दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) यदि हां तो क्या इंडियन एयरलाइन्स और एयर इन्डिया के बोइंग विमानों की विशेष जांच की गयी है; और

(ग) क्या इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया का विचार बोइंग विमानों के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी.पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में बोइंग विमानों की दुर्घटनाओं के पश्चात इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के बोइंग विमान बेड़ों का विशेष निरीक्षण/जांच की जा रही है।

(ग) इण्डियन एयरलाइंस 1990-91 में प्राप्त किए गए चार बोइंग-737 विमानों को 1990-91 में बेड़े से हटाने का विचार कर रही है।

दंरिगीबादी उड़ीसा में पर्यटन की सम्भावनाएं

3335. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के फूलबनी जिले में स्थित दंरिगीबादी में पर्यटन की सम्भावनाओं का पता लगाया है;

(ख) क्या पर्यटक महत्व के उपर्युक्त स्थान को एक आदर्श हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो पर्यटक महत्व के ऐसे स्थानों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) से (ग) पर्यटन आधार-संरचना के विकास के लिए पर्यटक केन्द्रों की पहचान तथा उनकी सम्भावनाओं का निर्धारण राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। विभाग को फूलबनी जिले में दंरिगीबादी के विकास के लिए उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा उस पर स्थान की सम्भाव्यता, मौजूदा

आधार-संरचना, वर्तमान एवं भावी पर्यटक यातायात, निधियों की उपलब्धता तथा परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा ।

दमन एवं दीव के लिए पदों का सृजन

3336. **श्री गोपाल के. टन्डेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के सचिवालय और दीव के प्रशासन के लिए वर्ग "क" "ख" "ग" और "घ" में कितने-कितने पदों का सृजन किया गया है ;

(ख) अब तक प्रत्येक वर्ग के अन्तर्गत कितने-कितने पदों को भरा गया है ; और

(ग) शेष पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और रिक्त पदों के कब तक भरे जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) संघ शासित क्षेत्र दमण और दीव के सचिवालय ढांचे के लिए तथा दीव के जिला प्रशासनों के लिए विभिन्न ग्रुपों में सृजित किए गए तथा भरे गए पदों की संख्या निम्न प्रकार है :

ग्रुप	सृजित किए गए पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या
क	5	4
*ख	31	4
ग	39	8
घ	37	3
	112	19

*इसमें अराजपत्रित ग्रुप "ख" के पद भी सम्मिलित हैं ।

2. यह पद चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित किए गए हैं । भर्ती एक देर तक चलने वाली प्रक्रिया है । चूंकि नये प्रशासनिक ढांचे के साथ यह एक नया संघ शासित क्षेत्र है, इसलिए भर्ती चरणबद्ध तरीके से की जानी है । कुछ श्रेणियों के पदों के बारे में भर्ती नियम तैयार करने का कार्य शुरू किया जा चुका है । कार्यालय तथा आवास के लिए स्थान आदि उपलब्ध कराने जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

पर्यटकों से प्राप्त शिकायतें

3337. **डा. जी. विजय रामाराव** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटकों से भिखारियों द्वारा तंग किए जाने, अधिक किराया लेने और होटल कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में पर्यटकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जब कभी सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है, सम्बन्धित राज्य सरकारों एवं अन्य एजेन्सियों के सहयोग से उचित उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। टैक्सी चालकों की ठगी से बचने के लिए भारत के सभी चार प्रमुख हवाईपत्तनों पर पूर्वभुगतान टैक्सी सेवाओं की प्रणाली चालू की गयी है।

तट रक्षा प्रशिक्षण संस्थान

3338. **श्री एच. ए. डोरा :**

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तट रक्षक विभाग की निकट भविष्य में अपने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन विशेष स्थानों के नाम क्या हैं जहां प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जायेंगे ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) तटरक्षक कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने की आवश्यता के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

लक्षद्वीप और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में पर्यटन विकास

3339. **श्री एम. रघुमा रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक संख्या में विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूहों तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो बजट में किए गए आवंटन का ब्यौरा क्या है और पर्यटकों को अन्य क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों और लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में पर्यटक केन्द्रों के पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ठोस एकीकृत विकास करने के लिए नीतियां तथा कार्यक्रमों के बारे में निर्णय लेने हेतु एक द्वीप विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। द्वीप विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लिए जाने वाले निर्णयों के आधार पर इन द्वीपसमूहों के संवर्धन हेतु उपाय किए गए हैं।

(ख) पर्यटन विभाग निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है :—

परियोजना	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि	रिलीज करने की तारीख
		(लाख रुपए में)	
1. लक्षद्वीप			
लक्षद्वीप (कवारती, मिनीकोय और बंगाराम) में आवास का निर्माण	40.10	5.00	27.3.86
		15.00	23.7.87
तथा सुधार		15.00	12.1.89
जल क्रीड़ा उपकरणों की खरीद	29.67	13.24	21.9.88
2. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह			
सैल्युलर जेल पोर्ट ब्लेयर मे ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन	49.80	10.00	29.3.88
पोर्ट ब्लेयर में यात्री निवास	45.70	15.00	8.1.86
हैवलाक में यात्री निवास	41.44	10.00	8.12.86

सांझी छत में पवन हंस के हेलिकाप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना

3340. **श्री सी. अंगा रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांझी छत में 14 जुलाई, 1988 को दुर्घटनाग्रस्त हुये हेलीकाप्टर की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या इस दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के कानूनी वारिशों को कोई मुआवजा दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो मुआवजे की राशि कितनी है ; यदि नहीं, तो मुआवजा न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट की जांच की जा रही है ।

(ग) और (घ) दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अब तक 7 लाख रुपए की अदायगी की जा चुकी है ।

कमांडर वर्क्स इंजीनियर, गुवाहाटी के अन्तर्गत विभाग

3341. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कमांडर वर्क्स इंजीनियर, गुवाहटी के अधीन विभाग में कथित भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां ।

(ख) भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतों की जांच की गई । आरोप साबित नहीं हुए ।

राजस्थान की पर्यटन परियोजनाएं

[हिन्दी]

3342. **श्री शांति धारीवाल** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री राजस्थान की पर्यटन परियोजनाओं के बारे में 5 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3401 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान सरकार से पर्यटन परियोजनाओं के संबंध में कोई सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान की जायेगी ; और

(ग) इन परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय सरकार का सहायता के रूप में कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जी, हां । राजस्थान सरकार से विस्तृत सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने राजस्थान में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना के विकास हेतु निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
		(लाख रुपयों में)	
1.	फतेहपुर में पर्यटक परिसर	16.09	5.00
2.	सिलीसर झील में नौकायन सुविधायें	3.15	2.00
3.	चित्तौड़गढ़ की प्रकाश-पुंज व्यवस्था	15.06	7 49

विदेशी मिशनरियां

[अनुवाद]

3343. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में कुछ विदेशी मिशनरियां कार्यरत हैं,

(ख) क्या ये मिशनरियां भारत-विरोधी गतिविधियां कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

धार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) तीन विदेशी मिशनरियों, नामत; श्री बी. ई. गेटर, श्रीमती शैली जॉन गैटर, अमरीकी राष्ट्रिक, तथा श्री लुईस डे रायेड्ट, बैल्जियन राष्ट्रिक, के खिलाफ प्रतिकूल रिपोर्टें थीं । उनसे 31 जुलाई, 1987 तक देश छोड़ने के लिए कहा गया था । तथापि, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी है तथा मामला निर्णयाधीन है ।

कम्प्यूटर निर्माण के लिए चिप सैटों का आयात

3344. **श्री आर· जीवरत्नम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्सनल कम्प्यूटर के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण अर्थात् "चिप सैट्स" आदि के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ;

(ख) क्या सरकार के पास "पर्सनल कम्प्यूटर" के महत्वपूर्ण उपकरण "चिप सैट्स" के देश में ही उत्पादन के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के· आर· नारायणन) : (क) देश में वैयक्तिक कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ, बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ चिपों, 256 के मेमोरी, कनेक्टरों, स्विचों, मानीटर के कल-पुर्जों, फ्लापी ड्राइव, विद्युत आपूर्ति, कुन्जीपटल आदि जैसे महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जों पर खर्च होने वाली विदेशी-मुद्रा प्रति कम्प्यूटर अनुमानित 300 डालर है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड, छत्रपुर उड़ीसा में वाणिज्यिक उत्पादन

3345· **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छत्रपुर के निकट स्थापित नयी परियोजना इंडियन रेअर अर्थस लिमिटेड में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस संयन्त्र में उत्सादन का प्रतिवर्ष क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) क्या किसी भी वर्ष में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां ।

(ख) अक्तूबर, 1986 से लेकर अब तक उत्सादन के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं वे नीचे बताए जा रहे हैं :—

उड़ीसा खनिज रेत उद्योग समूह के उत्पादन का लक्ष्य

(आंकड़े मीटरी टन में व्यक्त किए गए हैं)

	1986-87	87-88	88-89	89-90
इल्मेनाइट	1,07,250	1,43,000	96,000	1,21,000
सिंथेटिक रूटाइल	48;750	65,000	14,500	30,000
मोनाजाइट	1,950	2,400	205	1,500
जरकन	975	1,200	225	1,100
रुटाइल	4,874	6,000	2,500	3,250
सिलिमेनाइट	14,625	18,000	1,430	4,400

(ग) उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य अब तक प्राप्त नहीं किए जा चुके हैं ।

(घ) ड्रेज यूनिट में कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आने के कारण खनिज सान्द्र उपलब्ध न होने की वजह से उड़ीसा खनिज रेत समूह के उत्पादन पर असर पड़ा है । इसके अतिरिक्त, अब खनन ऐसे खनिज क्षेत्र के ऐसे भाग में किया जा रहा है जहां खनिज नाम मात्रा में विद्यमान है और इस प्रकार का खनन तकनीकी दृष्टि से अपरिहार्य है । उत्सादन बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जैसे कि शुष्क खनन और सान्द्रण करना, और सान्द्र का ग्रेड बढ़ाने की सुविधा स्थापित करना और ड्राई मिल के उपकरणों में कुछ सुधार करना । रसायन सज्जीकरण संयन्त्र के उपकरणों में सुधार किए जा रहे हैं ।

यात्री विमान निर्माण करने की सम्भाव्यता संबंधी अन्तर मन्त्रालयी समिति

3346. **श्री अजय विश्वास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यात्री विमानों/कलपुर्जों और अन्य सम्बद्ध मदों के निर्माण की सम्भाव्यता की जांच के लिए एक अन्तर मन्त्रालयी दल गठित करने का निर्णय लिया है ?

(ख) यदि हां, तो, क्या यह दल इस बीच गठित कर दिया गया है ; और

(ग) इस दल के सदस्यों के नाम और विचारार्थ विषय क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) जी, हां।

भारत में यात्री विमानों के विनिर्माण संबंधी प्रश्न की जांच करने के सम्बन्ध में एक अन्तर मन्त्रालयी दल का गठन किया है। इस दल का अध्यक्ष सलाहकार (उद्योग एवं खनिज) योजना आयोग हैं जबकि इसमें विभिन्न सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा उद्यमों आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं ;

सामाजिक सुरक्षा योजना

3347. **श्री प्रकाश चन्द्र** :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री **महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1989 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "कम्पनसेशन सिस्टम टूबी स्ट्रीमलाइंड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सामाजिक सुरक्षा योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) योजनाओं के ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) दोनों योजनाओं का पूरा खर्चा केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

विवरण

प्रेस विज्ञपित में उल्लिखित दो योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :—

गरीब परिवारों के लिए निजि दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना

भारत सरकार (आर्थिक मामलों का विभाग) द्वारा इस योजना की वर्ष 1985-86 में 100 जिलों के लिए घोषणा की गई थी। तदोपरान्त, इस योजना को चरणबद्ध रूप में अन्य जिलों में भी लागू किया गया था। 15 अगस्त, 1988 से देश के सभी जिलों में यह योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष के वे सभी लोग आते हैं जिनकी कुल वार्षिक परिवारिक आय 7,200/-रुपए से अधिक नहीं है। गरीब परिवारों के आश्रितों को कमाऊ व्यक्ति की दुर्घटनाओं के कारण मौत होने पर 3,000/-रुपए की राशि (न कि 30,000/-रु० जैसा कि प्रेस विज्ञाप्ति में उल्लिखित है।) दी जाती है। यह योजना जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन आफ इण्डिया तथा उसकी चार सहायक कंपनियों और राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग द्वारा चालू की गई है।

झुग्गी बीमा योजना :

ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को अग्नि बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 01 मई, 1988 से आरम्भ की गई है। यह योजना भूमिहीन मजदूरों, सिल्पकारों तथा उन सभी अत्याधिक

गरीब परिवारों पर लागू होती है जिनकी कुल वार्षिक पारिवारिक आय 4,800/- रुपए से अधिक नहीं है। आग लगने के कारण नुकसान होने पर, बीमा कम्पनी बीमा शुदा को झुग्गी के लिए 1000/- रु. तक की राशि तथा झुग्गी में नष्ट हुए सामान के लिए 500/- रु. तक की राशि देगी। यह योजना जनरल इंश्योरेंस कंपनियों आफ इण्डिया तथा उसकी चार सहायक कंपनियों द्वारा चलायी जा रही है।

तिरुपति का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3348. **श्री जी० भूपति** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से तिरुपति को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मध्यम वर्ग के पर्यटकों के लिए होटल सुविधा

[हिन्दी]

3349. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसे सस्ते होटल खोलने का प्रस्ताव है जहां मध्यम वर्ग के पर्यटक ठहर सकें ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान ऐसे कितने होटल खोलने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार देश में सस्ते होटल खोलने के लिए प्रोत्साहन दे रही है जहां मध्यम वर्ग के पर्यटक ठहर सकें। 1-3 स्टार वर्ग की 194 होटल परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्राइवेट सेक्टर को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इन परियोजनाओं का पूरा होना संसाधनों, एवं सामग्री की उपलब्धता तथा स्थानीय अनुमति मिल जाने पर निर्भर करता है।

पब्लिक सेक्टर के संबंध में, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा निम्नलिखित 1-3 स्टार होटल परियोजनाओं को वर्ष 1989-90 के दौरान पूरा किए जाने की संभावना है :—

1. भोपाल में संयुक्त उद्यम होटल (3-स्टार)।

2. इटानगर में संयुक्त उद्यम होटल (1-2 स्टार)।

3. मनाली में यात्री आवास-गृह का विस्तार (3-स्टार)।

दिल्ली/बम्बई से विशाखापत्तनम् के लिये विमान सेवा

[अनुवाद]

3350. **श्री भट्टा श्रीराम मूर्ति :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् दिल्ली और विशाखापत्तनम् बम्बई के बीच सीधी विमान सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विमान क्षमता की कमी के कारण, इंडियन एयरलाइन्स की इस समय दिल्ली-विशाखापत्तनम् और बम्बई-विशाखापत्तनम के बीच सीधी विमान सेवाओं के परिचालन की कोई योजनाएं नहीं हैं ।

एस०सी०एल० में आग लगने से निर्माण कार्य का अवरुद्ध होना

3351. **श्री एस०एम० गुरुडी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोहाली में हाल ही में लगी आग के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हेतु स्वदेशी तकनीक पर आधारित एल. एस. आई. और वी. एल. एस. आई. चिपों के निर्माण कार्य में भारी गतिरोध पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक ; और

(ग) इससे कुल कितनी क्षति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) सेमीकंडक्टर कांप्लेक्स लिमिटेड में लगी आग ने बड़े/बहुत बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ चिपों की विनिर्माण सुविधा, अनुसंधान तथा विकास की प्रक्रिया और सम्बद्ध सुविधाओं को क्षति पहुंचाई है ।

(ग) लगभग 60 करोड़ रुपये की कुल हानि होने का अनुमान है ।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों को विदेशी उड़ानों के लिए उपयोग में लाना

3352. **डा० दिग्विजय सिंह :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों की राष्ट्रीय राजधानियों के लिये इंडियन एयरलाइन्स के कितने विमान उड़ान भरते हैं ;

(ख) इन विमान क्षेत्रों का भार वहन क्षमता तथा इनकी लाभप्रदता का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन विमानों को घरेलू मार्गों पर चलाने का निर्देश दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) आवश्यकताओं के आधार पर, अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन कर रहे विमानों का उपयोग समय-समय पर अंतर्देशीय सैक्टरों पर भी किया जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) यह बताना काफी कठिन है कि इंडियन एयरलाइन्स के कितने विमानों का उपयोग विदेशी राजधानियों को उड़ान भरने के लिए किया गया क्योंकि किसी भी विमान की पहचान केवल अंतर्देशीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए नहीं की जाती है। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विदेशी राजधानियों के लिये प्रचालित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के ब्यौरे और 1988-89 (अनंतिम) के आधार पर उनका पे-लोड/लाभप्रदता निम्न प्रकार रही है :—

सेवा संख्या	विमान का प्रकार	मार्ग	आवृत्ति	प्रति उड़ान लाभ की राशि (लाख रुपए में)	औसत पै-लोड (टन में)
1	2	3	4	5	6
आई. सी-223/224	बी-737	कलकत्ता-ढाका-कलकत्ता	सप्ताह में 6 बार	0.08	6.274
आई. सी-231/232	बी-737	कलकत्ता-बैंकाक-कलकत्ता	सप्ताह में 3 बार	1.20	7.708
आई. सी-245/246	बी-737	पटना-काठमांडू-पटना	सप्ताह में 2 बार	0.05	7.083
आई. सी-247/248	बी-737	कलकत्ता-काठमांडु-कलकत्ता	सप्ताह में 5 बार	0.11	8.122
आई. सी-251/252	बी-737	वाराणसी-काठमांडू-वाराणसी	दैनिक	0.34	6.306
आई. सी-413/414	बी-737	दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली	दैनिक	1.19	8.424
आई. सी-443/444	बी-737	दिल्ली-कलकत्ता-ढाका और वापसी	सप्ताह में 1 बार	1.42	8.490

आई. सी-451/452	पी. यू.154	दिल्ली-काबुल-दिल्ली	सप्ताह में 2 बार	जनवरी, 89 से इस सैक्टर पर एरियाना अफगान एयरलाइन विमान द्वारा परिचालन किया जा रहा है।	8.114
आई. सी-507/508	बी-737	त्रिवेन्द्रम-कोलम्बो-त्रिवेन्द्रम	सप्ताह में 2 बार	0.37	88.610
आई. सी-555/556	एयरबस-300	मद्रास-सिंगापुर-मद्रास	सप्ताह में 1 बार	4.60	20.377
आई. सी-563/564	बी-737	त्रिवेन्द्रम-माले-त्रिवेन्द्रम	सप्ताह में 3 बार	0.47	9.426
आई. सी-577/578	बी-737	त्रिचो-कोलम्बो-त्रिचो	सप्ताह में 3 बार	0.21	6.646
आई. सी-585/586	बी-737	बम्बई-कोलम्बो-बम्बई	सप्ताह में 2 बार	1.30	7.280
आई. सी-573/574	बी-737	मद्रास-त्रिचो-कोलम्बो-मद्रास	सप्ताह में 1 बार	0.31	7.266
आई. सी-573/574	बी-737	मद्रास-कोलम्बो-त्रिचो-मद्रास	सप्ताह में 1 बार		
आई. सी-573/574	बी-737	मद्रास-कोलम्बो-मद्रास	सप्ताह में 5 बार		

पिक्चर ट्यूबों का आयात

3353. **श्री कमल चौधरी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान कितनी रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूबों का आयात किया गया ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान देश में कितनी रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूबों का निर्माण किया गया ; और

(ग) रंगीन टी. वी. पिक्चर ट्यूबों के निर्माण में देश कब तक आत्म निर्भर हो जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन्) : (क) वर्ष 1987 तथा 1988 में रंगीन पिक्चर ट्यूबों की जितनी आवश्यकता थी, उनमें से अधिकांश की पूर्ति आयात द्वारा की गई थी । चूंकि विदेशी व्यापार के आंकड़े केवल मोटी-मोटी वस्तुओं की श्रेणियों के लिए ही रखे जाते हैं ; अतः रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) वर्ष 1987 में 80 हजार और 1988 में 3 लाख 8) हजार रंगीन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन हुआ ।

(ग) नब्बे के दशक के प्रारम्भ में रंगीन पिक्चर ट्यूबों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल होने की सम्भावना है ।

आन्ध्र प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों की स्थापना

3354. **श्री सी सम्बु :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार से राज्य में पर्यटन केन्द्र स्थापित करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है ; और

(ग) कितने प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं और उन्हें मंजूरी प्रदान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विभिन्न पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय पर्यटन विभाग को आंध्र प्रदेश सरकार से 32 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने अब तक 205.47 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 13 परियोजनाओं को मंजूरी दी है । इसके अतिरिक्त विभाग की पहल पर गोलकुण्डा दुर्ग हेतु 3.12 लाख रुपये की अनुमानित लागत का एक मास्टर प्लान तैयार करने की परियोजना प्रारम्भ की गई है ।

(ग) आंध्र प्रदेश द्वारा प्रेषित 20 प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि वे न तो विभाग की अनुमोदित प्लान स्कीमों की परिधि में आते हैं और न ही परस्पर प्राथमिकताओं में आते हैं ।

जुहू विमानक्षेत्र में हवाई पट्टी का निर्माण

3355. **श्री कमल नाथ** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुहू विमानक्षेत्र में एक समानान्तर हवाई पट्टी का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) बम्बई हवाई अड्डे पर भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने जुहू विमान क्षेत्र पर एक समान्तर धावनपथ के निर्माण का प्रस्ताव किया है, जिस पर विभिन्न एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श किए गए हैं। इन विचार-विमर्शों को मद्दे नजर रखते हुए, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस प्रस्ताव की सम्भाव्यता की पुन: जांच कर रहा है।

हथियारों के लिए लाईसेंस

[हिन्दी]

3356. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियारों के लाइसेंस जारी करने तथा उनका नवीनीकरण करने के लिए नई नीति बनाई जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह नीति सभी राज्यों में अपनाई जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) शस्त्र नियम, 1962 में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप अमेयास्त्र के लाइसेंस दिये जाने के बारे में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :—

अमेयास्त्रों की श्रेणी	किए गए परिवर्तन
1. प्रतिबंधित बोर/अर्ध-स्वचालित अग्नेयास्त्र	8.8.87 से लाईसेंस दिए जाने के अधिकार केन्द्र सरकार को प्राप्त हैं। तथापि, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नवीकरण का कार्य करना जारी है।
2. गैर-प्रतिबंधित बोर अग्नेयास्त्र	दिनांक 24.1.89 से लाईसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकारियों के अधिकार उनके अधिकार क्षेत्रों तक ही सीमित कर दिए गए हैं, जैसे कि, जिलों के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन/1 अखिल भारतीय वैधता वाले लाईसेंसों को, केन्द्र सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा जारी/ नवीकरण किया जाएगा।

ये परिवर्तन शस्त्र अधिनियम, 1962 में किए गए संशोधनों के फलस्वरूप लागू किए गए हैं तथा पूरे देश में समान रूप से लागू हैं। इनको लागू करने के आवश्यक अधिकार शस्त्र अधिनियम, 1959 और शस्त्र नियम, 1962 के अधीन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दिए गए हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों का चयन

3357. **डा. गौरीशंकर राजहंस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिए वर्ष 1986 और 1987 में आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में ग्रामीण और शहरी उम्मीदवारों की संख्या और प्रतिशत क्या थी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा, 1986 के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए सफल घोषित 856 उम्मीदवारों द्वारा दिए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया था। 68 प्रतिशत (584) उम्मीदवारों ने अपने जन्मस्थान ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों में दर्शाए हैं। 56 प्रतिशत (481) उम्मीदवारों ने दर्शाया था कि उनके अभिभावक/संरक्षक पिछले 15 वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरों में रहे हैं। 57 प्रतिशत (486) उम्मीदवारों ने दर्शाया था कि उन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरों से प्राप्त की है।

पालघाट में इंडियन एअरलाइंस के टिकटों की बिक्री करने वाली एजेंसी

(अनुवाद)

3358. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट में इंडियन एअरलाइंस के टिकटों की बिक्री करने वाली एक एजेंसी है ;

(ख) यदि नहीं, तो नजदीक के किस स्थान पर ऐसी एजेंसी कार्यरत हैं ;

(ग) पालघाट में ऐसी एजेंसी खोलने के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं और कितने समय से लम्बित हैं ; और

(घ) पालघाट में इंडियन एयरलाइंस के टिकटों की बिक्री करने वाली एजेंसी के व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। तथापि इण्डियन एयरलाइंस ने पालघाट में एक कार्गो बिक्री एजेंट नियुक्त किया है।

(ख) पालघाट के निकटतम स्थान जहां इण्डियन एयरलाइंस ने एजेंट नियुक्त किया है वह कोयम्बतूर है। कोयम्बतूर में इण्डियन एयरलाइंस का अपना पूर्णकालिक कार्यालय के अलावा पांच यात्री बिक्री एजेंटों के भी कार्यालय हैं।

(ग) इण्डियन एयरलाइंस के पास कोई आवेदन-पत्र लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

(घ) पालघाट में किसी एजेंट के नियुक्त करने की इस समय इण्डियन एयरलाइंस की कोई योजना नहीं है। तथापि, पालघाट में यात्री बिक्री एजेंट की नियुक्ति, पर्याप्त यातायात की सम्भावना वाणिज्यिक आवश्यकता और इस प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा इन्डियन एअरलाइंस की आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर निर्भर करता है।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनायें

[हिन्दी]

3359. **श्री कम्मोदीलाल जाटव :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने चम्बल डिवीजन के लिए कुछ सिंचाई परियोजनाओं को योजना आयोग की मंजूरी हेतु भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा इन्हें कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ; और

(ग यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश राज्य से योजना आयोग की मंजूरी हेतु मार्च, 1984 में केन्द्रीय जल आयोग, जल संसाधन मंत्रालय को चम्बल डिवीजन को भिंड तथा मोरेना जिलों के लाभ के लिए एक चम्बल आयकट विकास (बड़ी) नामक एक स्कीम प्राप्त हुई है । उसकी स्वीकृति की स्थिति इस प्रकार है :

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा चम्बल आयुकट विकास (बड़ी) स्कीम की जांच की गई है तथा टिप्पणियां अनुपालन के लिए राज्य को भेजी गई । चूंकि राज्य ने एक वर्ष से अधिक समय तक इनका अनुपालन नहीं किया । केन्द्रीय जल आयोग ने 11.9.1986 को राज्य को परियोजना लौटा दी ।

निवेश स्वीकृति के लिए परामर्शी समिति द्वारा पूरी तरह से सिफारिश किए जाने, इसकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चिक करने तथा राज्य योजना में वित्त पोषण की पर्याप्तता आदि सुनिश्चित करने के बाद जब स्कीम आयोग को प्राप्त होगी तभी इसे स्वीकृति दी जाएगी ।

भारत-नेपाल सीमा पर यूरेनियम की तस्करी

[अनुवाद]

3360. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल विशेष रूप से बिहार की खानों से, के माध्यम से भारत से पाकिस्तान और चीन को यूरेनियम की तस्करी के कई मामले सामने आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जादुगुडा स्थित यूरेनियम खान तथा मिल कम्प्लैक्स में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिकों के अधीन सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध किए हुए हैं। ये कार्मिक रात-दिन ड्यूटी पर रहते हैं। संयंत्र में जिस स्थान पर अन्तिम उत्पाद तैयार होकर बाहर आता है, उसके चारों ओर बाड़ लगी हुई है और उस स्थान की चौकसी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक तीनों पारियों में करते हैं, ताकि वहां सुरक्षा बनी रहे और यूरेनियम सांद्र की चोरी न हो।

पर्यटन को निर्यात उद्योग का दर्जा दिया जाना

3361. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

डा० जी० विजय राघव राव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इण्डिया ने सरकार से पर्यटन को निर्यात उद्योग का दर्जा देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) पर्यटन को "निर्यात उद्योग" का दर्जा देने हेतु प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया गया था तथा एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इंडिया का सुझाव मिलने से पहले ही पर्यटन उद्योगों को बहुत से प्रोत्साहन एवं सुविधाएं प्रदान की गई थीं।

कलकत्ता हवाई अड्डे का विकास

3362. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कलकत्ता हवाई अड्डे के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये ;

(ख) उक्त विकास कार्यक्रम के लिए अनुमानत: कितनी धन राशि निर्धारित की गई थी ;

(ग) अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(घ) उक्त विकास कार्यक्रम की प्रगति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 19.58 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर कलकत्ता हवाई अड्डे पर एक नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। संचार सुविधाओं में सुधार किए गए हैं और हवाई अड्डे के वापसी धावनपथ पर उत्क्षेपक अवतरण प्रणाली (आई. एल. एस.) लगाई गयी है। अतिरिक्त उत्क्षेपकों की व्यवस्था करके सुरक्षा मजबूत की गई है और धावनपथ, टैक्सी पथ, ऐप्रन तथा अधिकांश सेवाओं में सुधार किए गये हैं।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त विकास कार्यक्रम पर 19.16 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है, जिसमें से 10.68 करोड़ रुपए 31.3.89 तक खर्च किए जाने की सम्भावना है।

(घ) विकास कार्यक्रम निर्धारित समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।

स्वतन्त्रता सेनानियों के नकली प्रमाण-पत्र

[हिन्दी]

3363. **डा. चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा दिये गये अनेक कारावास प्रमाण-पत्र जाली पाए गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इन प्रमाण-पत्रों के आधार पर ही स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन और ताम्रपत्र प्रदान किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) इस गलती के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) प्रत्येक मामले में पूरी संवीक्षा करने के पश्चात स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के तहत पैंशन मंजूर की जाती है। स्वतन्त्रता सैनानियों द्वारा भोगी गई यातनाएं और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्रों का राज्य सरकारों द्वारा सत्यापन किया जाता है। तथापि, केन्द्रीय पेंशन के लिए आवेदकों के पक्ष में गलत प्रमाण-पत्र जारी किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ऐसी शिकायतों की राज्य सरकारों और केन्द्रीय एजेंसी द्वारा जांच की जाती है और समुचित कार्रवाई की जाती है। चूंकि जांच राज्य सरकार के स्तर पर की जाती है, अतः इनमें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के अन्तर्ग्रस्त होने का प्रश्न नहीं उठता है। जहां तक ताम्रपत्र का संबंध है, यह राज्य सरकारों का काम है कि वे आवेदकों द्वारा भोगी गई यातनाओं का सत्यापन करने के बाद निर्धारित दिशा निर्देशों के अधीन स्वतंत्रता सैनानियों को ताम्रपत्र वितरित करें। यह आवश्यक नहीं है कि एक ताम्रपत्र प्राप्त-कर्ता केन्द्रीय राजस्व से भी पेंशन प्राप्त करें।

भुज हवाई अड्डे के लिए स्वीकृत की गई धनराशि

3364. **श्रीमती ऊषा ठक्कर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुज हवाई अड्डे को अलग से एक असैनिक हवाई अड्डा बनाने के लिए कोई धनराशि आबंटित की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ; और

(ग) यह काम कब से शुरू हो जाने की सम्भावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भुज पर एक सिविल एन्क्लेव के निर्माण का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना में 10.00 लाख रुपए की एक नाममात्र व्यवस्था की गई है।

ऊटी में ओप्टो इलेक्ट्रोनिक उद्योग

[अनुवाद]

3365. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ऊटी में एक ओप्टो इलेक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से भी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

नजफगढ़, दिल्ली में विमान दुर्घटना के शिकार लोगों को मुआवजा

[हिन्दी]

3366. **श्री भरत सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 नवम्बर, 1988 को नजफगढ़ के निकट भारतीय वायु सेना के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से शिकार हुए लोगों को कुल कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ी तथा मृतकों के परिवारों एवं घायल व्यक्तियों को कितनी मुआवजा-राशि दी गई ;

(ख) यदि, कोई मुआवजा-राशि नहीं दी गई है, तो कब तक इसका भुगतान करने का विचार है ; और

(ग) क्या कोई जांच की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ग) दुर्घटना के तत्काल बाद बिठाई गई जांच अदालत ने, विमान-दुर्घटना के परिणामस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों के मकानों और घरेलू सामान को हुई क्षति का मूल्यांकन किया और स्थानीय सिविल प्राधिकारियों द्वारा उचित जांच करने के पश्चात् यह पाया गया कि 2,94,575.00 रुपए की क्षति हुई है । विमान-दुर्घटना में मारे गए चार व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम रिश्तेदार को 10,000.00 रुपए और गंभीर रूप से घायल हुए पांच व्यक्तियों को प्रत्येक को 2,000.00 रुपए के हिसाब से कुल 50,000.00 रुपए की राशि की तदर्थ अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है । उक्त दुर्घटना में मारे गए, घायल हुए और निजी सम्पत्ति को हुई क्षति के लिए मुआवजे की राशि के दावों को अंतिम रूप से निपटाने की कार्रवाई चल रही थी कि इस बीच प्रभावित तीन व्यक्तियों ने सम्पत्ति की क्षति के लिए मुआवजे की राशि के लिए अतिरिक्त दावे दायर कर दिए, इसलिए इन मामलों की जांच करने के लिए 16.3.1989 को एक अतिरिक्त जांच अदालत के आदेश दिए गए हैं । इस जांच अदालत की सिफारिशें उपलब्ध होने के बाद ही मुआवजे की राशि के दावों को अंतिम रूप से निपटाया जाएगा ।

हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विमानों का निर्यात

[अनुवाद]

3367. **श्री के० प्रधानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड की योजना अपने विमान निर्यात करने की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 के दौरान हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विमानों का निर्यात किया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रशिक्षण विमान एच. पी. टी.-32 और एच. टी. टी.-34 तथा हल्का यातायात विमान डोरनियर-228 के लिए कुछ मित्र देशों के साथ निर्यात के प्रस्तावों पर बातचीत कर रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में रक्षा भूमि पर स्थापित गन्दी बस्तियों को जन सुविधा

3368. **श्री मुरलीधर माने** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई में रक्षा भूमि पर, महत्वपूर्ण स्थानों को छोड़कर, स्थापित गन्दी बस्तियों को जन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बम्बई में स्थानीय कर्मचारियों ने उक्त गन्दी बस्तियों को जन सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु इस भूमि का और अधिक उपयोग किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (घ) रक्षा मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया है कि गीता नगर और बम्बई स्थित शान्ताकुज हवाई अड्डे के पश्चिमी क्षेत्र की जमीन, जिसकी आवश्यकता विशिष्ट रक्षा परियोजनाओं के लिए है, को छोड़कर शेष रक्षा भूमि में अनधिकृत रूप से रहने वाले गन्दी बस्तियों के व्यक्तियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जा रही नागरिक सुविधाओं के संबंध में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के सिविल कर्मचारियों को आवास सुविधा

[हिन्दी]

3369. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के सिविल कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिये कदम उठाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में कब तक ठोस कदम उठाये जायेंगे ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के सिविलियन कर्मचारियों को आवास प्रदान किया जाता है बशर्ते वे नियमों के अंतर्गत इसके लिए पात्र हों और ऐसे आवास उपलब्ध हों।

बिहार में पर्यटन केन्द्रों का विस्तार

3370. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में पर्यटन के विकास के लिये किन-किन पर्यटकों केन्द्रों और पर्यटन सर्किटों का चयन किया गया है ;

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान इन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है ; और

(ग) बिहार में पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन-प्रचार संबंधी सामग्री उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने बिहार सरकार के परामर्श से केन्द्र, राज्य सरकार एवं प्राइवेट सेक्टर के संयुक्त संसाधनों से पर्यटन आधार संरचना के विकास हेतु बिहार में निम्नलिखित तीन यात्रा परिपथों की पहचान की है :—

1. पाटलिपुत्र (पटना)-नालंदा-राजगीर-क्षीरबंध-गया-बोधगया-सासाराम-बक्सर-जगदीशपुर-मानेर-पाटिलपुत्र (पटना)।

2. पाटलिपुत्र (पटना-वैशाली-मुजफ्फरपुर-अरेराज-मोतिहारी-बारहरवा-बेतिया-लौरिया-नंदनगढ़-बाल्मीकनगर-रक्सौल-सीतामढ़ी-(जनकपुर)-मुजफ्फरपुर-पाटिलपुत्र (पटना)।

3. पटना-पावापुरी-तिलैया-बांध पारथनाथ हजारीबाग-रांची-बेतिया-नेतारहट-रांची।

(ख) विभाग वित्तीय प्रावधान न तो राज्यवार न ही स्थान वार करता है बल्कि स्कीमवार करता है।

(ग) विभाग पर्यटकों को प्रचार सामग्री अपने पर्यटक कार्यालय पटना के माध्यम से वितरित करता है। राज्य सरकारों को प्रचार सामग्री राज्य सरकारों के पर्यटक कार्यालयों के माध्यम से वितरण हेतु विशिष्ट अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाती है।

तट रक्षकों द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विदेशी मत्स्य नौकाएं जब्त करना

[अनुवाद]

3371. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और फरवरी, 1989 तक तट रक्षकों ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में विभिन्न देशों के अवैध शिकार करने वालों/चोरी-छिपे मछली पकड़ने वाले विदेशियों की कुछ मत्स्य नौकाओं को जब्त करके पुलिस के हवाले किया था, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी थी तथा अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले ये लोग किस-किस देश के हैं ;

(ख) क्या जब्त की गई नौकाओं को चालू हालत में रखा गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) पिछले तीन वर्षों (28.2.1989 तक) के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के आस-पास भारतीय समुद्री क्षेत्र में तटरक्षक संगठन ने 422 कर्मियों सहित मछली पकड़ने वाली 36 विदेशी नौकाओं को पकड़ा। इन कर्मियों की राष्ट्रीयता इस प्रकार है :

थाईलैण्ड	:	250
ताइवान	:	15
कोरिया	:	25
फिलीपीन	:	9
पनामा	:	11
बर्मा	:	114

(ख) और (ग) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य न्यायाधीश ने "हारबर मास्टर" को समुचित निर्देश जारी किए हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उक्त नौकाओं को परिचालन की स्थिति में रखा जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में रक्षा सरकारी उपक्रम का सहायक उद्योग कार्यक्रम

[हिन्दी]

3372. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मध्य प्रदेश में रक्षा उत्पादन से संबंधित सरकारी उपक्रमों द्वारा सहायक उद्योग कार्यक्रम कार्यान्वित करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र का कोई रक्षा उपक्रम या एकक स्थित नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में सरकारी उपक्रमों द्वारा सहायक उद्योग कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विकलांगों का आर्थिक पुनर्वास

[अनुवाद]

3373. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांगों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो विकलांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ;

(ग) विकलांगों को रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न विभागों को क्या निर्देश दिए गए हैं ; और

(घ) देश में विकलांगों के लिए कितने पुनर्वास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोले गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

(ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह ग और घ पदों के आरक्षण के संबंध में रिक्तियों को पूरा करने के लिए मंत्रालयों और विभागों, केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को समय-समय पर अनुदेश जारी किये गए हैं। श्रम मंत्रालय भी विकलांग व्यक्तियों के विशेष रोजगार कार्यालयों और व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों को अनुदेश जारी किये हैं कि विशेष रोजगार कार्यालय तथा व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र प्रति मास 50 विकलांगों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य निश्चित करें।

विवरण

विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, फिर भी, अपने समन्वय और गतिमान भूमिका में केन्द्र, विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु बनाए गए कार्यक्रमों में राज्य सरकारों और स्वयंसेवी संगठनों को सहायता करता रहा है। विकलांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित योजनाएं और कार्यक्रम हैं :—

1. राष्ट्रीय संस्थान :

देश में दृष्टिबाधितार्थ, वाणी और श्रवण विकलांगता, अस्थि विकलांगता और मानसिक विकलांगता के क्षेत्र में संबंधित विकलांगता के क्षेत्रों में शीर्ष स्तर पर चार राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान देहरादून, और राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई, नेत्रहीनों और बधिरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान,

देहरादून, नेत्रहीन पुरुषों और महिलाओं को हल्की इंजीनियरिंग, कुर्सी, बुनने, बेंत लिखने, ब्रेल शार्टहैंड, टाइपराइटिंग हथकरघा बुनाई, चाक और धुलाई का पाउडर बनाने आदि का प्रशिक्षण देता है। वयस्क बधिरों के लिए प्रशिक्षण, हैदराबाद, शीट मेटल वर्क्स, फिटिंग, वायरमैनशिप, वेल्डिंग, बढ़ईगिरि, कटिंग और टेलरिंग, टर्निंग, नलसाजी और फोटोग्राफी में व्यावसायिक प्रशिक्षण देता है।

1. रोजगार :

1. आरक्षण : केन्द्रीय सरकार में समूह "ग" और "घ" पदों में 3% और केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में समान पदों में रिक्तियां विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं-नेत्रहीनों, बधिरों और अस्थि विकलांगों प्रत्येक के लिए 1%—।

2. विकलांगों के लिए विशेष रोजगार केन्द्र: केवल विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार में सहायता करने के लिए 22 विशेष रोजगार कार्यालय और सामान्य रोजगार क्षेत्रों में 42 विशेष सैलों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार कार्यालय भी विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त रोजगार का पता लगाने में सहायता करते हैं।

3. व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र : देश में 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है। व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों द्वारा की जाने वाली सेवाओं में चिकित्सा मूल्यांकन, व्यावसायिक मूल्यांकन, कुशल विकास और रोजगार शामिल हैं।

3. जिला पुनर्वास केन्द्र :

जिला पुनर्वास केन्द्रों की योजना प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई थी। इन केन्द्रों के माध्यम से अवसंरचना को उचित प्रकार से अनुसंधापन करते हुए और सुदृढ़ बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग जनसंख्या को व्यापक और समन्वय सेवाएं प्रदान करने के प्रयास किये जाते हैं ताकि जहां तक सम्भव हो न्यूनतम लागत पर कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हो सकें। अब तक, देश में 10 जिला पुनर्वास केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

4. विकलांगों के लिए संगठनों को सहायता योजना :

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्यरत संगठनों को सहायक अनुदान दिया जाता है। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को 90% वित्तीय सहायता दी जाती है जो विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार और पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 85 स्वयंसेवी संगठन विकलांग व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

5. विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियां :

भारत सरकार की विकलांग छात्रों, जिसमें नेत्रहीन शामिल हैं, को कक्षा नौवीं से आगे शिक्षाजारी रखने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की एक योजना है। विकलांगों को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण, पत्राचार पाठ्यक्रम अध्ययन और सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए भी छात्र-वृत्तियां दी जाती हैं।

6. स्व-रोजगार :

(क) बिक्री स्टाल, खोके और छोटी दुकानों का आवंटन ।

(ख) सामान्य ब्याज की दर योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण ।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आवंटन ।

(घ) पैट्रोल पम्पों, मिट्टी के तेल के डिगों आदि के वितरण मे आरक्षण ।

(ङ) "शिक्षित युवाओं का रोजगार" की योजना के अन्तर्गत 35,000/- रुपये तक ऋण उपलब्धता ।

केन्द्रीय सरकार की उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त विकलांगों के कल्याण के लिए विभिन्न राज्य सरकारें अपनी योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं ।

कोवालम, केरल में कनवेन्शन सेन्टर

3374. **प्रो० के०वी० थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोवालम, केरल में एक कनवेन्शन सेन्टर को मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्रालय ने कोवलम अशोक बीच रिसार्ट पर 500 सीटिंग क्षमता वाला एक कनवेन्शन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है । भारत पर्यटन विकास निगम ने परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन को अन्तिम रूप दे दिया है तथा टेंडर आमन्त्रित किए हैं ।

बूदल-माहोर गूल रोड का निर्माण

3375. **श्री मोहम्मद अयूब खां** (ऊधमपुर) : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बूदल-माहोर गूल रोड का निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा, सैम्फार्क मार्फत 56 सेना डाक घर के माध्यम से किया गया है ;

(ख) सड़क की कुल लम्बाई कितनी है और इस पर अब तक कितना खर्चा हुआ है ;

(ग) क्या सड़क अभी तक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है और अब तक कोई छोटा अथवा बड़ा पुल नहीं बनाया गया है ;

(घ) इस सड़क को सभी दृष्टिकोणों से पूरा करने के लिए लगभग कितनी धनराशि की आवश्यकता है ;

(ङ) क्या सीमा सड़क संगठन का विचार इस सड़क के सैनिक और विकासीय महत्व के बावजूद इसका निर्माण कार्य बन्द करने का है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सड़क लगभग 121 किलोमीटर है । इस पर 31.3.88 तक 830,00 लाख रुपए खर्च हुए ।

(ग) जी, हां ।

(घ) लगभग 385.00 लाख रुपए ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि

3376. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की प्रतिशतता के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ख) इन राज्यों में रोजगार अवसरों की वृद्धि में यदि कोई अन्तर है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि सरकार का इस क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु कोई कदम उठाने का विचार है तो वे कदम क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में पिछले 2 वर्ष के दौरान संगठित क्षेत्रक में रोजगार (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम, श्रम मंत्रालय पर आधारित) में संवृद्धि दर को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कुल मिलाकर यह देखा जा सकता है कि पश्चिमी क्षेत्र की अपेक्षा पूर्वी क्षेत्र में रोजगार की संवृद्धि दर थोड़ी सी कम है । तथापि, संलग्नक की टिप्पणी में दिया गया आंकड़े की सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

(ग) उत्तरोत्तर योजनाओं का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना है । विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय असमानताओं में पुन: कटौती करने के लिए उपयुक्त कार्यनीति के प्रश्न की आठवीं योजना के निर्माण के संदर्भ में फिलहाल जांच की जा रही है ।

विवरण

पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के राज्यों में संगठित क्षेत्रक में रोजगार (रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम पर आधारित) संवृद्धि दर

राज्य/क्षेत्र	रोजगार में प्रतिशत संवृद्धि	
	1986-87	1987-88*
1. बिहार	—2.6	+ 4.3
2. उड़ीसा	+3.9	— 0.6
3. पश्चिम बंगाल	—1.2	+ 0.1
पूर्वी क्षेत्र	—0.9	+ 1.4
1. गुजरात	+ 1.3	+ 0.8
2. महाराष्ट्र	+0.9	+ 0.6
3. गोवा	+0.7	— 0.2
पश्चिमी क्षेत्र	+1.1	+ 0.6

* 1988 आंकड़े अनंतिम हैं।

टिप्पणी : सार्वजनिक क्षेत्रक में सभी उद्यम और गैर कृषि निजी क्षेत्रक के ऐसे उद्यम जिनमें 10 या अधिक कामगार काम करते हैं, संगठित क्षेत्रक में शामिल हैं। रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे उद्यम जिनमें 25 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, से सूचना सांविधिक आधार पर एकत्रित की गई है। ऐसे उद्यम जहां 10-24 व्यक्ति कार्यरत हैं (ग्रेटर बम्बई और कलकत्ता के मैट्रोपोलिटन क्षेत्रों के अलावा) यह स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित की गई हैं।

2. रोजगार विपणन सूचना कार्यक्रम (ई०एस०आई०) का सिक्किम तथा दादरा और नागर हवेली तक विस्तार नहीं किया गया है।

3. उद्यमों के उत्तरदायी कवरेज की दरों में अंतराल वर्षानुवर्ष परिवर्तनों के कारण भी हो सकते हैं।

स्रोत : श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)।

भारत में शरणार्थियों पर व्यय

3377. श्री सनत कुमार मंडल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान श्रीलंका, बर्मा, बंगलादेश और तिब्बत से आये शरणार्थियों पर अनुमानतः कितना व्यय किया गया है तथा कितना व्यय होने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : चालू वर्ष के दौरान शरणार्थियों पर किये गये अनुमानित व्यय और किए जाने वाला संभावित व्यय इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

श्री लंका	बर्मा	बंगलादेश से आये आदिवासी चकमा शरणार्थी	तिब्बती
77.59 (खर्च किया गया)	2.50 (खर्च किए जाने वाला संभावित व्यय)	463.00 (इसमें पहले खर्च किए गए 452.00 लाख रु० शामिल हैं)	9.87 (खर्च किए जाने वाला संभावित व्यय)

अगला संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए. एस. एल. वी.) छोड़ना

3378. **श्री कांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक और संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए. एस. एल. वी.) छोड़ने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक छोड़ा जाएगा ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां ।

(ख) ए. एस. एल. वी. की अगली उड़ान की वास्तविक प्रमोचक की तारीख, ए. एस. एल. वी.-डी. 2 की असफलता के कारणों का पता लगाने के लिए गठित विशेषज्ञ पुनरीक्षण पैनल (ई. आर. पी.) के जांच-परिणामों तथा इन निष्कर्षों के प्रकाश में किए जाने वाले संशोधी उपायों अथवा संशोधनों की मात्रा पर निर्भर करती है ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए राज्यों में नियुक्त अधिकारी

3380. **श्री एन० डेनिस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन. सी. सी.) के लिए रक्षा सेवाओं के कुल कितने अधिकारी नियुक्त किए गए ; और

(ख) उन्हें किन-किन रैंकों पर नियुक्त किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) :

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अफसरों की संख्या							
	ले. जनल	मेजर जनरल/समकक्ष	ब्रिगेडियर/समकक्ष	कर्नल/समकक्ष	ले. कर्नल/समकक्ष	मेजर समकक्ष	कैप्टन/समकक्ष	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आंध्र प्रदेश	—	—	1	7	45	31	1	85
बिहार	—	—	1	5	27	27	—	60
संघ शासित प्रदेश दिल्ली	—	—	1	3	16	13	—	33
गुजरात	—	—	1	5	19	12	—	37
जम्मू और कश्मीर	—	—	1	2	7	6	—	16
केरल	—	—	1	5	27	24	2	59
कर्नाटक	—	—	1	7	35	24	—	67
गोवा	—	—	—	1	9	4	—	14
मध्य प्रदेश	—	—	2	7	41	38	2	90
महाराष्ट्र	—	—	2	9	51	37	11	110

असम	—	—	1	7	21	19	1	49
मिजोरम	—	—	—	—	—	1	—	1
नागालैण्ड	—	—	—	1	4	4	1	10
मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
त्रिपुरा	—	—	—	—	1	1	—	2
मेघालय	—	—	—	1	3	2	—	6
उड़ीसा	—	—	1	4	14	18	1	38
पंजाब	—	—	1	5	27	17	—	50
संघ शासित प्रदेश								
चंडीगढ़	—	—	—	1	4	1	—	6
हरियाणा	—	—	—	2	17	3	—	22
हिमाचल प्रदेश	—		—	1	4	8	—	13
राजस्थान	—	—	1	5	22	22	1	51
तमिलनाडु	—	—	1	6	31	28	—	66
संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	—	—	—	1	2	1	—	4
संघ शासित प्रदेश अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह		—	—	—	1	1	—	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	...	—	1	15	109	57	1	183
पश्चिम बंगाल	...	—	1	6	46	36	—	91
सिक्किम	...	—	—	—	—	1	—	1
नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कैडेट कोर महा-निदेशालय का मुख्यालय	1	2	3	—	14	7	—	27
						योग :		1193

टिप्पणी : रक्षा सेनाओं के अफसरों को उनके लिए मंजूर पदों पर निश्चित कार्यकाल के आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर में नियुक्त किया जाता है न कि प्रतिनियुक्ति के आधार पर ।

नेशनल कैडेट कोर विंग में प्रतिनियुक्ति रक्षा कर्मचारी

3381. श्री एन० डेनिस : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल कैडेट कोर के विंग में काफी संख्या में रक्षा कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है ;

(ख) उन्हें किस आधार पर नेशनल कैडेट कोर में प्रतिनियुक्त किया जाता है ; और

(ग) क्या नेशनल कैडेट कोर के अधिकारियों को पारस्परिक आधार पर रक्षा सेवाओं में लिया जाता है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) रक्षा कार्मिक, प्रशासन और प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर में स्वीकृत पदों पर निश्चित कार्यकाल (टेन्योर) के आधार पर तैनात किए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

तमिलनाडु में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

3382. श्री एन. डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में सीधे भर्ती किए गए कुल कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उक्त राज्य में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिए नामित किए गए अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती, सीधी भर्ती तथा राज्य सेवाओं से पदोन्नति द्वारा की जाती है। इस समय, तमिलनाडु में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के सीधी भर्ती के कुल अधिकारियों की संख्या क्रमश: 185 तथा 76 है। तमिलनाडु संवर्ग में राज्य सेवाओं से भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत अधिकारियों की संख्या क्रमश: 70 तथा 30 है।

केरल में पर्यटन विकास के लिए प्रस्ताव

3383. श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन :

प्रो. के. वी. थामस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 में पर्यटन के विकास के लिए विचाराधीन मुख्य प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान केरल में पर्यटन का विकास करने संबंधी कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय पर्यटन विभाग आबंटन राज्यवार नहीं करता अपितु स्कीमवार करता है। विभाग, पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटन आधार संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विशिष्ट

प्रस्तावों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है बशर्ते कि प्रस्ताव विभाग की अनुमोदित प्लान स्कीमों की परिधि में आते हों।

(ख) 1989-90 के दौरान विभाग को केरल सरकार से केन्द्रीय वित्तीय सहायता हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

1. टीपू दुर्ग की प्रकाश पुंज व्यवस्था
2. कप्पड़ (जिला कोझीकोडे) में प्रकाश पुंज और ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन की व्यवस्था।
3. शंखमुखम समुद्रतट, पूनमुडी पर कैफेटेरिया का निर्माण।
4. अस्टमुडी झील, वेम्बनाद, पराम्बिकुलम, पेप्परा, कुमारकोम, थेक्कड़ी एवं पेरूवनमुझी हेतु नौकाओं की खरीद।
5. पेरूनमुझी, कोझीकोडे में पर्यटक आवास एवं सुख-सुविधाओं की व्यवस्था।
6. कुमारकोम पर्यटक परिसर फेज—I एव II

पंजाब से उत्प्रवास

3384. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कितने उत्प्रवासी परिवार अन्य राज्यों में जाकर बसे है ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उत्प्रवास को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) और (ख) पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि 28 फरवरी, 1989 तक 9734 परिवार पंजाब से अन्य राज्यों में चले गए हैं। जो आप्रवासी परिवार राज्य में वापस आ गए हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं दी गयी हैं :—

(i) 5000 रु. प्रति परिवार की दर से परिवहन भत्ता।

(ii) प्रति परिवार को 5000 रु. अनुग्रह अनुदान।

(iii) निम्न आय श्रेणी के मकान का आवंटन या उसके बदले में 250 रु. प्रति माह की दर से किराया भत्ता और (IV) बिना जमानत या मार्जिन राशि के 25000 रु. तक का बैंक ऋण, जिसमें से ऋण राशि का 20% आर्थिक सहायता के रूप में होगा बशर्ते कि यह राशि 5000 रु. से अधिक न हो।

(ग) पंजाब से लोगों के आप्रवासन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में पुलिस प्रबंधों को सुदृढ़ करना और आतंकवाद को नियंत्रित करना और राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करना, आदि उपाय सम्मिलित हैं। इसके परिणामस्वरूप 28 फरवरी, 1989 तक इस प्रकार के एक हजार परिवार राज्य में वापस आ गए हैं।

वियना में पर्यटन कार्यालय

3385. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियना में भारत सरकार का पर्यटन कार्यालय प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा था ;

(ख) यदि हां, तो इसे अचानक ही क्यों बन्द कर दिया गया ; और

(ग) क्या सरकार वियना में पर्यटन कार्यालय को पुन: खोलने पर विचार कर रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा वियाना में पर्यटक कार्यालय को बन्द करने का निर्णय लिया गया था क्योंकि वियाना से पर्यटक यातायात में कोई ठोस वृद्धि नहीं हो रही थी।

(ग) जी, नहीं।

हिप्पियों की गतिविधियां

3386. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हिप्पियों की संख्या मे वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या ये हिप्पी लोग नशीले पदार्थों के व्यापार में लगे हैं तथा देश के सुदूर भागों में वस्त्रविहीन निवासियों की कालोनियां चला रहे हैं ;

(ग) किन-किन स्थानों पर हिप्पियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) क्या सरकार का हिप्पियों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) "हिप्पी" शब्द की निश्चित परिभाषा के अभाव में ऐसे व्यक्तियों को एक श्रेणी के रूप में अन्य पर्यटकों से अलग करना कठिन है। अत: ऐसे विदेशियों के आने के बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह कहना भी सम्भव नहीं है कि ऐसे व्यक्ति देश में नशीले पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं, नग्नवादी कालोनियां संचालित कर रहे हैं अथवा ऐसे स्थानों को विनिर्दिष्ट करना भी सम्भव नहीं है, जहां हिप्पियों की संख्या में वृद्धि हो रही है ;

(घ) ऐसे विदेशियों के जिनके द्वारा मादक वस्तुओं के सेवन किए जाने, अभद्र व्यवहार अवारागर्दी करने, भीख मांगने आदि के कारण सामाजिक बुराई होने की सम्भावना हो, भारत में प्रवेश को सीमित करने के उद्देश्य से विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों को उपयुक्त अनुदेश दिए गए हैं कि वे ऐसे व्यक्तियों को पर्यटक वीसा देने में विशेष रूप से सावधानी बरतें। राज्य सरकारों को भी उपयुक्त रूप से सलाह दी गई है कि वे ऐसे विदेशियों की गतिविधियों पर सावधानी पूर्वक नजर रखें और कानून का उल्लंघन करने पर तुरन्त दण्डात्मक कार्रवाई करें।

पर्यटकों से प्राप्त शिकायतें

3387. **डा० जी. विजय रामा राव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यटकों से भिखारियों द्वारा तंग किये जाने, अधिक किराया लेने और होटल कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में पर्यटकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) जब कभी सरकार को कोई शिकायत प्राप्त होती है संबंधित राज्य सरकारों एवं अन्य एजेन्सियों के सहयोग से उचित उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। टैक्सी चालकों की ठगी से बचने के लिए भारत के सभी चार प्रमुख हवाईपत्तनों पर पूर्वभुगतान टैक्सी सेवाओं की प्रणाली चालू की गयी है।

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

3388. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांगों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे 71,000 व्यक्तियों 175 स्वयंसेवी संगठनों को वर्ष 1987-88 के दौरान 936.78 लाख रुपए की सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन स्वयंसेवी संगठनों के राज्यवार नाम क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1988-89 के दौरान कितनी सहायता दी गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) 1987-88 में 320 संगठनों तथा कल्याण मंत्रालय की विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की योजना के माध्यम से कल्याण मंत्रालय से अनुदान प्राप्त करके लगभग 97,500 विकलांगों को लाभ पहुंचा। इन शीर्षों के अन्तर्गत दिया गया कुल अनुदान 937.46 लाख था। संगठनों का राज्य-वार ब्यौरा तथा अनुदान विवरण-1 और विवरण-2 दिए गए हैं :—

(ग) 1988-89 में दी जाने वाली प्रस्तावित धनराशियां निम्न प्रकार हैं :—

	योजनाएं	(रुपए लाखों में)
1.	"विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता" की योजना	450.30
2.	विकलांगों के लिए छात्रवृत्तियों की योजना	305.00
3.	सहायक यन्त्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए विकलांगों को सहायता	520.00

विवरण-I

स्वयंसेवी संगठनों की सूची

क्रम सं.	संगठन का नाम और पता
	1. आंध्र प्रदेश
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, हैदराबाद
2.	आंध्र प्रदेश नेत्रहीन संघ, हैदराबाद
3.	पार्मेन कैंप केन्द्र, सिकन्दराबाद
4.	देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल, हैदराबाद
5.	आंध्र प्रदेश महिला सभा न्यास, हैदराबाद
6.	रोयल सीमा सेवा समिति, 329, नेताजी रोड, तिरूपति
7.	आंध्र प्रदेश विकलांग व्यक्तियों के कल्याण कोआपरेटिव, हैदराबाद
8.	पी. एल. एफ. सी. ओसमानिया जनरल अस्पताल, हैदराबाद
9.	पी. एल. एफ. सी., किंग जार्ज अस्पताल, विशाखापतनम
10.	स्वास्थ्य सहायता संस्थान, रामवरम्
	2. असम :
11.	सुप्रीति नर्सिंग होम, कछार
12.	पी. एल. एफ. सी., गुहाटी चिकित्सा कालेज गुवाहटी
	3. बिहार :
13.	प्राकृतिक आरोग्याश्रम, राजगिरी, नालंदा
14.	संथाल पहाड़िया सेवा मण्डल, बैदनाथ, दियोघर
15.	मंदबुद्धि तथा मनोवैज्ञानिक पीड़ितों के लिए गृह पटना
16.	भारतीय रेडक्रास सोसायटी, पटना
17.	सचिव, बिहार पुनर्वास तथा कल्याण संस्थान, पटना
18.	एम/एस. लायन्स लिम्ब फिटिंग सेंटर, जमशेदपुर
19.	एम/एस. आरथोको आपूर्ति, पटना
20.	मैसर्स अस्थि विकलांग यंत्र, पटना
21.	मैसर्स आर्थाको. रांची
22.	मैसर्स बिहार पुनर्वास कल्याण संस्थान, पटना-20

4. गुजरात :

23. अंधजन विविधलक्षी तालीम केन्द्र, जामनगर
24. बधिरों के लिए के. एल. संस्थान, भावनगर
25. बी. एम. मानसिक स्वास्थ्य सस्थान, अहमदाबाद
26. रोटरी सेवा केन्द्र, आनन्द-388001
27. ब्लाइण्ड मैन एसोसिएशन, अहमदाबाद
28. मूक और बधिर स्कूल, सुरेन्द्र नगर ।
29. अंध कल्याण प्रकाश गृह न्यास, अहमदाबाद
30. चिकित्सा देखभाल केन्द्र न्यास, बरोड़ा ।
31. मंदबुद्धि के बच्चों के लिए विशेह स्कूल, पोरबन्दर
32. मूक और बधिर स्कूल, भोदासा
33. अंध कल्याण केन्द्र (अंध कल्याण केन्द्र), अहमदाबाद
34. जे. बी. उपाध्याय मूक और बधिर स्कूल, टालोदा
35. अंध सर्वोदय मण्डल, अहमदाबाद
36. अंग मानव मण्डल, अहमदाबाद
37. वी. वन. सोसायटी, बादोदारा
38. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, भावनगर
39. देखभाल चिकित्सा केन्द्र न्यास, बादोदारा
40. रोनी आरथोपेडिक्स, अहमदाबाद
41. पी. एल. एफ. सी. सेठ अदीलाल साराभाई जनरल अस्पताल, अहमदाबाद
42. मेसर्स नवचेतन, जामनगर

5. हरियाणा :

43. जिला रेडक्रास सोसायटी, अम्बाला
44. जिला रेडक्रास सोसायटी, रोहतक
45. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, चण्डीगढ़
46. मेसर्स बी. डी. इन्टरप्राइजेज, रोहतक

6. जम्मू और काश्मीर :

47. विकलांगों के लिए जम्मू रेडक्रास गृह, जम्मू
48. जम्मू और काश्मीर मरकाजी बाहबोर्डी खावातीन, श्रीनगर
49. रोटरी इनरव्हील मंदबुद्धि बच्चों का गृह, जम्मू

50. विकलांगों के लिए जम्मू रेडक्रास सोसायटी, जम्मू
51. क्षेत्रीय पुनर्वास संघ, करान खुद माब्बा कराल, श्रीनगर
52. पी. एल. एफ. सी. बारझाला, श्रीनगर

7. कर्नाटक :

53. कस्तूरबा मेडिकल कालेज हस्पताल, मनीपाल
54. अनाथ सेवाश्रम, मालूमर
55. शारीरिक विकलांगों के लिए संस्थान, बंगलौर
56. नेत्रहीनों के लिए श्री रमण महर्षि ऐकेडमी, बंगलौर
57. राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्था, बंगलौर
58. मानसिक विकलांगों के लिए संस्थान, बंगलौर
59. नवज्योति न्यास, बंगलौर
60. शारीरिक विकलांगों का कल्याण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, बीजापुर
61. कर्नाटक विकलांग संस्था, बंगलौर
62. नेत्रहीनों के लिए बेलगाम जिला संस्था, बेलगाम
63. मथस मंदाली, वानीविलास मोहल्ला, मैसूर
64. शरद महिला सेवा समाज, मैसूर
65. सरस्वती महिला समाज, मैसूर
66. डा० स्टीनिरस मंदबुद्धि बच्चों के लिए उपचार चिकित्सा संस्था, धारवाड़
67. विश्व धर्म महिला मथयू, माक्काला शिक्षा सेवा आश्रम समिति, धारवाड़
68. पी. एल. एफ. सी. बगलौर चिकित्सा कालेज, बंगलौर
69. बेलगाम आरथेटिक तथा प्रोस्थेटिक प्राइवेट लिमिटेड, बेलगाम
70. शारीरिक विकलांगों के लिए लायंस केन्द्र, मंगलौर
71. कर्नाटक कृत्रिम अंग, बंगलौर
72. कर्नाटक कृत्रिम अंग यूनिट सं. 1478/1,18 मेंस रोड, 40 क्रास, चौथा ब्लाक, जयनगर, बंगलौर

8. केरल :

73. विकलांगों के कल्याण के लिए संस्था, कालीकट
74. समाज कल्याण केन्द्र, त्रिचूर
75. केरल नेत्रहीन संघ, त्रिवेन्द्रम
76. बाल विकास सोसायटी, पीरोरकाड़ा

77. यंग वूमेन क्रिश्चियन संस्था, क्वीलोन
78. स्मृति सोसायटी, पालीकारोर, पोस्ट 686590
79. स्नेह भवन न्यास सोसायटी, इरीनजालकुदा
80. स्क्रैड कान्वेण्ट, जी. एच. स्कूल, त्रिचुर
81. विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रोटरी क्लब, त्रिवेन्द्रम
82. कालीकट इस्लामिक सांस्कृतिक सोसायटी, कालीकट
83. चेरूपुष्पम औद्योगिक संस्था, त्रिवेन्द्रम
84. मंदबुद्धि बच्चों के पुनर्वास के लिए सोसायटी, कन्नोर
85. विमल महिला समाजम्, इ. सी. सी. प्रांतीय गृह, भिवातापुझा
86. विकलांगों के कल्याण के लिए संस्था, कालीकट
87. कृतिका नायर स्मारक समिति, बम्बई
88. पी. एल. एफ. सी. चिकित्सा कालेज, कालीकट
89. मेसर्स डायनामिक मार्केटिंग सेवा, अलवायी
90. पी. एल. एफ. सी. चिकित्सा कालेज अस्पताल, त्रिवेन्द्रम
91. "वामवीस" आर्थोपेडिक्स सहायक यंत्र उत्पादक, त्रिवेन्द्रम
92. आरटोटि सहायक यंत्र, त्रिवेन्द्रम

9. मध्य प्रदेश :

93. नेत्रहीनों के लिए मध्य प्रदेश संस्था, इंदौर
94. नेत्रहीनों के लिए मध्य प्रदेश संस्था, देवास शाखा
95. संजीवनी सेवा संगम, इंदौर
96. नेत्रहीन कल्याण संघ, इंदौर
97. महेश दीक्षित बहिन कल्याण संघ, इंदौर
98. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, भोपाल
99. मध्य प्रदेश नेत्रहीन कल्याण संघ, इंदौर
100. कृत्रिम अंग केन्द्र, इंदौर
101. विकलांग कल्याण संघ, इंदौर
102. पी. एल. एफ. सी. चिकित्सा केन्द्र, भोपाल
103. मेसर्स धोलाकी आरथेपेडिक सहायक यंत्र, इंदौर
104. पी. एल. एफ. सी. चिकित्सा कालेज, जबलपुर
105. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, रीवा

106. मेसर्स पोद्दार जिला अस्पताल, बेतूल

107. द दीन कृत्रिम अंग केन्द्र, ग्वालियर

108. मेसर्स आर्यो देखभाल, दुर्ग

109. पी. एल. एफ. सी. चिकित्सा कालेज, इंदौर

10. मणिपुर :

110. मणिपुर भूतपूर्व मैनसलीग, इंफाल

111. मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, इंफाल

112. जनरल सेक्रेटरी, ग्रामीण विकास संगठन, मणिपुर

113. कापरहेंसिव पुनर्वास केन्द्र, इंफाल

11. महाराष्ट्र :

114. विधावतगा राहत समिति, नागपुर

115. राष्ट्रीय विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर सोसायटी, बम्बई

116. शारीरिक विकलांग के लिए फैलोशिप, बम्बई

117. भारतीय कैंसर सोसायटी, बम्बई

118. ग्रामीण समन्वयक परियोजना यूनिट, बिरार

119. टीरी दास होम, पुनर्वास केन्द्र, पुणे

120. शिक्षा प्रकाश मण्डली, एस. पी. कालेज कैम्पस, शोलापुर

121. एन. एम. वादिया न्याम अस्पताल, शोलापुर

122. स्पास्टिक सोसायटी, बम्बई

123. राष्ट्रीय विकलांग समान अवसर सोसायटी, चीमबूर, बम्बई

124. सामुदायिक सहायता तथा प्रायोजित कार्यक्रम, बम्बई

125. श्रवण विज्ञान तथा अनुसंधान शिक्षा केन्द्र, बम्बई

126 अस्तित्व, जिला-थाणे

127. जानकी बीड शिक्षा संस्थान दादरा, बम्बई

128. विशेष जरूरतमंद बच्चों का देखभाल प्रशिक्षण चिकित्सा के लिए सोसायटी, बम्बई

129. विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए सोसायटी, बम्बई

130. राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्था, बम्बई

131. श्री शांत धानुदास महाराज सस्था, वर्धा

132. मातृ सेवा संघ, नागपुर

133. भारत मूक विद्यालय सोसायटी, नागपुर

134. रोटरी कल्याण न्यास, जिला-कोल्हापुर

135. मंदबुद्धि के व्यवसायिक पुनर्वास के लिए सोसायटी, बम्बई

136. भारतीय कैंसर पुनर्वास सेवा सोसायटी, बम्बई

137. श्रीन्यास, जिला-थाणे

138. शूद्र मण्डल, पूना

139. किवालराम जी. चेनरी अस्पताल, उल्हासनगर

140. एन. एस. डी. औणेगिक नेत्रहीन संघ, बम्बई

141. अपंग मंत्री, थाणे (ईस्ट)

142. भोर शिक्षा सोसायटी (बधिरों के लिए आवासीय स्कूल) पुणे

143. पी. एल. एफ. सी. चिकित्सा कालेज अस्पताल, औरंगाबाद

144. ए. आई. आई. पी. एम. आर. बम्बई

145. मेसर्स इब्रू, छीनछीनवालेर, बम्बई

146. मेसर्स रूबी तथा कारपेरेटिव, बम्बई

147. पी. एल. एफ. सी. चिकित्सा कालेज, नागपुर

148. डा० संजय रबीरनेर शोलापुर सहकारी रबुनाक्या, शोलापुर

149. मेसर्स तहसीलदार सर्जिकल, थाणे

150. शारीरिक विकलांग फेलोशिप, बम्बई

12. उड़ीसा :

151. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, फूलबनी

152. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, भवानी, पटना

153. नेत्रहीन के लिए स्कूल, बेहरामपुर

154. उड़ीसा नेत्रहीन संस्था, भुवनेश्वर

155. विकलांग कल्याण संगठन, उड़ीसा

156. क्षेत्रीय मार्केटिंग केन्द्र, कृत्रिम अंग निर्माण निगम, भुवनेश्वर

157. कनक दुर्गा फिजियोथ्रेपी गृह, कटक

158. लार्ड जगन्नाथ आर्थोपेडिक सहायक यंत्र, भुवनेश्वर

13. पंजाब :

159. निवेदक प्रोस्थेटिक केन्द्र, जालंधर

160. चेरिटेबल मेमोरियल न्यास, जालंधर

161. विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना

162. दिल्ली पोलियो अस्पताल, भटिण्डा

163. मेसर्स युनाइटेड ट्रेडर्स, लुधियाना

163. क्रिश्चियन चिकित्सा कालेज तथा ब्राउन मेमोरियल अस्पताल, लुधियाना

165. न्यू लाइफ कृत्रिम अंग केन्द्र लुधियाना

14. राजस्थान :

166. भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर

167. जीवन निर्माण संस्थान, भरतपुर

168. राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, जयपुर

169. बधिर बाल कल्याण विकास भीलवाड़ा

170. बधिर बाल विकास केन्द्र, कोटा

171. विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर

172. भारतीय समाज कल्याण परिषद, जयपुर

173. मेसर्स अस्पताल तथा अस्पताल मार्फत शर्मा नर्सिंग होम, जयपुर

174. मेसर्स भगवान महावीर सहायता समिति, जोधपुर

175. आर. एल. सी. एम. एम. एम. चिकित्सा कालेज, जयपुर

176. मोहम्मद यायुन्स, चिकित्सा सहायता केन्द्र, जयपुर

177. संतोकबा पुरलाकाजी मेमोरियल अस्पताल तथा चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जयपुर

178. आरथेपेडिक सर्जिकल खण्डक क्लीनिक, जयपुर

179. मेसर्स शर्मा नर्सिंग गृह तथा मैदानिक क्लीनिक, जयपुर

180. मेसर्स महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर

181. मेसर्स भगवान महावीर विकलांग समिति, नयापौर

15. हिमाचल प्रदेश :

182. हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, शिमला

16. सिक्किम :

183. सिक्किम महिला परिषद, गंगटोक

17. तमिलनाडु :

184. वर्थ न्यास, वेल्लोर

185. पंजाब एसोसिएसन, मद्रास

186. तमिलनाडु विकलांग पुनर्वास संस्थान, एग्मोर

187. मंदबुद्धिग्रस्त मद्रास संस्थान, मद्रास

188. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, मद्रास

189. महिला स्वयंसेवी सेवा तमिलनाडु, एग्मोर, मद्रास

190. स्क्रेड हार्ट लेप्रोसी केन्द्र, थंजावूर

191. द इरोड आर्म सोसायटी न्यास, इरोड

192. अक्षय, मद्रास

193. विकलांगों के लिए लाइफ हेल्प केन्द्र, मद्रास

194. जर्मन कुष्ठ राहत संघ, पुनर्वास केन्द्र, मद्रास

195. क्लार्क स्कूल फार डीफ, मद्रास

196. विकलांग बच्चों की सहायता के लिए सोसायटी, कायंबतूर

197. आंध्र महिला सभा, ईश्वरी प्रसार दत्तात्रेय आरथोपेडिक केन्द्र, मद्रास

198. राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्था, मद्रास

199. सोसायटी फार इमक्लटिव, मद्रास

200. मंदबुद्धि के लिए बाल विहार केन्द्र, मद्रास

201. स्पास्टिक सोसायटी आफ तमिलनाडु, मद्रास

202. भारतीय बाल कल्याण परिषद, मद्रास

203. मंदबुद्धि के लिए अन्वागाम संस्थान, मदुराई

204. चेशावर होम इण्डिया, मदुराई

205. गिल्ड आफ सर्विस (केन्द्र) सेवा समाजम्, मद्रास

206. सोसायटी आफ दी सेक्रेड हार्ट कुष्ठ रोग केन्द्र, कम्बाकोनम

207. युवा बधिर बच्चों के लिए स्कूल, बाल विद्यालय, मद्रास

208. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, मद्रास

209. पाथवे, मंदबुद्धि व्यक्तियों की शिक्षा के लिए पुनर्वास हेतु केन्द्र, मद्रास

210. नेत्रहीनों के लिए हेलनकिलर शिक्षा सोसायटी

211. नेत्रहीनों के लिए सत्याज्योति स्कूल, मद्रास
212. सुधार विशेष शिक्षा सोसायटी, थानजावुर
213. नवं ज्योति ट्रस्ट, मद्रास
214. डोनर होम उर्फ वालाहरी अलायं, कम्बाकोनम
215. सामाजिक सेवा केन्द्र, मद्रास
216. नेत्रहीनों के लिए भारतीय संघ, मदुराई
217. महिला स्वयंसेवी सेवा, चेतपुट, मद्रास
218. मोहावा ओस्थेटिक केन्द्र, मद्रास
219. आर. एल. एफ. सी. मद्रास
220. नेवली कृर्णन अंग केन्द्र, नेवली
221. पी. एल. एफ. सी. पांडिचेरी
222. त्रिनलवेली मेडिकल कालिज तथा अस्पताल, त्रिनलवेली
223. क्रिश्चियन मेडिकल कालिज और अस्पताल, वेलूर
224. कृत्रिम अंग केन्द्र, सेलम
225. आंध्र ओर्थेटिक्स केन्द्र, मद्रास
226. विकलांगों के लिए लाइफ हैल्थ केन्द्र, मद्रास
227. इरविक ओर्थोट्रिक केन्द्र, पांडिचेरी
228. तमिलनाडु ओर्थोटिक और प्रोस्थेटिक केन्द्र, मद्रास
229. एलडर ओथेट्रिक केन्द्र, मद्रास
230. मीना ओथेट्रिक केन्द्र, नेयवेली
231. आर. आर. रायदीस, सेलम
232. प्रोस्थाटिक और ओर्थोटिस्ट, वी. इसरायर प्रोस्थेटिक और आर्थटिक क्लीनिक, मद्रास
233. जोवूलिगम फिजीकल मेडिसन और पुनर्वास केन्द्र कम्बूयर-641018
234. कम्बूयर राउंड टेबल, सं०-9, चेरिटेबल सोसायटी, कम्बूयर-641018

त्रिपुरा :

235. उत्तरी त्रिपुरा मूक और बधिर स्कूल, उत्तरी त्रिपुरा

उत्तर प्रदेश

236. मंगलम, लखनऊ

237. विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद

238. प्राग नारायण मूक बधिर विद्यालय, अलीगढ़

239. बाल कल्याण और अनुसंधान ब्यूरो, लखनऊ

240. सुर स्मारक मण्डल, आगरा

241. आर. ए. पी. एस. ए. ई. एल. रीडर चेशियर अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, देहरादून

242. नन्ही दुनिया बधिर विद्यालय, देहरादून

243. यू. पी. मूक और बधिर संस्थान, इलाहाबाद

244. मूक और बधिर स्कूल लखनऊ

245. रोटरी प्रायोजि करिषल और युवक कल्याण समिति, चेतना स्कूल, लखनऊ

246. मंदबुद्धि बच्चों के लिए चेतना स्कूल, लखनऊ

247. बधिर और मूक स्कूल, मेरठ

248. अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या

249. गूंगे बहरों का विद्यालय, कानपुर

250. बधिरों के लिए प्रशिक्षण कालिज, लखनऊ

251. नेताजी सुभाष शिक्षा मन्दिर, रामपुर

252. हनुमान प्रसाद पोद्दार (नेत्रहीन) अंध विद्यालय, वाराणसी

253. श्री वृन्दावन अंध महाविद्यालय, वृंदावन

254. शहीद मेमोरियल समिति, लखनऊ

255. नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय संघ, अलीगढ़

256. कानपुर प्रोस्थेटिक और ओस्थेटिक केन्द्र, कानपुर

257. श्री विकलांग केन्द्र, कानपुर

258. आर. ए. एल. सी. लखनऊ

259. कृत्रिम अंग केन्द्र, मेरठ

260. हिन्द सर्जीकल वाराणसी

261. मेहता पुनर्वास, केन्द्र

262. सर्जीकल इलर्ट्रानिक्स, गाजियाबाद

263. विकलांग मंगलम, आगरा-282002

पश्चिम बंगाल

264. विकास भारतीय कल्याण समिति, कलकत्ता

265. पश्चिम बंगाल स्पास्टिक समिति, कलकत्ता

266. मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए प्रभारतक संस्थान, चंदननगर, जिला हुगली

267. प्रतिबंधी, बधिर और मूक बच्चों की शिक्षा के लिए कल्याण केन्द्र, हुगली

268. मुखर्जी मूक बधिर विद्यालय, बरदवान

269. पूर्वी भारत स्पास्टिक सोसायटी, कलकत्ता

270. रामाकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर

271. अल्वेन्दु बोध निकेतन, कलकत्ता

272. विकलांग सुधाराम शिक्षा मल्याङ्कन परामर्श समिति, कलकत्ता

273. अभिनव भारती (मनोविकास केन्द्र) कलकत्ता

274. आनन्द भवन, जगतपुर, हावड़ा

275. वाणी और श्रवण संस्थान और अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता

276. उत्तरीय, 24 परगना, विकलांग संघ, जेसौर रोड, पश्चिम बंगाल

277. भारत स्काउट और गाईड, कलकत्ता

278. हिंद कुष्ठ निवोरण संघ, कलकत्ता

279. मार्डन अस्थि सहायक यंत्र, कलकत्ता

280. आर. के. एल. पी. सी. कलकत्ता

281. मेडी केयर, सिलीगुड़ी

282. पुरूलियां का लाइन्स कल्ब, पुरूलियां

गोवा, दमन और दीव :

283. जन शिकायत संस्थान, गोवा

284. केरीटस पेक्टो पेट्रीकल एल टीनहो, पानाजी

285. पीपल्स एजुकेशनल ट्रस्ट, पानाजी, गोवा

286. पी. एल. एफ. सी. पानाजी, गोवा .

चण्डीगढ़ :

287. भारतीय रेडक्रास सोसायटी, चंडीगढ़

288. नेत्रहीन की देखभाल के लिए समिति, चंडीगढ़

289. बधिर और मूक के लिए चंडीगढ़ शैक्षिक समिति, चंडीगढ़

290. भारतीय बाल कल्याण परिषद, चंडीगढ़

दिल्ली :

291. मंद बुद्धि व्यक्तियों के कल्याण के लिए संघ, नई दिल्ली

292. नेत्रहीनों के लिए राष्ट्रीय संघ, नई दिल्ली

293. अखिल भारतीय बधिर संघ, नई दिल्ली

294. नेत्रहीनों के लिए अखिल भारतीय संघ

295. बलवन्त राय मेहता विद्या भवन, नई दिल्ली

296. उत्तर भारत स्पास्टिक समिति, हौजखास, नई दिल्ली

297. जनता आदर्श विद्यालय, नई दिल्ली

298. नेत्रहीन राहत संघ, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली

299. मानसिक स्वास्थ्य के लिए संजीवनी समिति, नई दिल्ली

300. मंद बुद्धि बच्चों के कल्याण के लिए दिल्ली सोसायटी, ओखला मार्ग, नई दिल्ली

301. बहुमुखी विकलांग विकास के लिए संघ, नई दिल्ली

302. महिला मंगल, 4, सिंधिया हाऊस, नई दिल्ली

303. अमर ज्योति चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली

304. समाधान, साऊथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली

305. "तमन्ना" 183, सुनीरका इनकलेव, नई दिल्ली

306. श्रवण विकलांगों के लिए भारतीय सोसायटी, शाहदरा, दिल्ली

307. मंगलम, ए-7, स्वास्थ्य विकास, विकास मार्ग, दिल्ली

308. विकलांगों के उन्नयन और पुनर्वास संघ, मोती बाग, नई दिल्ली

309. ललित कला, संस्कृति और शिल्प प्रथा संस्थान, पहाड़गंज, नई दिल्ली

310. भारत पुनर्वास समन्वय, नई दिल्ली

311. आर्मी वाईव्ज कल्याण संघ, नई दिल्ली

312. अखिल भारतीय बधिर संघ, आश्रम मार्ग, नई दिल्ली

313. लेरिंगक्टम क्लब आफ इंडिया, नजदीक हरि नगर, घंटाघर, नई दिल्ली

314. जय प्रोस्थेटिक और ओर्थोटिक क्लीनिक, 139, चूतल, सत्य निकेतन, नई दिल्ली

315. कृत्रिम अंग फिटिंग केन्द्र, करोलबाग, नई दिल्ली

316. श्री लक्ष्मण प्रसाद एंड संस, दरियागंज, नई दिल्ली

317. निम्बल आर्थेटिक और प्रोस्थेटिक सहायक यंत्र, मालवीय नगर, नई दिल्ली

318. एस० एस० पुनर्वास सप्लाई, गांव और पो० आ० विजवासन, नई दिल्ली

319. सत्य कृत्रिम अंग, 136, पंचकुईया रोड, नई दिल्ली

320. विकलांग सहायता केन्द्र, शक्करपुर, दिल्ली

विवरण-2

इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1987-88 के दौरान दी गई धनराशि (I) विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति (II) सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना तथा (III) विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता योजना

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति	सहायक यंत्रों/उपकरणों को खरीदने/लगाने के लिए विकलांगों को सहायता योजना	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता योजना
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	35.43	0.50	16.13
2.	असम	5.00	—	7.10
3.	बिहार	8.00	12.00	7.10
4.	गुजरात	36.00	14.11	25.86
5.	हरियाणा	7.69	3.00	1.38
6.	हिमाचल प्रदेश	.62	—	7.10
7.	जम्मू और काश्मीर	2.69	—	4.21
8.	कर्नाटक	.30	14.76	35.70

9.	केरल	13.00	0.40	16.75
10.	मध्य प्रदेश	10.00	4.30	4.93
11.	महाराष्ट्र	46.00	10.10	46.79
12.	मणिपुर	—	1.75	4.22
13.	मेघालय	.02	—	—
14.	नागालैंड	.41	—	—
15.	उड़ीसा	4.89	28.90	4.64
16.	पंजाब	1.25	16.00	2.24
17.	राजस्थान	29.83	25.00	4.84
18.	सिक्किम	—	—	—
19.	तमिलनाडु	27.16	13.07	22.86
20.	त्रिपुरा	.87	—	0.76
21.	उत्तर प्रदेश	30.00	126.25	44.51
22.	पश्चिम बंगाल	3.00	9.70	47.82
23.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—
24.	गोवा	0.60	—	0.11
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.14	—	—
26.	चंडीगढ़	0.27,560	0.10	1.29

1	2	3	4	5
27.	दादर और नागर हवेली	—	—	—
28.	दमन और दीव	—	—	—
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—
31.	पांडिचेरी	·95	—	—
32.	दिल्ली	30.36	21.90	41.74
		294.50	301.98	340.98

कार्डलेस टेलीफोनों का निर्माण

3390. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कार्डलेस टेलीफोनों के निर्माण हेतु दक्षिण कोरिया के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कार्डलेस टेलीफोनों का वाणिज्यिक उत्पादन कब तक आरम्भ होगा और कार्डलेस टेलीफोन की प्रति उपकरण लागत कितनी होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) सरकार ने तार विहीन टेलीफोनों के विनिर्माण के लिए दक्षिण कोरिया के मेसर्स ह्यूनडाई के साथ विदेशी सहयोग करने के संबंध में मैसर्स बी. एम. जी. टेलीफोन्स लि०, जम्मू तथा कश्मीर के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

(ग) तार विहीन टेलीफोनों का उत्पादन वर्ष 1989-90 से शुरू होने की संभावना है। तार विहीन टेलीफोन के एक सेट की कीमत लगभग 2500 रु० होने की संभावना है।

पूना में पोलियो के नये टीके से संबंधित परियोजना की स्थापना

3391. **डा० वत्सा सामन्त** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुना में पोलियो के नए टीके से संबंधित परियोजना की स्थापना और विकास के बारे में विचार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की नियुक्ति कब की गई थी और समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या हाफकिन्स बायो-फार्माम्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने पोलियो के टीके तथा "स्कार्पियन एन्टवेनिन" हेतु स्वदेशी जानकारी का सफलतापूर्वक विकास किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन्) : (क) जी नहीं, पूना में नयी पोलियो वैक्सीन परियोजना स्थापित करने के लिये कोई उच्च स्तरीय समिति नियुक्त नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हाफकिन बायोफार्मास्यूटिक्लस कारपोरेशन लिमिटेड ने लाल बिकू के विरुद्ध एण्टी-वेनिन के निर्माण के लिए स्वदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर ली है। हाफकिन बायोफार्मास्यूटिक्लस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1990 तक ओरल पोलियो वैक्सीन की करीब 5 मिलियन खुराकों का स्वदेशी उत्पादन आरंभ कर पाने की संभावना है।

भारतीय आयोजना संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन

3392. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हुए भारतीय आयोजना संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में बड़ी मात्रा में घाटे की वित्त व्यवस्था को रोकने के लिए सहायता में कटौती करने के लिए कुछ सिफारिशें की थीं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य क्या सुझाव/सिफारिशें की गई ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 11 तथा 12 फरवरी, 1989 को भारतीय आयोजना अनुभव संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भाग लेने वालों ने अपने भाषणों के दौरान भारत में आयोजना से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों की ओर ध्यान संकेन्द्रित किया। सम्मेलन में न तो कोई सिफारिशें की गई और न ही घाटे की वित्तव्यवस्था सहित आयोजन के किसी विशिष्ट मुद्दे पर किसी मतैक्या पर पहुंची थी।

भारत में विदेशी कम्पनियों के 'साफ्टवेयर' यूनिट

3393. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विदेशी कम्पनी को 'साफ्टवेयर' का निर्माण करने के लिए भारत में अपने यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन यूनिटों के क्या नाम हैं और उन्होंने अपने यूनिट किन-किन स्थानों पर स्थापित किए हैं ;

(ग) उनके द्वारा किन-किन पुर्जों का निर्माण किए जाने का विचार है ; और

(घ) उनकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) विदेशी फर्मों की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विदेशी फर्मों के स्वामित्व वाली इकाइयों की सूची जिनमें अनिवासी भारतीयों द्वारा सर्वधित इकाइयां शामिल नहीं हैं

क्रम सं०	भारत में स्थापित इकाइयों के नाम	विदेशी फर्मों के नाम	विनिर्मित की जाने वाली वस्तु	टिप्पणी
1.	मैसर्स एसोशिएटेड सोफ्टवेयर कं. इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई (सीप्ज़)	एसोशिएटेड साफ्टवेयर कं., अम्मान, जोर्डन	I) सॉफ्टवेयर विकास II) प्रबंध परामर्श-सेवा	भारत में स्थापित ये इकाइयां पूर्णतः
2.	मैसर्स सोफ्टेक इन्फार्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली (सीप्ज़)	एस. ई. टेक्नालॉजीज इन्कारपोरेटिड, संयुक्त राज्य अमेरिका	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	विदेशी फर्मों के स्वामित्व की हैं,
3.	मैसर्स सिटीक्रॉप ओवरसीज सोफ्टवेयर लिमिटेड लम्बई (सीप्ज़)	सिटी बैंक ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट, कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	जो विनिर्मित उत्पादों की शत-प्रतिशत
4.	मैसर्स बान इन्फो सिस्टम (इण्डिया) प्रा० लिमिटेड, बम्बई (सीप्ज़)	बान इन्फो सिस्टम बी. वी. नीदरलैंड	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर का विकास	स्वयं खरीद/ विपणन की
5.	मैसर्स इंडेक्स कम्प्यूटिंग प्रा. लिमिटेड, बंगलौर (शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई) स्थापनास्थल: बंगलौर ।	ए. एन. जेड. इन्टरनेशनल प्रा. लिमिटेड, सिंगापुर	कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रणालियां	व्यवस्था करेंगी ।
6.	मैसर्स हिवलेट पैकार्ड (इंडिया) सोफ्टवेयर आपरेशन प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली (शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई) स्थापना स्थल : बंगलौर	हिवलेट पैकार्ड डेटावेयर होल्डिंग इन्कारपोरेटिड, संयुक्त राज्य अमेरिका	कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	

क्रम सं०	भारत में स्थापित इकाइयों के नाम	विदेशी फर्मों के नाम	विनिर्मित की जाने वाली वस्तु	टिप्पणी
7.	मैसर्स टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, बंगलौर	मैसर्स टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका	I) एकीकृत परिपथ युक्तियों का डिजाइन तैयार करने के लिए सोफ्टवेयर प्रोग्राम का विकास, ग्रेड उन्नयन तथा निर्यात II) निर्यात के उद्देश्य से एकीकृत परिपथ युक्तियों से युक्त सोफ्टवेयर आंकड़ा बैंक विकसित करने के लिए टी. आई. की डिजाइन पद्धति का इस्तेमाल ।	

कम्प्यूटरों का निर्यात

3394. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्प्यूटर उद्योग हार्डवेयर निर्यात-बाजार में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त कर सका है ;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान कम्प्यूटर उद्योग ने कितने मूल्य का निर्यात किया ;

(ग) क्या सरकार को मनफैक्चरर्स एसोसिएशन फार इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कम्प्यूटरों का बड़े पैमाने पर निर्यात करने हेतु इस उद्योग से संबंधित नीति में समुचित परिवर्तन करने और इस उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का कम्प्यूटर निर्यातकों को अलग से प्रोत्साहन देने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान 21.3 करोड़ रु. मूल्य की कम्प्यूटर प्रणालियों/ तथा उपान्त उपस्करों का निर्यात किया गया।

(ग) जी. हां।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर उद्योग पर लागू प्रोत्साहनों के समान ही कम्प्यूटर प्रणालियों उपान्त उपस्करों के निर्यात पर प्रोत्साहन उपलब्ध है।

हाल ही में शुल्क की प्रति अदायगी की प्रतिपूर्ति की कार्य विधि को सरल बनाया गया है। इलेक्ट्रानिकी वस्तुओं के निर्यात के लिए जारी किए जाने वाले क्षतिपूर्ति लाइसेंसों के मामले में आयात करने की हकदारी में संशोधन किया गया है। शत-प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयों तथा निर्यात संसाधन क्षेत्र की इकाइयों से होने वाले वास्तविक निर्यात को नकद क्षतिपूर्ति सहायता योजना के अन्तर्गत लाया गया है।

आयातित रक्षा उपकरणों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा

3395. **श्री के०पी० उन्नीकृष्णन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में आयात किए गए रक्षा उपकरणों और अन्य सामग्री पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ख) क्या रक्षा संबंधी आयात सहित रक्षा संबंधी आवश्यकताओं और खर्च पर निरन्तर निगरानी रखने और उनमें कटौती करने के लिए मंत्रालय तथा सेना के तीनों अंगों में कोई व्यवस्था है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

(ख) जी, हां।

महिलाओं के प्रति अपराध सम्बन्धी सैल की प्राप्त शिकायतें

3396. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी सैल के बारे में 4 मई, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 943 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के अन्तिम छह महीनों और वर्ष 1989 के पहले दो महीनों के दौरान महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस के विशेष सैल को प्रतिदिन प्राप्त हुई शिकायतों की औसत संख्या क्या है ; और

(ख) आज की तिथि से के अनुसार पिछले छह: महीनों से भी अधिक समय से जांच हेतु कुल कितने मामले लम्बित पड़े हैं और इनके विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1988 के अंतिम 6 महीनों के दौरान इस प्रकार की शिकायतों का प्रति दिन का औसत 15 था। चालू वर्ष के प्रथम दो महीने के दौरान प्रतिदिन का औसत 12 है।

(ख) शून्य।

स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन के लम्बित मामले

3397. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वतंत्रता सैनानी के बारे में 27 अप्रैल, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8555 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन के जांच के लिए लम्बित पड़े 1052 मामलों की सत्यापन रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो 28 फरवरी, 1989 तक, राज्यवार, कितने मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं और इनमें से हिमाचल प्रदेश के जिन मामलों की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं उनके जिलावार नाम क्या हैं ; और

(ग) इनके मामले में कब तक मंजूरी दे दी जायेगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) दिनांक 28-2-1989 तक 315 मामलों की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं। इनमें से 225 मामलों में पेंशन स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा शेष मामलों को अस्वीकार कर दिया गया है। 315 रिपोर्टों की राज्य-वार स्थिति निम्न प्रकार है :—

राज्य सरकार का नाम	प्राप्त हुई सत्यापन रिपोर्टों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	12
बिहार	229
केरल	3
मध्य प्रदेश	20
महाराष्ट्र	17
पश्चिम बंगाल	34

सेना अधिकारियों की सीमा सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में प्रति नियुक्ति

3398. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सशस्त्र सेनाओं से श्रेणी-एक के कितने अधिकारी सीमा सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर हैं और यह अधिकारी सीमा सुरक्षा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस में कब से प्रति नियुक्ति पर हैं ;

(ख) सेना अधिकारियों को इन अर्द्ध सैनिक बलों में प्रतिनियुक्ति पर रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि इन बलों में पर्याप्त योग्य अधिकारी उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या सरकार का इस प्रथा को समाप्त करने का विचार है, यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में सशस्त्र बलों का समूह "क" (श्रेणी-1) का कोई भी अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है। सीमा सुरक्षा बल में सेना के समूह "क" (श्रेणी-1) का एक अधिकारी और भारतीय वायुसेना के समूह "क" (श्रेणी-1) के 7 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर है। इन अधिकारियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) सीमा सुरक्षा बल की संचालन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक अनुदेशों तथा भर्ती नियमों के अनुसार सेना तथा भारतीय वायु सेना के समूह "क" अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल में लिया जाता है। फिलहाल सीमा सुरक्षा बल का कोई भी अधिकारी भर्ती नियमों के उपबंधों के अधीन उक्त पदों के लिए पात्र नहीं है। इसलिए सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सीमा सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर लेने की प्रथा को समाप्त करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार सीमा सुरक्षा बल में सशस्त्र बलों से प्रतिनियुक्ति पर आए श्रेणी-1 के अधिकारियों का विवरण

1. सुपरिन्टेंडिंग इंजिनियर के रूप म एक लैफ्टीनेंट कर्नल	31.8.88 से 28.2.89 तक
2. एअर विंग, सी. सु. ब. में नेविगेटर के रूप में एक स्क्वाड्न लीडर	21.4.86 से 20.4.89 तक
3. पायलट के रूप में एक स्क्वाड्न लीडर	30.6.86 से 29.6.89 तक
4. पायलट के रूप में एक स्क्वाड्न लीडर	30.6.86 से 29.6.89 तक

5. पायलट के रूप में एक विंग कमांडर	27.6.88 से 26.6.90 तक
6. पायलट के रूप में एक विंग कमांडर	18.7.88 से 17.7.90 तक
7. नेविगेटर के रूप में दो विंग कमांडर	29.8.88 से 28.8.90 तक

बिलासपुर से स्वतन्त्रता सेनानियों के पेंशन सम्बन्धी मामले

3399. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने पत्र संख्या जी. ए. डी.-एफ.-4 16/86-दिनांक 23 जून, 1987 अथवा 28 फरवरी, 1989 तक के पत्र द्वारा बिलासपुर जिले के स्वतंत्रता सैनानियों की पेंशन सम्बन्धी कुछ मामलों की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्वतंत्रता सैनानियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें पेंशन देने की सिफारिश की गई है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और उन्हें किन-किन तारीखों से पेंशन मंजूर की गयी है तथा पेंशन का भुगतान किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और पेंशन के इन दावेदारों को पेंशन कब तक मंजूर किये जाने तथा इसका भुगतान किए जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) राज्य सरकार का पत्र संख्या जी. ए. डी.-एफ/4-16/86 दिनांक 23.6.87 मंत्रालय में प्राप्त हुआ है। इस पत्र के तहत राज्य सरकार ने आवेदनों की सिफारिश नहीं की है परन्तु, आवेदकों के प्रतिवेदनों को सहानुभूतिपूर्वक विचार किए जाने के लिए भेजा गया है। इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम निम्नलिखित हैं :—

1. श्री जयराम सुपुत्र लछमन दास, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	मौखिक आदेशों के आधार पर आवेदक के लिए निष्कासन की यातना है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक ऐसा ही मामला निर्णयाधीन है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से निर्णय प्राप्त होने पर इस मामले पर फैसला किया जायेगा।
2. श्री मनोहर लाल सुपुत्र बुद्धि सिंह, जिला, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	इन मामलों के संबंध में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं की है।
3. श्री देव राज मल्होत्रा सुपुत्र लछमन दास जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	राज्य सरकार से इन दोनों मामलों में अपनी विनिर्दिष्ट सिफारिशें भेजने के लिए कहा गया है।

4. श्री दुर्गा सिंह सुपुत्र गोपाल सिंह, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश)	दस्तावेजी प्रमाण (अर्थात् जेल प्रमाण पत्र अथवा मी. पी. सी.) के अभाव के कारण इस मामले को अस्वीकार कर दिया गया है।

इन मामलों के अतिरिक्त इस मंत्रालय को राज्य सरकार द्वारा सात आवेदन पत्र सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए भेजे गए हैं।

बोइंग विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण

3400. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1989 में देश का दौरा करने वाले बोइंग विमान संबंधी प्रतिनिधिमंडल ने यह बताया है कि हाल ही में बोइंग विमानों की दुर्घटना तोड़फोड़ या विमान चालकों की चूक के कारण हुई हैं, विमानों में निर्माण संबंधी दोष के कारण नहीं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पिछले कुछ महीनों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए बोइंग विमानों के सही कारणों का इस बीच पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या प्रत्येक मामले में किसी की जिम्मेवारी निर्धारित की गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सरकार को बोइंग प्रतिनिधिमंडल के फरवरी, 1989 के अपने दौरे के दौरान इस प्रकार के किसी वक्तव्य की कोई जानकारी नहीं है। पिछले कुछ महीनों के दौरान बोइंग विमानों की तीन दुर्घटनाओं की जांच पूर्ण हो चुकी है। रिपोर्टों की जांच की जा रही है।

दुर्घटनाओं के कारण हेलीकाप्टरों का नष्ट होना

3401. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्घटनाओं के कारण कितने वैस्टलैंड हेलीकाप्टर नष्ट हो गए ; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पवन हंस लिमिटेड से संबंधित दो वेस्टलैंड हेलीकाप्टर दुर्घटना में नष्ट हुए थे। एक दुर्घटना की जांच-पड़ताल हो गई है और इसकी रिपोर्ट की जांच की जा रही है। दूसरी दुर्घटना की अभी दुर्घटना निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है।

"प्लानर्स नॉट सीरियस आन जॉब डायरेक्टिव्स" शीर्षक से समाचार

[हिन्दी]

3402. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 दिसम्बर, 1988 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "प्लानर्स नाट सीरियस आन जॉब डायरेक्टिव्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए कोई विशेष योजना तैयार करने एवं कार्यान्वित करने का निर्णय किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सरकार संदर्भित समाचार से अवगत है।

(ख) मार्च, 1986, मार्च, 1987 तथा मार्च 1988 तक अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्रक में राज्यवार रोजगार दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न है (विवरण-1) जो सामान्यतः अनुवर्ती वर्षों में कुछ वृद्धि दर्शाता है।

(ग) से (ङ) सातवीं योजना की विकास कार्यनीति में उत्पादक रोजगार का सृजन केन्द्रीय तत्व है।

क्षेत्रकीय निवेशों के अलावा जिससे रोजगार का सृजन होता है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीणी भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार प्रदान करने संबंधी स्कीम पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी थी। शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम सितम्बर, 1986 में शुरू किया गया था। इन कार्यक्रमों में हुई प्रगति संलग्न विवरण (विवरण-2) में दर्शायी गई है।

सरकार ने 1989-90 के बजट में एक नए प्रोत्साहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की भी घोषणा की है, जो अधिक बेरोजगारी से ग्रस्त 120 पिछड़े जिलों में शुरू किया जाएगा। जिससे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को पूर्ण रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा।

विवरण-1

आर्थिक क्षेत्रकों द्वारा संगठित क्षेत्रक में रोजगार

(मिलियन में)

उद्योग प्रभाग	विवरण	मार्च 1986	मार्च 1987	मार्च 1988 (अनंतिम)
1.	2.	3.	4.	5.
0.	कृषि, शिकार, वानिकी तथा मत्स्य	1.348	1.405	1.426
1	खनन तथा खदान	1.077	1.033	1.048
2 तथा 3	विनिर्माण	6.263	6.272	6.269
4.	विद्युत गैस तथा जल	0.825	0.829	0.891
5.	निर्माण	1.250	1.243	1.263
6.	थोक तथा फुटकर व्यापार रेस्टोरेंट तथा होटल	0.408	0.411	0.421
7.	परिवहन, भंडारण तथा संचार	2.982	3.022	3.065
8.	वित्त पोषण, बीमा, वास्तविक अचल सम्पदा तथा व्यापार	1.250	1.286	1.332
9.	समुदाय, सामाजिक तथा वैयक्तिगत सेवाए	9.653	9.887	10.035
	जोड़ :	25.056	25.388	25.748

टिप्पणियां :

1. ये आंकड़े श्रम मंत्रालय के रोजगार मार्किट सूचना कार्यक्रम पर आधारित हैं।
2. संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रक की सभी संस्थाएं और ऐसे गैर-कृषि निजी स्थापनाएं जिनमें 10 अथवा अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है, शामिल हैं। रोजगार मार्किट सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 अथवा अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली संस्थाओं से कानूनी आधार पर सूचना एकत्र की जाती है। 10-25 व्यक्तियों को रोजगार देने वाली संस्थाओं (ग्रेटर बम्बई तथा कलकत्ता के शहरी क्षेत्रों के अलावा) से यह स्वैच्छिक आधार पर एकत्र की जाती है।
3. कालमों में आंकड़े पूर्णांकित करने के कारण जोड़ पूरा नहीं किया गया है।
4. उपर्युक्त आंकड़ों में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा तथा नागर हवेली और सिक्किम शामिल नहीं है क्योंकि रोजगार मार्किट सूचना कार्यक्रम का इन क्षेत्रों में विस्तार नहीं किया गया है।

स्रोत : श्रम मंत्रालय (डी. जी. ई. एण्ड टी.)।

विवरण-2

विशेष रोजगार कार्यक्रमों के अन्तर्गत हुई प्रगति

(मिलियन में)

क्रम सं०	कार्यक्रम	इकाई	वर्ष	उपलब्धि
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	रोजगार के श्रम दिवस	1985-86	318.41
			1986-87	395.39
			1987-88	370.77
			1988-89	255.43
			(दिस०, 88)	
2.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	1985-86	247.58
			1986-87	306.14
			1987-88	304·11
			1988-89	168.08
			(दिस०, 88)	
3.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	1985-86	3.06
			1986-87	3.75
			1987-88	4.25
			1988-89	2.56
			(जन०, 89)	
4.	शिक्षित बेरोजगार युवकों में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन स्कीम	बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों की संख्या	1985-86	0.221
			1986-87	0.217
			1987-88	0.120
5.	शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम	स्वीकृत आवेदनों की संख्या	1986-87*	0.341
			1987-88	0.382

* 1.9.1986 से शुरू की गई ।

टिप्पणी : शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं ।

"रिपोर्ट सौट ऑन विजिट बाई टू फॉरन वीमन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3403. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री दिनेश गोस्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1989 के "ट्रिब्यून" समाचार-पत्र में "रिपोर्ट सौट ऑन विजिट बाई टू फॉरन वीमन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(ग) किस एजेंसी के माध्यम से यह जांच की गई है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है और इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

समुद्री पदार्थों के विदोहन के लिए समन्वय दल

[अनुवाद]

3404. श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्र तथा भविष्य में इसके विदोहन संबंधी राष्ट्रीय कार्यकलापों के संबंध में सलाह देने, इन पर नियंत्रण रखने तथा इनके समन्वय के लिए एक समन्वय दल का गठन करने का है ;

(ख) यह दल कब तक गठित किया जायेगा ;

(ग) क्या एक सकारात्मक समुद्री नीति लागू करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने फरवरी, 1986 में समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया था जो समुद्री संसाधनों के समन्वय तथा कुशल विकास और उपयोग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण बनाने के उद्देश्य से महासागर से संबंधित कार्यों के बारे में अन्तर्विभागीय/अन्तर्मन्त्रालयीन समन्वय के वास्ते एक केन्द्रीय बिन्दु के रूप में कार्य करता है। महासागर विकास विभाग के सचिव इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं तथा इसमें सात अन्य सचिव और दो गैर-सरकारी सदस्य हैं जो समुद्र विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट वैज्ञानिक हैं। बोर्ड का कार्यकाल 31 मार्च, 1989 को समाप्त हो रहा है।

(ग) और (घ) नवम्बर, 1982 में "महासागर नीति सम्बन्धी विवरण" नामक एक विस्तृत प्रलेख संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया था और उस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई थी। इस प्रलेख के अनुसार, मुख्य बल समुद्रों से प्राप्त समुद्री जीव संसाधनों के इष्टतम प्रयोग, अजीव संसाधनों

जैसे हाइड्रोकार्बनों तथा भारी भूमि-निक्षेपों के उपयोग, गहरे समुद्र संस्तर से बहुधात्विक पिण्डों का संग्रह तथा संसाधन करने, सागर ऊर्जा के अक्षय साधनों को काम में लाने इत्यादि पर होना चाहिए।

विमान चालकों/इंजीनियरों के लिए सुरक्षा उपाय

3405. **श्री मुत्तापल्ली रामचद्रन :**

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं ; और

(ग) विमान चालक सदस्यों के उड़ान के घंटों की सीमा निर्धारित करने के संबंध में क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) हवाई सुरक्षा नियम, वायुयान अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए वायुयान नियमों के भाग हैं। आवश्यकतानुसार समय-समय पर इनमें संशोधन किया जाता है।

(ग) देश में विमान कम्पनियों ने वायुयान नियमावली, 1937 के ढांचे के भीतर ही उड़ान और ड्यूटी समय सीमाओं के सम्बन्ध में अपने विनियम बनाए हुए हैं। इस मामले की संवीक्षा करने के लिए अब एक समिति का गठन किया गया है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् और अधिक उपाय करने की कार्यवाई की जाएगी।

वन्य जीवन और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन का विकास

3406. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वन्य जीवन और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान वन्य जीवन और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास हेतु क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में वन्य जीवन संबंधी पर्यटन के विकास की संभावनाओं का पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में वन्य-जीवन संबंधी पर्यटन के विकास हेतु मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा अपने संवर्धनकारी एवं विकासशील कार्यकलापों में वन्य जीव और पर्वतीय

पर्यटन के विकास पर पर्याप्त जोर दिया है। संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त उनकी विकास स्कीमों पर इस विभाग द्वारा प्रत्येक स्कीम के गुण, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर रहते हुए विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) वन्य-जीव पर्यटन हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को उचित महत्व दिया गया है तथा निम्नलिखित स्कीमें स्वीकार की गई हैं :—

	स्वीकृत राशि
(एक) बांधवगढ़ वन गृह	21.04
(दो) बांधवगढ़ के लिए मिनी बसें	4.08
(तीन) कान्हा के लिए मिनी बसें	4.06
(चार) शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान के लिए जीपें	2.02

निर्यात किए जाने वाले सामान का भार कम दिखाना

3407. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण को अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं द्वारा निर्यात किये जाने वाले सामान का भार कम दिखाये जाने के कारण घाटा उठाना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कारण से हुये घाटे का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसा करने वाले व्यक्तियों/एजेंटों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और निर्यात किए जाने वाले माल की सही तोल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्यात माल की नमूना जांच के आधार पर कम वजन तोले जाने के कारण राजस्व हानि को लगभग नगण्य पाया गया है।

(ग) और (घ) जब कभी कम वजन तोले जाने का पता चलता है तभी इस मामले को संबंधित विमान कम्पनी के ध्यान में लाया जाता है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके और दोषी निर्यातकों पर जुर्माना लगाया जा सके।

तेल वाले खजूर की खेती

3408. **श्री एस. बी. सिदनाल :**

श्री शांति लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव-प्रौद्योगिकी विभाग ने यह प्रदर्शित करने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं कि महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में सिंचाई करके भी तेल वाले खजूर की खेती की संभावनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कोई जैव-वैज्ञानिक कीट नियंत्रण कार्यक्रम प्रारम्भ करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार तथा महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों, प्रत्येक ने लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में तेल-ताड़ प्रदर्शन परियोजनाएं आरंभ की हैं । इसके 70 प्रतिशत क्षेत्र में आयातित बीज रोपित किए जाएंगे जबकि शेष 30 प्रतिशत में स्वदेश में ही निर्मित रोपण सामग्री लगाई जाएगी । स्वदेश में ही निर्मित बीजों के साथ पौधशालाएं पहले ही आरंभ की जा चुकी हैं । आयातित बीजों के साथ पौधशालाओं के 1989 के दौरान आरंभ किए जाने की संभावना है । प्रत्येक राज्य के लिए सभी नीति और कार्यान्वयन संबंधी निर्णय लेने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त "परियोजना प्रबंधन समिति" बनाई गई है, जिसमें भारत सरकार तथा संबंधित राज्य के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं । 5 वर्ष की अवधि (1988-89 से 1992-93) के लिए परियोजना की कुल लागत 2106.25 लाख रुपये है ।

(ग) जी हां, बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने हमारी फसलों के लिए प्रासंगिक कीटों के जैविकीय नियंत्रण के लिए 10 अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम शुरू किए हैं । इनमें से, तीन श्रेणियों नामत: सूक्ष्मजैविक कीटनाशी, परजीवी तथा परभक्षी और मृदा सीमित पौधा रोगाणु-रोधी, फन्गि तथा बैक्टीरिया, में सात कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पाद निरूपण तथा मार्गदर्शी स्तर पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों का विकास करना है । शेष तीन परियोजनाओं नामत: पोषी पौधा-कीट, पोषी-परजीवी अन्त: क्रिया, कुछ कीटों, नाशक जीवों के जैविकीय नियंत्रण के लिए बैकुलो विषाणुओं का आणविक लक्षण वर्णन तथा कीट इम्यून सिस्टमस पर अध्ययन, का उद्देश्य नाशक जीवों के जैविकीय नियंत्रण के क्षेत्र में मूल अनुसंधान करना है ।

(घ) यह परियोजनाएं हाल ही में मन्जूर की गई हैं । ये अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं उचित तथा सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक परीक्षण के पश्चात आरंभ की गई हैं और इनकी सफलता के बहुत अच्छे अवसर हैं । तथापि, अन्तिम परिणामों का अन्दाजा लगाना संभव नहीं है । क्रियान्वयन के दौरान तथा पूर्ण हो जाने पर मध्य-मार्ग संशोधक उपायों के लिए आवधिक मानीटरी, पुनरीक्षा तथा मूल्यांकन के लिए अन्त: विष्ट प्रक्रिया की व्यवस्था भी की गई है ।

बंगलौर हवाई अड्डे पर जांच पटलों की संख्या

3409. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे पर एअरबस विमानों के उड़ने से पूर्व यात्रियों की सुरक्षा जांच के लिये बहुत देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) बंगलौर हवाई अड्डे पर कितने जांच काउन्टर हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बंगलौर हवाई अड्डे पर जांच-काउंटरों की संख्या बढ़ाने का है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) बंगलूर हवाई अड्डे पर सात जांच-काउंटर हैं ।

(ग) काउंटरों की संख्या में वृद्धि करने की तत्काल कोई योजना नहीं है ।

बंगलौर हवाई अड्डे पर स्थित विश्राम कक्ष

3410. **श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर हवाई अड्डे के बाहर कोई विश्राम कक्ष नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर ऐसे विश्राम कक्षों के निर्माण करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह कार्य कब शुरू किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सभी हवाई अड्डों पर विश्राम कक्ष उपलब्ध कराने की कोई नीति नहीं है । जहां तक बंगलूर हवाई अड्डे का संबंध है, यह हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का है और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का केवल यहां एक सिविल टर्मिनल है जो यात्री हैंडलिंग सुविधाएं प्रदान करता है । मेजनीन फ्लूर पर एक पूर्ण सज्जित रेस्टारेंट उपलब्ध है जिसका प्रयोग विलम्बित उड़ानों के यात्रियों द्वारा किया जा सकता है । राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास काफी कम भूमि उपलब्ध होने के कारण विश्राम कक्ष बनाने के लिए अतिरिक्त भवनों का निर्माण करना संभव नहीं होगा ।

पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी

3411. **श्री पी०एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य में पाकिस्तान से लगी सीमा पर तार लगाने का कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सीमा पार से हथियारों की तस्करी रोकी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे रोकने के लिए क्या और कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जो कार्य अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ के कारण रुक गया था वह अब प्रगति पर है। कार्य के मार्च, 1989 के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

"गुजरात आई०ए०एस०, आई०पी०एस० आफिसर्स इन सी०बी०आई० नैट" शीर्षक से समाचार

3412. **श्री पी०एम० सईद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1989 के इंडियन एक्सप्रैस (दिल्ली संस्करण) में "गुजरात आई. ए. एस., आई. पी. एस. आफिसर्स इन सी. बी. आई. नैट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां तो ऐसे आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों की पृथक-पृथक संख्या क्या है जिन पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक धन जमा करने का आरोप है ; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) 1.1.88 से 8.3.89 तक की अवधि के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने केवल एक मामला गुजरात संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के एक सेवानिवृत्त अधिकारी के विरुद्ध दर्ज किया है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक धन-सम्पत्ति इकट्ठी करने के आरोप से संबंधित है।

(ग) एक नियमित मामला दायर कर लिया गया है।

जेलों में बच्चे

3413. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न जेलों में अपनी माताओं के साथ कितने बच्चे बंदी हैं ; और उनमें से कितने छः माह से अधिक समय से जेलों में हैं ;

(ख) इन में से कितने बच्चे अपनी माताओं के साथ छः माह से अधिक समय से जेलों में रह रहे हैं जिनके मामले विचाराधीन हैं ;

(ग) किन-किन जेलों में ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा और कल्याण संबंधी सुविधाओं की उचित व्यवस्था नहीं है और इन्हें कानूनी तौर पर क्या-क्या आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं ; और

(घ) बच्चों को इस प्रकार कम से कम अवधि तक बंदी बनाने और ऐसे बच्चों को सही सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिनांक 30.6.88 को देश की विभिन्न जेलों में 905 महिला सिद्धदोष और 975 विचाराधीन महिला कैदी थी। विभिन्न जेलों में बन्द सिद्धदोष/विचाराधीन माताओं और उनके बच्चों की संख्या का विवरण केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा संकलित नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) "जेल" राज्य का विषय है, इसलिए जेल मैनुअल, नियम और विनियमों के अनुसार सिद्धदोष/विचाराधीन कैदी माताओं को जेल परिसर में अपने साथ अपने बच्चों को रखने की अनुमति देना तथा उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकारों का काम है।

"20-सूत्री कार्यक्रम का मूल्यांकन"

3414. **श्री विजय एन. पाटिल** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कौन-कौन सी कठिनाइयां सामने आई हैं ; और

(ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी, हां। अप्रैल, 88 से फरवरी, 89 की अवधि में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अधीन प्राप्त उपलब्धियां दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा बताई गई कठिनाइयां आमतौर पर : (1) अपर्याप्त आधार भूत सुविधाएं और प्रशासनिक व्यवस्था, (2) वन भूमि सहित भूमि अधिग्रहण संबंधी कठिनाई, (3) निधि की कमी (4) निर्माण सामग्री की कमी और (5) सहायता की दूसरी किश्त देने के लिए पुराने लाभभोगियों की पहचान करने में कठिनाई आदि हैं।

(ग) जब कभी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कमी दिखाई देती है, यह मंत्रालय कार्यक्रम के अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के लिए मामले को तत्काल संबंधित राज्य के साथ उठाता है। संबंधित केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के साथ नियमित बैठकों का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी संबंधित राज्यों का दौरा करते हैं।

इस वर्ष, राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा करने के लिए, इस मंत्रालय ने पहली बार "कृतिक दल" का गठन किया है। केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की गई और "कृतिक दल" की रिपोर्ट को केंद्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए परिचालित किया गया है।

सूत्र सं०	मद	इकाई	लक्ष्य		1988-89 के दौरान निष्पादन	
			वार्षिक	अप्रैल, 88 — फरवरी, 89	अप्रैल-88-फरवरी, 89 में उपलब्धि	उपलब्धि की % मात्रा
1	2	3	4	5	6	7
		"000				
1क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम परिवार		3193.5	2872.2	2971.3	103
1ख	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम लाख	श्रम दिवस	3430.9	2973.4	2920.0	98
1ग	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	2607.9	2260.2	2130.7	94
1घ	लघु उद्योग इकाइयां	"000सं०	150.7	138.1	143.7	104
5.	फालतू भूमि का वितरण	"000ए०	226.5	203.8	90.7	45
6.	बधुआ मजदूरों का पुनर्वास	सं०	19084	16349	10809	66
7.	पीने का जल	ग्रामों की सं.	56477	46888	39806	80

8क	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	सं.	312	228	73	32
8ख	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सं.	3151	2624	1398	53
8ग	उप केंद्र	सं.	13288	11071	4323	39
8घ	बाल प्रतिरक्षण	लाख सं.	180.3	159.3	130.5	82
9क	परिवार नियोजन नसबंदी	"000सं.	5306.4	4687.3	3878.8	83
9ख	समतुल्य नसबंदी	—वही	2705.6	2027.7	1780.4	88
9ग	एकीकृत बाल विकास सेवा खंड	—वही—	1696	1691	1708	101
9घ	आंगनवाडी	"000सं.	186.4	186.2	179.2	96
11क	अनुसूचित जाति के परिवारों को दी गई सहायता	"000सं	2105.9	1909.4	1920.5	101
11ख	अनुसूचित ज. जा. के परिवारों को दी गई सहायता	—वही—	832.7	755.0	872.6	116
14क	आवंटित आवास स्थल	"000सं.	600.4	544.3	730.5	134
14ख	निर्माण सहायता	—वही—	383.4	347.6	368.6	106
14ग	इंदिरा आवास योजना	—वही—	134.8	122.2	105.8	87
14घ	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मकान	"000सं०	140.3	127.2	117.2	92
14ङ	निम्न आय समूह के मकान	—वही—	43395	39345	43088	110

1	2	3	4	5	6	7
15	गंदी बस्तियों का सुधार	—वही—	1487.1	1348.3	1670.7	124
16	वृक्षारोपण	लाख सं.	48026.5	39004.0	39100.6	100
18	उचित दर दुकान	सं.	4387	3947	5877	149
19क	विद्युतीकृत गांव	सं.	17124	14334	14442	101
19ख	शक्ति चालित पम्पसेट	"000सं.	454.4	389.3	463.7	119
19ग	सुधरे चूल्हे	—वही—	1378.0	1133.3	1141.9	101
19घ	बायो गैस संयंत्र (राज्य)	—वही—	130.0	104.0	102.9	99

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में किराए पर दिए गए कमरे

3415. **श्री विजय एन. पाटिल :** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में होटल-वार किराए पर दिए गए कमरों की प्रतिशतता क्या है ;

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में किराए पर दिए गए कमरों की प्रतिशतता की दर गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाए जा रहे पांच सितारा होटलों की तुलना में कम हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) वर्ष 1988 के दौरान दिल्ली के भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का अधिभोग प्रतिशत निम्नलिखित था :—

क्रम सं०	होटल का नाम	स्टार श्रेणी	1988 के दौरान कमरा अधिभोग का प्रतिशत
1.	अशोक होटल	5 सितारा डीलक्स	80
2.	जनपथ होटल	4 सितारा	81
3.	लोधी होटल	3 ,,	67
4.	रजीत होटल	3 ,,	65
5.	कुतुब होटल	5 ,,	80
6.	सम्राट होटल	5 ,,	81
7.	कनिष्क होटल	4 ,,	73
8.	अशोक यात्री निवास किफायती श्रेणी		83

(ख) और (ग) 1988 वर्ष के दौरान दिल्ली के सभी अनुमोदित पांच सितारा एवं पांच सितारा डीलक्स होटलों का समग्र अधिभोग प्रतिशत क्रमशः 67.5% एवं 78.8% था। समग्र प्रतिशत से तुलना करने पर भारत पर्यटन विकास निगम के पांच सितारा एवं पांच सितारा डीलक्स होटलों का अधिभोग ऊंचा था।

दिल्ली में लगाये गए सुपर कम्प्यूटर का कार्यकरण

3416. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लगाया गया सुपर कम्प्यूटर अब भी कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विभिन्न देशों से विश्वव्यापी जानकारी के सम्बन्ध में आंकड़े प्राप्त कर रहा है ; और

(ग) क्या भारत अपने मौसम संबंधी आंकड़े तथा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़े अन्य देशों को देने को बाध्य है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी. हां ।

(ख) जी हां, । भारत मौसम विज्ञान विभाग को लोधी रोड, नई दिल्ली में विभाग के परिसर में स्थापित एक विशेष दूरसंचार कम्प्यूटर के जरिये विश्व मौसम विज्ञान संगठन (संयुक्त राज्य संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी) की विश्व दूर संचार प्रणाली के एक भाग के रूप में विश्व आंकड़े प्राप्त होते हैं ।

(ग) विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कार्यविधि के अनुसार मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों का पूरे विश्व में आदान-प्रदान किया जाता है । भारत के मौसम विज्ञान संबंधी सामान्य आंकड़े भी इस आदान-प्रदान का एक हिस्सा है । समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों के बारे में आदान-प्रदान केवल द्विपक्षीय करारों तक ही सीमित है, किन्तु भारत के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र से आगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र से संबंधित आंकड़ों का आदान-प्रदान विश्व स्तर पर किया जाता है ।

उड़ीसा में यात्रा परिपथ (ट्रेवल सर्किट) का विकास

3417. **श्री राजाकांत डिगाल** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में यात्रा परिपथ (ट्रेवल सर्किट) के विकास के लिए उड़ीसा को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ख) इन वर्षों के दौरान यात्रा (परिपथों ट्रेवल सर्किटस) के विकास पर प्रतिवर्ष वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) यात्रा परिपथों (ट्रेवल सर्किट्स) के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा में विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन आधार-संरचना के विकास के लिए निम्नलिखित राशि मंजूर की है :

	(लाख रुपए में)
1985-86	38.58
1986-87	68.86
1987-88	21.96

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने उड़ीसा में पर्यटन परियोजनाओं हेतु निम्नलिखित राशि रिलीज की है —

	(लाख रुपए में)
1985-86	31.53
1986-87	42.75
1987-88	25.00

(ग) विभाग द्वारा उड़ीसा में पर्यटन केन्द्रों के विकास हेतु उठाए गए कदमों में पर्यटन आधार-संरचना का विकास, प्रचार एवं संवर्धन आदि शामिल है।

परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार

3418. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के लिए परमाणु विद्युत क्षेत्र हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या सरकार का उक्त वर्ष के दौरान कुछ परमाणु विद्युत संयंत्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विदेशी सहायता से नए परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का भी विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यक्रम तैयार किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) परमाणु बिजली के क्षेत्र हेतु वर्ष 1989-90 के लिए बजट में 725 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) जिन यूनिटों का निर्माण कार्य पहले से किया जा रहा है, उनके अलावा कैगा में 235 मेगावाट क्षमता वाले चार यूनिट (कैगा के तीसरे यूनिट से लेकर छठे यूनिट तक), तारापुर में 500 मेगावाट क्षमता वाले दो यूनिट (तारापुर परमाणु बिजलीघर का तीसरा और चौथा यूनिट) और रावत भाटा, राजस्थान में 500 मेगावाट क्षमता वाले चार यूनिट (राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पांचवे यूनिट से लेकर आठवें यूनिट तक) पर कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए कार्यवाई की जा रही है। जिन क्रांतिक उपकरणों को प्राप्त करने में देरी हो सकती है उन्हे प्राप्त करने के बारे में पहले से कार्यवाई शुरू की जा चुकी है।

(घ) और (ङ) 1000 मेगावाट क्षमता के दाबित हल्के पानी किस्म के रिएक्टर के दो यूनिटों वाले परमाणु बिजलीघर के निर्माण में सहयोग देने के लिए भारत और सोवियत संघ की सरकारों के बीच हुए करार पर 20 नवम्बर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे और उस करार की प्रति 21 नवम्बर, 1988 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी।

इसके अतिरिक्त, फ्रांस ने भी भारत में परमाणु विद्युत रिएक्टर स्थापित करने में सहयोग देने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। इस संबंध में प्रारम्भिक बातचीत की गई है।

अण्डमान की "ओंगे" जनजाति का विलोपन

3419. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान में रह रही "ओंगे" जनजाति विलुप्त होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस जनजाति को जीवित रहने के लिए कौन से तत्व खतरा पैदा कर रहे हैं ; और

(ग) इन जनजातियों को विलोपन से बचाने के सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत सरकार ने, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में ओंगे सहित आदिम जनजातियों की स्वास्थ्य तथा पोषण विषयक जांच करने के लिए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान, हैदराबाद के वैज्ञानिकों का एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है । उनके संरक्षण तथा विकास का ध्यान रखने के लिए "अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति" नामक एक विशेष एजेंसी भी स्थापित की गई है । "अंडमान-निकोबार द्वीप समूह आदिम जाति संरक्षण विनियम" के प्रावधानों के अन्तर्गत "ओंगे" लोगों की आबादी के क्षेत्र पूर्णतः संरक्षित हैं, जहां संक्षम प्राधिकारियों की वैध अनुमति के बिना बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता ।

एयरबस उड़ाने के लिए विमान चालकों को प्रशिक्षण

3420. **श्रीमती ज्वन्ती पटनायक** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान इंडियन एअरलाइंस फलीट में शामिल की जाने वाली एअरबसों को उड़ाने के लिए विमान चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हां, तो विमान चालकों को ऐसी एयरबसों को उड़ाने के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 19 एअरबस ए-320 विमान की खरीद के करार में यह व्यवस्था है कि मैसर्स ऐरोफोर्मेशन एयरबस इंडस्ट्री, टाउलउसे (फ्रांस) इंडियन एअरलाइंस के 152 विमान चालकों को प्रशिक्षण सुविधाएं देगा । एक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है और इंडियन एअरलाइंस के दो इक्विक्यूटिव विमान चालकों को पहले ही टाउलउसे में ए-320 विमान के अनुदेशक/परीक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है अन्य विमान चालकों का प्रशिक्षण अप्रैल, 1989 के दूसरे सप्ताह के दौरान शुरू होगा ।

तीर्थ स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के लिए आवास सुविधा

3421. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन तीर्थ स्थानों के नाम क्या हैं जहां भारत पर्यटन विकास निगम अथवा पर्यटन विभाग तीर्थ यात्रियों को आवास सुविधाएं प्रदान करता है ;

(ख) उन अन्य तीर्थ स्थानों के नाम क्या हैं जहां सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की है और ऐसी प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च आया ; और

(ग) क्या ऐसे एककों की प्रबंध व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है अथवा उक्त प्रबंध व्यवस्था का कार्यभार गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपा गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने तीर्थ रुचि वाले स्थल वाराणसी खजुराहो, मदुराई, हसन, मामल्लापुरम, भुवनेश्वर, पटना, बोद्धगया, पुरी में होटल स्थापित किए हैं। पर्यटन विभाग ने भारतीय यात्री आवास विकास समिति को निम्नलिखित तीर्थ स्थानों पर 14 यात्रिकाओं के निर्माण के लिए भी सहायता अनुदान की स्वीकृति दी है।

1. चित्रकूट (मध्य प्रदेश)
2. बिदर (कर्नाटक)
3. कम्पिल (उत्तर प्रदेश)
4. नंदमेहर (उत्तर प्रदेश)
5. कजायकल (पांडिचेरी)
6. ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश)
7. वृन्दावन "ए" ब्लाक (उत्तर प्रदेश)
8. वृन्दावन "बी" ब्लाक (उ. प्र.)
9. अमरकंटक (मध्य प्रदेश)
10. पुरी (उड़ीसा)
11. द्वारकाजी (गुजरात)
12. नैमिशारण्य (उत्तर प्रदेश)
13. मायापुर (पश्चिम बंगाल)
14. गंगासागर (पश्चिम बंगाल)

(ख) पर्यटन विभाग द्वारा समिति को सातवीं योजना के दौरान अब तक स्वीकृत की गई परियोजना वार राशि निम्नानुसार है :—

क्रम सं.	यात्रिका का नाम	लाख रुपयों में
1.	नंदमेहर (उत्तर प्रदेश)	6.31
2.	ओंकारेश्वर (मध्य प्रदेश)	9.97
3.	वृन्दावन "ए" ब्लाक (उत्तर प्रदेश)	10.55
4.	मायापुर (पश्चिम बंगाल)	11.59
5.	गंगासागर (पश्चिम बंगाल)	17.57

(ग) यात्रिकाओं का प्रबंध सरकार द्वारा प्रायोजित पंजीकृत सोसायटी भारतीय यात्री आवास विकास समिति द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

किशोर कल्याण बोर्ड

3422. **श्री एच. ए. डोरा : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किशोर कल्याण बोर्डों की स्थापना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा अब तक उपलब्ध की गई सूचनानुसार, आंध्र प्रदेश,, असम, गोआ, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश व उड़ीसा के राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडिचेरी में किशोर कल्याण बोर्ड स्थापित किए गए हैं।

तथापि, जहां किसी क्षेत्र के लिए किशोर कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है, वहां किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट या उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट या स्थिति के अनुसार मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय के सक्षम अपील, संशोधन या अन्य प्रकार की कार्रवाई आने पर वे भी, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

किशोर गृह

3423. **श्री एच. ए. डोरा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशोर न्याय अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किशोर गृहों की स्थापना की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, हां।

(ख) स्थापित किए गए किशोर गृहों की संख्या से संबंधित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से अभी तक प्राप्त राज्य वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ;

(ग) शेष के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	किशोर गृहों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	5
2.	असम	25
3.	बिहार	8
4.	गोवा	2
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	3

1	2	3
7.	हिमाचल प्रदेश	1
8.	कर्नाटक	10
9.	केरल	14
10.	उड़ीसा	2
11.	पंजाब	3
12.	राजस्थान	3
13.	तमिलनाडु	17
14.	उत्तर प्रदेश	10
15.	पश्चिम बंगाल	19
16.	चण्डीगढ़	1
17.	दिल्ली	10
18.	पांडिचेरी	1

आयातित पिक्चर ट्यूबों का निर्यात

3424. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सोवियत संघ को 3,00,000 से अधिक आयातित रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्यात करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सौदे में कोई घाटा हुआ है ; और

(ग) क्या सरकार का भविष्य में रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का आयात बन्द करने का विचार है क्योंकि कुछ भारतीय फर्मों को बिना आयतित पुर्जों से भारत में रंगीन टेलीविजन का उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की गई है ;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) और (ख) भारत तथा सोवियत संघ के बीच निष्पादित वार्षिक व्यापार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989 के दौरान दूरदर्शन के लिए 6.5 लाख रंगीन पिक्चर ट्यूबों का निर्यात किए जाने का प्रावधान है।

(ग) रंगीन पिक्चर ट्यूबों के आयात को विनयमित करने का विचार है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि मांग की तुलना में इनका स्थानीय उत्पादन कितना हुआ है।

रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में क्षमता का उपयोग

[हिन्दी]

3425. **श्री शांति धारीवाल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों को संसाधन प्रदान करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के सभी मौजूदा कार्यक्रमों की समीक्षा करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा प्रयोगशालाओं की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मौजूदा कार्यक्रमों की संवीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है। यह संवीक्षा विभिन्न स्तरों पर प्रबन्ध बोर्डों, संवीक्षा समितियों, संचालन समितियों, सलाहकार समितियों और पैनलों के माध्यम से की जा रही है। रक्षा अनुसंधान के अभ्यन्तर क्षेत्रों (कोर एरिया) के लिए स्रोतों का प्रबन्ध, योजना-आबंटन के माध्यम से किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विभिन्न रक्षा प्रयोगशालाओं में स्थापित सुविधाओं का पूर्ण उपयोग करने के लिए सतत् प्रयास किए जाते हैं। कुछ मामलों में ये सुविधाएं अन्य सरकारी विभागों और सिविल क्षेत्रों को प्रदान की जाती हैं।

धुन्ध के कारण उड़ानों में विलम्ब

[अनुवाद]

3426. **श्री मोहन भाई पटेल :**

श्री एच. वी. पाटिल : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान धुन्ध के कारण कितनी उड़ानों में विलम्ब हुआ अथवा विमान हवाई अड्डे पर नहीं उतर सके ;

(ख) इसके कारण एयरलाइनों को कितना नुकसान हुआ ; और

(ग) इस समस्या को हल करने तथा विदेशी तकनीक प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1987 और 1988 के दौरान खराब मौसम के कारण इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया की देर से गई/रद्द की गई उड़ानों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	1987		1988	
	इंडियन एयरलाइंस	एयर इंडिया	इंडियन एअरलाइंस	एअर इंडिया
देरी से गई उड़ानें	1516	81	1501	54
रद्द की गई	491	—	577	—

वायुदूत, कोहरे के कारण रद्द की गई उड़ानों का अलग से रिकार्ड नहीं रखता है।

(ख) खराब मौसम के कारण देर से गई/रद्द की गई उड़ानों के कारण हुई राजस्व की हानि का आकलन नहीं किया जा सकता ; तथापि, विमान कम्पनियों द्वारा होटल आवास, खाने इत्यादि पर अतिरिक्त व्यय किया जाता है परन्तु खराब मौसम के कारण उड़ान में देरी होने/रद्द किए जाने के

कारण ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार के व्यय का कोई अतिरिक्त रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) खराब मौसम के कारण उड़ानों को परिवर्तित करने की घटनाओं को कम करने के लिए हवाईअड्डों पर सुविधाओं में सुधार करना लगातार प्रक्रिया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने प्राथमिकता के आधार पर कोहरे वाले हवाईअड्डों तथा क्रमिक रूप से अन्य हवाईअड्डों पर खराब मौसम की परिस्थितियों के दौरान उड़ानों को सुविधा प्रदान करने के लिए उपस्कर अवतरण प्रणालियों तथा अन्य उपकरणों की स्थापना करने के लिए कदम पहले ही उठा लिए हैं।

कम्प्यूटरों का निर्माण

3427. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटरों के निर्माताओं के क्या नाम हैं और उनकी लाइसेंससुदा क्षमता कितनी है ; यदि कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है तो उन विदेशी कम्पनियों के क्या नाम हैं और उक्त कम्प्यूटरों में लाए जाने वाले आयातित संघटकों का अनुपात क्या है तथा उनके मूल्य का ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1987-88 में पूरे वर्ष के दौरान तथा वर्ष 1988-89 में (31 दिसम्बर, 1988 तक) लाइसेंससुदा क्षमता का कितना उपयोग किया गया ;

(ग) वर्ष 1987-88 के दौरान और वर्ष 1988-89 (31 दिसम्बर, 1988 तक) में कुल उत्पादन का कारखाना मूल्य कितना है ; और

(घ) संघटकों का आयात बन्द करने और व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्रयोग के लिए कम्प्यूटरों का पूरी तरह से देश में उत्तरोत्तर निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के०आर० नारायणन) : (क) जिन विनिर्माताओं को औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं उनके नाम, उनकी उत्पादन-क्षमता तथा जहां भी लागू हो, उनके विदेशी सहयोगकर्ताओं के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

आयातित संघटक-पुर्जों का मूल्य रूप में अनुपात अलग-अलग प्रणालियों के लिए अलग-अलग होता है और वह प्रणाली के ढांचे पर भी निर्भर करता है। यह अनुपात बड़ी प्रणालियों के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य से कारखानागत मूल्य का औसतन लगभग 45% और छोटी प्रणालियों, जैसे कि वैयक्तिक कम्प्यूटर, के मामले में लगभग 35% है।

(ख) लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमताओं की उपयोगिता का स्तर विभिन्न बातों पर निर्भर करता है जैसे कि पूंजीगत वस्तुओं का प्रतिष्ठापन, परीक्षण उपस्कर, बाजार की मांग आदि। बड़ी प्रणालियों के मामले में लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता की औसत उपयोगिता का स्तर वर्ष 1987 में लगभग 45% तथा वर्ष 1988 में लगभग 74% पर रहा, जबकि छोटी प्रणालियों के मामले में यह स्तर वर्ष 1987 में औसतन 18% और वर्ष 1988 में 14% पर रहा।

(ग) कैलण्डर वर्ष 1987 के दौरान कम्प्यूटरों के कुल उत्पादन का कारखानागत मूल्य 305 करोड़ रु० तथा वर्ष 1988 का अनुमानित मूल्य 400 करोड़ रु० है। इसके अलावा, वर्ष 1987 के

दौरान कम्प्यूटरों उपान्त उपस्करों तथा कम्प्यूटर से संबंधित अन्य वस्तुओं के उत्पादन का कारखाना-गत मूल्य 70 करोड़ रु० तथा वर्ष 1988 का अनुमानित मूल्य 100 करोड़ रु० है।

(घ) कम्प्यूटरों का विनिर्माण प्रत्येक इकाई के चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है, जिसमें जहां भी व्यवहार्य एवं सम्भव हो आयात प्रतिस्थापन और क्रमिक रूप से स्वदेशीकरण पर भी ध्यान दिया जाता है।

विवरण

क्रम सं	पार्टी का नाम	उत्पादन क्षमता	विदेशी सहयोगकर्ता
1	2	3	4
1.	एलनवुड रोफ एण्ड कं. इंडिया प्रा. लि. नई दिल्ली	3 करोड़ रु०	—
2.	एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स लि. ठाणे	1.8 करोड़ रु०	—
3.	एपटेक कम्प्यूटर्स प्रा. लि. बड़ोदरा	5,000 नग	—
4.	एरलेम बेवरीस लि. गोवा	6 करोड़ रु.	लाजिका यू. के. लि. यू. के.
5.	एशिया लि. बंगलौर	2 करोड़ रु.	एशिया ऑटोमेशन, स्वीडन टेक्नोलॉजी
6.	बुश इंडिया लि. बम्बई	10 करोड़ रु.	—
7.	कमांडर कम्प्यूटर लि., भुवनेश्वर	20 करोड़ रु.	—
8.	कान्ट्रोनिक्स प्रा. लि., हैदराबाद	3 करोड़ रु.	—
9.	क्रियेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, नई दिल्ली	10 करोड़ रु.	—
10.	क्रॉम्पटन ग्रीवस लि., बम्बई	20 करोड़ रु.	—
11.	डी. सी. एम. डेटा प्रोडक्टस, नई दिल्ली	40 करोड़ रु.	—
12.	डिजीटल इक्विपमेंट (इंडिया) लि, बम्बई	100 करोड़ रु.	डिजीटल इक्विपमेंट होल्डलाइन्स, नीदरलैंड टेक इक्विटी
13.	इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लि., बंगलौर	2 करोड़ रु.	—
14.	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्ज पंजाब लि., चंडीगढ़	15 करोड़ रु.	—
15.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि., हैदराबाद	35 नग 50 नग 250 नग	नॉर्स्क डेटा नार्वे कन्ट्रोल डेटा कं. यू. एस. ए.

1	2	3	4
16.	एसेन इलेक्ट्रॉनिक्स, बम्बई	12 करोड़ रु.	—
17.	गोदरेज एण्ड बायस मैन्यु. कं प्रा. लि., बम्बई	10 करोड़ रु.	—
18.	गुजरात डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स लि., गांधीनगर	3 करोड़ रु.	—
19.	एच. सी. एल. लिमिटेड (कम्प्यूटर डिवीजन) नई दिल्ली	40 करोड़ रु.	फाल्ट टोलरेंस सि. यू. एस. ए टेक.
20.	हिन्दुस्तान ब्राउन बोवेरी लि. बम्बई	10 करोड़ रु.	ब्राउन बोवेरी कं. लि. स्विट्जरलैंड
21.	इन्कॉमनेट इंडिया लि. मोहाली	7,2000 प्रणालियां 6 करोड़ रु.	
22.	उड़ीसा औद्योगिक संवर्धन एवं पूंजीनिवेश निगम लि., भुवनेश्वर	2 करोड़ रु.	—
23.	इंडकेम इलेक्ट्रॉनिक्स लि. मद्रास	3.5 करोड़ रु.	—
24.	इंडिया टेलीकॉम्प लि., देहरादून	20 करोड़ रु.	—
25.	इंफोटेक लि. मद्रास	6 करोड़ रु.	स्ट्रीडर माइक्रो, यू. एस. ए.
26.	इंटरनेशनल कम्प्यूटर इंडियन मैन्यु लि. पुणे	100 प्रणालियां 24 करोड़ रु. 125 प्रणालियां	आई. सी. एल., यू. के.
27.	इंटरनेशनल डेटा मैनेजमेंट लि., बम्बई	6 करोड़ रु.	—
28.	आई. टी. एल. कम्प्यूटर्स प्रा. लि. हैदराबाद	10 करोड़ रु.	—
29.	केओनिक्स मेनफाक्चरिंग कम्प्यूटर्स लि. बंगलौर	6 करोड़ रु.	—
30.	केरल राज्य इलेक्ट्रानिकी विकास निगम लि. त्रिवेन्द्रम	10 करोड़ रु. 40 करोड़ रु.	इलेक्ट्रॉनिक, सर्व, फ्रांस टेक.
31.	किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कं. लि., बंगलौर	10 करोड़ रु.	पोरट्यून सिस्टम्स, कार्पो. यू. एस. ए.

1	2	3	4
32.	मशीनरी मैन्युफैक्चर्स कार्पो. लि., बम्बई	250 नग	सी. पी. यू. कम्प्यूटर्स लि., यू. के.
33.	मैकमिलन कम्प्यूटर लि., बंगलौर	10 करोड़ रु.	—
34.	मेल्ट्रान इंस्ट्रूमेंटेशन लि. सिन्धुदुर्ग	10 करोड़ रु.	—
35.	मेथाडेक्स सिस्टम लि., नई दिल्ली	3 करोड़ रु.	—
36.	मोदी ओलीवेट्टी लि., नई दिल्ली	110 करोड़ रु.	इंग. सी. ओलीवट्टी एण्ड कं, इटली
37.	मरफी इंडिया लि., ठाणे	2 करोड़ रु.	—
38.	नेशनल रेडियो एण्ड इलेक्ट्रानिक्स कं. लि., बम्बई	2 करोड़ रु.	होनी वेल बुल इटली
39.	नॉर्स्क डेटा (इं.) प्रा. लि., मद्रास	10 करोड़ रु.	नॉर्स्क डेटा ए/एस नार्वे
40.	ओ. एम. सी. कम्प्यूटर्स लि., पट्टनचेरू	6 करोड़ रु.	सिलिकॉन ग्राफिक्स यू. एस. ए.
41.	पीको इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि. कलकत्ता	2 करोड़ रु.	एन. वी फिलिप्स नीदरलैंड
42.	प्राइम होम कम्प्यूटर प्रा. लि. नई दिल्ली	5 करोड़ रु.	—
43.	पी. एस. आई. डेटा सिस्टम लि., बंगलौर	50 करोड़ रु.	बूल एस ए. फ्रांस
44.	आर. सी. सी. प्लास्टिकस प्रा. लि. बम्बई	3 करोड़ रु.	—
45.	ऋषि इलेक्ट्रॉनिक्स लि., नई दिल्ली	2 करोड़ रु.	—
46.	सन माइक्रोसिस्टम प्रा, लि., हैदराबाद	5 करोड़ रु.	मोलेकुलर काम्पुट आई. एन. सी. यू. एस. ए.
47.	साराभाई इलेक्ट्रॉनिक्स लि., बडोदरा	6 करोड़ रु.	डेनस्क डेटा इलेक्ट डेनमार्क
48.	सिगमा इंजीनियर्स, पुणे	5 प्रणालियां	—
49.	सोमंग इलेक्ट्रॉनिक लि., मद्रास	20 करोड़ रु.	—
50.	सुजाता डेटा प्रोडक्टस लि. सिकन्द्राबाद	12 करोड़ रु.	—

1	2	3	4
51.	टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कं. लि. बंगलौर	6 करोड़ रु.	—
52.	टाटा यूनीसेस लि. बम्बई	20 करोड़ रु.	यूनीसेस कार्पो. यू. एस. ए.
53.	थी सी. सिस्टम लि. मद्रास	6 करोड़ रु.	टाइम आफिस कम्प्यूटर, आस्ट्रेलिया
54.	यूनीट्रॉन लि. फरीदाबाद	2 करोड़ रु.	—
55.	अपट्रॉन इंडिया लि., (डिजीटल सिस्टम्स डिवीजन), लखनऊ	6 करोड़ रु.	कनवर्जेन्ट टेक्नोलाजीस आई. एन. सी., यू. एस. ए. लीड्स एण्ड नार्थसप कं, यू. एस. ए.
56.	ऊषा माइक्रोप्रोसेस कन्ट्रोल लि. नई दिल्ली	10 करोड़ रु.	—
57.	बेबेल जेन्सन एण्ड निकोल्सन लि. कलकत्ता	2 करोड़ रु.	फ्यूचर इंटरनेशनल, यू. के.
58.	वी. प्रो. इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी लि. बंगलौर	60 करोड़ रु.	इंटीग्रेटेड माइक्रो यू. के.

तमिलनाडु से भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के सफल उम्मीदवार

3428. **श्री आर. जीवरत्नम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु से प्रति वर्ष कितने उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा परीक्षाओं में सफल हुए हैं ; और

(ख) प्रति वर्ष कुल सफल उम्मीदवारों में इस राज्य के सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता क्या रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सूचना नीचे दी गई है :—

परीक्षा का वर्ष	तमिलनाडु के सफल उम्मीदवारों की संख्या	सफल उम्मीदवारों की कुल संख्या	कालम (3) के संदर्भ में कालम (2) का प्रतिशत
1	2	3	4
		भारतीय प्रशासनिक सेवा	
1985	7	137	5.1
1986	8	125	6.4
1987	5	114	4.4
		भारतीय पुलिस सेवा	
1985	4	109	3.7
1986	6	122	4.9
1987	2	102	2

बर्मा से आए शरणार्थियों का पुनर्वास

3429. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से आये भारतीय मूल के कितने शरणार्थियों का भारत में पुनर्वास किया गया है तथा उनमें से कितने शरणार्थियों का पुनर्वास अभी शेष है ;

(ख) क्या पुनर्वास के प्रयोजनार्थ उड़ीसा सरकार को जिस राशि की मंजूरी प्रदान की गई थी उसे रद्द किया जा रहा है ; और

(ग) उड़ीसा में पुरी जिले में शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी कितने मामले विचाराधीन हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) बर्मा से आये भारतीय मूल के लगभग सभी पात्र शरणार्थियों को, जिनमे लगभग 70,000 परिवार शामिल हैं, पुनर्वास सहायता मंजूर की जा चुकी है ।

(ख) जी, हां, श्रीमान । अप्रयुक्त फंड वापस लिया जा रहा है ।

(ग) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे केवल 5 मामले हैं ।

दिल्ली-पटना विमान सेवा

[हिन्दी]

3430. **प्रो चन्द्र भानु देवी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में इंडियन एअरलाइंस की दिल्ली-पटना विमान सेवा में कोई गतिरोध आया है, जिसके परिणामस्वरूप पटना में विमान अक्सर देरी से आते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नई ऋण योजना के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों को सहायता

3431. श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ऋण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के कितने भूतपूर्व सैनिकों ने सुविधा का लाभ उठाया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को बैंक तथा उद्योग विभाग समय पर आवश्यक सहायता नहीं दे रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस असुविधा को दूर करने हेतु तथा भूतपूर्व सैनिकों को इस योजना के लाभ देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) राज्य सैनिक बोर्ड, लखनऊ (उ०प्र०) से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में उन भूतपूर्व सैनिकों की संख्या के बारे में ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जिन्होंने "सेमफेक्स-I" और "सेमफेक्स-II" नामक नई योजनाओं के अंतर्गत ऋण-सुविधाएं ली हैं :—

31.12.1988 की स्थिति

जिले	सेमफेक्स-I	सेमफेक्स-II
	के अंतर्गत स्वीकृत ऋण लेने वालों की संख्या	
अल्मोड़ा	6	7
पिथौरागढ़	3	3

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के सैनिक कल्याण निदेशालय के अनुसार ऐसी कोई विशिष्ट लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । फिर भी, उक्त स्कीमों के संचालन तथा स्कीमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में अल्मोड़ा सहित उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों से पहले कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । राज्य वित्तीय निगमों के पास लम्बित पड़े आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के माध्यम से सतत् सम्पर्क किया जाता है । राज्य सैनिक बोर्ड इस मामले को राज्य स्तर पर भी उठाते हैं । कठिनाइयों को दूर करने और उक्त योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए कतिपय प्रक्रियात्मक संशोधन भी किए गए हैं ।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में रक्षा कृषि अनुसंधान यूनिट का विस्तार

3432. **श्री हरीश रावत :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ (उत्तर प्रदेश) में रक्षा कृषि अनुसंधान यूनिट का विस्तार करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस यूनिट के लिए पिथौरागढ़ में बड़े पैमाने पर किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रभावित परिवारों के व्यक्तियों को उनकी योग्यतानुसार इसमें रोजगार प्रदान किया गया है, यदि हां, तो अब तक कितने प्रभावित परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है ;

(घ) क्या स्थानीय अधिकारियों को यूनिट में रिक्त पड़े पदों पर प्रभावित परिवारों को रोजगार देने में प्राथमिकता प्रदान करने के अनुदेश जारी किये गये हैं ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) यदि हां, तो क्या इन अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

हिमालय क्षेत्र के लिये केन्द्रीय प्राधिकरण

3433. **श्री हरीश रावत :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय हिमालय क्षेत्र के समन्वित विकास के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकरण गठित करने का विचार किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्राधिकरण का गठन कब तक किया जाएगा ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र

3434. **श्री हरीश रावत :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ जिलों में पर्यटकों को आकर्षित करने वाले स्थल दर्शाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग ने भारत का पर्यटन मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें अल्मोड़ा सहित पर्यटक रुचि के प्रमुख केन्द्रों को दर्शाया गया है। तथापि, जिला सीमाओं को चिन्हित नहीं किया गया है।

भावनगर तथा राजकोट के लिए विमान सेवा

[अनुवाद]

3435. **डा० दिग्विजय सिंह :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भावनगर और राजकोट को जाने वाली विमान सेवाओं का ब्योरा क्या है और वे कितने समय अन्तराल से जाती है ;

(ख) क्या इन नगरों के लिए प्रतिदिन विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए जनता ने कोई मांग की थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या भावनगर तथा राजकोट के लिए इंडियन एअरलाइंस की ऐसी विमान सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से प्रारंभ किए जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) चालू समय-सारणी में, इंडियन एअरलाइंस बम्बई और राजकोट के बीच सप्ताह में 4 दिन और बम्बई और भावनगर के बीच सप्ताह में 3 दिन की बी-737 सेवा का परिचालन कर रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पर्याप्त अतिरिक्त विमान क्षमता प्राप्त कर लेने के बाद, इंडियन एअरलाइंस बम्बई-राजकोट और बम्बई-भावनगर मार्ग पर एक दैनिक टर्मिनेटर सेवा के परिचालन पर विचार करेगी।

नाभिकीय विद्युत अपशिष्ट

3436. **डा० दिग्विजय सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाभिकीय विद्युत अपशिष्ट की कुल कितनी मात्रा काचित की गई या अस्थायी रूप से जमा डम्प की गई ;

(ख) क्या इन अपशिष्टों को स्थायी रूप से जमा करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) जमा स्थल के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) अब तक कोई

रेडियो सक्रिय अपशिष्ट पदार्थ काचित नहीं किए गए हैं। तारापुर स्थित काचन संयंत्र का इस समय परीक्षण किया जा रहा है। यह परीक्षण अनुरूपी असक्रिय अपशिष्ट पदार्थों को प्रयोग में लाकर किया जा रहा है।

(ख) जब कभी भी काचित अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन किया जाएगा, तब उन्हें अपशिष्ट पदार्थों के स्थायी गोदामों में अन्तरित करने से पहले 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की अवधि के लिए अंतरिम भंडार तहखानों में रखा जाएगा।

(ग) दीर्घ कालीन न्यूक्लियर अपशिष्ट पदार्थों का निपटान अन्ततः सुरक्षित रूप से करने की दृष्टि से गहन भू-शैल समूहों में गोदाम बनाने के लिए अध्ययन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अनुरूपी परिस्थितियों में आतिथेय शैलों के तापीय, यांत्रिक, जल-भूवैज्ञानिक और रसायन आचरण का पता लगाने की दृष्टि से गणितीय माडल तैयार करने के लिए इस समय प्रयोग किए जा रहे हैं जिनके आधार पर गोदाम के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन किया जाएगा।

आतंकवादियों द्वारा हत्यायें

3437. **श्री कमल चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 31 दिसम्बर, 1988 तक पंजाब, चण्डीगढ़ तथा दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा हत्यायों इत्यादि से सम्बन्धित वर्ष वार तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने व्यक्ति मारे गये/घायल हुए ;

(ग) कितने मामले निपटाये गये हैं और इस सम्बन्ध में कितने दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया है तथा गिरफ्तार किया गया है और न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिए अब तक कितने चालान दर्ज किये हैं ; और

(घ) आतंकवादियों द्वारा मारे गये तथा घायल किये गये परिवारों को कितनी मुआवजा राशि तथा तदर्थ धनराशि दी गई है और इन्हें दी गई अन्य सुविधाओं अथवा रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ग) पंजाब और दिल्ली से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में वर्ष 1986 के दौरान ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया 1987 के दौरान, तीन मामले दर्ज किए गए पांच अभियुक्त गिरफ्तार किए गए और न्यायालय में कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया गया।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में 1986 में 520 व्यक्ति, 1987 में 910 और 1988 में 1949 व्यक्ति मारे गये। ऐसी घटनाओं में राज्य में 1986 में 356 व्यक्ति, 1987 में 639 और 1988 में 1237 व्यक्ति घायल हुए।

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में 1987 में पांच व्यक्ति और 1988 में चार व्यक्ति मारे गए। संघ शासित क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं में 1987 में सात व्यक्ति और 1988 में छह व्यक्ति घायल हुए। 1986 के दौरान कोई व्यक्ति नहीं मारा गया और न ही कोई घायल हुआ।

दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में 1987 में 27 व्यक्ति और 1988 में सात व्यक्ति मारे गए। 1986 में दिल्ली में दिल्ली में ऐसी घटनाओं में कोई व्यक्ति नहीं मारा गया। आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) पंजाब में 1986, 1987 और 1988 के दौरान आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 5,61,50,000 रु० की राशि वितरित की गई है। इसी अवधि के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में घायल हुए व्यक्तियों को 24,62,678 रु० की राशि का भुगतान किया गया है आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं में शोकसन्तप्त परिवारों के सदस्यों को रोजगार देना, 250 रु० प्रतिमाह की दर से वित्तीय सहायता देना और आतंकवादी हिंसा के शिकार व्यक्तियों की विधवाओं को मकानों का मुफ्त आवंटन और हिंसा के शिकार व्यक्तियों को रियायती दरों पर आवासों का आवंटन शामिल है।

संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में 1987 और 1988 के दौरान आतंकवादी गतिविधियों के कारण हुई घटनाओं में मारे गए व्यक्ति के परिवारों को 3.40 लाख रु० और घायल हुए व्यक्ति को 13,000/- रुपए वितरित किए गये हैं।

संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

भारत-बंगला देश सीमा पर सड़कों का निर्माण और कांटेदार तार लगाना

3438. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत बंगलादेश सीमा पर गैर कानूनी आप्रवासन रोकने के लिए सड़कों के निर्माण और कांटेदार तार लगाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है और इन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या बंगलादेश से वहां के लोगों का आना अभी तक जारी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) असम में 36 कि. मी. की सीमावर्ती सड़कों पर कांटेदार बाड़ लगाने की स्वीकृति हाल ही मे जारी की गई है। मिट्टी का कार्य और पुलियों के निर्माण के कार्य में हुई प्रगति की राज्य-वार स्थिति इस प्रकार है :—

असम	:	58 कि.मी.
पश्चिम बंगाल	:	55 कि.मी.
मेघालय		77 कि.मी.
त्रिपुरा		19 कि.मी.

निर्माण करने वाली एजेन्सियों द्वारा फरवरी, 1989 तक निर्दिष्ट कुल व्यय 13.07 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के पूरा होने में लगभग 10 वर्ष का समय लगने की संभावना है।

(ग) और (घ) भारत-बंगलादेश सीमा से घुसपैठ रोकने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल, जो कि इस सीमा पर निगरानी कर रही है, को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है तथा अधिक सीमा चौकियां स्थापित की गई हैं। सीमापार गतिविधियों पर निगरानी रखने हेतु अतिरिक्त निगरानी बूर्जों का निर्माण किया गया है। गश्त गहन लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को संवेदनशील उपकरण तथा वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं।

विशेष संघटक योजना की त्रुटियां

3439. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विशेषज्ञ समिति अथवा स्वयं केन्द्रीय सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि अनुसूचित जातियों के लिये केन्द्र द्वारा वित्त पोषित विशेष संघटक योजना विशेष रूप से कृषि, ग्राम और कुटीर उद्योग, पशुपालन आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के विकास के कार्यक्रमों को कारगर ढंग से लागू करने में कितनी सफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इस संबंध में यदि किन्हीं त्रुटियों का पता चला है तो उन्हें दूर करके वर्तमान कार्य पद्धति को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निरीक्षणों, दौरों, परिचर्चाओं अथवा स्थल अध्ययन के दौरान जो कमियां पाई जाती हैं, उन्हें उपचारी कार्रवाई हेतु संबंधित राज्यों के ध्यान में लाया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान

[हिन्दी]

3440. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य और संघराज्य क्षेत्र को अनुदान अथवा ऋण के रूप में कितनी धनराशि की सहायता दी गयी ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और उसके पिछड़ेपन को देखते हुए इस राज्य को अतिरिक्त धनराशि आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी धनराशि आवंटित की जायेगी और यह धनराशि कब तक आवंटित किये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को अनुदान या ऋण के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सहायता में से उत्तर-प्रदेश का भाग संशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो कि अन्य बातों के साथ-साथ जनसंख्या के आकार तथा पिछड़ेपन को ध्यान में रखता है। इसलिए उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सहायता

(लाख रु०)

राज्य	ऋण	अनुदान
1. आंध्र प्रदेश	26147	12274
2. अरुणाचल प्रदेश	1333	11994
3. असम	35003	21595
4. बिहार	35059	17203
5. गुजरात	31812	19405
6. हरियाणा	6174	2941
7. हिमाचल प्रदेश	3221	22027
8. जम्मू और कश्मीर	28663	14270
9. कर्नाटक	14190	6265
10. केरल	16721	8302
11. मध्य प्रदेश	30690	17671
12. महाराष्ट्र	25439	12959
13. मणीपुर	1200	11085
14. मेघालय	1082	9738
15. मिजोरम	905	5462
16. नागालैण्ड	1626	14630
17. उड़ीसा	19630	10679

राज्य	ऋण	अनुदान
18. पंजाब	69418	1894
19. राजस्थान	39489	29048
20. सिक्किम	695	5381
21. तमिलनाडु	26610	12859
22. त्रिपुरा	1256	11579
23. उत्तर प्रदेश	61695	40742
24. पश्चिम बंगाल	17544	9672
25. गोवा	10594	2496
जोड़	506176	332771
विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र		
पांडिचेरी	1750	2987

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन

3441. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को स्वतन्त्रता सेनानी सम्मान पेंशन मंजूर करने के लिए इनके कारावास की अवधि 6 महीने से घटाकर तीन महीने करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित स्वतन्त्रता सैनानियों की यातना अवधि पहले ही घटाकर तीन माह कर दी गयी है ।

विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास

[अनुवाद]

3442. **श्री सो. सम्बु** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा हवाई अड्डे का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना में धावनपथ का सुदृढ़ीकरण, बोइंग-737 विमान के परिचालन के लिए उपयुक्त एक टर्मिनल भवन का निर्माण, धावनपथ प्रकाश व्यवस्था का संस्थापन, टैक्सी पथ प्रकाश व्यवस्था, एप्रन प्रकाश व्यवस्था इत्यादि शामिल हैं।

गंटूर/ओंगोले के लिए वायुदूत सेवा

3443. श्री सी. सम्बु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गंटूर और ओंगोले नगरों के लिए वायुदूत सेवायें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"पिलफरेज बाई एअर इंडिया स्टाफ अलेज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3444. श्री ए. चार्ल्स : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 फरवरी, 1989 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में पिलफरेज बाई एयर इंडिया स्टाफ अलेज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त घटना की कोई जांच कराई गई है ;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एयर इंडिया द्वारा इस संबंध में की गई जांच से इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता कि जब सम्पत्ति एयर इंडिया के पास थी उस समय चोरी हुई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) यात्रियों के सामान पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और जब कभी भी चोरी का कोई मामला ध्यान में आता है तो इसकी जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

वायुमंडलीय अनुसंधान से अन्तरिक्ष तकनीक के प्रयोग के लिए सोवियत संघ सहयोग

3445. **श्री एस. एम. गुरुडी :**
श्री शांति लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-सोवियत संघ ने अंतरिक्ष तकनीक का प्रयोग कर मौसम विज्ञान संबंधी तथा ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के क्षेत्र में एक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसे कब तक लागू किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन्) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तरिक्ष मौसमविज्ञान और वायुविज्ञान के क्षेत्रों में 1970 से पहले से विद्यमान भारत-सोवियत सहयोग को समाकलित करने तथा और सुदृढ़ करने के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच 18.1.1989 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह करार मौसमविज्ञानीय, ऊपरी वायुमंडलीय और आयनमंडलीय प्रक्रियाओं के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ाने में सहायक होगा। इसमें वायुमंडलीय लघु संघटकों और जलवायु के मानवोद्भवी परिवर्तनों, आयनमंडलीय संरचना तथा विद्युत-गतिकी, मानसून प्रणाली और सुदूर संवेदन तकनीकों के प्रयोग से फसल की अवस्था तथा उत्पादकता की भविष्यवाणी से संबंधित क्षेत्रों में सम्भावित संयुक्त अन्वेषणों की भी व्यवस्था है।

(ग) वर्तमान करार जनवरी, 1994 तक वैध है और यह आपसी सहमति से पांच वर्षों के लिए नवनीय है तथा इसमें संयुक्त अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों एवं उनकी आवधिक समीक्षा की व्यवस्था है।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र में परमाणु ईंधन के पुनः उपयोग की सुविधा

3446. **श्री जी. एस. वासवराजू :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु विद्युत संयन्त्र में परमाणु ईंधन के पुनः उपयोग की सुविधा विकिरण समस्या से मुक्त पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह एकक विकिरण खतरे से किस सीमा तक सुरक्षित है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) से (ग) तारापुर स्थित न्यूक्लियर सुविधाओं के आस-पास के पर्यावरण का संवीक्षण पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशाला के कार्मिकों द्वारा उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग करके लगातार किया जाता है और कोई भी असमान्यता नहीं पाई गई है। तारापुर के कार्यकलाप से संयंत्र के कार्मिकों, जन-सामान्य और पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है।

मिग-21 लड़ाकू विमान विकसित करने के सोवियत प्रस्ताव

3447. **श्री जी. एस. वासवराजू** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने भारत को पुनर्गठित मिग-21 लड़ाकू विमान संयुक्त रूप से विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो सशस्त्र सेनाओं के लिए यह किस सीमा तक सहायक सिद्ध होगा ;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नेशनल कैडेट कोर के कैडेट

3448. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में नेशनल कैडेट कोर के विश्वविद्यालयवार कुल कितने कैडेट और अधिकारी हैं ;

(ख) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष और गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान कुल कितना खर्च हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) 107 विश्वविद्यालयों के बारे में अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। आंध्र प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए रक्षा बजट में केवल निम्नलिखित व्यय की व्यवस्था की जाती है :—

(1) पूर्ण कालिक अफसरों तथा महिला कैडेट प्रशिक्षकों के वेतन एवं भत्ते।

(2) कपड़े तथा उपकरण।

(3) कैम्प व्यय का 50%।

(4) सिविलियन किस्म के वाहनों की खरीद एवं रखरखाव।

(5) कार्यालय आकस्मिक अनुदान।

पिछले 3 वर्षों के दौरान इन मदों पर हुआ व्यय इस प्रकार है :—

	(लाख रुपए में)
1986-87	1252.31
1987-88	1683.87
1988-89 (31.1.1989 तक)	954.10

नियमित सेना अफसरों तथा स्थायी प्रशिक्षण स्टाफ के वेतन एवं भत्तों, प्रशिक्षण उपकरणों, गोलाबारूद एवं सेवा वाहनों संबंधी व्यय की व्यवस्था संबंधित सेना मुख्यालयों के बजट में की जाती है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए अलग से यह व्यवस्था नहीं की जाती। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा भी व्यय वहन किया जाता है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर पर कुल व्यय प्रतिवर्ष अनुमानतः 137 करोड़ रुपए है जिसमें ये शामिल हैं—राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों का हिस्सा (जो कि लगभग 40 करोड़ है), ऊपर बताई गई पांच मदों का व्यय, और संबंधित सेना मुख्यालयों के बजट में की गई व्यवस्था।

विवरण

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	30 अक्तूबर 88 को				31 मार्च, 88 को				31 मार्च, 87 को			
		कैडेट	पूर्ण-कालिक अफसर	अंश-कालिक अफसर	नियमित अफसर	कैडेट	पूर्ण-कालिक अफसर	अंश-कालिक अफसर	नियमित अफसर	कैडेट	पूर्ण-कालिक अफसर	अंश-कालिक अफसर	नियमित अफसर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
दिल्ली	दिल्ली विश्वविद्यालय	9021	14	40	32	9220	14	39	31	9391	14	36	32
	जातिया मिलिया इस्लामिया	150		1		160		1		160		1	
राजस्थान	राजस्थान विश्वविद्यालय	11773	17	58	53	11773	17	58	53	11683	17	49	48
	जोधपुर विश्वविद्यालय	440		25		440		25		440		27	
	सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	373		35		373		35		373		38	
तमिलनाडु	मद्रास विश्वविद्यालय	6097	9	64	20	6097	9	64	21	6077	9	59	20
	पांडी, केन्द्रीय विश्वविद्यालय	557	3	10	7	557	3	10	7	568	3	10	5
	अन्ना विश्वविद्यालय,	200	—	5	2	200	—	5	2	200	—	5	2
	मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै	4840	8	62	17	4840	8	62	18	4832	6	69	13
	भारतीदासन विश्वविद्यालय, तिरची	3255	5	37	10	3255	5	37	11	3268	4		9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अन्नामल्लै विश्व-विद्यालय, अन्ना नगर	1002	—	6	1	1002	—	6	—	1008	—	6	—
	कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर	290	—	2	3	290	—	2	3	300	—	2	3
	भारतीयार विश्वविद्यालय कोयम्बटूर	4303	5	32	10	4303	5	32	12	4290	5	32	11
उत्तर प्रदेश	आगरा विश्वविद्यालय	10182	8	89	19	10182	8	89	19	7950	9	85	18
	कानपुर विश्व-विद्यालय	4135	10	40	14	4135	10	40	14	3914	12	37	16
	इलाहाबाद विश्व-विद्यालय	908	5	8	5	908	5	8	6	637	5	6	6
	अवध विश्वविद्यालय	915	1	10	3	915	1	10	3	589	2	8	3
	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	560	—	8	—	560	—	8	—	770	—	8	—
	मेरठ विश्वविद्यालय	20682	18	243	25	20682	18	243	25	18481	18	240	30
	गोरखपुर विश्व-विद्यालय	3195	7	36	10	3195	7	36	10	3163	8	33	9
	फैजाबाद विश्वविद्यालय	235	2	3	2	235	2	3	2	200	2	3	1
	चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय	220	—	4	—	220	—	4	—	220	—	4	—
	लखनऊ विश्वविद्यालय	1585	—	17	—	1585	—	17	—	1585	—	17	—

	गोविंद बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय	7394	5	74	9	7379	5	73	9	7382	6	74	9
	रूड़की विश्वविद्यालय	586	1	3	1	586	1	3	1	474	1	4	1
	बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय, वाराणसी	1527	2	14	9	1527	2	14	9	1272	3	12	8
	काशी विद्यापीठ	9	—	9	—	9	—	—	—	· ·	—	—	—
	सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय	104	—	1	—	104	—	1	—	103	—	1	—
	रूहेलखंड विश्व-विद्यालय पूर्वांचल, जौनपुर	1258	2	11	6	1258	2	11	6	1354	2	10	6
	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	622	—	4	2	622	—	4	2	555	—	4	2
भुवनेश्वर	उत्कल विश्व-विद्यालय	4360	5	52	12	4360	5	59	11	4360	5	51	11
	ब्रह्मपुत्र विश्व-विद्यालय	1840	3	10	10	1900	3	20	10	1900	3	17	10
	सम्बलपुर विश्व-विद्यालय	1800	3	23	8	1800	3	20	8	1800	3	21	8
	ओडिसा कृषि और तकनीकी विश्व-विद्यालय	200	—	2	1	200	—	2	1	200	—	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर-पूर्वी	नेहरू विश्वविद्यालय, शिलांग		4	17	16	1711	6	14	14	1735	5	14	15
	गुवाहटी विश्वविद्यालय		5	58	26	6058	7	52	25	5925	8	53	23
क्षेत्र	डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय		11	26	14	3635	11	26	14	4164	11	22	14
	मणिपुर विश्वविद्यालय		—	13	6	1161	2	13	5	1138	2	13	5
	असम कृषि विश्वविद्यालय		—	—	1	312	—	1	1	312	—	1	1
कर्नाटक	बंगलूर विश्वविद्यालय	8400	10	72	16	8384	10	73	17	8282	10	73	16
और गोवा	कृषि विश्वविद्यालय	320	—	2	—	320	—	2	—	320		2	—
	मैसूर विश्वविद्यालय	4160	6	36	7	4159	6	37	7	4003	5	32	6
	मंगलूर विश्वविद्यालय	3105	4	15	9	3105	4	15	9	3105	4	13	9
	गुलबर्गा विश्वविद्यालय	6000	8	63	9	6000	8	67	9	6000	घ	59	6
	धारवाड़ विश्व-विद्यालय	5840	7	—	10	5640	7	—	10	5680	6	—	10
	गोवा विश्वविद्यालय	1085	3	15	2	1085	3	17	2	995	3	14	2
	कुवेम्पु विश्वविद्यालय	735	1	8	11	735	1	8	1	735	1	8	1
भोपाल	भोपाल विश्वविद्यालय	3200	5	34	7	3200	5	34	7	3290	7	32	7
(म.प्र.)	ग्वालियर विश्व-विद्यालय	3875				3875				3875			
	इंदौर विश्वविद्यालय	3840	2	38	10	3840	2	38	10	3840	1	37	10
	उज्जैन विश्वविद्यालय	1070	1	10	11	1070	1	10	11	1070	1	10	11

	जबलपुर विश्वविद्यालय	3585	5	33	13	3585	5	33	13	3585	5	33	13
	कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	350	—	4	7	350	2	4	7	350	2	4	7
	रायपुर विश्वविद्यालय	3340	2	31	9	3340	1	31	9	3300	2	30	—
	बिलासपुर विश्व-विद्यालय	670	2	8	8	670	2	8	8	670	1	8	8
	सागर विश्वविद्यालय	3185	2	31	10	3185	3	31	10	3185	3	29	10
	रीवा विश्वविद्यालय	785	2	8	5	785	2	8	5	785	1	8	5
										1600		10	
बिहार	पटना विश्वविद्यालय	1700	36	11	34	1700	36	11	34	4340	38	24	45
	भागलपुर विश्व-विद्यालय	4547		28		4547		27		9040		49	
	मगध विश्वविद्यालय	8960		51		8960		51		4810		26	
	मिथिला विश्वविद्यालय	4460		26		4460		26		2700		15	
	बिहार विश्वविद्यालय	2720		17		2720		17		5510		31	
	रांची विश्वविद्यालय	6460		36		6460		36					
केरल और लक्षद्वीप	केरल विश्वविद्यालय	7227	11	60	29	7409	12	63	29	7592	13	58	30
	गांधीजी विश्वविद्यालय	8917	9	70	19	8752	11	72	19	9161	12	68	19
	कृषि विश्वविद्यालय	115	—	1	1	115	—	—	1	120	—	—	1
	कालीकट विश्वविद्यालय	5620	8	52	27	5873	9	55	27	5049	9	50	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
कलकत्ता और सिक्किम	कलकत्ता विश्व-विद्यालय	10367	20	64	17	10367	20	64	17	11049	36	72	72
	जाधवपुर विश्वविद्यालय	106		1		106		1		107		1	
	कल्याणी विश्वविद्यालय	147		1		147		1		147		1	
	वर्दवान विश्वविद्यालय	5117		29		5117		29		4529		29	
	विद्यासागर विश्व-विद्यालय	1800		6		1800		6		1665		8	
	उत्तर बंगाल विश्व-विद्यालय	3148		17		3148		17		3160		19	
	विश्वभारती विश्व विद्यालय	160		—		160		—		117		—	
	रेलवे बोर्ड	307		3		307		3		538		3	
	तकनीकी संस्थान	1137		11		1137		11		1252		11	
चंडीगढ़ पंजाब, हि०प्र० निदेशालय	गुरू नानक देव विश्वविद्यालय	7585	7	58	11	7585	7	58	11	7669	7	6	11
	पंजाब विश्वविद्यालय	6723	13	70	16	6723	13	70	16	6093	13	60	16
	पंजाबी विश्वविद्यालय	3598	6	45	10	3598	6	45	10	3500	6	46	10
	पंजाब कृषि विश्व-विद्यालय	306	1	3	2	306	1	3	2	306	1	7	2
	महर्षि दयानन्द विश्व-विद्यालय	5479	8	63	9	5479	8	63	9	6142	7	38	9

	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	7373	11	91	11	7373	11	91	11	5852	9	91	12
	हरियाणा कृषि विश्व-विद्यालय	79	1	—	1	79	1	—	1	124	1	1	1
	हि. प्र. विश्वविद्यालय	2898	4	23	12	2898	4	23	12	3121	4	24	13
	हि. प्र. कृषि विश्व-विद्यालय	190	1	1	2	190	1	1	2	243	1	1	2
गुजरात निदेशालय	गुजरात विश्वविद्यालय	7500	38	57	39	8183	38	75	39	8514	38	75	40
	सरदार पटेल विश्व-विद्यालय	1236		12		1226		12		1024		12	
	कृषि विश्वविद्यालय	290		2		263		2		141		2	
	उत्तर गुजरात	1399		22		—		—		—		—	
	एम. एस. विश्व-विद्यालय	1060		9		836		9		945		11	
	दक्षिण गुजरात	2134		13		2175		14		1878		14	
	भावनगर	1070		12		880		10		624		9	
	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	3615		30		3570		29		3555		28	
	एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय	427		3		338		3		249—		2	
	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	204		2		213		3		184		3	
महाराष्ट्र निदेशालय	बम्बई विश्वविद्यालय	17181	—	—	—	17245	—	—	—	17199	—	—	—
	एस. एन. डी. टी. विश्वविद्यालय	84	8	182	20	84	8	181	20	46	8	172	18
	पूना विश्वविद्यालय	8609	8	94	15	8609	8	94	15	8647	8	99	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
	नागपुर विश्वविद्यालय	4587	6	43	13	4587	5	46	12	4589	6	47	12
	शिवाजी विश्वविद्यालय	5627	9	70	13	5627	9	71	12	6142	9	73	13
	मराठा विश्वविद्यालय	3572	4	51	8	3572	4	51	8	3572	4	53	8
	अमरावती विश्व-विद्यालय	11210	5	146	7	11210	5	149	8	11210	5	147	9
	कोंकण कृषि विद्यापीठ	54	—	—	—	54	—	—	—	54	—	1	—
	राहुरी कृषि विद्यापीठ	53	—	149	2	53	—	149	2	53	—	147	2
	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ	13	—	1	—	13	—	1	—	11	—	1	—
	महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ	54	—	1	—	54	—	1	—	54	—	1	—
	मराठवाडा कृषि विश्व-विद्यालय	54	—	1	—	54	—	1	—	54	—	1	—

असम में सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन

3449. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान असम की छोटी और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) चालू वार्षिक योजना वर्ष के लिए असम को इस प्रयोजन के लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) सातवीं योजना के दौरान असम के लिए लघु और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए किए गए आवंटन ।

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	मद	सातवीं योजना के दौरान आवंटन
1.	लघु सिंचाई	160.00
2.	बड़ी और मझौली सिंचाई	137.00

(ख) इस उद्देश्य के लिए योजना में किया गया आवंटन । वर्तमान वर्ष की वार्षिक योजना

क्रम सं०	मद	1988-89 के दौरान आवंटन
1.	लघु सिंचाई	36.88 | *
2.	बड़ी और मझौली सिंचाई	26.79 |

* तथापि, राज्य सरकार ने सुझाव दिया कि परिव्यय को निम्न प्रकार से परिशोधित किया जाए :

	(करोड़ रु.)
लघु सिंचाई	29.50
बड़ी और मझौली सिंचाई	20.09

वार्षिक योजना 1988-89 के लिए मूलत: तथा स्वीकृत बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के परियोजनावार ब्यौरे

		(करोड़ रु.)
	सामान्य	
1.	धानसीरी	10.00
2.	चम्पामाटी	3.00

		(करोड़ रुपये)
3.	कलियाभोर	0.50
4.	कलदिया	0.75
5.	डैकलोंग	0.70
6.	बोरबीकराई	1.28
7.	इन्टड कैलींग	2.00
8.	रूपाह	0.40
9.	पहुमारा	2.20
10.	बुरीडीहिंग	0.50
11.	बरोलिया	1.30
12.	जमुना का आधुनिकरण	0.05
13.	लोंगा का सुधार	0.05
14.	जल विकास सेवाएं	0.06
	जोड़	25.79
		(करोड़ रु.)
	पर्वतीय क्षेत्र	
1.	कोलोंगा	0.20
2.	हवाईपुर एल. आई.	0.35
3.	जल विकास सेवाएं	0.45
	जोड़	1.00
	कुल जोड़	26.79
	(सामान्य+पर्वतीय क्षेत्र)	

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की "सुव्यवस्थित व्यवसाय योजना"

3450. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, अधिकारियों के निजी सामान और कार्यक्षमता को देखते हुए उनके लिए कोई सुव्यवस्थित व्यवसाय योजना शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार ने कोई मार्ग निर्देश जारी किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती के अधिकारियों के कैरियर विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें :

(I) **फील्ड तैनाती पर बल** — दो वर्षों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के बाद किसी अधिकारी को लगभग 2-3 वर्षों के लिए उप मंडलीय अधिकारी के पद पर और उसके बाद अपर जिला कलक्टर के पद पर तैनात किया जाना चाहिए। इसके बाद उक्त अधिकारी को जिला कलक्टर के पद पर तैनात किया जा सकता है। इस प्रकार लगभग पहले 9 वर्षों में, कोई अधिकारी फील्ड में काम करेगा और फील्ड के बहुमूल्य अनुभव के साथ तुरन्त और निष्पक्ष निर्णय लेने और जनता के कल्याण की वचनबद्धता की योग्यता प्राप्त कर लेगा।

(II) **सचिवालय अनुभव** — किसी अधिकारी द्वारा जिले का अपेक्षित अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद उसे सेवा के 9वें से 18वें वर्ष के बीच किसी सचिवालय पद या विभागाध्यक्ष के पद पर तैनात किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान अधिकारी की तैनातियां उसकी योग्यता तथा सक्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों में की जानी चाहिए।

(III) **उपयुक्त कार्यविधि की वांछनीयता** — अधिकारी को प्रत्येक पद पर उपयुक्त कार्यावधि तक कार्य करने दिया जाए ताकि यह कारगर हो सके।

लोक शिकायतों को दूर करने के कार्य में संलग्न स्वयं सेवी एजेंसियां

3451. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत स्वयंसेवी एजेंसियां ऐसी लोक शिकायतों को दूर करने के कार्य में जुटेंगी जिन पर प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के हित में तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकारों को कोई मार्ग-निर्देश दिए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) प्रशासनिक सुधारों तथा लोक शिकायतों के निवारण के लिए सरकारी प्रयासों मे सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयंसेवी एजेन्सियों को शामिल करने का एक प्रस्ताव दिसम्बर, 1985 में चलाया गया था। तदनुसार, केन्द्रीय मंत्रालयों से ऐसी स्वयंसेवी एजेन्सियों का पता लगाने का अनुरोध किया गया था जिनके साथ वे दीर्घकालीन आधार पर परस्पर सहयोग तथा इस योजन से एक मंच की स्थापना करना चाहेंगे। पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कल्याण मंत्रालय, युवा कार्य तथा क्रीड़ा विभाग जैसे कुछ मंत्रालयो/विभागों ने चुनिंदा स्वयंसेवी एजेन्सियों के साथ परस्पर सहयोग की संस्थागत व्यवस्था की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत आस्ट्रेलिया सहयोग

3452. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ संयुक्त परि-योजनाएं स्थापित करने में बड़ी रुचि दिखाई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के शिष्ट मंडलों ने इस सम्बन्ध में आगे बातचीत के लिए एक दूसरे के देशों का भ्रमण किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां। आस्ट्रेलिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत के साथ सहयोग करने में रुचि दिखायी है और भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एक करार पर अक्तूबर, 1986 में हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) और (ग) करार पर हस्ताक्षर किये जाने के फलस्वरूप एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए पारस्परिक रुचि के क्षेत्रों के अभिनिर्धारण के लिए आस्ट्रेलिया का दौरा किया। तदनुपरान्त, आस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के आस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने के लिए आगे बातचीत की गई।

मौसम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर भारत मौसम विज्ञान विभाग तथा आस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो के बीच आस्ट्रेलियाई प्रधान मन्त्री के हाल ही में भारत के दौरे के दौरान 10 फरवरी, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये।

स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशों से धन प्राप्त किया जाना

3453. **डा. ए. के. पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों में से गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में राज्यवार कितने संगठनों ने और कितना विदेशी धन प्राप्त किया और यह धनराशि देने वाली विदेशी एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उक्त धनराशि का आपत्तिजनक कार्यकलापों के लिए दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और राज्य सरकारों ने अनेक विदेशी मिशनरियों को निष्कासित करने के आदेश दिए हैं, यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और उनकी गतिविधियों के क्षेत्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1984 से 1986 तक का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-1 विवरण-2 और विवरण-3 में दिया गया है। वर्ष 1987 की सूचना का संगणकीकरण किया जा रहा है। तथापि, सूचना के विशाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए सूचना का प्रापक-वार तथा दातावार दिया जाना संभव नहीं है।

(ख) जब कभी अधिनियम का उल्लंघन सरकार के ध्यान में आता है तो एफ. सी. आर. अनिधनियम, 1976 के विभिन्न उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाती है। विदेशी मिशनरियों के निष्कासन के आदेश इस अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत नहीं आते।

विवरण-I

1984

वर्ष 1984 के दौरान राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नामों, प्रापकों की संख्या और उनके द्वारा प्राप्त कुल राशि

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्रापक की संख्या	वर्ष 1984 के दौरान प्राप्त की गई राशि (रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	371	25,34,11,788
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	18,647
3.	असम	28	2,12,00,648
4.	बिहार	125	12,07,42,347
5.	चंडीगढ़	7	30,33,755
6.	दादरा और नगर हवेली	4	7,44,808
7.	दिल्ली	151	27,74,71,065
8.	गोवा दमन और दीव	46	3,13,16,664
9.	गुजरात	81	8,34,02,590
10	हरियाणा	7	31,35,156
11.	हिमाचल प्रदेश	7	1,67,96,332
12.	जम्मू और कश्मीर	9	98,25,546
13.	केरल	611	29,49,06,544
14.	मध्य प्रदेश	116	9,05,94,124
15.	महाराष्ट्र	366	31,24,43,894
16.	मणिपुर	12	1,58,67,150
17.	मेघालय	40	3,28,59,621

1	2	3	4
18.	मिजोरम	3	5,19,028
19.	कर्नाटक	357	15,31,81,803
20	नागालैण्ड	11	1,17,88,311
21.	उडीसा	72	3,75,94,197
22.	पांडिचेरी	30	1,57,57,347
23.	पंजाब	20	1,88,90,306
24.	राजस्थान	24	1,08,90,271
25.	तमिलनाडु	658	42,89,78,773
26.	त्रिपुरा	1	7,15,949
27.	उत्तर प्रदेश	157	5,50,61,950
28.	पश्चिम बंगाल	264	22,55,24,941
	अन्य राज्य	23	1,32,18,245
	वर्ष 1984 के लिए कुल राशि	3612	2,53,98,92,600

विवरण-2

1985 में विदेशी अभिवायों से प्राप्त राज्यवार राशि

क्रम सं.	राज्य का नाम	प्राप्तकों की सं.	प्राप्त राशि
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार	2	18,270
2.	आंध्र प्रदेश	427	27,27,73,493
3.	असम	51	3,47,14,550
4.	बिहार	209	1314,43,356
5.	चण्डीगढ़	3	14.30,426
6.	दादरा और नगर हवेली	3	3,32,270
7.	दिल्ली	186	15,72,82,450
8.	गोवा दमन और द्वीव	46	1,08,39,616
9.	गुजरात	227	7,42,74,420

1	2	3	4
10.	हरियाणा	19	26,66,060
11.	हिमाचल प्रदेश	21	2,81,77,149
12.	जम्मू और कश्मीर	16	1,28,64,147
13.	केरल	871	31,6,1 49,596
14.	मध्य प्रदेश	202	10,56,28,254
15.	महाराष्ट्र	478	51,45,58,018
16.	मणिपुर	20	1,99,23,865
17.	मेघालय	51	4.12,82,632
18.	मिजोरम	4	10,13,021
19.	कर्नाटक	502	30,03,39,425
20.	नागालैंड	15	1,64,60,777
21.	उड़ीसा	96	4,45,62,587
22.	पांडिचेरी	33	1,11,72,964
23.	पंजाब	70	3,94,56 058
24.	राजस्थान	39	1.73,35,461
25.	तमिलनाडु	826	52,10 80,762
26.	सिक्किम	2	1,76,405
27.	उत्तर प्रदेश	254	10,64,85,654
28.	पश्चिम बंगाल	422	39,13,33,968
	अन्य राज्य	4	14,11,383
	वर्ष के लिए कुल राशि	5099	3,17,51,85,835

विवरण-3

वर्ष 1986 में विदेशी अभिदायों से प्राप्त राज्यवार राशि

क्र. सं.	राज्य का नाम	प्राप्तकों की संख्या	प्राप्त राशि (रु. ह० में)
1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार	3	3313
2.	आन्ध्र प्रदेश	475	470355

1	2	3	4
3.	असम	51	28796
4.	बिहार	201	163828
5.	चण्डीगढ़	5	5227
6.	दादरा और नगर हवेली	2	208
7.	दिल्ली	225	511729
8.	गोवा, दमन और दीव	61	16330
9.	गुजरात	256	74525
10.	हरियाणा	12	3270
11.	हिमाचल प्रदेश	25	13005
12.	जम्मू और कश्मीर	13	7894
13.	कर्नाटक	527	465598
14.	केरल	915	386884
15.	मध्य प्रदेश	167	141186
16.	महाराष्ट्र	615	584085
17.	मणिपुर	24	18390
18.	मेघालय	61	40523
19.	मिजोरम	4	2249
20.	नागालैंड	9	19313
21.	उड़ीसा	100	78219
22.	पंजाब	42	43657
23.	पांडिचेरी	34	15517
24.	राजस्थान	41	18353
25.	सिक्किम	2	2633
26.	तमिलनाडु	962	841347
27.	त्रिपुरा	1	366
28.	उत्तर प्रदेश	237	107414
29.	पश्चिम बंगाल	331	318582
	जोड़	5,401	4,382,795
			(रु० हजारों में)

सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

3554. **श्री बलराम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर में सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ; और

(ग) इन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र के निर्धारित कार्यों और कार्यक्षेत्र का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सूचना विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

भूकंप की चेतावनी देने के लिए बेहतर उपकरण का उपयोग

3455. **श्री बलराम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 दिसम्बर, 1988 को इण्डियन पोस्ट में "हाफ आफ इण्डिया क्वैक प्रोन" शीर्ष से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि देश में मौजूदा सावधानी और चेतावनी प्रणालियां भूकंप की सही चेतावनी देने के लिए पर्याप्त हैं अथवा नहीं ;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) भूकंप प्रवण क्षेत्रों में भूकंप की सही और समय पर चेतावनी देने की व्यवस्था करने के लिए वहां बेहतर उपकरण लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मौजूदा जानकारी के आधार पर भूकंप का पूर्वानुमान लगाना और उसके बारे में चेतावनी देना सम्भव नहीं है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-चीन समझौता

[हिन्दी]

3456. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के मध्य पिछले दिसम्बर को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक समझौते पर सहमति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू कर दिया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां। भारत गणराज्य की सरकार तथा चीन लोक गणराज्य की सरकार के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एक करार पर 22 दिसम्बर 1988 को बीजिंग में हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस करार के अन्तर्गत (i) वैज्ञानिकों, अनुसंधान कर्मियों विशेषज्ञों और विद्वानों के आदान-प्रदान, (ii) वैज्ञानिक और तकनीकी समस्याओं के संयुक्त अभिनिर्धारण, ऐसे संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने जिनके फलस्वरूप उद्योग, कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के अनुसंधान के परिणामों का अनुप्रयोग हो, (iii) वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना के आदान-प्रदान, तथा (iv) द्विपक्षीय वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठियों और पाठ्यक्रमों के आयोजन, के जरिये सहयोग करने का विचार है।

अपने-अपने देश में लागू नियमों और विनियमों के अनुसार दोनों देशों में अपने-अपने सम्बन्धित संगठनों, उद्यमों और संस्थाओं के बीच अलग से प्रोटोकोल अथवा संविदा करने के लिए प्रावधान रखा गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग की योजना बनाने और उसे समन्वित करने तथा इस प्रकार के सहयोग का मानीटरन करने और उसे सुगम बनाने के लिए सहयोग पर एक संयुक्त समिति की स्थापना का भी प्रावधान उपलब्ध है।

दोनों देशों के बीच सहयोग कार्यक्रम को अन्तिमरूप देने के लिए संयुक्त समिति की पहली बैठक 30-31 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में आयोजित किये जाने का प्रस्ताव है।

सामान के साथ हैंडबैग का भार तोलना

[अनुवाद]

3457. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया के विमानों से विदेश जाने वाले यात्रियों को उनके साथ अपना हैंडबैग ले जाने की अनुमति नहीं है और उसका उनके सामान के साथ वजन तौला जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) एअर इंडिया द्वारा उड़ान कर रहे यात्रियों को केवल हैंडबैग ले जाने की अनुमति होती है बशर्ते कि इसका परिमाप 115 सेमी. से अधिक न हो और यह यात्री की सीट के नीचे या सिर के ऊपर खाने में रखा जा सके। इस हैंडबैग को यात्री के अन्य पंजीकृत बैगेज के साथ नहीं तोला जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में व्यापारियों की लूट और हत्या

[हिन्दी]

3458. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दक्षिण दिल्ली में असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ व्यापारियों को लूटा गया और उनकी हत्या की गई ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में इस प्रकार की कितनी घटनायें घटी हैं ; और

(ग) ऐसे मामलों को हल करने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान इस प्रकार के कोई मामला सूचित नहीं किया गया है ।

(ग) इस प्रकार के मामलों में आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली की सहायता से उपयुक्त जांच की जाती है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच पर कड़ी निगरानी रखी जाती है ।

कांडला पत्तन के लिए विमान सेवा

3459. **श्रीमती ऊषा ठक्कर** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला प्रमुख पत्तन को विमान सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़ने की मांग की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त स्थानों के बीच विमान सेवा कब तक आरंभ की जाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) जबकि कांडला और दिल्ली के बीच हवाई सेवाओं के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ; परन्तु वायुदल के पास विमान क्षमता की कमी और कांडला में इंडियन एअरलाइंस के बोइंग 737 विमान के लिए विमान पट्टी की अनुपयुक्तता को देखते हुए, इस समय इस सेवा को प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

तमिलनाडु में 20-सूत्री कार्यक्रम

[अनुवाद]

3460. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार तमिलनाडु में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकार की उपलब्धि क्या है ;

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने पूरी आवंटित धनराशि का उपयोग किया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) वर्ष 1987-88 की रिपोर्ट के अनुसार 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में तमिलनाडु सरकार के मुद्देवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण-2 में वर्ष 1987-88 में प्रत्येक मुद्दे के लिए आवंटन तथा व्यय दिए गए हैं।

विवरण-1

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भौतिक उपलब्धियां

राज्य का नाम : तमिलनाडु वित्तीय वर्ष 1987-88

मुद्दे का नाम	सूत्र सं०	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (पुराने तथा नए लाभग्राही)	1 ए	269380	276415
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित रोजगार	1 बी	27080000	32239728
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	1 सी	25566000	28510800
लघु उद्योग इकाईयां	1 डी	6000	8105
बेशी भूमि का आवंटन	5	1660	2683
बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास	6	100	401
पीने के पानी की हल की गई समस्या (बैंज)	7	1760	3168
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	8 बी	50	140
उप केन्द्र	8 सी	500	500
बच्चों का प्रतिरक्षण (डी. पी. टी. पोलियो तथा बी. सी. जी.	8 डी	915000	817511
एफ. पी. स्टैरलाइजेशन	9 ए	560000	511537
एफ. क्यू स्टैरलाइजेशन आई. यू. डी., सी. सी. एण्ड ओ. पी.	9 बी	120722	190714
आई. सी. डी. एस. आप्रेशन (कम)	9 सी	58	65
आंगनबाड़ियां	9 डी	5821	5821
सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	11 ए	200000	222469

1	2	3	4
सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजातीय परिवार	11 बी	9000	9854
आवंटित आवास स्थल	14 ए	170000	270983
दी गई सहायता का निर्माण	14 बी	8240	23000
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को दिए गए आवास	14 डी	7000	10622
निम्न आय वर्ग आवास	14 ई	610	1553
झुग्गी झोंपड़ी सुधार (शामिल की गई जनसंख्या)	15	58000	74009
वृक्षारोपण	16	240000000	191174000
ऊर्जाकृत पंपसैट	19 बी	40000	69183
उन्नत चूल्हे	19 सी	70000	148390
बायो गैस संयंत्र (राज्य)	19 डी	13000	20828

विवरण-2

20 सूत्रीय कार्यक्रम (1987-88) के अन्तर्गत परिव्यय तथा व्यय (राज्य योजना) तमिलनाडु

(लाख रु०)

सूत्र संख्या	मद्दा	परिव्यय	व्यय
1.	ग्रामीण गरीबी दूर करना :		
	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2006	2278
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1895	3163
	सी. डी. तथा पंचायतें	474	425
	ग्राम तथा लघु उद्योग	2602	3519
2.	वर्षा सिंचित कृषि	322	360
3.	सिंचाई का बेहतर प्रयोग	7415	8026
4.	अधिक फसलें	6362	12223
5.	भूमि सुधार लागू करना	10	10
6.	पीने का साफ पानी	3592	3496

सूत्र संख्या मुद्दा	परिव्यय	व्यय
7. सभी के लिए स्वास्थ्य	1031	785
8. सभी के लिए दो बच्चों का नार्म (पोषाहार)	10453	6870
9. शिक्षा का विस्तार	6453	7265
10. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को न्याय	1848	1927
11. युवाओं के लिए अवसर	174	142
12. लोगों के लिए आवास	75	406
13. झुग्गी-झोपड़ियों का सुधार	230	160
14. वनविद्या के लिए नई कार्यनीति	2360	2751
15. पर्यावरण की रक्षा	80	84
16. उपभोक्ता का ध्यान	400	425
17. गावों के लिए ऊर्जा	------	------
जोड़	47782	54415

तमिलनाडु में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान

3461. **श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए और अधिक वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि के लिए अनुरोध किया गया है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने लड़कियों के होस्टलों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना से केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। इस अनुरोध पर विधिवत विचार किया गया था और निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्राह्य धनराशि के लिए स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रकार 12 होस्टलों जिनकी प्रत्येक की क्षमता 100 संवासियों की थी, के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार लागत का 50 प्रतिशत केन्द्रीय हिस्से के रूप में 70,26,250/- रु० की धनराशि और दूसरी 6,38,750/- रु. की धनराशि दी जा चुकी है। अनुसूचित जाति विकास निगम को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा मांगे गए 98 लाख रुपए की धनराशि की तुलना में सभी राज्यों की मांगों और चालू वर्ष के लिए उपलब्ध बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार को 50 लाख रुपए की धनराशि दी गई है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की "क्रेक कमांडो यूनिटें"

3462. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी. आई. एस. एफ.) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बढ़ती हुई सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपनी "क्रेक कमाण्डो यूनिटें" स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी. नहीं श्रीमान्। तथापि विशेष कार्य बल की कुछ इकाईयों को, कुछ परिवर्तनों के साथ, कमान्डो के समान प्रशिक्षण दिया जाता है। विशेष कार्य बल इकाइयों को कुछ महत्वपूर्ण संस्थापनों में तैनात किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश में बारूद कारखाने के लिए स्थान

3463. **श्री टी. बाल गौड़** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के एक दल ने प्रस्तावित बारूद कारखाने की स्थापना के लिए स्थान के चयन हेतु आंध्र प्रदेश का दौरा किया था तथा क्या चयन समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा प्रस्तावित बारूद कारखाने के लिए स्थान-निर्धारण के बारे में अंतिम निर्णय लेने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ वारंगल पर भी विचार किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां। अन्य राज्यों के साथ-साथ अधिकारियों के दल ने आन्ध्र प्रदेश का भी दौरा किया था।

(ख) और (ग) देश में एक प्रोपलेंट फैक्टरी स्थापित करने के प्रस्ताव के संबंध में स्थान चयन समिति ने वारंगल सहित कई जगहों पर मूल्यांकन किया था। इस विषय में सरकार को अभी निर्णय लेना है। सिफारिशें वर्गीकृत होने के कारण, इन्हें प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

चालू परियोजनायें

3464. **श्री टी. बाल गौड** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनके पूरा होने की निर्धारित तिथि क्या है ;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं निर्धारित तिथि के अनुसार अभी पूरी नहीं हुई हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और ये कब पूरी हो जायेंगी ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) मंत्रालय की त्रैमासिक प्रबोधन प्रणाली में दी गई दिसम्बर, 88 के अन्त की स्थिति के अनुसार प्रत्येक 20 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली आंध्र प्रदेश की केंद्रीय परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) विलम्ब के कारण निम्नलिखित बताए गए हैं : —

—विभिन्न विक्रेताओं द्वारा उपकरणों की पूर्ति में विलम्ब।

—विभिन्न स्वीकृतियों में विलम्ब।

—निधि अभाव।

विलम्ब से पूरी होने वाली परियोजनाओं की प्रत्याशित तारीखें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुबंध में दी गई हैं।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	चालू करने की तारीख	
		मूल (संशोधित)	प्रत्याशित
1	2	3	4
क्षेत्र	परमाणु ऊर्जा :		
1.	हेवी वाटर परियोजना, मनुगुरू	अप्रैल, 88	मई, 90
क्षेत्र	कोयला :		
2.	मनुगुरू-2 ओसी (एस. सी.सी. एल.)	मार्च, 90	मार्च, 91
3.	रामगुंडम-2 ओसी (एम. सी. सी. एल.)	मार्च, 92	मार्च, 94
4.	रामगुंडम-3 (एस. सी. सी. एल.)	मार्च, 95	मार्च, 95
5.	गोदावरी खानी 10-ए प्रवृत्त (एस. सी. सी. एल.)	मार्च, 89	मार्च, 93
6.	गोदावरी खानी-11ए प्रवृत्त (एस. सी. सी. एल.)	मार्च, 89	मार्च, 92
7.	जवाहर खानी-5 प्रवृत्त (एस. सी. सी. एल.)	मार्च, 87	मार्च, 90
8.	रविन्द्र खानी 1-ए प्रवृत्त (एस. सी. सी. एल.)	मार्च, 91	मार्च, 92

1	2	3	4
क्षेत्र	इस्पात :		
9.	बिजांग इस्पात परियोजना	दिसम्बर, 87 (जुलाई, 91) (जून, 90)	अक्तूबर, 90
क्षेत्र	बिजली :		
10.	रामगुंडम एस. टी. पी. पी. स्तर-1 (इकाइ-4)	दिसम्बर, 84 (मार्च, 88)	जून, 88 ×
11.	रामगुंडम एस. टी. पी. पी. स्तर-2	(जून, 90)	जुलाई, 90
क्षेत्र	सीमेंट		
12.	येरागुंटला विस्तार (सी. सी. आई.)	सितम्बर, 86 (अक्तूबर, 89)	अक्तूबर,90
क्षेत्र	रेलवे :		
13.	विकाराबाद-तेंदूर (दोहरी-लाइन)	मार्च, 90	मार्च, 90
14.	गुंटूर-मछेरला (गेज परिवर्तन)	मार्च, 90	मार्च, 90
15.	काजीपेट—संतनगर विद्युतिकरण	मार्च, 93	मार्च, 93
16.	बिजांग-इस्पात संयंत्र के लिए रेल सुविधाएं	दिसम्बर, 88	मार्च, 89
17.	बिजांग-इस्पात संयंत्र के लिए परिसर यार्ड	दिसम्बर, 88	मार्च, 90
18.	गोदावरी (एस. सी. आर.) पर नया पुल	जून, 89	जून, 92
क्षेत्र	भूतल परिवहन		
19.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड (आधुनिकीकरण और विकास चरण-2)	दिसम्बर, 85 (मार्च, 86)	जून, 89

1. परियोजनाएं पूरी करने की निर्धारित अवधि दिसम्बर, 88 थी, परन्तु, क्र. सं. 1,7,9,10,12,16,17, और 19 में विलम्ब हुआ (क्र. सं. 10 में स्थिरता है)।

2. सूची में बहु-राज्यीय परियोजनाएं शामिल नहीं हैं।

विमान बनाने के कारखाने

3465. **श्री मुरलीधर माने** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विमान बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार विमान बनाने के और अधिक कारखाने स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विमान निर्माण करने वाली मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नामक एक कंपनी है जिसके देश भर में विभिन्न स्थानों पर अनेक प्रभाग हैं।

(ख) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत विमान निर्माण करने वाली कोई और कंपनी स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जलपान गाड़ियों द्वारा स्मैक की बिक्री

3466. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी जलपान गाड़ियां लाइसेंस शुदा और लाइसेंस रहित हैं ;

(ख) क्या इनमें कुछ गाड़ियों को "स्मैक" और अन्य नशीले औषध बेचते हुये पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस खतरे को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क)

	नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र	दिल्ली नगर निगम क्षेत्र
(I) लाइसेंसों के साथ वाहन	8	98
(II) बिना लाइसैंस वाले वाहन	4	16

(ख) इस संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के ध्यान कुछ नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में पाकिस्तानी नागरिक

3467. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस रिकार्ड के अनुसार 1 जनवरी, 1987, 1 जनवरी, 1988 तथा 1 जनवरी, 1989 को भारत में कितने-कितने पाकिस्तानी नागरिक थे ;

(ख) वर्ष 1987 तथा 1988 के दौरान कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत आये तथा भारत छोड़कर गये ; और

(ग) 1 जनवरी, 1989 को भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क)

जनवरी 1,1987	24,739
जनवरी 1,1988	29,849
जनवरी 1,1989	30,636

(ख)

वर्ष	पहुंचे	गए
1987	1,33,953	1,12,000
1988	1,53,150	1,41,463

(ग)

1.	आन्ध्र प्रदेश	1221
2.	असम	—
3.	अरूणाचल प्रदेश	—
4.	बिहार	639
5.	गोवा	98
6.	गुजरात	3314
7.	हरियाणा	229
8.	हिमाचल प्रदेश	16
9.	जम्मू और कश्मीर	267
10.	केरल	379
11.	कर्नाटक	292
12.	मध्य प्रदेश	3242
13.	महाराष्ट्र	5319
14.	मेघालय	—
15.	मणिपुर	—
16.	मिजोरम	—
17.	नागालैंड	—
18.	उडीसा	51
19.	पंजाब	393
20.	राजस्थान	3696
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	160

23.	उत्तर प्रदेश	5805
24.	पश्चिम बंगाल	661
25.	त्रिपुरा	—
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—
27.	चण्डीगढ़	1
28.	दादरा और नगर हवेली	—
29.	दिल्ली	4852
30.	दमन और द्वीव	—
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडीचेरी	—

राजस्थान के अरावली क्षेत्र के लिए योजनाएं

[हिन्दी]

3468. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और पश्चिम घाटों की भांति राजस्थान के अरावली क्षेत्र के लिए विशेष योजनाएं तैयार करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस प्रयोजन के लिए कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यक्रम तैयार करने के लिए विचार करने हेतु लघु तथा मध्यम आधार की कार्यवाही योजना के लिए विशेष सिफारिशें करने के लिए राजस्थान में अरावली पहाड़ियों के विकास के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया। कार्यकारी दल की अवधि जून, 1989 के अन्त तक बढ़ा दी गई है।

दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहन

[अनुवाद]

3469. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा कितने वाहन जब्त किए गए और पुलिस के पास ऐसे कितने वाहन पड़े हैं तथा ये कब से पड़े हैं ;

(ख) गत बारह महीनों के दौरान जब्त किए गए कितने वाहन बेचे गए और जब्त वाहनों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त की गई ; और

(ग) शेष जब्त वाहनों को बेचने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क)

	गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए वाहनों की संख्या	पुलिस थाने में पड़े हुए ऐसे वाहनों की संख्या
	30792	550

(ख) गत बारह महीनों के दौरान 11594 वाहनों का निपटान किया गया और 61.420 रु. की राशि कम्पाउन्डिंग शुल्क के रूप में वसूल की गई। इसके अलावा कुछ वाहनों को न्यायालय के आदेशों के अधीन मुक्त भी कर दिया गया।

(ग) (i) वाहन मालिकों का पता लगाने के लिए घोर प्रयास किए गए हैं।

(ii) वाहनों को मुक्त करने के लिए न्यायालय के आवश्यक आदेश प्राप्त किए जा रहे हैं।

(iii) अपराध रिकार्ड कार्यालय ने वाहन-मालिकों का पता लगाने के लिए ऐसे वाहनों के बारे में ब्यौरे पुलिस राजपत्र में प्रकाशित किए हैं।

(iv) यदि वाहन मालिकों का पता लग जाता है तो उन्हें अनुरोध किया जाता है कि वे अपने वाहनों को "सुपरदारी" पर छुड़ा लें।

(v) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के समन्वय विंग और पड़ोसी राज्यों के जिला पुलिस के साथ संपर्क किया जाता है।

(vi) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर लम्बित पड़े हुए वाहनों की पुनरीक्षा की जाती है और उनके निपटान के लिए अनुदेश दिए जाते हैं।

"मेग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर"

3470. **डॉ कृपासिन्धु भोई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं अत्यधिक संवेदी मेग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर का जिसे "स्कवीडस" कहा जाता है, विकास करने हेतु संयुक्त परियोजना चला रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन "स्कवीडस" का प्रमुख उपयोग क्या होगा ;

(ग) 'स्कवीडस" कार्यक्रम शुरू करने पर कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली ने सी. एस. आइ. आर. की कुछ अन्य प्रयोगशालाओं—केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी, केन्द्रीय कॉच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता और क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुअनन्तपुरम के सहयोग से अतिचालक क्वांटम इंटरफेरेन्स युक्तियां (एस. क्यू. यू. आई. डी. एस.) के विकास के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है।

(ख) अतिचालक क्वांटम इंटरफेरंस युक्तियां अद्वितीय सुग्राह्यता की चुम्बकीय फ्लक्स संसूचक हैं जो पारंपरिक संसूचकों से हजार गुणा अधिक सुग्राही हैं। (एस. क्यू. यू. आई. डी. एस.) का मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं :—

1. चुम्बकीय क्षेत्रों में अति सूक्ष्म परिवर्तनों का संसूचन और मापन करना।

2. प्रयोगशालाओं में अतिसूक्ष्म वोल्टेजों का मापन।

3. भूभौतिकीय पूर्वेक्षण

4. चिकित्सा नैदानिक उपकरण जैसे मैग्नेटोकार्डियोग्राम, मैग्नेटो-एन्सेफलोग्राम आदि।

(ग) चूंकि, कार्यक्रम एक दीर्घकालिक परियोजना है, इसलिए कार्यक्रम प्रबंधक बोर्ड द्वारा वार्षिक बजटों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। बोर्ड ने चालू वर्ष 1988-89 के लिए पूंजीगत उपस्कर की खरीद के लिए 48 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी।

(घ) एसक्यूयूआइड उच्च सुग्राह्यता का मैग्नेटोमीटर हैं जिसमें या तो एक जोसेफसन जंक्शन (आर.एफ.एस.क्यू.यू.आई.डी.) या दो जोसेफसन जंक्शन (डी.सी-एस.क्यू.यू.आइ.डी.) अतिचालकीय (सुपरकंडक्टिंग) रिंग में होते हैं। सर्वोत्तम परम्परागत मैग्नेटोमीटर की तुलना में एस.क्यू.यू.आइ.डी) मैग्नेटोमीटर की सुग्राह्यता परिणाम के क्रम में तीन से चार गुणा अधिक हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल.) गत 10 वर्षों और अधिक से निम्न तापीय परम्परागत सुपरकंडक्टरों पर आधारित जोसेफसन जंक्शन के मूल और अनुप्रायोगिक अनुसंधान में सक्रियता से संलग्न हैं। एन.पी.एल. में विभिन्न प्रकार के जोसेफसन जंक्शनों का निर्माण किया गया है और अन्वेषण किया गया है उच्च तापीय सुपरकंडक्टरों का पता लगने के तुरंत बाद इन पदार्थों में जोसेफसन प्रभावों का अध्ययन एन.पी.एल. ने हाथ में ले लिया है और जोसेफसन जंक्शनों पर आधारित युक्तियों के विकास का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर से सोवियत संघ को भेजी गई सामग्री

[हिन्दी]

3471. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ में हाल ही में आए भूकम्प से पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर से सोवियत संघ को कुछ सामग्री भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सोवियत संघ को राहत सामग्री भेजने के बाद केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर के पास बचे सामान का ब्यौरा क्या है ;

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर से 5,000 टैंट (आरकटिक स्मॉल) भेजे गये थे।

(ग) सामान भेजने से, थल-सेना की आवश्यकताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मंगोलिया के साथ समझौता

[अनुवाद]

3472. **श्री प्रतापराव बी. भोसले** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे सहयोग करने हेतु मंगोलिया के साथ हाल ही में कोई समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी हां। 14 जुलाई, 1988 को भारत और मंगोलिया के बीच हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के करार के फलस्वरूप और इस करार में प्रतिपादित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के एक कार्यक्रम पर मंगोलिया के राष्ट्रपति के भारत के दौरे के दौरान 8 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये।

(ख) दोनों पक्षों ने 1989-91 की अवधि में द्विपक्षीय सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्र अभिनिर्धारित किये हैं। (1) खाल और चमड़े का संसाधन (2) जैव प्रौद्योगिकी में आंकड़ा आधार की स्थापना (3) डीजल इंजन को जैव गैस से चलाना (4) भवन-निर्माण सामग्री/ईंटें बनाना (5) खनिज रंग और (6) सरेस और आसंजक।

सहयोग की कार्यविधि में (1) विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन दौरे (2) संयुक्त संगोष्ठियां और प्रशिक्षण कार्यक्रम (3) वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना का आदान-प्रदान (4) कार्मिकों के विस्तृत दौरों सहित संयुक्त सहयोग, शामिल होंगे।

पार्लियामेंट स्ट्रीट पर महिला प्रदर्शनकारियों पर पुलिस अत्याचार

3473. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 8 मार्च, 1989 को पुलिस ने कई महिलाओं, विशेषरूप से भोपाल की गैस पीड़ित महिलाओं को उस समय पीटा जब उन्होंने नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित यूनियन कार्बाइड के कार्यालय के बाहर गिरफ्तारी का विरोध किया ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस मामले में पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

3474. **श्री मोहम्मद महफूज अलीखां** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के सतर्कता विभाग में इस प्रशासन के राजपत्रित तथा अराजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें दर्ज की गई ;

(ख) आज तक कितनी शिकायतों को निपटाया गया है और सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ग) शेष शिकायतों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) तक सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कृत्रिम अंगों का निर्माण करने वाली कम्पनियां

3475. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृत्रिम अंगों का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के नियमों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में ऐसा एक संस्थान/निगम स्थापित किये जाने की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) इस मामले में राज्य सरकारों ने क्या रुचि दिखाई है और केन्द्रीय सरकार ने इन निगमों की स्थापना के लिये राज्यों को कितनी सहायता प्रदान की है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (घ) कृत्रिम अंगों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र का निगम भारत सरकार द्वारा केवल कानपुर में स्थापित किया गया है फिर भी देश के अनेक स्थानों पर भारत सरकार, गैर सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों ने भी कृत्रिम अंगों के निर्माण तथा लगाने के लिए मूलभूत अवयवों का उपयोग करने हेतु अंग लगाने के (फिटमेंट) केन्द्रों की स्थापना की है । उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ताकि बढ़ती हुई मांग को प्रर्याप्त रूप से पूरा किया जा सके । राज्य सरकारों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे कृत्रिम अंग लगाने की सेवाएं प्रदान करने के लिए सतक प्रयास करें ।

विकलांगों की देखभाल में गैर-सरकारी संगठनों को प्राथमिकता देना

3476. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीति के अनुसार विकलांगों की देखभाल में कुछ गैर-सरकारी संगठनों को प्राथमिकता तथा मुख्य भूमिका प्रदान की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कौन से गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं ;

(ग) इनमें से कितने संगठनों को सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक गैर-सरकारी संगठनों को कितनी धनराशि दी गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) 'विकलांग व्यक्तियों के लिये संगठनों को सहायता" की योजना के अंतर्गत, विकलांगता का पता लगाने, प्राथमिक स्तर पर उपचार करने, विकलांगता की रोकथाम करने, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और कृत्रिम सहायक यन्त्रों और उपकरणों को लगाने सहित पुनर्वास सेवाओं के लिये स्वयंसेवी संगठनों को सहायक अनुदान किया जाता है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वयंसेवी संगठनों की संख्या और पिछले तीन वर्षों में उन्हें दिये गये अनुदान सभा पटल पर रखे गये विवरण में दर्शाए गए हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी/7685/89]

एक ही स्थान पर आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था का प्रस्ताव

3477. **श्री हरिहर सोरन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ही स्थान पर आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था करने का है ;

(ख) क्या इसके लिये कोई पृथक विभाग खोलने का विचार है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र इस विभाग के अधीन कार्य करेगा ;

(घ) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा इस समय क्या कार्य किया जा रहा है ; और

(ङ) अब तक कंप्यूटरीकृत आंकड़े की व्यवस्था के नेटवर्क के अंतर्गत कितने जिलों को लाया गया है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) जी नहीं।

(घ) केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों और सभी जिला प्रशासनों को जोड़ते हुए, राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र एक राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार व संरचना तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र का प्राथमिक दायित्व यही है कि निर्णय सम्बन्धी सहायता, सम्बद्ध योजना परियोजना सूचना के लिए उचित कम्प्यूटरीकरण को संवर्द्धन करे और सूचना को पुन: प्राप्त करने में सहायता दे ताकि कम्प्यूटर पर तैयार किए गए डाटा-बेस का प्रयोग करते हुए विश्लेषण और माडलिंग की जा सके। कंप्यूटर-संचार नेटवर्क को स्थापित करने के उद्देश्य से यह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों के स्तर पर डाटा संसाधन और भण्डारण के विकेन्द्रीकरण की सहायता करता है।

(ङ) 230 जिले।

देश में आदिवासी जिले/ब्लॉक

3478. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आदिवासी जिलों की संख्या और नाम क्या है और प्रत्येक जिले में कौन सी प्रमुख जनजाति रहती है और वह उसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ;

(ख) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में गैर-आदिवासी जिलों में आदिवासी ब्लाकों की संख्या क्या है, और इन ब्लाकों की कुल जनसंख्या में आदिवासी लोगों की प्रतिशतता क्या है ;

(ग) आदिवासी जिलों और आदिवासी ब्लॉकों में रहने वाले आदिवासियों का अनुपात प्रत्येक राज्य की कुल आदिवासी जनसंख्या की तुलना में क्या है ; और

(घ) आदिवासी जिलों अथवा आदिवासी ब्लॉकों में बाहर रहने वाले आदिवासियों के विकास के लिये विशेष सुविधाएं और रियायतें क्या हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) 'आदिवासी उपयोजना' से पूर्णतः लाभान्वित आदिवासी बहुल जिलों के नाम व संख्या राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की प्रमुख अनजातियों तथा प्रत्येक जिले की कुल आबादी में उनका प्रतिशत संलग्न विवरण-1 में दर्शाया गया है।

(ख) सूचना सलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-3 में दी गई है।

(घ) "आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों" से बाहर बसे बिच्छिन्न आदिवासी परिवारों हेतु "परिवार लाभग्राही कार्यक्रमों" के वास्ते विशेष केन्द्रीय सहायता अलग से निर्धारित की जाती है। ऐसे लोगों को विभिन्न संरक्षी तथा शोषण विरोधी उपायों (भूमि, साहूकारी, आबकारी आदि से संबद्ध) से भी लाभ दिलाया जाता है। निर्दिष्ट क्षेत्रों के आदिवासियों को उपलब्ध शिक्षा, प्रशिक्षण, सेवा-आरक्षण, छात्रवृत्ति, पुस्तक-अनुदान आदि की सुविधाओं तथा रियायतों के मामले में भी वे बराबर के हकदार हैं।

विवरण-1

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	आदिवासी जिले का नाम	प्रमुख अनुसूचित जनजाति का नाम	जिले में कुल आबादी का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	बिहार	1. रांची	ओरांव	24.40
		2. सिंगभूमि	हो	18.66
2.	गुजरात	1. दी डैंग्स	कुनबी	30.98
3.	हिमाचल प्रदेश	1. लाहुल और स्पीति	भट्ट, बोध	53.55
		2. किन्नौर	कनौड़, किन्नर	74.42
4.	मध्य प्रदेश	1. झबुआ	भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया	83.26
		2. मण्डला	* गौंड	50.79
		3. सरगुजा	गौंड	21.33
		4. बस्तर	गौंड	57.01

1	2	3	4	5
5.	मणिपुर	1. मणिपुर उत्तर	माओ	32.13
		2. मणिपुर दक्षिण	पएटे	21.63
		3. तेंगनाउपल	मारिंग	17.47
		4. मणिपुर पूर्व	तंगखुल	82.51
		5. मणिपुर पश्चिम	काबुई	29.26
6.	उड़ीसा	1. सुंदरगढ़	ओरांव	13.29
		3. मयूरभंज	संताल	25.50
		3. कोरापुट	खोंड	14.74
7.	राजस्थान	1. डूंगरपुर	भील	48.60
		2. बांसवाडा	भील	65.73
8.	सिक्किम	1. उत्तरी जिला	लेपचा	30.05
9.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1. निकोबार	निकोबारिस	68.76
10.	दमन और दीव	1. दमन	डुबला, हलपाटी, तलाविया	15.29

*इसके अलावा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय व नागालैंड के चार राज्यों, दादरा-नगर हवेली तथा लक्षद्वीप के दो संघ शासित प्रदेशों में भी आदिवासी आबादी की बहुलता है।

विवरण-2

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लाभान्वित ब्लॉक	ब्लाकों की कुल आबादी में आदिवासी आबादी का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	59	51.34
2.	असम	55	54.40
3.	बिहार	37	46.80
4.	गुजरात	62	68.38

1	2	3	4
5.	हिमाचल प्रदेश	3	79.54
6.	कर्नाटक	23	3.12
7.	केरल	25	64.23
8.	मध्य प्रदेश	96	65.47
9.	महाराष्ट्र	72	61.95
10.	उड़ीसा	23	56.61
11.	राजस्थान	10	62.47
12.	सिक्किम	35	63.14
13.	तमिलनाडु	20	72.74
14.	त्रिपुरा	17	69.92
15.	उत्तर प्रदेश	1	97.97
16.	पश्चिम बंगाल	114	64.40

विवरण-3

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	राज्य की आदिवासी आबादी में, लाभान्वित जिलों/खंडों की आदिवासी आबादी का प्रतिशत
1.	2.	3.
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.00
2.	असम	59.92
3.	बिहार	74.50
4.	गुजरात	80.45
5.	हिमाचल प्रदेश	52.79
6.	कर्नाटक	16.82
7.	केरल	45.21
8.	मध्य प्रदेश	68.89
9.	महाराष्ट्र	38.22

1	2	3
10.	मणिपुर	93.81
11.	उड़ीसा	67.45
12.	राजस्थान	43.75
13.	सिक्किम	42.46
14.	तमिलनाडु	40.38
15.	त्रिपुरा	77.57
16.	उत्तर प्रदेश	8.58
17.	पश्चिम बंगाल	37.06
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह	95.45
19.	दमन और दीप	90.90

शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अधीन गिरफ्तारी

3479. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान देश में कितने व्यक्ति शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अधीन गिरफ्तार या नजरबंद किये गये ;

(ख) 1 जनवरी, 1989 की स्थिति के अनुसार उनमें से कितने व्यक्ति पूछताछ के बाद छोड़ दिये गये, कितने व्यक्ति जमानत पर छोड़े गये ; कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया, और सजा दी गई और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो अभी भी नजरबंद हैं/जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है ; और

(ग) कितने मामले दर्ज किये गये तथा प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल में प्रति व्यक्ति योजना आवंटन

3480. **श्री के. मोहनदास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान केरल के लिए प्रति व्यक्ति आवंटन कितना है ;

(ख) इस अवधि में अन्य राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति योजना आवंटन का राज्य-वार ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस आवंटन में कोई वृद्धि की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (**श्री माधव सिंह सोलंकी**) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल के लिए प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय निम्न प्रकार है :

	(रुपए)
1986-87	140
1987-88	155
1988-89	174

विवरण

वार्षिक योजना 1989-90

राज्यवार प्रतिव्यक्ति योजना परिव्यय

राज्य	स्वीकृत परिव्यय प्रति व्यक्ति (रुपए में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	209
अरूणाचल प्रदेश	1906
असम	266
बिहार	217
गोवा	908
गुजरात	352
हरियाणा	427
हिमाचल प्रदेश	607
जम्मू और कश्मीर	728
कर्नाटक	238
केरल	198

1	2
मध्य प्रदेश	298
महाराष्ट्र	361
मणिपुर	823
मेघालय	907
मिजोरम	1532
नागालैंड	1246
उड़ीसा	304
पंजाब	+
राजस्थान	188
सिक्किम	1682
तमिलनाडु	248
त्रिपुरा	673
उत्तर प्रदेश	214
पश्चिम बंगाल	175

+योजना को अभी तक अन्तिमरूप नहीं दिया गया है।

संगठित क्षेत्र में रोजगार में गतिरोध

3481. **श्री के. मोहनदास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होने में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार के कितने अवसर पैदा होने की सम्भावना है ;

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) से (ग) वर्ष 1985-88 की अवधि के दौरान, श्रम मंत्रालय (डी. जी. ई. एंड टी.) के रोजगार मार्किट सूचना कार्यक्रम के अनुसार अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार दर्शाने वाला विवरण संलग्न है, जो कि आगामी वर्षों में कुछ वृद्धि दर्शाता है। चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में संभावित रोजगार सृजन का आकलन नहीं किया गया है।

विवरण

रोजगार मार्केट सूचना कार्यक्रम पर आधारित, संगठित क्षेत्र में रोजगार

मार्च में समाप्त	रोजगार लाख में	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन
1985	245.8	+ 1.5
1986	250.6	+ 1.9
1987	253.9	+ 1.3
1988 (अस्थाई)	257.5	+ 1.4

टिप्पणी :- 1. संगठित क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी संस्थान और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले गैर-कृषीय निजी क्षेत्र शामिल हैं। 25 या इससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले संस्थानों से रोजगार मार्केट सूचना (ई. एम. आई.) कार्यक्रम के अधीन सांविधिक आधार पर सूचना एकत्र की गई है। ग्रेटर बम्बई और कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर 10—24 व्यक्तियों को रोजगार देने वाले संस्थानों की सूचना स्वैच्छिक आधार पर एकत्र की गई है।

2. उक्त आंकड़ों में अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा व नगर हवेली और सिक्किम शामिल नहीं हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में ई. एम. आई. कार्यक्रम लागू नहीं है।

हज और कुम्भ मेला जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं

3482. **श्री सी. जंगा रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा हज तीर्थ यात्रियों को दी गई रियायतों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा कुम्भ मेले के यात्रियों को क्या रियायतें और सुविधाएं दी गई ; और

(ग) हज तीर्थयात्रियों को दी गई रियायतों और सुविधाओं की तुलना में इनकी क्या स्थिति है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हज यात्रियों को एक प्रदान की गई सुविधाएं/रियायतें इस प्रकार हैं :—

(1) हज समिति को एक प्रतिशत निः शुल्क क्षमता।

(2) 10 किलोग्राम पवित्र जम जम-जल के निःशुल्क वहन के अलावा 35 कि. ग्राम मुफ्त बैगेज एलाउन्स ।

(3) जेद्दाह/भारत सेक्टर पर संपूर्ण अधिक सामान राजस्व की हज समिति को प्रतिपूर्ति ।

(4) भारत/जेद्दाह और जेद्दाह/भारत सेक्टरों पर हज समिति के 500 कि. ग्राम उपस्करों का मुफ्त वहन ।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रशिक्षण प्राप्त कर रही विमान परिचारिकाओं के लिए होस्टल

3483. **श्री रेणु पद दास** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रशिक्षण प्राप्त कर रही विमान परिचारिकाओं/सहायक विमान पर्सरों के लिए होस्टल का निर्माण कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है और होस्टल में कितने प्रशिक्षणार्थियों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा ;

(ग) इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) भवन के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी तथा इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स ने प्रशिक्षण विमान-परिचारिकाओं/सहायक विमान पर्सरों के लिए किसी होस्टल आवास का निर्माण नहीं किया है लेकिन 23 प्रशिक्षण विमान परिचारिकाओं और प्रशिक्षकों की व्यवस्था के लिए हैदराबाद के पुराने कार्मिशियल ट्रेनिंग स्कूल को आवासीय होस्टल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है ।

एयर इंडिया 57 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर बम्बई के पुराने हवाई अड्डे कलिना में एयर इंडिया की पहली आवास कालोनी पर 100 प्रशिक्षु विमान परिचारिकाओं के आवास के लिए डबल आक्युपेंसी के आधार पर होस्टल का निर्माण कर रहा है । निर्माण कार्य का 35% कार्य पूरा हो गया है और आशा है कि निर्माण कार्य जनवरी, 1990 तक पूरा हो जाएगा । तथापि, सहायक उड़ान पर्सरों के लिए किसी होस्टल का निर्माण करने की एयर इंडिया की कोई योजना नहीं है

कर्नाटक में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

3484. **श्री एच. जी. रामुलु** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में विकलांगों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे और केन्द्रीय सरकार तथा विदेशों से सहायता प्राप्त कर रहे विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं ;

(ख) ये स्वयंसेवी संगठन कब से कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन का मुख्य कार्य क्या है ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुमति उरांव) : (क) से (ग) कर्नाटक राज्य में विकलांगों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे तथा कल्याण मंत्रालय से सहायक अनुदान प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों के नाम और अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

इन संगठनों के द्वारा विदेशों से प्राप्त सहायता के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

क्र. सं.	संगठन का नाम	वर्ष जिससे कार्य कर रहे हैं	मुख्य कार्य	1987-88	1988-89
1	2	3	4	5	6
1.	नेत्रहीन के लिए श्री रमन महर्षि एकादमी, बंगलौर	1969	1. डायरी प्रशिक्षण 2. नेत्रहीन विकलांगों के अध्यापकों के लिए स्कूल पूर्व सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम 3. स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रम 4. सांस्कृतिक क्रियाकलाप 5. स्वास्थ्य और देखभाल कैम्पस इत्यादि	9,58,244 रुपये	8,0055 रुपये
2.	राष्ट्रीय नेत्रहीन संस्था (कर्नाटक शाखा) 966, एच. ए. एल.-II स्टेज, इन्दिरानगर, बंगलौर	1977	1. रोजगार 2. पुनर्वास तथा प्रशिक्षण केन्द्र चलाना	3,60,867 रुपये	2,13,425 रुपये
3.	मन्द बुद्धि के लिए संस्थाभयारा सुन्दरा, बंगलौर —560084	1975	1. बहुश्रेणी कार्यशाला	48,800 रुपये	—
4.	वाणी तथा श्रवण संस्थाभयारा हेन्नूर रोड, बंगलौर	1978	1. मूल्यांकन, निदान तथा पुनर्वास करना	3,30,057 रुपये	3,88,118 रुपये

1	2	3	4	5	6
			2. वाणी तथा श्रवण के विकलांगता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करना, वाणी तथा श्रवण विकलांगता में स्वयंसेवी संगठनों को कैम्प आयोजित करने के लिए सहायता देना तथा वाणी तथा श्रवण विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना		
5.	नव ज्योति न्याम वसन्त विहार, 14, स्पेन्सर रोड़, बंगलौर-577961	1970	1. व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र शोल्डरड कार्यशाला	57409 रुपये	—
6.	अखिल भारतीय वाणी तथा श्रवण संस्थान मनसा गंगोत्री, मैसूर-570086	1965	विकलांगों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/ लगाने की सहायता योजना का कार्यान्वयन करने के लिए	1,20,917 रुपये	1,28,227 रुपये
7.	बीजापुर जिला शारीरिक विकलांग कल्याण संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था "मत्युन्जयनगर" माथापथी गली, बीजापुर	1980	फिल्टर, ड्राफ्ट्स मैन, इलैक्ट्रो-जियन, टेलरिंग तथा कटाई इत्यादि में व्यवसायिक प्रशिक्षण	4,27,250 रुपये	— रुपये
8.	कर्नाटक विकलांग कल्याण संस्था, जीवन बीमानगर, बंगलौर	1979	मूक-बधिर बच्चों के लिए स्कूल और होस्टल चलाना	7,46,334 रुपये	—

1	2	3	4	5	6
9	बेलगांम जिला, नेत्रहीन के लिए संस्था 3488, सामादेवी गली बेलगांम	1972	नेत्रहीन लड़के तथा लड़कियों के लिए होस्टल तथा स्कूल	50,000 रुपये	50,000 रुपये
10.	मादरू कंदाली वन विलास मोहल्ला, मैसूर	1936	शारीरिक विकलांग लड़कियों तथा महिलाओं को टेलरिंग में व्यावसायिक प्रशिक्षण	31,950 रुपये	26,401 रुपये
11.	शारदा महिला सेवा समाज बन्नूर पोस्ट टी. नरसिंहपुर तालुक मैसूर जिला	1976	बधिर बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्कूल	31,985 रुपये	26,401 रुपये
12.	सरस्वती महिला समाज, टी. नरसिंहपुर टाउन मैसूर	1987	विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल	82,176 रुपये	—
13.	डा० स्टेनरस मंद बुद्धि बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिक्षा विद्यानगरी, धारवाड़	1982	मंद बुद्धि बच्चों के लिए स्कूल	1,50,000 रुपये	1,50,000 रुपये
14.	ऐश्व धर्म महिला मण्ड मक्कला शिक्षा सेवा आश्रम समिति वीरापुर ओनी हुबली जिला धारवाड़	1981	अस्थि विकलांग बच्चों के लिए स्कूल	1,73,000 रुपये	
15.	सेटरी 75वीं जयंती, न्याम रोटरी क्लब, शिमोग	1980	मद बुद्धि बच्चों के लिए स्कूल और होस्टल	—	1,25,000 रुपये
16.	बापूजी अंग विकला सेवा संस्था चित्रदुर्गा	1984	अस्थि विकलांग बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	—	2,18,230 रुपये
17.	उपलब्ध विद्या संस्था, अन्नी चित्रदुर्गा	1985	केवल अस्थि विकलांग बच्चों के लिए आवासीय स्कूल	—	4,38,040 रुपये

18.	बधिरों के लिए संस्था, बंगलौर	1982	इलैक्ट्रानिक, इंजीनियरिंग, टेलरिंग, टाइपराइटिंग, ड्राइंग, तथा मैकनिकल दुकानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण	—	1,10,718 रुपये
19.	उत्तर कन्नड जिला विकलांग कल्याण संस्था सिरसा	1981	मूक और बधिर बच्चों के लिए स्कूल	—	13,790 रुपये
20.	पैरेन्ट संस्था मैसूर	1982	मूक और बधिर बच्चों के लिए विशेष स्कूल	—	22,860 रुपये
21.	नवोदया मनोविकास केन्द्र, बंगलौर	1983	मंद बुद्धि बच्चों के लिए विशेष स्कूल	—	30,415 रुपये
22.	अखिल भारतीय वाणी तथा श्रवण संस्थान मनसा, गंगोतरी मैसूर	1965	सहायक यंत्र, उपकरण लगाने/ खरीदने के लिए	3,00,000 रुपये	4,25,000 रुपये
23.	कस्तूरवा चिकित्सा कालेज अस्पताल मणिपुर	1953	—वही—	9,19,000 रुपये	—
24.	वाणी तथा श्रवण संस्थान, हैन्नूर रोड, बंगलौर	1978	—वही—	50,000 रुपये	50,000 रुपये
25.	जिला पुनर्वास केन्द्र	—	—वही—	—	—
26.	अनाथ सेवाश्रम नेहरू एक्सटेंशन, मालूर कर्नाटक	—	—वही—	—	—

1	2	3	4	5	6
			सहायक यंत्र उपकरण लगाने खरीदने के लिए		
27.	शारीरिक विकलांगों के लिए संस्थान, बंगलौर	1959	—वही—	2,07,000 रुपये	—
28.	रामाकृष्णा आश्रम मैसूर	1959	आश्रम रामाकृष्णा मिशन बेलूर की एक शाखा है जिसके क्रिया-कलापों में कार्यशाला, प्रशिक्षण मोनास्टिक उत्प्रेरक धार्मिक प्रार्थनाएं, सामान्य तथा तकनीक शिक्षा आत्मीक व जाति पृष्ठभूमि सहित शिक्षा, चिकित्सा सेवा, अकाल तथा संकटग्रस्त राहत कार्य, ग्रामीण उत्थान तथा सभी वर्गों के लोगों के लिए परिश्रम करते हुए एवं कार्य तथा सांस्कृतिक कार्यकलाप जैसी मदें शामिल हैं।	56 000 रुपये	—

पोरबन्दर में एयर टर्मिनल परिसर का निर्माण

3485. **श्री भरत कुमार ओडेदरा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर में नये एयर टर्मिनल परिसर के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसका अधिग्रहण कब तक कर लिया जायेगा और निर्माण पूरा कर लिया जायेगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) तट रक्षक बल ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि के एक भाग को छोड़ने का प्रस्ताव किया है, जिसका पुनः हस्तांतरण अभी किया जाना है। तट रक्षक बल से भूमि के लिये जाने के साथ ही राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को यात्री टर्मिनल काम्प्लेक्स का निर्माण कार्य शुरू किये जाने की योजना है।

विमान परिचारिकाओं की समस्याओं का निपटान

3486. **श्री रेणुपद दास :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एयर इंडिया कैबिन क्रू एसोसियेशन" ने विमान परिचारिकाओं की समस्याओं के संबंध में एयर इंडिया प्रबन्ध के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या एयर इंडिया प्रबन्ध ने समझौता लागू कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। एयर इंडिया के प्रबन्धकवर्ग ने निम्नलिखित मुद्दों पर 25.12.1988 को एयर इंडिया कर्मीदल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं :—

(1) बी-747 और एयरबस ए-310 विमानों पर कर्मीदल के सदस्यों में कमी ;

(2) वजन जांच आरंभ करना ;

(3) कुछ भारतीयों और कुछ रूसी कर्मीदल से आई. एल.-62 का परिचालन,

(4) अधिवर्षिता चिकित्सा जांच ;

(5) विवाह संबंधी उपबन्ध ;

(6) पदोन्नति पदों में वृद्धि ।

(ग) और (घ) इन परिवर्तनों का समावेश करने के लिए एयर इंडिया के सेवा विनियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाएगा ।

होटल के कमरों पर कर लगाना

3487. डा० दिग्विजय सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में होटल के कमरों पर लगने वाले करों में अन्तर है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या होटल के कमरों पर विभिन्न राज्यों द्वारा लगाये गये करों पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या राज्य सरकारों द्वारा इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां, एक राज्य से दूसरे राज्य में होटल के कमरों पर लगे कर में 3% से 20% तक की भिन्नता है।

(ग) और (घ) होटल के कमरों पर कर समाप्त/कम करने के विषय को राज्यों के पर्यटन मंत्रियों तथा सचिव स्तर के सम्मेलनों में अनेक अवसरों पर उठाया गया है। परन्तु उन्होंने इसे हटा लेने की अनिच्छा व्यक्त की है।

खाद्य वस्तुओं की खरीद और सप्लाई में कथित भ्रष्टाचार

3488. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में रक्षा सैनिकों के लिए और श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के सैनिकों के लिए खरीद और सप्लाई के मामले में कथित भ्रष्टाचार और कदाचार की जांच के कोई आदेश दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) लगभग कुल कितने राजकोष की हानि की गई है ;

(घ) क्रय एवं आपूर्ति में विहित प्रक्रियाओं का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) भविष्य के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) से (ङ) श्रीलंका में भारतीय शांति सेना के कार्मिकों के लिए खाद्य वस्तुओं की मदों की स्थानीय रूप से खरीद करने के संबंध में आरोपों की जांच इस समय एक थल सेना जांच अदालत कर रही है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच अदालत के निष्कर्षों पर आधारित होगी।

आंध्र प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

3489. **श्री सी० सम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में एक परमाणु ऊर्जा केन्द्र का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; क्योंकि नागार्जुन सागर संबंधी पहला प्रस्ताव छोड़ दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किस नये स्थान का चयन किया जायेगा तथा तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार ने 12 और परमाणु विद्युत रिएक्टर स्थापित करने के संबंध में हाल ही में जो निर्णय लिया है उसमें आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर में विद्युत रिएक्टर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 500 मेगावाट क्षमता वाले बाकी छः और रिएक्टर लगाने के लिए स्थल चयन करने के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) स्थल चयन समिति ने क्षेत्र में विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के बाद वर्ष 1984 में दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। राज्य सरकार ने स्थल चयन समिति के पास जिन स्थलों का प्रस्ताव पहले किया था उनसे अलग स्थलों के लिए यदि कोई प्रस्ताव राज्य सरकार करती है तो उस प्रस्ताव की विस्तृत रूप से संवीक्षा और जांच करने की जरूरत पड़ेगी।

फ्रांस के साथ वायु आकाश क्षेत्र में सहयोग

3490. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने वायु आकाश के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने के लिए एक पैकेज का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या इस संबंध में निकट भविष्य में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये जायेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) फ्रांस ने वायु आकाश के क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग करने के लिए पैकेज का कोई भी सरकारी प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) वायु आकाश के क्षेत्र में सहयोग के लिए निकट भविष्य में भारत और फ्रांस के बीच किसी नवीन करार पर हस्ताक्षर किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जासूसी गतिविधियों के लिए पाक दूतावास के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

3491. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी दूतावास के दो कर्मचारियों को, नई दिल्ली के एक होटल में एक स्थानीय वकील को भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की तीन पृष्ठ वाली एक रिपोर्ट के बदले 59,000 रुपए देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था ;

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार की सूचना प्राप्त कर रहे थे ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दो भारतीय अभियुक्ती भारतीय सेना से संबंधित गुप्त दस्तावेज भेज रहे थे ।

(ग) पाकिस्तानी दूतावास के दो अधिकारियों को अस्वीकार्य व्यक्ति घोषित किया गया और उन्हें 24 घंटे के अन्दर देश छोड़ने के लिए कहा गया । इस मामले में अन्तर्ग्रस्त दो भारतीय श्री सुभाष चन्द दत्त और अब्दुल वहीद देहलवी के विरुद्ध शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया । मामले की जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध भा. द. सं. की धारा 120 (ख) के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम की धारा 3, 4 और 9 के अधीन मुकदमा चलाने के लिए चीफ-मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली के न्यायालय में एक शिकायत दर्ज की गई है ।

राज्यों को विशेष दर्जा

3492. **श्री हरिहर सोरन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारें अपने राज्यों को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) यदि "विशेष दर्जा" शब्द का अभिप्राय संवैधानिक स्थिति में किसी परिवर्तन से है, तो ऐसा अनुरोध असम राज्य सरकार द्वारा किया गया था । इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी परिवर्तन के पक्ष में नहीं है ।

विमान परिचारिकाओं का सेवा काल बढ़ाना

3493. **श्री रेणुपद दास** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया ने कुछ अधिकारियों को विमान परिचारिकाओं का सेवा काल 35 वर्ष की आयु के बाद इस शर्त के अध्यधीन बढ़ाने का प्राधिकार दिया गया है कि वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ्य हों ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में एअर इंडिया तथा इंडियन एअरलाइंस कारपोरेशन के किन अधिकारियों को निर्णय करने का प्राधिकार दिया गया है ;

(ग) क्या इस संबंध में निर्णय करने के लिये कोई नियम निर्धारित किये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या असंतुष्ट विमान परिचारिकाओं द्वारा अपील करने के लिये भी कोई उपबन्ध है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) सेवा-निवृत्ति की आयु प्राप्त करने के पश्चात विमान परिचारिका सहित एयर इंडिया में किसी भी कर्मचारी की सेवा में बढ़ोतरी विनियम 47 की शर्तों के अनुसार, प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जाती है, बशर्ते कि कर्मचारी स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक हो । इंडियन एयरलाइन्स के मामले में, 35 वर्ष की आयु से ऊपर विमान परिचारिका की सेवा में बढ़ोतरी, यदि वह स्वास्थ्य जांच की दृष्टि से ठीक हो तो स्वतः ही हो जाती है । तथापि, जहां स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण निवृत्ति की आवश्यकता होती है, वहां प्रबन्ध निदेशक का अन्तिम निर्णय लिया जाता है ।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइन्स उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28.8.1981 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन करती है । एयर इंडिया के मामले में, हाल ही में एयर इंडिया केबिन कर्मीदल संगठन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिसमें प्रबन्धकवर्ग ने सेवा-निवृत्ति, चिकित्सा जांच इत्यादि के सम्बन्ध में कुछ छूट देने के लिए सहमति दी है ।

(ङ) जी, नहीं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

बम्बई से पोरबन्दर के लिए वायुदूत सेवा का स्थगन

3494. **श्री भरत कुमार ओडेदरा** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत ने किसी पूर्व सूचना के बिना 19 फरवरी, 1989 से 22 फरवरी, 1989 के बीच बम्बई से पोरबन्दर के लिए उड़ान स्थगित कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इंडियन एअरलाइंस का उक्त मार्ग पर दैनिक विमान सेवा संचालित करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) और (ख) मरम्मत के लिए एक विमान को अचानक ग्राउंडिंग किये जाने के कारण, बम्बई-पोरबन्दर सैक्टर पर वायुदूत सेवाओं को अस्थाई रूप से बन्द किया गया था ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

कॉर्डलैस टेलीफोनों का निर्माण

3495. **श्री एस. एस. गुरुद्दी** :

श्री टी.वी. चन्द्रशेखरप्पा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कॉर्डलैस टेलीफोनों का निर्माण करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कॉर्डलैस टेलीफोनों का वार्षिक उत्पादन कितना होगा और ये कहां तक सहायक सिद्ध होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) तार विहीन टेलीफोनों के विनिर्माण के लिए 27 आशय-पत्र जारी किए गए हैं।

(ग) आशय-पत्र लगभग 7.65 लाख की कुल उत्पादन क्षमता के लिए जारी किए गए हैं। तार विहीन टेलीफोन का इस्तेमाल प्रयोगकर्ता एक निर्धारित दायरे के अन्दर कहीं से भी कर सकता है और इस प्रकार उसकी गतिशीलता बढ़ाने में मदद मिलती है।

भारतीय भाषाओं के विकास के लिये कार्य दल

3496. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना के दौरान भारतीय भाषाओं (मान्यता प्राप्त और गैर-मान्यता प्राप्त दोनों) और उसके साहित्य के संवर्धन और विकास और उन्हें स्वतंत्र बनाने तथा इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त नीति बनाने हेतु किसी कार्य दल का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य दल के वर्तमान सदस्य कौन-कौन हैं और इस नीति का विकास करने के लिये इस कार्य दल को क्या मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे कार्यदल का गठन करने का विचार है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जी हां। योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भाषा से संबंधित एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

(ख) कार्यकारी दल का गठन तथा विचारार्थ विषय क्रमश: संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में निर्दिष्ट हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

भाषा सम्बन्धी कार्यकारी दल के सदस्यों की सूची-आठवीं पंच वर्षीय योजना

अध्यक्ष

1. श्री किरीट जोशी
सदस्य-सचिव
आई.सी.पी.आर.
10, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली।

सदस्य

2. **प्रोफेसर डी.पी. पटनायक**
निदेशक
केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान
पानस गंगोत्री, मैसूर

3. डा. आर. के. शर्मा
उपाध्यक्ष
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान
नई दिल्ली ।

4. प्रोफेसर लक्ष्मी टाटाचार्य
कुल-सचिव, संस्कृत अनुसंधान,
मलकोट-571831.

5. प्रोफेसर नामवर सिंह
भारतीय भाषा केन्द्र
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
न्यू महरौली रोड
नई दिल्ली ।

6. डा. एम.बी. सोहोनी
कुलपति
तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ
विद्यापीठ भवन गुल्टेकाडी
पूणे-411037 ।

7. प्रोफेसर ब्र. कृष्णामूर्ति
कुलपति
हैदराबाद विश्वविद्यालय
हैदराबाद ।

8. श्री एम.के. माधवन नय्यर
प्रकाशन परामर्शदाता
अभिदय प्रवर्तक सहकारी सोसायटी लि.
कोट्टायम-686001 ।

9. प्रोफेसर जे.एम. मोहन्ती
अंग्रेजी विभाग
उत्कल विश्वविद्यालय
वाणी विहार, भुवनेश्वर-751004

10. कुलपति
तमिल विश्वविद्यालय
तान्जावूर

11. डा. एस.एस. हंस
इतिहास के प्रोफेसर
गुरूनानक देव विश्वविद्यालय
अमृतसर ।

12. डा. कमर रईस
उर्दू प्रभागाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली ।

13. डा. निर्मल प्रभा
असमी विभागाध्यक्ष
गुवाहाटी विश्वविद्यालय, गुवाहाटी

14. डा. अशोक आर. केलकर
निदेशक, भाषा विज्ञान में उच्च
अध्ययन केन्द्र
दक्षिण महाविद्यालय
पूणे ।

15. प्रोफेसर एम.एल. जोतवानी
उपाध्यक्ष
सिंधी सलाहकार समिति

16. श्री एम.आर. कोल्हटकर,
सलाहकार (शिक्षा
योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

17. पंडित लक्ष्मण शास्त्री जोशी
मुख्य सम्पादक
धर्मकोश मण्डल
वाई, जिला सतना (महाराष्ट्र)

18. डा. ए.आर. वासुदेव मूर्ति
इनेगेनिक खनिज रसायन शास्त्र के
प्राध्यापक
भारतीय विज्ञान संस्थान
बंगलौर ।

19. प्रोफेसर प्रमोद तलगेरी
जर्मन अध्ययन केन्द्र

20. डा. सूरज भान सिंह
अध्यक्ष
वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली
आयोग
ब्लाक-8, आर.के. पुरम, नई दिल्ली ।

विशेष रूप से आमन्त्रित

21. डा. (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन
सचिव
कला विभाग
सेन्ट्रल विस्टा, जनपथ
नई दिल्ली ।

आमंत्रित

22. प्रोफेसर एस.के. वर्मा
निदेशक
सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ इंग्लिश एण्ड
फारेन लैंग्वेजेज, तारनाका
हैदराबाद ।

23. प्रो. आई.एन. चौधरी, सचिव
साहित्य अकादमी
रवीन्द्र भवन
नई दिल्ली ।

23(क) श्री एस.आर. चोपड़ा
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
योजना आयोग
नई दिल्ली ।

24. श्रीमती उषा श्रीवास्तव
अनुसंधान अधिकारी
योजना आयोग
नई दिल्ली ।

सदस्य-संयोजक

25. श्री पी.के. सेठ
उप सचिव (भाषा)
शिक्षा विभाग
शास्त्री भवन
नई दिल्ली ।

विवरण-2

भाषा सम्बन्धी कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय-आठवीं पंच-वर्षीय योजना

1. संस्कृत, हिन्दी, क्षेत्रीय तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास जैसे सातवीं योजना के मूल कार्यक्रमों और एन. पी.ई, 1986/एक्शन संबंधी कार्यक्रम के अन्तर्गत नई पहल-शक्तियों दोनों के संबंध में 1989-90 के अन्त तक उक्त क्षेत्र के भीतर संभाव्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा स्थिति का अध्ययन करना और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना तथा उपकारी उपायों सम्बन्धी सुझाव देना ।

2. अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं/विकलांगों/पिछड़े समुदायों जैसे समाज के सभी वर्गों के लिए शिक्षा संबंधी समान अवसरों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा भाषा विकास कार्यक्रमों को तैयार करते समय उनके हितों को पूरी तरह शामिल करते हुए सन् 2005 तक भाषा विकास के सम्बन्ध में एक व्यवहार्य परिप्रेक्ष्य के बारे में सुझाव देना ।

3. पिछड़े राज्यों/क्षेत्र/जिलों के मानकों, सुविधाओं तथा उपलब्धियों के उन्नयन के लिए उपाय सुझाना ।

4. 1. संविधानिक प्रावधानों तथा (क) भाषा विकास,(ख) त्रिभाषा फार्मूला, (ग) हिन्दी (घ) संस्कृत तथा(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के क्षेत्र में एन. पी. ई. 1968 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों तथा स्कीमों के बारे में सुझाव देना ।

4. 2. शिक्षण क्रियाविधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा कम्प्यूटरों और नई सचार तकनीक का प्रयोग करने के लिए भाषा संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे में सुझाव देना ।

4. 3. भाषाओं तथा साहित्यों के शिक्षण के बीच तथा संस्थानिक रूप से साहित्य अकादमी, क्षेत्रीय भाषा अकादमी हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं के क्षेत्र में भाषा विकास के उन्नयन के प्रति समर्पित राष्ट्रीय संस्थानों के बीच और विश्वविद्यालय के भाषा तथा साहित्य विभागों के बीच सम्बन्धों को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना ।

4. 4. बुनियादी शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय तथा प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में जनजातीय तथा अन्य बोली जाने वाली भाषाओं के प्रयोग के लिए उपाय सुझाना ।

5. ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जिन्हें अध्यक्ष आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए विषय क्षेत्र के में सुसंगत समझे ।

6. प्राथमिकताओं, नीतियों तथा वित्तीय लागत का उल्लेख करते हुए उक्त परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करना ।

दिनांक 13.3.1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2449 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : दिनांक 13.3.1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2449 के उत्तर की (केवल अंग्रेजी पाठ में) अन्तिम पंक्ति, जो कि इस प्रकार है :—

> "यह सूचित किया गया है कि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद सम्पदा निदेशालय द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं ।"

के स्थान पर कृपया निम्नलिखित पंक्ति रखी जाए :

> "यह सूचित किया गया है कि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद सम्पदा निदेशालय द्वारा कोई नए आदेश जारी नहीं किए गए हैं ।"

[12.00 मध्याह्न]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैंने एक सूचना दी है। मैं प्रक्रिया सम्बन्धी एक मामला उठाना चाहता हूं। हमें सचिवालय से पूरक कार्यसूची मिल चुकी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी खड़े क्यों हैं? मैंने प्रो० दण्डवते को बोलने की अनुमति दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्य माननीय सदस्यों को अपना-अपना स्थान लेने के लिए कह रहा था क्योंकि मैंने आपको अनुमति दी है।

प्रो० मधु दंडवते : ठीक है, महोदय। धन्यवाद। मैं आपको कह रहा था कि आपके सचिवालय ने कार्यसूची परिचालित की है जिसमें ठक्कर आयोग की रिपोर्ट, ज्ञापन, अन्तरिम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट, आदि का उल्लेख है। यदि आप पूर्वोदाहरणों पर दृष्टि डाले सौभाग्यवश मेरे पास जांच आयोग अधिनियम के अधीन सभा में प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टें जैसे विशेषाधिकार समिति की रिपोर्टें तथा अन्य सभी रिपोर्टें; सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, वांचू आयोग की रिपोर्ट, विशेषाधिकार सम्बन्धी रिपोर्ट तथा हाल ही में प्रस्तुत बोफोर्स रिपोर्ट ये सभी रिपोर्टें मेरे पास हैं। सभा रिपोर्टों के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा और बहस कर सके, इसके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि न केवल अन्तरिम रिपोर्ट और अंतिम रिपोर्ट बल्कि उनके अनुबन्ध भी प्रस्तुत किए जाने चाहिएं जोकि रिपोर्टों का ही एक भाग हैं।

मेरे पास अनेक रिपोर्टें हैं। सरकारिया आयोग ने अनुबन्ध दिए हैं, वांचू आयोग ने अनुबन्ध लगाए हैं, श्री अरुण शोरी के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में भी अनुबन्ध लगाए गए हैं। बोफोर्स रिपोर्ट में भी सभी अनुबन्ध अन्तर्विष्ट हैं। अतः ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी अनुबन्ध और साक्ष्य हमें उपलब्ध किए जाने चाहिए। तब ही हम इस पर पूर्णरूपेण चर्चा कर पाएंगे क्योंकि इस रिपोर्ट के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है। मैं यह मामला व्यवस्था के प्रश्न द्वारा उठा रहा हूं और जानना चाहता हूं कि इस विषय में आपका क्या विनिर्णय है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उनके प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। आप क्यों चिल्ला रहे हैं? उन्होंने एक प्रश्न किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी आप अपना स्थान क्यों नहीं लेते? साधारण सी बात है कि रिपोर्ट आने दीजिए तब हम देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या है। मैं कोई बात मान कर नहीं चल सकता।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उन्होंने सूची दे दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। रिपोर्ट देखने पर मैं स्पष्ट करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट के साथ अनुबन्ध भी सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : जब रिपोर्ट हमारे पास आएगी तब हमें मालूम होगा कि इसमें क्या है।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको इसे स्पष्ट करके हमें बताना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, क्या आपने कार्यसूची पढ़ी है ? उन्होंने हमें उपलब्ध कराए जाने वाले भागों का उसमें उल्लेख किया है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी अनावश्यक क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं कह रहा हूं कि जब रिपोर्ट हमारे पास आएगी तो हम देखेंगे ; इससे पहले नहीं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसमें सभी कुछ है। अन्तरिम रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट और सभी अन्य दस्तावेज हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : अनुबन्धों का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता। मैं परिकल्पित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता। मैं रिपोर्ट देखकर यथा समय निर्णय करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : गृह मंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री चिरंजी लाल शर्मा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : शून्य काल पर विपक्ष का एकाधिकार नहीं है। अब चूंकि आपने मुझे बोलने को कहा है तो उन्हें खामोश रहना चाहिए।

महोदय, कल अर्थात 26 तारीख को नूह में हुए उप चुनाव में हरियाणा में लोकतन्त्र की बलि चढ़ाई गई। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों··· (**व्यवधान**)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसमें क्या करूं ?

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे उन्हें उत्तर देना है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को हरियाणा सरकार निर्दयता से कुचल रही है। दो व्यक्ति मारे गए बताए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, निर्वाचन आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है। मैं कुछ नहीं कर सकता। यह निर्वाचन आयोग का कार्य है।

(**व्यवधान**)

श्री चिरंजी लाल शर्मा : वहां गोलियां, चली थीं, दो व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया था। परन्तु उसका क्या प्रभाव पड़ा। उस क्षेत्र में लोगों पर वोट न डालने के लिए दबाव डाला गया। (**व्यवधान**)।

श्री पी०आर० कुमार मंगलम (सलेम) : प्रश्नकाल के दौरान, मैं यह मुद्दा नहीं उठाना चाहता। मुद्दा यह है कि जब राज्य सरकार द्वारा सरकारी मशीनरी का पूर्णतः दुरुपयोग होता है तो हम यह मुद्दा कहां उठाएं ? (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुमारमंगलम, इस काम के लिए निर्वाचन आयोग है। इस प्रश्न को हम हल नहीं कर सकते। यह कार्य निर्वाचन आयोग का है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

(**व्यवधान**)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैंने यह पता करने के लिए एक सूचना दी है कि क्या ठक्कर आयोग की रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय को मिल चुकी है, जैसा कि हमने अनुरोध किया था।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा कैसे हो सकता है ?

(**व्यवधान**)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : मैंने आपको लिखा था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ प्रश्न हैं.....।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे चक्कर में डालने की कोशिश मत करें। प्रत्येक अनुरोध स्वीकार नहीं होता। अब मुद्दा मुझे सौंप दिया गया है।

प्रो० मधु दंडवते : मुद्दा क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट। इसे खोला नहीं गया है.....।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे तोड़ सकता हूं।

[**अनुवाद**]

मुझे यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रो. मधु दंडवते : हम जानना चाहते हैं कि यह क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास इस रिपोर्ट की एक सील बन्द प्रति है।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या यह आज दी गई है ? (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : चिल्लाइए नहीं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आपको यह कब दी गई थी ? (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास प्रति होना आवश्यक नहीं है ।

(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? आप क्यों शोर कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : हम जानना चाहते हैं कि आपको यह कब दी गई ?

अध्यक्ष महोदय : नोटिस के साथ ।

श्री बसुदेव आचार्य : आज

अध्यक्ष महोदय : नोटिस के साथ ।

(**व्यवधान**)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस. देव : अनुबन्धों के बारे में आप क्या कहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम । मैंने इसे खोला नहीं है ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : हरियाणा में चुनाव एक मजाक बन गया है । हम मूक दर्शक कैसे बन सकते हैं । (**व्यवधान**) ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जम्हूरियत का जनाजा निकल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आपको यह रिपोर्ट कब दी गई ? (**व्यवधान**) ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस. देव : अनुबन्धों के विषय में आप क्या कहेंगे ? क्या अनुबन्ध भी इसमें लगे हुए हैं ? (**व्यवधान**) ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ भी कह सकते हैं, श्रीमान् और आप चाहें तो कुछ भी कर दें लेकिन मैं तो नहीं कर सकता हूं ।

[अनुवाद]

मेरे पास इसका होना आवश्यक नहीं है । यह असंगत है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : रद्द कर दी गयी ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : क्या रद्द की गयी ?

अध्यक्ष महोदय : आपकी आपत्ति ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं आपत्ति नहीं कर रहा था । मैं पूछ रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ! हो सकता है यह सुझाव हो । आपका सुझाव या याचिका स्वीकार्य नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हरियाणा वालों का मैंने सुन लिया है । मैं क्या कर सकता हूं ।

[अनुवाद]

मैं कुछ नहीं कर सकता ।

[हिन्दी]

मेरे हाथ तो साफ हैं ।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, 116 नम्बर बूथ से जनता दल के कैंडिडेट मोहम्मद हसन ने प्रीजाइडिंग आफिसर से सात बोट छीन लिये । इस दौरान वहां दो आदमी मर गये और कई आदमी जख्मी हुए ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कानून करेगा, मैं क्या कर सकता हूं । मैं कुछ नहीं कर सकता ।

[हिन्दी]

श्री चिरंजी लाल शर्मा : वहां कानून का मजाक हो रहा है और उसकी धज्जियां उड़ रही हैं । आप ही हमें बतायें कि हम कहां जायें । जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाये तो उस खेत में क्या होगा । इतना ही नहीं नूह के अन्दर फायरिंग तक हुई ।

अध्यक्ष महोदय : बात खत्म हो गई ।

अब साहब, मुझे तो आपने अख्तियार दिया नहीं कि आप मेरे पास आ जायें । विधान में जो व्यवस्था है, उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा । अगर गुनाह होता है तो कानून के पास जाना पड़ेगा, इलैक्शन कमीशन के पास जाना पड़ेगा, होम मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा, जो आप ने कानून बनाया है उसके हिसाब से जाना पड़ेगा । कानून यह कहता है कि मेरे पास आइये तो आप जरूर आइये,*** ।

[अनुवाद]

मैंने श्री दिनेश गोस्वामी को बोलने के लिए कहा है । मैं उससे अधिक नहीं सुन सकता ।

[हिन्दी]

मैं तो एक बात जानता हूं, मैंने तो एक बात आज नहीं कही, कल नहीं कही परसों नहीं कही, हमेशा यह कहता हूं कि पार्लियामैण्टरी डैमोक्रेसी में असली वोट नहीं होगा तो आजादी नहीं रहेगी और यह एक के लिए नहीं, सब पार्टियों पर लागू होता है, जो भी गड़बड़ी करेगा, वह बुरा है, मैं तो यह समझता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : महोदय, मैंने आपको पूरक अनुसूची, सम्भाव्य सूचना की मद सं० 9क के बारे में सूचना दी है और सम्भाव्य सूचना में दर्शाया गया है कि तीनों दस्तावेज 4.00 बजे सभापटल पर रख दिए जाएंगे। परन्तु सभा की परम्पराओं और प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार, जब किसी आयोग की रिपोर्ट सभापटल पर रखी जाती है तब सभी सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के मामले में एक दूसरा खण्ड प्रस्तुत किया गया था जिसमें सभी साक्ष्य अन्तर्विष्ट किए गए थे। इसलिए, पत्रों को सभापटल पर रखने की अनुमति देने से पूर्व, आपको सरकार को अनुबन्ध भी साथ रखने के लिए कहना चाहिए ** (व्यवधान) हम पूरे दस्तावेज चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार कर लिया है। इनका व्यवस्था का प्रश्न रद्द कर दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : आपने अभी हमें कुछ सील बंद पत्र दिखाये थे जो आपको दिये गये थे, शायद उसमें रिपोर्ट की एक प्रति है। ऐसा लगता है उसमें आपको सम्बोधित एक पत्र भी है। कृपया पत्र को देखकर यह बतायें कि क्या इसमें अनुबन्ध शामिल हैं या नहीं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, आपके सामने रिपोर्ट आ जायेगी तब पता लग जायेगा कि मामला क्या है।

[अनुवाद]

हम इन्तजार कर सकते हैं और उसके बाद ही इस बारे में पता चलेगा। मैं समय से पूर्व कुछ नहीं कह सकता। जब समय आयेगा तो मैं बता दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वही बात है। मैंने पहले ही सुन ली है। मैं कब तक यही बात सुन सकता हूं ?

अब पत्र सभापटल पर रखे जायेंगे।

12.13 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वाणिज्य मंत्रालय के वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगें

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : मैं, श्री दिनेश सिंह की ओर से, वाणिज्य मंत्रालय की वर्ष 1989-90 के लिए अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 7568/89]

अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रव्य विकलांग संस्थान, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि।

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा. राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखती हूं :

(1) (एक) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रव्य विकलांग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रव्य विकलांग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 7579/89]

(3) (एक) शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शारीरिक विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 7570/89]

(5) (एक) पुनर्वास, परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी/रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 7571/89)।

(6) (एक) पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 7572/89]

(7) उपर्युक्त मद संख्या (5) और (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 7571 और 7572/89]

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (चिकित्सीय परिचर्या) विनियम, 1988

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 40 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (चिकित्सीय परिचर्या) विनियम, 1988, जो 12 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सैक. 9. 2. 6. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखीं गयीं। देखिये संख्या एल. टी. 7573/89]

सशस्त्र बल (आपात कर्तव्य) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : मैं सशस्त्र बल (आपात कर्तव्य) अधिनियम, 1947 की धारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 9 (अ), जो 1 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मद्रास पत्तन की प्रत्येक सेवा को समुदाय के लिये अत्याधिक महत्व की सेवा घोषित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 7574/89]

गणितीय विज्ञान संस्थान, मद्रास का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षित लेखे और रामन अनुसंधान संस्थान बंगलौर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के. आर. नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) गणितीय विज्ञान संस्थान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गणितीय विज्ञान संस्थान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) गणितीय विज्ञान संस्थान, मद्रास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/रखे गये। देखिये सं या एल०टी० 7575/89]

(3) (एक) रामन अनुसंधान, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामन अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी/रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०7576/89]।

(4) (एक) भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 7577/89]

(5) (एक) बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ के वर्ष1987-88 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये/रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 7578/89]।

(6) (एक) महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दी कल्टिवेशन आफ साइंस, पुणे के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र एसोसिएशन फार दी कल्टिवेशन आफ साइंस, पुणे के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी.7579/89]

(7) (एक) सत्येन्द्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्येन्द्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये/रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 7580-89]।

(8) (एक) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया/रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 7581/89]

(9) अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल. टी. 7582/89]

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)।

प्रो. मधु दंडवते(राजापुर) : आपको व्यवस्था के प्रश्न को सुनना होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई बार सुना है।

(व्यवधान)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : मैंने एक अनुरोध किया है'''(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके अनुरोध को नहीं मानता। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : क्या आपने सरकार को बताया है कि दस्तावेजों को आपके पास सुरक्षित रखा जाये ?

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। इसे रद्द कर दिया गया है। मुझे उसे स्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक ही मेरा समय क्यों नष्ट कर रहे हो ? आप जानते हो कि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री वसुदेव आचार्य(बांकुरा) : उस रिपोर्ट में हेराफेरी की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : हेराफेरी का कोई प्रश्न नहीं है यह सरकार के लिए है ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमारे अधिकारों के संरक्षक हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं नियमों का भी संरक्षक हूं । मैं आपकी मर्जी से नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बात ठीक है; बैठ जाइये ।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पडरौना) : महोदय, 7 मार्च और फिर 16 मार्च को मैंने तारांकित प्रश्न संख्या 64 और आतारांकित प्रश्नसंख्या 225 पर आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दिया था । आतारांकित प्रश्न संख्या 225 के दिनांक 13 मार्च के उत्तर में यह बताया गया है :-

> " सेवारत सैनिक अधिकारियों, वैज्ञानिकों, सुरक्षा एजेन्टों, शस्त्र विक्रेताओं और नागरिकों के अवांछनीय, गोपनीय सम्बंधों की जांच । "

सभा को तथा देश को यह बताया जाना चाहिए कि देश के गुप्त दस्तावेजों को कौन बाहर भेज रहा है, जैसा कि ठक्कर रिपोर्ट के साथ हुआ है । अपराधी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है आप मुझे नोटिस दीजिए । मैं इसकी जांच करूंगा ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं..... ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी क्या समस्या है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं आपसे इसकी पुष्टी करना चाहता हूं कि जब आपने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के बारे में की गई मांगों का उत्तर दिया था, तो क्या आपने यह कहा था कि अन्तिम रिपोर्ट का अर्थ है कि उसमें अनुबन्ध भी शामिल हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब यह आयेगी तब हम इसकी जांच करेंगे ।

श्री बसुदेव आचार्य : आपको वह पत्र पढ़ना चाहिए ।

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव (पार्वतीपुरम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : मैंने आपको लिखा था और मैंने 14 तारीख को आपको एक नोटिस भी दिया था, जिसमें आपसे यह निवेदन किया गया था कि केवल रिपोर्ट को ही कब्जे में न लें परन्तु सरकार को परिशिष्ट रखने के लिए भी निर्देश दें ।

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने भी लिखा था ।

अध्यक्ष महोदय : उसे अस्वीकृत कर दिया गया था । मैंने उसे स्वीकृत नहीं किया है ।

(व्यवधान)

श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव : महोदय, आपने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय·····।

अध्यक्ष महोदय : यहां कोई कानूनी बात नहीं है।

प्रो. मधुदण्डवते : आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी मर्जी से मुझे कुछ सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. के. के. तिवारी) : महोदय, सारी बात ठक्कर आयोग की रिपोर्ट, परिशिष्ट इत्यादि को सभा पटल पर रखने के बारे में है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हीं न्यायधीश ठक्कर ने फेयरफैक्स मामले में भी एक रिपोर्ट दी है जिसमें ····· ·· **····· · क्या यह सभा ····· (व्यवधान) ····· ·· ** ····· ····· ····· ·····**·····

अध्यक्ष महोदय : सरकार कार्यवाही कर सकती है।

12-19 म०प०

सभापटल पर रखे गये पत्र—जारी

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :-

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (सब-इंस्पेक्टर) (ट्रांप्टसमैन) भर्ती नियम, 1985, जो 16 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (मोटर परिवहन तथा मोटर मकेनिक अराजपत्रित संवर्ग) भर्ती नियम, 1986, जो 16 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 293 में प्रकाशित हुए थे।

**अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

(तीन) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस पशु-चिकित्सा संवर्ग (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 1981, जो 23 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 301 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (प्रकाशन तथा मुद्रण संवर्ग) भर्ती नियम, 1983, जो 23 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 310 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (अनुगामी संवर्ग) भर्ती नियम, 1983 जो 23 अप्रैल 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 311 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (शस्त्रकार संवर्ग) भर्ती (संशोधन) नियम, 1987, जो 16 जनवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 16 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस सहायक कमांडेन्ट (पशुचिकित्सा सर्जन) भर्ती नियम, 1981, जो 16 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस कम्पनी कमांडर (विधिक, तथा सुबेदार (विधिक) भर्ती नियम, 1986, जो 16 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 292 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (सूबेदार) (पुस्तकालय) भर्ती नियम, 1982, जो 23 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 302 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (पशु-चिकित्सा सहायक सर्जन) (कम्पनी कमांडर) भर्ती नियम, 1983, जो 23 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 305 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (कम्पनी कमांडेन्ट इंजीनियर) भर्ती नियम, 1984 जो 16 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 289 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (कमांडर इंजीनियर) तथा एसिस्टेंट कमांडेट (इंजीनियर) भर्ती नियम, 1982, जो 23 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 304 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (कम्पनी कमांडर) (क्लैरिकल ट्रेनिंग स्कूल) भर्ती नियम, 1983 जो 23 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 308 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस प्लाटून कमांडर (स्टेनोग्राफर) तथा प्लाटून कमांडर (आफिस) भर्ती नियम, 1983 जो 23 अप्रैल, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 312 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी. 7583/89]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा) पहला संशोधन नियम, 1989, जो 25 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 95 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल.टी. 7584/89]

(3) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) हरियाणा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989, जो 22 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 121 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) हरियाणा प्रशासनिक न्यायाधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भते तथा सेवा-शर्तें) नियम, 1989, जो 22 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 122 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल.टी. 7585/89]

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा प्रत्यावासित सहकारी वित्त और विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति तथा स्थायीकरण) (संशोधन) नियम, 1988, जो 23 सितम्बर, 1988 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 5/31/88-गृह (पी) स्थापना में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति तथा स्थायीकरण) (संशोधन) नियम, 1988, जो 3 अक्तूबर, 1988 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 5 (2)/86—गृह (पी) स्थापना में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दिल्ली पुलिस (सेवा की सामान्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 1988, जो 10 अक्तूबर, 1988 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 10/6/84—गृह (पी) स्थापना में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना संख्या एफ. 10/60/80—गृह (पुलिस) स्थापना जो 21 जुलाई, 1988 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा गैर-सरकारी व्यक्तियों, वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 39 तथा 40 में विनिर्दिष्ट किस्म के अन्य कर्तव्यों के लिए अतिरिक्त पुलिस भेजने हेतु प्रभार में संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 7586/897]

(2) (एक) प्रत्यावासित सहकारी वित्त और विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रत्यावासित सहकारी वित्त और विकास बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 7587/89]

जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत अधिसूचना गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 21 के साथ पठित जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का.आ. 223 (अ) जो 23 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 15 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या का.आ. 260 (अ) विखण्डित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 7588/89]

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

12.19 म.प.

महासचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त प्रत्यक्ष कर विधि (संशोधन) विधेयक, 1989 सभापटल पर रखता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक संभाव्य सूचना स्वीकार की है·····(व्यवधान) महोदय, वे व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप झगड़ा क्यों कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

मैं ध्यान रखूंगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने कृपया एक महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में एक संभाव्य सूचना को स्वीकार किया है ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । कृपया शान्त रहिये ।

(व्यवधान)

प्रो० मधुदण्डवते (राजापुर) : तिवारी जी ने सोमनाथ जी को अभी बताया है "....." यह क्या है ? (व्यवधान) आप उनका नाम पुकारें । उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहियें । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ नहीं सुना । कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

प्रो. मधुदण्डवते : आप उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिए कहिए । (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि इस सभा का एक सदस्य "....." उन्होंने यह कहा है....(व्यवधान)* ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)*

प्रो. मधुदण्डवते : महोदय, उन्होंने यह कहा है । कृपया उन्हें ये शब्द वापस लेने के लिए कहिए । आप कार्यवाही वृतान्त देख लें । यह सीधी सी बात है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बता दिया है कि असंसदीय अथवा अपमान जनक बात कार्य वाही वृतान्त में नहीं जायेगी । यह बहुत साधारण सी बात है ।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, भगवान के लिए आप बैठ जाइये ।

[अनुवाद]

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है । कृपया बैठ जाइये । कार्यवाही करना सरकार का काम है ।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में जाने के लिए नहीं कहा है। ऐसी कोई भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर इसकी अनुमति नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं सुना था। मैंने उनको अनुमति नहीं दी है।

प्रो. मधुदण्डवते : उन्हें सभा से बाहर निकाल दीजिए।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। तिवारी जी, आप अपना स्थान ग्रहण क्यों नहीं करते हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी दर्ज नहीं है। मैंने उनकी बात नहीं सुनी है। मैंने उनको अनुमति नहीं दी है। मैंने कुछ भी नहीं सुना। यदि कोई असंसदीय बात है तो यह कार्यवाही वृतान्त में नहीं है।

(व्यवधान)

हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये।

(अनुवाद)

कृपया चिल्लाइये मत। अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.के. तिवारी) : मैं यह कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। यह सभा की सम्पत्ति है.....।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है। आपकी बात अस्वीकृत कर दी गई है। कृपया बैठ जाईये।

(व्यवधान)

प्रो. मधुदण्डवते : वह इसे दोहरा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी है।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा हूं । मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी हैं ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा है, आप सब लोग गड़बड़ करते हैं । बुरी बात है । कोई भी अपशब्द किसी के लिए भी न रिकार्ड में आ सकता है और न मैं आने दूंगा ।

[अनुवाद]

मैं इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य द्वारा अपशब्द कहने की अनुमति नहीं दूंगा । मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है । कृपया शिष्टाचार बरतिये । श्री सोमनाथ चटर्जी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने मेरा नोटिस स्वीकार किया है··· ···(व्यवधान) ।

प्रो. के.के. तिवारी : महोदय, मैं सदन में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के विषय में बोल रहा था··· ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कृपया बैठ जाईये । यह बात समाप्त हो चुकी है और कोई बात नहीं है । कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये चौधरी जी ।

(अनुवाद)

मैंने उन्हें इस की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

प्रो. के.के. तिवारी : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यदि रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गयी थी । अब यह सदन की सम्पति है और इस रिपोर्ट की विषय वस्तु पर कोई भी टिप्पणी की जा सकती है । (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनकी अनमति नहीं दी है । कृपण बैठ जाइये । मैंने इसे अस्वीकार कर दिया है ।

प्रो० मधुदण्डवते : लेकिन वह आपके निर्णय को चुनौती दे रहें हैं । वह इसे दोहरा रहे हैं ।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : उन्हें स दन के बाहर भेज दीजिए । उन्हें निकाला जाना चाहिए·····(व्यवधान)* ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)*

(हिन्दी)

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप एक्शन लीजिए । आप बैठ जाइये । अब क्या कर रहे हैं ।

सदन का समय खराब कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मेरा निर्णय सर्वोच्च है । जो मैं कहूंगा सदन में उसे ही माना जायेगा । जो कुछ भी मेरे निर्णय के विरुद्ध कहा जायेगा, वह रिकार्ड में नहीं जायेगा । यह साधारण सी बात है ।

(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आप उन्हें सदन के बाहर भेजिए । (व्यवधान) ।

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, आप बोलिये ।

(अनुवाद)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं बैठेंगे तो मुझे सभा को स्थगित करना होगा ।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आपके आश्वासनों के बावजूद इस तरह की कोई भी टिप्पणी रिकार्ड में नहीं जायेगी । वह उन्हें दोहराये जा रहे हैं । आपको उनको बाहर जाने के लिए कहना चाहिए । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : जिसकी मैं अनुमति दूंगा, वही रिकार्ड में लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी महोदय, मैं किसी भी तरह की असंसदीय बात, जो आपके द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कही गई हो, उसकी अनुमति नहीं दूंगा । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : यह रिपोर्ट असंसदीय नहीं है । रिपोर्ट सभा में प्रस्तुत की जा चुकी है । यह असंसदीय नहीं है । (व्यवधान) ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपके निर्णय के बाद भी वह इसे दोहरा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं लिया गया है क्योंकि मैंने किसी भी असंसदीय बात की अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : आपके निर्णय के पश्चात् वह कहते हैं "मुझे इसे कहने का अधिकार है"

अध्यक्ष महोदय : उन्हे वही बात कहने का अधिकार है जिसे रिकार्ड में लिया जा सके अन्यथा नहीं, कोई अपशब्द नहीं और न ही कोई अपमानजनक शब्द इस तरह के शब्द रिकार्ड में नहीं लिये जायेगें उन्हें इस बात का अधिकार नही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप साधरण सी एक बात समझ लीजिए। साधारण सी बात यह है कि जो संसदीय है, शिष्ट है वही कहा जा सकता है लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही जा सकती जो इस सभा के किसी माननीय सदस्य के प्रति असंसदीय हो अपमानजनक हो। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा यह रिकार्ड का एक हिस्सा नहीं है यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो मैं किसी भी हालत में इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाओ अब आराम से।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी :मेरी आवाज ··।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपकी ऐसी है ? तो मेरी के बारे में क्या ? क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती ? आपके हृदय में दया नहीं है।

प्रो०मधु दंडवते : यदि उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो मै वही दोहराऊंगा जो उन्होने कहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं शांति के साथ इंतजार कर रहा हूं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (वडागरा) :आप उनसे ज्यादा शक्तिशाली है।

अध्यक्ष महोदय : मैं !

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : जी हां !

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं वह मुझसे ज्यादा भारी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय लेकिन आज आप के पास अधिकार हैं। मेरे पास नहीं हैं। आपने कृपा करके यह आकस्मिक नोटिस स्वीकार किया जो प्रत्यक्ष रूप से ··· ·· के फलस्वरूप दिया गया है। (व्यवधान)।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : इस मुद्दे पर पहले ही विचार किया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका निर्णय आप करेगें ? इसका निर्णय मैं करूंगा आपके आदेशानुसार नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आपने कृपा करके इस आकस्मिक नोटिस को स्वीकार किया जो प्रत्यक्ष रूप से प्रधान मंत्री द्वारा 17 तारीख को की गई घोषणा के परिणाम स्वरूप बहुत ही महत्व-पूर्ण मामले से संबंधित है इसलिए आपका आश्वस्त होना जरूरी है। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : नहीं इसे अस्वीकृत किया जाता है। मैं इसे बार-बार सुन चुका हूं। मैं इसकी दोबारा अनुमति नहीं दूंगा।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : रिपोर्ट के उपबंधों के बारे में क्या कहेंगे। रिपोर्ट के साथ उपबंध नहीं है। बिना उपबंधों के यह रिपोर्ट पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए आपका संतुष्ट होना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं तभी संतुष्ट हो सकता हूं जब मैं इसे देख लूं। इससे पहले नहीं। इससे पहले मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूं? जब वह प्रस्तुत की जायेगी तो मैं इसे देखूंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष **महोदय** : अस्वीकृत, बैठ जाइये।

समिति के लिए निर्वाचन

राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति

रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> 'कि राष्ट्रीय केडट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन, राष्ट्रीय केडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

> "कि राष्ट्रीय केडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय केडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.31 म. प.

दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक*

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 (1) के अधीन दिल्ली नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक पुनः स्थापित करने की सिफारिश की है।

अब श्री संतोष मोहन देव।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 तथा पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 जैसा कि नई दिल्ली में प्रवृत्त है, में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 तथा पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 जैसा कि नई दिल्ली में प्रवृत्त है, में और संशोधन करने के लिए विधेयक पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संतोष मोहन देव : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव संबंधी विनिर्णय का क्या हुआ। (व्यवधान)।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आइये, बात कर लेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज सिट डाउन। मुझे बड़ा बुरा लगता है ऐसा करना आपका। सुनिए एक शैर सुनाता हूं आपको। अच्छे आपकी आदत देख कर बड़ी तकलीफ होती है।

यूं रायगां कीजिए न सजदे मेरे
मेरा क्या मैं उठकर चला जाऊंगा
मगर देखना फिर न कहना पड़े
कि इक सर चाहिए संगे दर के लिए।

---

* दिनांक 27.3.89 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-दो खण्ड-2 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्थापित।

12.32 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अन्तर्गत मामले लिए जाएंगे। श्री पनिका।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कालीन बुनकरों को अधिक प्रोत्साहन दिए जाने और उनके लिए प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : यह बड़ी चिंता का विषय है कि कालीन बुनकरों को वह सब प्रोत्साहन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी जा रही हैं, जिन्हें देने के बारे में केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया था।

कालीन उद्योग एक निर्यातोन्मुखी उद्योग है और इस उद्योग को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सुविधाएं दी जा रही हैं। मुझे खुशी है कि भारत सरकार कालीन निर्यातकों को 17 प्रतिशत आर्थिक सहायता दे रही है। किन्तु, बुनकर, जिन्हें बहुत ही कम मजूरी मिलती है, अपना जीवन यापन करने में असमर्थ हैं। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाज के इस कमजोर वर्ग से बेरोजगारी दूर करने के लिए राज्य के जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोले जा रहे हैं।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा, माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएं। मेरा अनुरोध है कि बुनकरों को कम से कम 10 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जाए ताकि कालीन उद्योग प्रगति करें और बुनकरों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठे।

(दो) रसोई गैस के रेगुलेटरों और सिलेंडरों की आपूर्ति करने से पूर्व उनकी जांच किए जाने और उनको प्रमाणित किए जाने को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाए जाने तथा दुर्घटना की स्थिति में उपभोक्ताओं के लिए बीमा संबंधी उपबन्ध किए जाने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : मैं इस सदन का ध्यान 17 मार्च की शाम को नागपुर शहर के पूर्वी भाग में हुई भयंकर दुर्घटना की ओर दिलाना चाहता हूं। यह दुर्घटना तब हुई जब रसोई गैस के एक सिलंडर में आग लग गई और पांच बच्चों सहित एक ही परिवार के सात लोग मारे गए।

इस संबंध में मैं खाना पकाने की गैस के वितरण और इस्तेमाल से जुड़े प्रमुख मुद्दों का उल्लेख करूंगा। सबसे पहले, गैस एजेन्सियों द्वारा एल. पी. जी. सिलंडरों का वितरण इस बात की परवाह किए बिना किया जाता है कि एजेन्सी द्वारा सप्लाई किए जाने वाले सिलंडरों और रैगुलेटरों

की समय-समय पर जांच होती है या नहीं, चूंकि सिलन्डरों और रैगुलेटरों की जांच में लापरवाही बरती जाती है, इसलिए जिस प्रकार की दुर्घटना नागपुर में हुई है वह भविष्य में भी होगी और बेकसूर लोग और बच्चे मरेंगे। इसलिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत गैस सप्लायरों के लिए यह अनिवार्य हो कि वह गैस उपभोक्ताओं को सप्लाई करने से पूर्व, रैगुलेटरों और सिलन्डरों को सक्षम अधिकारी से प्रमाणित करवाएं।

दूसरी बात, इस प्रकार के विस्फोटों से जान माल को होने वाले नुकसान की है। गैस कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिये कि वह उन लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान करे जिन्हें वह गैस सप्लाई करते हैं। मैं यह पुर जोर अनुरोध करता हूं कि गैस कम्पनियों के लिए यह अनिवार्य होना चाहिए और इसके लिए कम्पनी को, जो कुछ वह उपभोक्ताओं से वसूल करती है उससे 50 पैसे या 1 रुपया अधिक वसूल करने की अनुमति होनी चाहिए।

मुझे आशा है कि यह सभा और सरकार इस समस्या की ओर ध्यान देगी।

(तीन) **उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में अकबरपुर में एक कम शक्ति वाला रिले केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जन सामान्य का ज्ञान वर्द्धन करने, किसानों तक कृषि की नई तकनीक पहुंचाने, सरकार की उपलब्धियों तथा समाज के विभिन्न वर्गों में जन चेतना जागृत करने में दूरदर्शन का विशेष महत्व है। देश के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों की एवं समाज के इस बदलते हुए परिवेश में उसका महत्व बढ़ता ही चला जा रहा है। उद्वेलित जनमानस को शांत करने, श्रमेव जयते को चरितार्थ करने, विज्ञान को गांव तक पहुंचाने एवं देश के करोड़ों युवकों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने की दिशा में दूरदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। परन्तु खेद है कि देश में अधिकांश ग्रामीण हिस्से दूरदर्शन की सुविधा से वंचित हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में टांडा एवं अकबरपुर तहसीलें भी हैं। इन दोनों तहसीलों में काफी संख्या में लोगों ने टीवी सैट लगा रखे हैं, परंतु लोग इन सुविधाओं से वंचित हैं फैजाबाद जिले के मुख्यालय पर कम शक्ति का प्रक्षेपण केन्द्र है परंतु उसका मात्र 25 किलोमीटर का रेंज है इसलिए मेरी भारत सरकार से पुरजोर मांग है कि उत्तर प्रदेश के जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील में कम शक्ति का प्रक्षेपण केन्द्र लगाने की कृपा करें।

(चार) **पाली जिले के सूखा पीड़ित लोगों को राहत प्रदान किए जाने हेतु राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता**

श्री शंकर लाल (पाली) : राजस्थान के पाली जिले के करीब दो सौ गांव इस वर्ष भी अकाल की भयंकर चपेट से ग्रसित हैं और कई गांवों में तो पीने के पानी को भी टैंकरों से पहुंचाने की नौबत आ गई है। राजस्व रेकर्ड गिरदावरी के आधार पर पाली जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 2.11.88 को राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करने के बावजूद धन के अभाव में राज्य सरकार द्वारा इन गांवों को अभी तक अकाल पीड़ित घोषित कर राहत पहुंचाने में कोताही की जा रही है

और बैंकों व सहकारी समितियों के माध्यम से बकाया ऋण की वसूलियां भी सस्ती से करने के प्रयास किए जा रहे हैं इसलिए भारत सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को समुचित मदद देकर इन गांवों में राहत पहुंचाने के निर्देश देना अनिवार्य है।

(पांच) **सिकन्दराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली वेंकटाद्री एक्सप्रेस की गति बढ़ाए जाने और उसका समय बदले जाने की आवश्यकता**

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : वेंकटाद्रि एक्सप्रेस, सिकन्दराबाद और तिरुपति के बीच छोटी लाइन पर 700 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 19 घण्टे लेती है क्योंकि यह केवल 35 कि०मी० प्रति घण्टे की रफ्तार से चलती है। गुंटाकल में 75 मिनट का समय नष्ट होता है। यह रेलगाड़ी सिकन्दराबाद से 3.30 म०प० पर चलती है और सिकन्दराबाद सुबह 9.30 बजे पहुंचती है। यह समय यात्रियों के लिए अत्यंत असुविधाजनक हैं।

यदि इस रेलगाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया जाता है और गुंटाकल में रुकने के समय को कम किया जाता है तो सिकन्दराबाद और तिरुपति के बीच लगने वाले समय को बड़ी आसानी से दो तीन घण्टे कम किया जा सकता है।

यह अनुरोध है कि सिकन्दराबाद से प्रस्थान का समय बदल कर 17.00 बजे कर दिया जाए तथा सिकन्दराबाद पहुंचने का समय वर्तमान 9.30 म०पू० के स्थान पर 8.00 म०पू० होना चाहिए तथा इसमें एक वातानुकूलित डिब्बा भी लगाया जाना चाहिए। यदि ये सुझाव कार्यान्वित होते हैं तो यात्री आपके आभारी होंगे और यात्रियों के लिए अत्यंत सुविधाजनक होगा।

(छः) **नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म जिस मकान में हुआ था, उसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जाने की आवश्यकता**

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणियों में से एक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म उड़ीसा में कटक में हुआ था। वह मकान 15 बीघे जमीन में फैला हुआ है। पर्याप्त देखभाल तथा रखरखाव के अभाव में उस मकान की हालत धीरे-धीरे खस्ता हो रही है। भारत के महान सपूत, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की याद को जीवित रखने के लिए, मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह इस मकान का अधिग्रहण कर ले तथा इसे सुभाष चन्द्र बोस का राष्ट्रीय स्मारक बना दें। सरकार को चाहिए कि वह इस संबंध में उड़ीसा सरकार से बातचीत करे और जल्द कदम उठाए।

(सात) **बंगलौर में उच्चतम न्यायालय की एक खंड पीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता**

श्री बी०एस० कृष्ण अय्यर (बंगलूर दक्षिण) : बंगलूर सिटी, उच्चतम न्यायालय की पीठ अर्थात दिल्ली से बहुत दूर है लोगों को कर्नाटक उच्च न्यायालय तथा राज्य और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के फैसलों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। अपीलें दायर करने के पश्चात वादियों को अपने मुकदमों के सिलसिले में कई बार दिल्ली जाना पड़ता है।

इस लम्बी दूरी के कारण कर्नाटक के अधिकांश वादी, अन्तिम न्याय पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक नहीं पहुंच पाते। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बंगलूर में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ की स्थापना करें ताकि लोग अनावश्यक खर्च किए बिना तथा बिना किसी कठिनाई के अन्तिम न्याय पा सकें।

12.45 म०प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1988-89

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12—अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1988-89 पर चर्चा और मतदान कराएंगे। इसके लिए एक घंटे का समय दिया गया है। अतः मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि वह संक्षेप में बोलें।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, इसका समय बढ़ाया जा सकता है क्योंकि बहुत से विपक्षी सदस्य बजट की चर्चा से भाग नहीं ले सके। मेरा प्रस्ताव है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा का समय बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वी. एस. राव।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं केन्द्र सरकार द्वारा, गैर-योजना व्यय में वृद्धि करने पर टिप्पणी करना चाहूंगा। सरकार द्वारा गैर योजना व्यय को कम करने का वायदा करने के बावजूद, सरकार अधिक से अधिक खर्च कर रही है। महोदय, चालू वर्ष के बजट पर चर्चा करते हुए हमारे नेता श्री माधव रेड्डी ने विस्तार में जो कुछ कहा मैं उसे दोहराना नहीं चाहता।

महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों और बजट पर बोलने के लिए दिए गए अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं क्योंकि जब इस पर चर्चा चल रही थी तब हमें सदन से निलंबित कर दिया गया था इसलिए, पहले हमें इस पर चर्चा का अवसर नहीं मिला।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं शुरू की हैं। आप जानते हैं कि सरकार ने जवाहर लाल नेहरू रोजगार योजना और मकानों के लिए ऋण देने की योजना शुरू करने के संबंध में अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि रोजगार केन्द्रों में जिन लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं उनकी कुल संख्या सितम्बर 1988 के अंत तक करीब 30 मिलियन थी। लेकिन वास्तव में यह संख्या बहुत अधिक है क्योंकि ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कई लोग अपने नाम दर्ज नहीं कराते क्योंकि उन्हें कोई आशा नहीं है कि उन्हें भी नौकरी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र से पहले नौकरी मिल पाएगी। नौकरी तो दूर रही कई बार तो उन्हें कॉल भी नहीं आती। अतः वास्तविक समस्या आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दी गई जानकारी से अधिक गंभीर है।

महोदय, सरकार ने कहा है जिन लोगों की आय 50,000 रुपए से अधिक है उन पर 8 प्रतिशत कर लगाया जाएगा। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में पहले भी दो बार मैंने सभा में सुझाव दिया है कि कोई ऐसी योजना शुरू की जानी चाहिए जिसके माध्यम से सरकार धन इकट्ठा कर सके ··· (व्यवधान)।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी०के० गढ़वी) : मैं एक बात कहना चाहता हूं। अनुपूरक मांगें केवल वर्ष 1988-89 के लिए हैं न कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए। बजट पर पूरी चर्चा हो चुकी है और वित्त मंत्री जवाब भी दे चुके हैं। अतः संभवतः वह कोई और मौका ढूंढ सकते हैं क्योंकि इसे इसी वर्ष 31 मार्च, 1989 से पहले पारित करना है। ये मांगें पिछले वर्ष अर्थात 1988-89 की हैं न कि नए वर्ष की ·· (व्यवधान)।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि चूंकि हमें सदन से निलंबित कर दिया गया था इसलिए हम पहले इसमें भाग नहीं ले पाए ।*** (व्यवधान) ।

श्री वी०के० गड़ची : मैं इससे सहमत हूं । चूंकि अपने स्वयं निलम्बन चाहा था इसलिए आप इसमें भाग नहीं ले सके*** (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा । हमें पहले इस चर्चा में भाग लेने से वंचित रखा गया*** (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले ही श्री रेड्डी 1½ घंटा ले चुके हैं ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं । *** (व्यवधान) ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका दल निर्धारित समय से अधिक समय ले चुका है ।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, सरकार को वर्तमान औद्योगिक नीति में कुछ संशोधन करने हैं । इस 500 करोड़ रुपए से आप कुछ जिलों में कुछ हजार लोगों को भी रोजगार उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, योजना के अनुसार 120 जिलों की बात तो छोड़िए । पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि वर्तमान औद्योगिक नीति के कारण 1,56,229 लघु इकाइयां रुग्ण हो चुकी हैं और आगे और कई इकाइयों के रुग्ण होने की संभावना है । जब तक आप आर्थिक और औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन नहीं लाते, इस राशि से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है । मैं मंत्री महोदय को यह कहना चाहता हूं कि रुग्ण इकाइयों की संख्या बढ़ती ही जा रही है । अब सरकार देश में पेप्सी कोला और कोका कोला को भी लाने की अनुमति दे रही है । वर्ष 1977-78 में कोका कोला को यहां समाप्त कर दिया गया था । अब आप इन दोनों अंतराष्ट्रीय कंपनियों को देश में आने का आमंत्रण दे रहे हैं । सरकार का कहना है कि देश में पेप्सी कोला के आने से बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा । लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इसके कारण ऐसे कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे जो पहले ही से देश में लघु पेय जल उत्पादकों के साथ काम कर रहे हैं । सरकार को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कुछ नयी योजनाएं शुरू करनी चाहिएं ।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 120 जिलों के चयन करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है । देश में सब यह महसूस करते हैं कि सत्तारूढ़ दल ने मात्र लोक सभा के आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर ही यह योजना शुरू की है । आपको इन शंकाओं को दूर करना होगा । इन जिलों के चयन के लिए अपनाए जा रहे मानदंडों तथा इस बात को स्पष्ट करना होगा कि क्या 500 करोड़ रुपए की यह राशि इन जिलों में समान रूप से वितरित की जाएगी अथवा आपकी सुविधानुसार या फिर अपनी छवि को सुधारने के लिए एक जिले को कम राशि और दूसरे को अधिक राशि दी जाएगी । मैं मंत्री महोदय से इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

दुर्भाग्य से वर्तमान बजट में सरकार ने लघु क्षेत्रों में उत्पादित कई मदों और कई वस्तुओं से उत्पाद-शुल्क में दी गई छूट व सुविधाओं को वापिस ले लिया है । और उत्पाद शुल्क में छूट की

सीमा में 30 लाख रुपए की जो प्रभावी कमी की गई है, उससे लघु उद्योगों के चलाने वालों में उत्तेजना है। केन्द्रीय उत्पाद और टैरिफ योजना के अध्याय 74 के अंतर्गत कई मदों पर उत्पाद शुल्क में छूट न मिलने के कारण वे बहुत दुःखी हैं।

इस बजट में 'मॉडवेट' योजना, जो इस माह के अंत में समाप्त हो रही है, के अंतर्गत लघु एककों के लिए राष्ट्रीय विकास में 5 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान नहीं किया गया है। लघु इकाईयां चलाने वाले इससे बहुत चिंतित हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बजट पारित करने से पूर्व इसे बढ़ाने के आदेश देगी ताकि इससे लघु उद्योगों को भी कुछ राहत मिले।

दूसरी योजना है 'अपना घर योजना' राष्ट्रीय आवास नीति में बताया है कि 1.3.81 तक 23.3 मिलियन घर बनाने की जरूरत थी। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए, यह कमी वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है। आप इस समस्या के समाधान के लिए क्या करने जा रहे हैं? बहुत समय पहले सरकार ने राष्ट्रीय आवास नीति की घोषणा की थी और काफी समय पूर्व ही राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थीं। सरकार ने मकानों की कमी की समस्या समाप्त करने के लिए क्या किया है? जब तक नीति में मूल परिवर्तन नहीं किए जाते 'अपना घर योजना' से समस्या का बिलकुल समाधान नहीं होगा। यह मात्र आगामी चुनावों में आपकी बैठकों का नारा ही बनेगी। परन्तु इससे गरीब और निराश्रित व्यक्तियों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। वर्ष 1981 की जनगणना में यह आकलन लगाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 4 लाख और शहरी क्षेत्रों में दो लाख, कुल 6 लाख व्यक्तियों के पास आवास नहीं है।

श्री बी०के० गढ़वी : मैं माननीय सदस्य की बात में विघ्न नहीं डालना चाहता था। मैं क्या तकनीकी बातें नहीं करना चाहता। परन्तु नियम 216 के अन्तर्गत अनुपूरक अनुदान पर चर्चा उसी मुद्दे तक सीमित रहनी चाहिए और मूल अनुदान अथवा उसके बारे में नीति का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। मैं पहले ही यह उल्लेख कर चुका हूं कि उन अनुपूरक मांगों का राष्ट्रीय आवास नीति कार्यक्रम के किसी भी मद से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वे मांगें वर्ष 1988-89 के लिए हैं। यदि आप अनुपूरक मांगों की सम्पूर्ण सूचि की जांच करें तो उनमें इस प्रकार का कोई मद नहीं है। वे उदाहरण देने के लिए भी उन मुद्दों का उल्लेख नहीं कर सकते क्योंकि जिन मुद्दों को वे उठा रहे हैं वे मुद्दे बजट से सम्बन्धित हैं। श्री माधव रेड्डी ने कुशाग्रता से अपना भाषण दिया है और उनके भाषण का उत्तर भी दिया जा चुका है। परन्तु दुर्भाग्य से वे उत्तर सुनने के लिए सदन में उपस्थित नहीं थे।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : यदि सरकार ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सभापटल पर रखने की हमारी मांग को स्वीकार कर लेती तो इन मुद्दों को उठाया जाता और वे हमें भाषण देने के अपने अधिकार से वंचित नहीं कर पाते। ··· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : अब इन मामलों को बीच में मत लाइये। वह अब अनावश्यक है। आप अपनी बात पर आइये। आप केवल अनुपूरक मांगों के बारे में भाषण दीजिए।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं कृषि क्षेत्र के अपने आबंटन कं, घटाने के बारे में अपनी गम्भीर चिन्ता व्यक्त करना चाहूंगा। जब कृषि क्षेत्र के आबंटन को बढ़ाने की आवश्यकता है तो दुर्भाग्य से सरकार ने उसे कम कर दिया है···· (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल अनुपूरक मांगों के बारे में भाषण दीजिए। मैं आपको बजट की चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता। उसे सदन पहले ही अपनी स्वीकृति दे चुका है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मैं अनुपूरक मांगों की बात पर आ रहा हूं।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, इसके बीच बहुत कम अन्तर है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण ने देश में दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है जोकि इस देश में सामान्य व्यक्ति के लिए मुख्य भोजन है। यद्यपि अन्य मदों के बारे में प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ हो चुके हैं परन्तु यह एक ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण मद है जिसमें सरकार को दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक नया प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ करना चाहिए।

अन्त में मैं एक मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा। आप आन्ध्र प्रदेश में हुए दंगों के बारे में जानते हैं। वास्तव में उन दंगों में हुई क्षति दिल्ली में नवम्बर 1984 में हुए दंगों के दौरान हुई क्षति से भी बहुत अधिक है। 31 अक्तूबर को श्रीमती इन्दिरा गान्धी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के तुरन्त बाद ही सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों को उचित निर्देश दे दिये थे। श्रीमती गान्धी की हत्या के एक सप्ताह के समय में ही 6 नवम्बर को सरकार ने बैंकों को यह निर्देश दे दिये थे कि दंगों से प्रभावित सभी लोगों की सहायता की जानी चाहिए। अब आन्ध्र प्रदेश के दंगों से पीड़ित लोगों का भविष्य क्या है? हमने माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और उनसे उनके मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करने और नवम्बर के दिल्ली दंगों की भांति पीड़ित व्यक्तियों को रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधाये उपलब्ध करने के लिए बैंकों को उचित निर्देश देने का अनुरोध किया है। परन्तु अब लगभग 3 माह गुजर चुके हैं। हमारे बार-बार अनुरोध करने पर भी ऐसा नहीं किया गया है। माननीय नेता श्री एन०जी० रंगा ने नियम 377 के अन्तर्गत इस मामले के बारे में उल्लेख किया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में चर्चा के दौरान भी हमने इस मामले को केन्द्रीय सरकार के ध्यान में ला दिया था। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हाल ही में गत सप्ताह जब मैंने क्षेत्र का दौरा किया था तो बहुत से दंगा पीड़ित व्यक्तियों ने यह शिकायत की थी कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही अनेक सीमान्त धन रियायतों के बावजूद भी उनकी सहायता नहीं की जा सकी है क्योंकि बहुत से वाणिज्यिक बैंक इन पीड़ित व्यक्तियों की सहाता करने में आगे नहीं आ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं यह कहता हूं कि सभी बैंक तो नहीं परन्तु बहुत से बैंक इस बारे में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अतः समय की आवश्यकता यह है कि सरकार को तुरन्त ही बैंकों को यह निर्देश देने चाहिएं कि अपनी आर्थिक गति विधियों को पुनः आरम्भ करने के लिए उन्हें दंगा पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए।

उनकी सहायता करने का अन्य तरीका बीमा कम्पनियों का है। अभी तक बहुत सी बीमा कम्पनियों ने दंगा पीड़ितों के दावों को नहीं निपटाया है। वे कम्पनियां असाधारण रूप से अधिक समय ले रही हैं। अतः मैं केन्द्रीय मंत्रियों से पुनः यह आग्रह करूंगा कि वे इन दावों को निपटाने के लिए बीमा कम्पनियों को उचित निर्देश जारी करें ताकि दंगा-पीड़ित व्यक्ति पुनः अपने आर्थिक क्रियाकलाप आरम्भ कर सकें। महोदय इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैंटरी डिमांडज् का समर्थन करता हूं। माननीय राज्य मंत्री जी ने जो अभी ओब्जेक्शन किया था, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वह उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि आपने जो सप्लीमैंटरी डिमांड्ज् पेश की हैं, उसमें जो कमियां हैं, जो काम हम करवाना चाहते थे, जिनके बारे में पहले आपसे निवेदन किया था, उनको आपने नहीं लिया। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह बोलने का हमको अधिकार है। अभी जो कमियां माननीय सदस्य ने बोलते हुए बताई हैं, आप उनको मानो या न मानो, यह आपकी मर्जी है लेकिन उन कमियों के बारे में हमको निवेदन करना पड़ेगा, इसीलिए उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।

पिछले साल के अकाल में तो आपने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, इस साल भी अकाल है लेकिन आपने हमारी कोई मदद नहीं की है। इसलिए विनम्र प्रार्थना है कि राजस्थान के जिन इलाकों में अकाल है वहां के लिए आप जल्दी से जल्दी पैसा दिलवाइए ताकि लोगों को रोजगार-धन्धा उपलब्ध हो सके।

वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया था, उसमें एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. वगैरह सारे कार्यक्रमों को एक-जुट कर दिया है और जवाहरलाल नेहरू रोजगार प्रोग्राम में भी 500 करोड़ रुपए देने की बात कही है, मगर वह पैसा मिल ही नहीं पाया है। पिछले साल भी एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. का पूरा पैसा उपलब्ध नहीं हुआ और उससे जिनको रोजगार मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया और इन प्रोग्रामों का काम बिल्कुल बन्द पड़ा हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप कोई व्यवस्था कीजिए और राजस्थान पर कृपा कीजिए ताकि लोगों को रोजगार-धन्धा मिल सके।

मैंने वित्त मंत्री जी से पहले भी निवेदन किया है कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में एम्प्लायमैंट गारन्टी प्रोग्राम चलता है, उसी प्रकार का प्रोग्राम भारत सरकार को भी हाथ में लेना चाहिए और इस ठेकेदारी प्रथा को भी समाप्त किया जाए। अभी की प्रथा से सारा पैसा ठेकेदारों के हाथ में जाता है, लोग-बाग यों ही पड़े रहते हैं, उन्हें एम्प्लायमैंट नहीं मिल पाती है। आपने इतना पैसा खर्च किया, उसके बाद भी लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता। इसलिए एप्लायमैंट गारन्टी प्रोग्राम आप हाथ में लीजिए, इसमें चाहे सड़कें बनाइए, तालाब बनवाइए, टेली-कम्युनिकेशन्ज् के काम कीजिए, टेलीफोन्स की व्यवस्था कीजिए, चाहे साइंटिफिक और दूसरे रोजगार के धन्धे उपलब्ध कराइए। जो भी काम भारत सरकार करे, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था करे, चाहे अन्य प्रकार के बिजली के काम करे लेकिन सरकार की तरफ से इस प्रकार के प्रोग्राम होने चाहिएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लायमैंट मिल सके। जब तक ठेकेदारी प्रथा आपके महकमें के द्वारा चलती रहेगी तब तक ठेकेदार स्वयं इस पैसे का उपयोग करते रहेंगे और जिस पैसे से लोगों को रोजगार-धन्धा मिल सकता है, वह नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पर गंभीरता से विचार कर के कुछ न कुछ निर्णय आप अवश्य लीजिए।

एक और प्रोग्राम के बारे में मैं बरसों से निवेदन कर रहा हूं लेकिन सप्लीमैंटरी डिमांड्ज् में भी उसके बारे में कोई बात नहीं आई है। हमारे यहां को-आपरेटिव सैक्टर में दो सोसाइटीज् बनी थीं। इसी तरह की सोसाइटीज् 4, 5 साल पहले महाराष्ट्र और गुजरात व अन्य स्थानों में बनी

थी। कई को-आपरेटिव्स स्थापित किए गए, लेकिन ये जितनी मिलें बनी थी सब बेकार पड़ी हैं। इनमें 5, 5 और 7,7 लाख रुपया गरीब किसानों का शेयर इकट्ठा कर के जमा करा रखा है लेकिन भारत सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि अब कोई नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे और को-अपरेटिव मिलें नई स्थापित नही हो सकेंगी। पता नहीं किन कारणों से यह निर्णय लिया गया है लेकिन टैक्सटाइल विभाग के लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है और मिलें लगाने की, इस वजह से हमने लाइसेंस देना बन्द कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितना सूत यहां पर बनाते हैं, चाहे वह काटन सूत हो या सिन्थैटिक सूत हो या किसी अन्य प्रकार का हो, यद्यपि इन सूतों की मांग विदेशों में भी है और एक्सपोर्ट कर के हम फारेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। इसलिए इन मिलों को स्थापित करना नितान्त आवश्यक है और हमारे यहां के काश्तकार पिछले 5 साल से इस बारे में निवेदन करते आ रहे हैं, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसमें मदद करें और टैक्सटाइल मिनिस्टर से कहकर लाइसेंस दिलाएं जिससे शाहपुरा में टैक्सटाइल मिल स्थापित हो सके और उनके ज़रिए हजारों आदमियों को रोजगार-धन्धा दिलाने की आप व्यवस्था करें।

1.00 म०प०

हिन्दुस्तान में तीन स्थानों पर माइका निकलता है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि तीन जगहों में यह माइका निकलता है। राजस्थान में भीलवाड़ा के अन्दर यह सबसे अधिक मात्रा में निकलता है। बिहार और आन्ध्र प्रदेश में माइका पेपर मिल की स्थापना करने के बारे में तो निर्णय ले लिया गया है लेकिन राजस्थान में इसकी स्थापना के बारे में जो पहले प्रपोजल था वह रिजैक्ट कर दिया गया था। मैंने जब पार्लियामेंट में इस बात को बार-बार उठाया तो उस निर्णय को वापिस ले लिया गया। कामर्स मिनिस्ट्री ने वह मिल स्थापित करने की बात स्वीकार कर ली है। लेकिन दुख की बात है कि वह मिल अभी तक स्थापित नहीं हो पायी है। इस पर हमारे वित्त मंत्री अवश्य ध्यान दें और इसको जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करें। इस माइका के अन्दर 20 हजार मजदूर काम करते थे। आज उसके व्यापार को मिडको के हवाले कर दिया गया है। मिडको अच्छा माल तो खरीद लेता है लेकिन जो छोटा माल होता है उसको लेने के लिये वह तैयार नहीं होता है और उसको छोटे-मोटे व्यापारियों के हवाले कर देता है। मिडको मजदूरों का भयंकर शोषण करते हैं। उनकी वजह से यह इंडस्ट्री सारी की सारी ठप्प हो गई है। जहां पहले 20 हजार मजदूर वहां काम करते थे। अब केवल दो हजार मजदूर ही काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं जितनी भी माइन्स वहां पर थी वह सारी की सारी खरीददारों के अभाव के कारण बंद हो गई हैं। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि मिडको पूरा व्यापार अपने हाथ में ले ले जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके और यह इंडस्ट्री पूरी तरह से पनप सके। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस सम्बन्ध में निश्चित तरीके से कोई व्यवस्था करने की कोशिश करें।

पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में मैं अब कुछ निवेदन करना चाहूंगा। डीजल की उपलब्धि में बहुतगड़बड़ देखने को हमें मिलती है। हाई कोर्ट के जज को इसकी देखरेख करने का आपने काम सौंप रखा है लेकिन वह भी इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाये हैं। अगर किसी ने कहीं पर कोई गैस की एजेंसी लेनी होती है तो वह आसानी से नहीं मिल पाती है यह एजेंसी लेने के लिये बीच के अधिकारियों को बहुत अधिक पैसा खिलाना पड़ता है। इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने की नितान्त आवश्यकता

है। लोगों को सहूलियत देने के लिए आपने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को बैठा दिया है। आपके डिपार्टमेंट के लोगों वहां इस प्रकार से जम कर बैठे हैं जैसे कि कोई राक्षस बैठता है वे गरीब लोगों पर अत्याचार करते हैं। जिस व्यवस्था को आप समुचित तरीके से चलाना चाहते हैं उस व्यवस्था को आपके अधिकारी ठीक तरीके से न चला कर उसमें गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। इन सबको आपको गम्भीरता से देखना चाहिए। जो सहूलियतें आप लोगों को देना चाहते हैं उनकी देखरेख आपके यहां से अच्छी तरह से होनी चाहिए। जो आपके द्वारा किये गये कामों में अड़चन डालते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

आपने बैंकों का बहुत लम्बा चौड़ा काम बढ़ा दिया है। लेकिन देखने में यह आया है कि गरीब लोगों को पैसा समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है आपके जो स्वःरोजगार कार्यक्रम और दूसरे जो कार्यक्रम हैं वह पैसा न मिलने की वजह से कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं। जितनी भी सबसिडी आप गरीबों को देना चाहते हैं वह उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। सबसिडी का 1/3 हिस्सा आफिसर लोग, बैंक के अधिकारी, विकास अधिकारी और अन्य दूसरे अधिकारी खा जाते हैं। वह समझते हैं कि गरीबों को मुफ्त पैसा मिल रहा है। इस कारण उनका पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं। और जो लाभ आप गरीब आदमियों को दिलवाना चाहते हैं, वह लाभ उनको नहीं मिल रहा है इसलिए हमने बार-बार यह मांग उठाई है कि आप सब्सिडी के बजाए इण्टरैस्ट फ्री लोन दो, लोगों को बिना इण्टरैस्ट के लोन दो ताकि लोगों को पैसा पूरा मिले और पूरा पैसा मिलेगा तो उसका उपयोग भी होगा, इससे गरीबी दूर करने का कोई साधन भी मिल सकेगा। जो वसूली की जाती है उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है, आप लोग दमन से ज्यादा पैसा वसूल करते हो। मनी लैण्डर्स एक्ट के तहत आपने यह प्रावधान किया है कि कोई मनी लैण्डर डबल से ज्यादा पैसा वसूल नहीं कर सकेगा और आपके बैंक 5-5, 6-6 गुना पैसा वसूल करते हैं और पैसा वसूल नहीं होता है तो उसकी जमीन जायदाद को नीलाम कर देते हैं जबकि कोआपरेटिव एक्ट में भी यह व्यवस्था की गई है कि किसी काश्तकार की जमीन नीलाम नहीं होगी। यह प्रावधान आपको भी निश्चित तरीके से अपनी व्यवस्थाओं के अन्दर करना चाहिए ताकि इण्टरैस्ट फ्री लोन मिले, डबल से ज्यादा इण्टरैस्ट वसूल नहीं हो, उनकी जमीन जायदाद नीलाम नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करनी नितान्त आवश्यक हैं और मैं समझता हूं कि अगर आप इस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे तो उससे ज्यादा फायदा होगा।

राजस्थान की एक और समस्या पीने के पानी की है। पिछले साल तो भयंकर अकाल था, आपने काफी मदद की मगर इस साल उससे भी ज्यादा पीने के पानी की प्राब्लम हमारे यहां पर आ रही है। वाटर के सम्बन्ध में जो टैक्नालोजी मिशन कायम किया गया है उसके सम्बन्ध में अनुरोध है कि आप उस विभाग से कहकर राजस्थान को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, उस व्यवस्था को कराने की कृपा करें ताकि बड़ों के लोगों को पीने का पानी ठीक प्रकार से उपलब्ध हो सके। बड़े-बड़े शहरों में आज भी वाटर स्केयरसिटी होने लग गई है और गावों के अन्दर भी पीने के पानी की कमी आ गई है जितने आप ट्यूबवैल्स और हैण्ड पम्प खुदवाये हैं, उनका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, सूख गया है, लोग-बाग भारी परेशानी में हैं, खासकर वेस्टर्न राजस्थान आपके पड़ोस में है और आप स्वयं जानते हैं कि पानी की किसनी तकलीफ है इसलिए इस व्यवस्था को आप मजबूती से लागू कीजिए और पीने के पानी के लिए ज्यादा से ज्यादा फण्डस एलाट करवाइए, उससे राजस्थान के लोग राजीव गांधी और आर पब की जय बोलेंगे और कांग्रेस को मजबूत बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे।

(अनुवाद)

*श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय हम वर्ष 1988-89 के लिए अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे हैं। यहां मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की ओर से कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमने बहुत सारी योजनाओं की जांच की है और बहुत सारे अनुपूरक बजट पारित किए हैं परन्तु हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की स्थिति में कोई अन्तर नजर नहीं आया है। उद्योगों के क्षेत्र में कोई विकास नही हुआ है और संचार के क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति है। इस क्षेत्र के सात राज्यों की राजधानियों का रेलों से कोई सम्पर्क नही है। मैं इस पहलू के बारे में विस्तार से भाषण नहीं दूंगा क्योंकि इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। मैं केवल इस समय में त्रिपुरा में व्याप्त स्थिति का उल्लेख करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी आर्थिक और विकासात्मक गतिविधियों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। केन्द्रीय योजनाओं और राज्य योजनाओं से सम्बधित सभी कार्य रुक गये हैं वहां वामपंथी सरकार द्वारा चालू की गई उन सभी परियोजनाओं को रोक दिया गया है जिनसे गावों के गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों को अपनी आजीविका कमाने में सहायता मिलती थी। अगरतला शहर में 6 रुपये अथवा 7 रुपये प्रति किलो की दर से चावल बिक रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कीमत और भी अधिक ऊंची 8 रुपये अथवा 9 रुपये प्रति किलो है। गावों में तो हजारों लोग भूखों मर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कांग्रेस (आई) और टी० यू० जे० द्वारा बनाई गई वर्तमान त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सभी कार्यों को बन्द कर दिया है। चालू बजट में उन्होंने त्रिपुरा जैसे एक छोटे से राज्य में 20 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। उन्होंने वहां दिवालियेपन की स्थिति पैदा कर दी है। प्रत्येक आवश्यक वस्तु के दाम आकाश को छू रहे हैं। लोग पूर्णतः निराश हैं। महोदय पहले त्रिपुरा के आदिवासी आलुओं पर निर्वाह करते थे जिन्हे वे जगलों से एकत्रित कर लेते थे। पुनः आज 10 वर्षों के बाद भी पुनः उनकी वही स्थिति है। उन्हें फिर जगलों से एकत्रित किए गये आलूओं पर निर्वाह करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में सम्पूर्ण त्रिपुरा में यही निराशाजनक स्थिति है। गत 10 मार्च को हजारों गरीब किसानों ने इस मुददे पर प्रदर्शन किया था उन्होंने आजीविका कमाने के लिए काम की मांग की थी। परन्तु वर्तमान सरकार ने वहां केन्द्रीय परियोजनाओं के कार्य को भी बन्द कर दिया है। यहां तक वर्तमान सरकार ने त्रिपुरा में वामपंथी सरकार द्वारा आरम्भ किये गये डिब्बाबंद लंच की प्रणाली को भी छोड़ दिया है जिसके द्वारा आदिवासी लोगों को सस्ता खाना उपलब्ध कराया जाता था। त्रिपुरा में पुनः बिचौलिए सक्रिय हो गये हैं। वे खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को उनके सामान्य मूल्यों से दुगने-तिगुने दामों पर बेच रहे हैं। महोदय त्रिपुरा में स्वायतशासी जिला परिषदें बहुत व्यापक कार्य कर रही थी। यदि वे परिषदें उचित प्रकार से कार्य करे तो गरीब लोगों को काम उपलब्ध कराया जा सकता है और उन्हे अन्य कई प्रकार से लाभ पहुचाये जा सकते है। वर्तमान सरकार ने स्वायत्तशासी जिला परिषदों की सभी गतिविधियों को बन्द कर दिया है। वे जिला परिषदों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं इसके परिणाम स्वरूप त्रिपुरा में आदिवासी और गैर आदिवासी लोगों में भारी निराशा और कुठा व्याप्त हो रही है दूसरी ओर हम देखते है कि धन का अपव्यय किया जा रहा है। सुरक्षा के नाम पर मंत्रियों के घरों पर दो-तीन लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं वहां भ्रष्टाचार व्याप्त

*मूलतः बगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है। मंत्री लोग अपने ही रिश्तेदारों को निविदाएं दिलवा रहे हैं एक मंत्री महोदय ने निविदा की निम्न दर को अनदेखा करते हुए अपने भाई को एक करोड़ अथवा डेढ़ करोड़ रुपये की निविदा दिलवाई है। वहां ऐसी स्थिति है। केन्द्र विकास के लिए धनराशि दे रही है। यदि उस धन का उचित उपयोग किया जाये तो गरीब लोगों को कुछ राहत दी जा सकती है। परन्तु गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है सम्पूर्ण धनराशि का अपव्यय और दुरूपयोग किया जा रहा है और वहां व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण वह धन केवल कुछ लोगों की जेबों में जा रहा है। राज्य को दिवालियेपन के कगार पर ला दिया गया है। इस स्थिति के विरुद्ध लोगों के आन्दोलनों को रोकने के लिए पुलिस बल का सहारा लिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप राज्य के मामलों को चर्चा के बीच में क्यों ला रहें है? यह कोई विधानसभा नहीं है। इस प्रकार राज्य विधान सभा के उल्लेख को रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अजय विश्वास : मैं केवल केन्द्रीय धन के बारे में उल्लेख कर रहा हूं। परन्तु मेरा यह दावा है कि उसका उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल उसके बारे में भाषण दीजिए। परन्तु मंत्री आदि के बारे में उल्लेख मत कीजिए।

श्री अजय विश्वास : महोदय मैं केन्द्र द्वारा दी जाने वाली धन राशि का उल्लेख कर रहा हूं।

पीने के पानी की आपूर्ति, सिंचाई, विद्युत उत्पादन आदि जैसे सभी विकास कार्य अवरुद्ध हैं। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मचारी, गैर-सरकारी कर्मचारी जो केन्द्रीय योजनाओं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने जाते हैं उन्हें मताया जाता है और उन पर हमला किया जाता है। ऐसे चालीस लोग पहले ही मारे जा चुके हैं।

पचास पार्टी कार्यालयों पर या तो कब्जा कर लिया गया है अथवा उन्हें जला दिया गया है। तीन हजार लोगों को राज्य छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। हजारों लोगों पर झूठे मुकदमें चलाए गए हैं। यदि वहां स्थिति ऐसी है तो योजना कैसे क्रियान्वित की जा सकती हैं? योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य में कानून और व्यवस्था अनिवार्य है। यदि शान्ति भंग होगी, यदि कानून और व्यवस्था नहीं होगी तो इससे विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आज कोई भी कर्मचारी या कामगार योजना के क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र होकर नहीं जा सकता चाहे यह पानी की पूर्ति का कार्य हो या सिंचाई कार्य हो या ग्राम विकास का अन्य कोई कार्य हो। उसे यह भय रहता है कि यदि वह किसी गांव में जाता है तो वह मारा जा सकता है या उसके घर को आग लगा दी जा सकती है चार हजार लोग अपने घरों में रहने में समर्थ नहीं हैं। उन्हें अपना इलाका छोड़ना पड़ा है। उनमें सरकारी कर्मचारी भी हैं। इस बिगड़ती हुई स्थिति में सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित कर सकते है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, योजना विभाग से सम्बद्ध एक कर्मचारी से एक घण्टे के भीतर अपना घर छोड़ने के लिए कहा गया और उसे भय के कारण उनके इस आदेश का पालन करना पड़ा। वहां इस ढंग से कानून की अवमानना और जंगल का शासन चल रहा है। महोदय, योजना के बारे में कहूं, पिछले दस वर्ष से अधिक समय में

वहां योजना के अन्तर्गत 35 कि.मी. रेलवे लाइन भी नहीं बिछाई गई है। आज भी वही स्थिति है। फिलहाल त्रिपुरा में भी किसी भी योजना या परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुकूल स्थिति नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव और सूखा है। हजारों की संख्या में लोग कस्बों की ओर जा रहे हैं। यदि केन्द्रीय योजनाएं ठीक से कार्यान्वित की जाती तो ग्रामीण लोगों को काम मिल सकता था। वामपंथी सरकार के शासनकाल के दौरान त्रिपुरा में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा क्योंकि वहां विभिन्न प्रकार के कार्य चल रहे थे। सभी ग्रामीण कार्य और परियोजनाएं बंद क्यों कर दी गई हैं? इसीलिए लोग शहरों और कस्बों की ओर जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि दस वर्ष बाद अगरतला में फिर से भिखारी पैदा हो गए हैं। यह भी इसलिए हुआ है क्योंकि योजना धन गांवों में ठीक ढंग से उन कार्यों के लिए खर्च नहीं किया जा रहा है जिसके लिए इसे दिया गया था। योजना धन दूसरे कामों में लाया जा रहा है और मंत्रियों के लिए घरों का निर्माण करने पर खर्च किया जा रहा है। मंत्री लोग योजना धन से टी.वी. सेट खरीद रहे हैं। मंत्री योजना धन को अपने सुख और मनोरंजन पर खर्च कर रहे हैं। मंत्री 50 या 60 लोगों के साथ गांवों का दौरा करने जाते हैं उन गांवों में लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि कार्य के बदले दिया जाने वाला खाना बंद कर दिया गया है। किन्तु मंत्री और उसके परिजन लोगों की दुर्दशा से बेखबर होकर अपनी खुशी के लिए मांस और चिकन खाकर योजना धन को खुले हाथों से लूटा रहे हैं वहां ऐसी स्थिति व्याप्त है। ये वास्तविक तथ्य हैं। महोदय, त्रिपुरा में गैस पर आधारित विद्युत का उत्पादन करने की परियोजना है। दस मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाना था। आठ मेगा वाट का उत्पादन शुरू हुआ। अब, आठ मेगा वाट संयंत्र की मरम्मत करने के लिए हमारे देश में निश्चित रूप से अपेक्षित प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। किन्तु एक मंत्री और दो अधिकारी मरम्मत कार्य के लिए फ्रांस से एक इंजीनियर लाने के लिए लाखों रुपया खर्च करके फ्रांस गए। जब तक फ्रांस से इंजीनियर नहीं आएगा मरम्मत कार्य नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पैसा उड़ाया जा रहा है, जिसे विकास कार्य और परियोजनाओं पर लाभदायक ढंग से उपयोग किया जा सकता था। विद्यालयों में कोई शैक्षिक क्रियाकलाप नहीं हो रहे हैं हमें विभिन्न विकास परियोजनाओं और योजनाओं के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता है किन्तु 15 इंजीनियर विद्यार्थियों को पश्चिम बंगाल जाना पड़ा। अभी दो दिन पहले प्रोफेसरों का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन पर बमों द्वारा आक्रमण किया गया और प्रोफेसर लोग घायल हो गए और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वहां कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति है, वहां कानून और व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो चुकी है और अराजकता का माहौल बन गया है। हजारों लोगों को अपना घर-परिवार छोड़ना पड़ा। घरों में आग लगा दी गई। लोगों की कोई सुरक्षा नहीं है। वहां जंगली कानून लागू होता है। योजना परिव्यय के लिए आबंटित धनराशि को विकासात्मक कार्यों पर खर्च नहीं किया जा रहा है। धन से कुछ लोगों की जेबें भरी जा रही हैं। बिचौलिए फिर से दिखाई देने लगे हैं। लोगों का एक वर्ग सारे धन का दुरूपयोग कर रहा है और लूट रहा है। मैं ग्रामीण लोगों को काम देने की मांग करता हूं। फिलहाल जो केन्द्रीय योजनाएं रोक दी गई हैं उन्हें पुनः आरंभ करना होगा। हजारों लोगों ने 10 मार्च को काम दिए जाने के लिए धरना दिया। उन्हें जीवित रखने के लिए काम दिया जाना चाहिए। गरीब आदिवासी केवल आलू खा कर गुजारा कर रहे हैं। हमने पिछले दस वर्षों में ऐसी स्थिति नहीं देखी। उन्हें पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विकासात्मक परियोजनाओं, जिसके लिए उन्होंने राज्य सरकार को धन दिया है, पर तत्काल काम शुरू होगा। गरीब ग्रामीण लोगों को जो आज आसमान को छूती कीमतों और अत्यधिक बेरोजगारी के कारण आर्तनाद कर रहें है, खाना दिया जाना चाहिए। ये मेरी मांगें हैं। इसके साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे माननीय मंत्री श्री गढ़वी द्वारा लाई गई अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) का समर्थन करती हूं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से क्रमशः केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के व्यय के अनुरक्षण के लिए अनुपूरक मांगें पेश करने की प्रथा रही है। महोदय, मैं इस बजट पर अधिक नहीं बोलना चाहती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि सूची में अभी बहुत से वक्ता हैं।

महोदय, मैं श्री अजय विश्वास द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती हूं। किन्तु मैं उनके द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर मतभेद रखती हूं। इस सदन में कुछ राज्य मंत्रियों या कुछ राज्य सरकारों की आलोचना करने की कोई प्रथा नहीं है और यह नियमों के भी विरुद्ध है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : जो आप सामान्यतः करती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं उनके रचनात्मक सुझाव का स्वागत करती हूं। किन्तु आप मेरे सुझाव का स्वागत नहीं करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वे इसका स्वागत नहीं करते हैं तो आप इसके बारे में बताएं।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं त्रिपुरा से भलि-भांति परिचित हूं और मैंने कई बार त्रिपुरा का दौरा किया है क्योंकि बंगाल और त्रिपुरा आपस में जुड़े हुए हैं। स्वभावतः जब भी मै भाषण देती हूं मैं हमेशा त्रिपुरा का जिक्र करती हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि त्रिपुरा अत्यधिक उपेक्षित राज्य है मैं जानती हूं कि त्रिपुरा की कुछ विशिष्ट समस्याएं हैं। वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है ; वहां कोई संचार व्यवस्था नही है। यह सच है। इसीलिए जब मैं बंगाल के बारे में कुछ कहती हूं, मैं त्रिपुरा विवाद के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। वास्तव में सरकार को त्रिपुरा के विकास के लिए कुछ धन की मंजूरी देनी चाहिए। किन्तु श्री अजय विश्वास का भाषण राजनीतिक भाषण है। यह रचनात्मक भाषण नहीं है (व्यवधान)।

श्री अजय बिस्वास : यह वास्तविक स्थिति है।

कुमारी ममता बनर्जी : यह सच नहीं है। यदि आप कोई वास्तविक टिप्पणी कर रहे हैं और यदि मैं आपके मुद्दे को उठाती हूं तो आप यहां से चले जाएंगे। किन्तु मैं ऐसा नहीं चाहती। भारत सरकार त्रिपुरा के कल्याण के लिए जो कुछ कर सकती है वास्तव में सरकार ऐसा करेगी क्योंकि इस पक्ष की ओर से और दूसरी ओर से त्रिपुरा का कोई प्रतिनिधि नहीं है केवल सी. पी. एम. के प्रतिनिधि हैं। केवल एक-तरफा प्रतिनिधित्व है। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया हस्तक्षेप न करें।

कुमारी ममता बनर्जी : मुझे बीच में न रोकें। यदि मैं आपके बल प्रयोग के बारे में कुछ कहूं तो आप सदन से चले जाएंगें। वे कोई ठोस सुझाव अथवा रचनात्मक सुझाव नही दे सकते। इसीलिए मैं ये सुझाव दे रही हूं। आपको त्रिपुरा के लोगों के लिए कुछ धन का आवंटन करना चाहिए क्योंकि त्रिपुरा उपेक्षित राज्य है और आपको त्रिपुरा में रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ नए उद्योग स्थापित करने चाहिएं। त्रिपुरा पिछड़ा राज्य भी है। सरकार त्रिपुरा को 90 प्रतिशत आर्थिक सहायता दे रही है। मैं जानती हूं कि भारत सरकार भरसक प्रयास कर रही है और राज्य सरकार भी गरीब लोगों के उत्थान के लिए भरसक प्रयास कर रही है। किन्तु हमें त्रिपुरा की जनता के लिए अधिक सावधानी और ध्यान से काम करना चाहिए।

अब मैं अपने राज्य, पश्चिम बंगाल की कुछ विशिष्ट समस्याओं को उठाना चाहती हूं। समय की कमी के कारण मैं विस्तार में नहीं कहूंगी। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक टकसाल लगाने का वचन दिया था। सरकार का विचार इस टकसाल को मिदनापुर जिले में सलबोनी स्थान पर लगाने का था। अब मुझे इसके विकास के बारे में जानकारी नहीं है। यदि आप पश्चिम बंगाल में सलबोनी टकसाल के लिए कुछ धन की मंजूरी नहीं देते हैं तो मैं नहीं जानती कि इस टकसाल का भविष्य क्या होगा। मैं समझती हूं कि श्री बसुदेव आचार्य मेरा समर्थन करेंगे।

हल्दिया पेट्रो-कैमिकल्स, परियोजना लम्बे अर्से से लंबित पड़ी है। मैं सरकार से इस परियोजना को पश्चिम बंगाल के हित में तत्काल मंजूर करने का अनुरोध करूंगी। पश्चिम बंगाल एक बड़ा राज्य है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि रोजगार पैदा करने के लिए पश्चिम बंगाल में कुछ और नये उद्योग स्थापित किये जायें। मैं किसी राजनैतिक दल या सरकार की निन्दा नहीं करना चाहती। हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। परन्तु पश्चिम बंगाल के लोगों के हित में मैं इस बारे में आपसे निवेदन करना चाहती हूं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम बंगाल में इन 12 वर्षों में 107 बड़े उद्योगों और 22,900 लघु उद्योगों को बन्द कर दिया गया है। कम से कम 4 लाख श्रमिक अब बेरोजगार हैं और 52 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। मैं नहीं जानती कि असंगठित शिक्षित युवा बेरोजगार कितने हैं। अब राज्य इस बेरोजगारी की समस्या से ग्रस्त है। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि पश्चिम बंगाल में कुछ नये उद्योग लगाये जायें और राज्य की सभी लम्बित परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाये तथा बेरोजगार श्रमिकों को कुछ पुनर्वास सहायता भी दी जाये। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले ही कई लोग आत्म हत्या कर चुके हैं। यह स्थिति है। जब कभी मैं बजट भाषण में भाग लेती हूं, मैं हमेशा इस बात का जिक्र करती हूं क्योंकि हम स्थिति से भिज्ञ हैं। यही कारण है कि मैं आपसे इस मामले को गम्भीरतापूर्वक देखने के लिए निवेदन कर रही हूं।

मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुत से उद्योगों को बन्द कर दिया गया है। सभी इकाइयों को आपने नियन्त्रण में लेना सरकार के लिए सम्भव नहीं है। परन्तु मेहरबानी करके आप कुछ विशेष इकाइयों का चुनाव करिए जो पश्चिम बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि मैटल बॉक्स कम्पनी। इसे लगभग दो साल पहले बन्द किया गया था। इसमें सात हजार श्रमिक बेरोजगार हुए हैं। श्री रूसी मोदी इस इकाई को अपने नियन्त्रण में ले सकती है। टाटा स्टील की ओर से रूसी मोदी इच्छुक थे। यदि आप इस मामले पर रूसी मोदी या श्री अम्बानी के साथ विचार विमर्श करें तो वे इस इकाई का अधिग्रहण कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस मामले को शीघ्रता से निपटायें। यह मामला बी.आई. एफ. आर. के पास लम्बित है। सरकार ने कम्पनी को पुनर्जीवित करने के लिए बी.आई.एफ.आर. की स्थापना की है। परन्तु उनका कहना है कि उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं है। अतः पुनःजीवित करने की बजाय वे इस कम्पनी को समाप्त कर रहे हैं।

एम.एम.सी. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं हमारे वित्त मंत्री श्री एस. बी. चव्हाण की आभारी हूं क्योंकि कल उन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अध्यक्ष श्री केशव महेन्द्र को बुलाया था और उन्होंने मुझे अपने निवास पर आमंत्रित किया था। उन्होंने इस वित्तीय संस्था के अध्यक्ष से इस उद्योग को पुनः चालू करने के लिए निवेदन किया था। मैं उनकी आभारी हूं।

मैं मैटल बॉक्स के सम्बन्ध में आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री रूसी मोदी या श्री अम्बानी से बात कीजिए ताकि इस इकाई को पुनः चालू किया जा सके क्योंकि यह एक व्यवहार्य इकाई है।

बंगाल पॉटरीज के सम्बन्ध में, सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि वह इस उद्योग के लिए 12 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर सकती है, परन्तु वे 3 करोड़ रुपये अधिक चाहते हैं। यदि आप 12 करोड़ रुपये का निवेश कर सकते हैं तो आप 15 करोड़ रुपये क्यों नहीं दे रहे ताकि इस कम्पनी को व्यवहार्य बनाया जा सके और श्रमिकों को बचाया जा सके ? कृपया आप इसे मानवीय आधार पर देखिए। अन्यथा यदि श्रमिक सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। यहां हम तर्क-वितर्क कर सकते हैं और हम झगड़ सकते हैं, परन्तु हम जन-प्रतिनिधि हैं और हमें लोगों के मुद्दों को उठाना पड़ता है और यही कारण है कि मैं इस मुद्दे को उठा रही हूं।

मोहिनी मिल की स्थापना श्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा है कि वे इस इकाई को अनुमूचित करेंगे। मोहिनी मिल के सम्बन्ध में मैं श्री राम निवास मिर्धा से मिली थी और उन्होंने मुझे बताया कि यदि बी. आई.एफ. आर. ने मिलों के विकास के लिए कुछ सिफारिश की है तो वह इस बारे में सहमत होंगे। बेशक यह एक स्वागत योग्य बात है। मैं यह निवेदन करती हूं कि बंगाल पॉटरीज, मेटल बॉक्स कम्पनी, एम. एम. सी., स्टील एण्ड एलाइड प्रॉडक्ट्स लिमिटेड तथा मोहिनी मिल के सम्बन्ध में कृपया यह देखें कि उनके मामले सुलझ जायें।

मैं एक और मुद्दा उठाना चाहती हूं। श्रीमती गांधी ने गरीब लोगों की उन्नति के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। हमारे पास बीस सूत्री कार्यक्रम है। बीस सूत्री कार्यक्रम जन सामान्य का महाधिकार-पत्र है। परन्तु हम बैंक अधिकारियों का रवैया देख चुके हैं। मैं सभी बैंक अधिकारियों के बारे में नहीं कह रही हूं। जब जन साधारण उनके पास जाता है तो उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। मैं नहीं जानती कि वे इतने प्रतिक्रम परामण क्यों हैं। बेशक कुछ अधिकारी लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। परन्तु कुछ अधिकारी यह सोचते हैं कि यह उनका अपना पैसा है। वास्तव में यह उनका पैसा नहीं है, यह सरकार का पैसा है और उन्हें गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। परन्तु वे बेरोजगार युवाओं की सहायता नहीं करते हैं। वे बेरोजगार युवाओं को तंग क्यों कर रहे हैं ? जब सरकार ने एक बेरोजगार युवा के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत 35,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी तो वह बैंक अधिकारी से मिलने गया। बैंक अधिकारी ने कहा कि वह केवल 25000 रुपये देगा 35000 रुपये नहीं देगा। यदि बेरोजगार युवक मनोरंजन के लिए कुछ पैसा दे देता है तो वह 35000 रुपये की धनराशि स्वीकृत कर देगा और यह भी कि 35000 रुपये की धनराशि एक मुश्त स्वीकृत नहीं करेगा। प्रतिदिन बेरोजगार युवक बैंक अधिकारियों से मिल रहे हैं। प्रतिदिन वे उनसे निवेदन करते हैं परन्तु वे उनकी मांगें पूरी नहीं करते। यह समस्या है। यदि आप कुछ निर्देश बैंक अधिकारियों को दें तो सरकारी निर्देशानुसार वे लोगों की सहायता करेंगे।

वर्ष 1980 में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ऋण शिविर लगाया था। अब हम ऋण अदायगी के बहुत इच्छुक हैं। जी. आर. आई. योजना के अन्तर्गत ब्याज की दरें भिन्न हैं। किसी ने 5000 रुपये 12% ब्याज पर लिये परन्तु किसी और ने उसी शीर्षों के अन्तर्गत ऋण 10% ब्याज पर लिया। अतः मैं आपसे निवेदन करती हूं कि इस जी. आर. आई. योजना के लिए समान ब्याज दर होनी चाहिए। फिर गरीब लोगों को हानि नहीं उठानी होगी।

20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में, कुछ राज्य सरकारें अपने राजनैतिक स्वार्थों के लिए पैसे का दुरुपयोग कर रही हैं। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक निगरानी समिति होनी

चाहिए और सभी संसद सदस्य, विधायक तथा स्थानीय पंचायतों के सदस्य इसके सदस्य होने चाहियें। ताकि वे जन-साधारण की शिकायतों पर ध्यान दे सकें और यह भी देख सकें कि 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए दिए गए पैसे का दुरुपयोग न हो।

मैं आपसे यह निवेदन करती हूं कि आप यह देखें कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों के लिए सभी राज्य सरकारें अपने खातों का विवरण भेजें। कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ राज्य सरकारें—मैं किसी राज्य सरकार का नाम नहीं ले रही हूं—अपने राजनैतिक उद्देश्यों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये गए पैसे का दुरुपयोग करती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। सरकार के पैसे का उचित उपभोग होना चाहिए।

अन्त में, मैंने पहले भी कई बार यह बात उठाई है कि सरकार को बेरोजगार युवाओं द्वारा विभिन्न पदों के लिए भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों के साथ पोस्टल आर्डर के रूप में परीक्षा शुल्क को समाप्त कर देना चाहिए। मैं यह मुद्दा 1985 से उठा रही हूं और लगभग हर बजट सत्र में तथा अन्य अवसरों पर भी मैंने यह मुद्दा उठाया है। बेरोजगार युवा फीस के कारण जो उन्हें पोस्ट आर्डर के रूप में भेजनी पड़ती है, विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। उन पर यह एक अपरिहार्य भार है। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करती हूं कि बेरोजगार युवकों के लिए इस फीस को समाप्त कर दिया जाये। वे आपके आभारी होंगे।

मैं यह भी निवेदन करती हूं कि सिंचाई के लिए आवंटित धनराशि में वृद्धि की जानी चाहिए। विभिन्न राज्यों में कृषि श्रमिकों को पानी की कमी के कारण कष्ट उठाने पड़ते हैं क्योंकि कृषि पानी बिना हमेशा सम्भव नहीं है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृषि विकास कार्य में अच्छी प्रगति हो।

मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करती हूं कि बेरोजगार युवाओं द्वारा पोस्टल आर्डर के रूप में भेजे जाने वाली परीक्षा फीस को समाप्त कर दिया जाये। आपको बेरोजगारी दूर करने तथा श्रमिकों और किसानों का ध्यान रखने, जो इस देश के आधार स्तम्भ हैं, के लिए उपाय करने चाहिए। सरकार के हाथों उन्हें न्याय मिलना चाहिए।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकर) : महोदय, अनुमोदनों की अनुपूरक मांगें 3491 करोड़ रुपये की हैं। यह खर्च आंशिक रूप से बचत तथा 2349 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ती द्वारा पूरा होगा। और इस प्रकार 1142 करोड़ रुपये वसूल नहीं हो पायेंगे। यह एक भयावह प्रश्न है। जिससे हम चिन्तित हैं। इसमें यह स्पष्ट झलक मिलती है कि किस प्रकार हम अपना बजट तैयार करते हैं और वर्ष के अन्त में क्या परिणाम निकलते हैं।

बजट प्रस्तुत करने से पहले यह सरकार सदैव ही नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि की नीति का आश्रय लेती है और लोगों पर भार डाल देती है। तदन्तर, वे अपेक्षाकृत कम घाटे का बजट लाते हैं और अन्त में वे अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखते हैं। माननीय मंत्री ने हमें बताया था कि इसे स्वीकृत कराने के लिए यह केवल एक औपचारिकता है परन्तु इससे यह संकेत मिलता है कि कुल धनराशि में से एक तिहाई से भी अधिक प्राप्त करनी होगी और इसके लिए स्रोतों की तलाश करनी होगी। कुल 3491 करोड़ रुपये की धनराशि में से केवल 2349 रुपये ही बचत बढ़ी हुई प्राप्तियों इत्यादि द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं तथा बाकी धनराशि सामान्य विधियों से आयेगी। जैसा कि

मैंने कहा, और नियन्त्रित मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं, फिर बजट प्रस्तुत करते हैं और अन्त में अनुदानों की अनुपूरक मांगें रखते हैं। जो भार लोगों पर तीन किस्तों में पड़ता है वह वास्तव में असहनीय है।

फिर जब आप अनुपूरक मांगों की विस्तृत जानकारी पर गौर करें तो कुछ भयप्रद बातें प्रकट होती हैं। यदि आप अनुपूरक मांगों में दी गई प्लान योजनाएं देखेंगे और जो जनता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और उन्हें कुछ राहत दे रही हैं, इसमें केवल 155 करोड़ रुपये की मामूली राशि दर्शाई गई है। जबकि केवल रक्षा के लिए, एक ही शीर्ष के लिए अर्थात परिवार को पेंशन देने के लिए मांग की राशि 497 करोड़ रुपये है। तत्पश्चात आप अगला शीर्ष देख सकते हैं। इसी शीर्ष के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये हैं। कुल मिलाकर गैर योजना व्यय 986 करोड़ रुपये के बराबर आता है, इसमें वित्तीय लागत तैयार करने में इस सरकार की गलत नीतियां व्यक्त होती हैं। यह वित्तीय नीति भी गलती है जो वास्तव में इन तीन प्रयोगों से उत्पन्न होती है। अंततः परिणाम मुद्रा स्फीति है। लोगों पर कर लगाए जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक मुद्रा-स्फीति होती है। जनता इस मुद्रा-स्फीति की शिकार होती है। यह (इकोनॉमिक सर्वे) "आर्थिक सर्वेक्षण" में स्पष्ट है जिसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। रुपये की कीमत 1960 और 1988 की तुलना में कम हो गई है। रुपये की कीमत कम हो गई है 1960 के मुकाबले यह अब एक रुपये के दसवें भाग से भी कम है। धन का लगभग 90 प्रतिशत मूल्य कम हो गया है। ऐसा केवल सरकार द्वारा अपनाई गई वित्तीय नीति के कारण है। मैं ममता जी से पूरी तरह सहमत हूं जिन्होंने कुछ सच्ची बातें कहीं। सरकार की नीतियां कभी भी ऐसी नहीं रही हैं जो देश की आवश्यकताओं की वास्तविकता से सम्बद्ध हो। रोजगार उपलब्ध करना एक ऐसा पहलू है जिससे लोगों को जीने का ढंग प्राप्त होता। उनके पास क्रय शक्ति होनी चाहिए। हम देखते हैं कि 40,000 करोड़ रुपये जो हमें सामान्य बजट में खर्च करते हैं उस के बावजूद हम एक भी रोजगार अवसर उपलब्ध नहीं कर सके। हम इस प्रकार के प्रयासों से क्या कर सके? यहां मुझे सामान्य बजट का उल्लेख करना है। लगभग 500 करोड़ रुपये नेहरू जयन्ती में रोजगार उपलब्ध करने के लिए लगाए जा रहे हैं। यदि हम सामान्य बजट में 40,000 करोड़ रुपये खर्च करके भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कर सके, तो हम 500 करोड़ रुपये से क्या कर सकते हैं? रोजगार के अवसर गत वर्ष से कम हो गए हैं। काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या गत वर्ष से कम है। यह केवल एक धोखा है। यह केवल जनता को आकर्षित करने के लिए है। ऐसा केवल यह कहने के लिए है कि हम 500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं और रोजगार उपलब्ध किया जा रहा है। वास्तव में यह एक छलावा है। इसी शब्द का प्रयोग मेरे मित्र श्री कुमारमंगलम ने किया जिन्होंने यह कह कर मेरा समर्थन किया है कि यह वास्तव में एक धोखा है। रोजगार उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। अतः अंत में यह अपेक्षित परिणाम नहीं देता है। निश्चय ही, मैं जानता हूं कि अनुपूरक मांगों भी चर्चा एक औपचारिकता मात्र है। किन्तु, इस से कुछ तथ्य तथा वास्तविकता, सरकार की नीतियां और नीतियों की मौलकता सामने आती है।

मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक ज्ञापन आप को दिया गया है। इस संबंध में मैं केवल इसके बारे में कहता हूं। इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों की तुलना उन मांगों से कीजिए जो मेरी राज्य सरकार ने केन्द्रीय राज्य सरकार से की हैं। निश्चय ही यदि इस को यहां स्थान मिल गया, तो मैं अत्यन्त प्रसन्न हो जाऊंगा क्योंकि यह वास्तव में जनता की अनुपूरक मांगें हैं जब राज्य केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्र के पास आता है; यह अनुपूरक मांगों का एक अंग होना चाहिए।

किन्तु इस ज्ञापन में लिखा है कि केरल सरकार ने सूखा पीड़ितों के पुनर्वास के लिए केन्द्र से 47 करोड़ रुपये की मांग की है। सूखे के कारण हमें पेय जल की सुविधा चाहिए ; रोजगार बढ़ाने की और बिजली की मांग करते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। यदि बिल मंत्री जनता के प्रति जिम्मेदार हैं और यदि उन्हें उन से कोई दिलचस्पी है तो इन अनुपूरक मांगों में यह सारी बातें भी होनी चाहिएं और उन्हें इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए। और उन्हें कहना चाहिए था, "हां" केरल सरकार ने जनता के कल्याण के लिए 47 करोड़ रुपये मांगें हैं। मैं उन्हें दे रहा हूं। यह भारत की समेकित राशि में लेना पड़ेगा। अतः मैं संसद में आ रहा हूं। कृपया मुझे समर्थन दीजिये।" क्या आप इस उद्देश्य के लिए ऐसी सहायक स्थिति उत्पन्न करेंगे ? यह मेरा एकमात्र मुद्दा है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदान की मांगें तीन हजार चार सौ इक्यान्नवे करोड़ रुपये की जो प्रस्तुत की गई है यह इस तरह की मांग तीसरी बार प्रस्तुत की गई है। बार-बार सप्लीमेंटरी ग्रांट्स प्रस्तुत करने का अर्थ यह होता है कि हम जो बजट पेश करते हैं उसमें हम सारी परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखते हैं। अगर बजट अच्छी तरह पेश किया जाये तो सप्लीमेंटरी ग्रांट्स को बार-बार प्रस्तुत करने की आवश्कता नहीं पड़ेगी। इसलिए बार-बार सप्लीमेंटरी डिमांड्स प्रस्तुत करना सरकार के लिए शोभाजनक बात नहीं है। मैंने फसल बीमा योजना के बारे में पहले भी ध्यान आकर्षित किया था। जहां पर भयकर अकाल पड़ता है, वहां पर यह बिल्कुल बन्द कर दिया गया है, जैसे हमारे रेगिस्तानी इलाके में। हमारे मंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया था कि तालुका के आधार पर यह योजना है इसको पटवारी सर्कल के आधार पर योजना बनायेंगे। इसी बजट सत्र में उन्होंने कहा था, लेकिन यह योजना प्रस्तुत नहीं की गई। मैं जानना चाहूंगा कि आप फसल बीमा योजना के बारे में क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि इससे किसानों को बहुत लाभ मिलता है और इसके लिए आपको कदम उठाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने राज्य के 4500 अकाल से प्रभावित गांवों के बारे में आपको प्रतिवेदन दिये एक महीना हो गया है। मैंने मंत्रीजी और प्रधान मंत्री जी से इस बाबत निवेदन किया था कि हमारे यहां स्थिति का जायजा लेने के लिए अध्ययन दल भेजा जाये, लेकिन वह अभी तक नहीं भेजा गया है। इससे न वहां पर अकाल राहत कार्य शुरू हुए हैं। आपको कम से कम 15 दिन के अन्दर अध्ययन दल भेजना चाहिए। इसलिए आप तुरंत वहां पर अध्ययन दल भेजें जो वहां पर अकाल से प्रभावित गांव हैं, जैसे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र जो कि अत्यंत प्राभावित है वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। नेहरू रोजगार योजना कार्यक्रम इस बजट में प्रस्तुत हुआ है। आर.एल.ई.जी.पी. और एन.आर.ई.पी. को भी शामिल किया गया है। साथ-साथ यह भी निश्चित किया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार में से एक सदस्य को रोजगार दिया जायेगा ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकार ने जो पिछड़े जिले चयन करने की नीति बनाई है उसमें बाड़मेर और जैसलमेर जिलों का जहां कि अकाल की समस्या भीषण है, वहां पर प्राथमिकता देकर यह योजना लागू करनी चाहिए। आपने इसके लिए इस वर्ष 500 करोड़ रुपये अलाट किये हैं। अगर राजस्थान सरकार आपको इस तरह का प्रपोजल नहीं भेजती है तो आप इन दो जिलों पर ध्यान दें जिससे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और वे लोग सूखे का मुकाबला करने में सक्षम

होंगे । आपको जिस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है उसको पहले लेना चाहिए । ग्राम रोजगार योजना को महत्व दिया जाना चाहिए । जो आई.सी.पी.एस. का कार्यक्रम है यह पूरे तौर पर केन्द्र सरकार का कार्यक्रम है । कई प्रदेशों की सरकारें इस प्रोग्राम को सही तरीके से इम्पलीमैंट नहीं कर रही है, जिसके कारण बड़ी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गयी है । मैं यहां आपसे खास कर राजस्थान प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं । जितने भ्रष्ट से भ्रष्ट ओफिसर उस राज्य में होते हैं, उन्हें इस कार्य के लिये तैनात किया जाता है, नियुक्त किया जाता है । इस कारण कार्यक्रम का रूप बिल्कुल विकृत हो गया है । आप यहां से जितनी राशि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्टेट गवर्नमैंटस को देते हैं, उसके 50 प्रतिशत भाग का उपयोग भी नहीं हो रहा है और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि आप यहां से कोई टीम हर राज्य में भिजवायें, इस कार्यक्रम की पूरी तरह से मॉनिटरिंग होनी चाहिये क्यों कि इस कार्यक्रम के जरिये हम बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, उन्हीं के हित में हमने यह ICDS कार्यक्रम चलाया है, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए पैसों का कहीं दुरूपयोग नहीं होना चाहिये, ऐसी आप व्यवस्था करें ।

इन शब्द के साथ मैं सदन में प्रस्तुत सप्लीमैंटरी डिमाण्डस फार ग्रान्टस का समर्थन करता हूं ।

श्री **शान्ती धारीवाल** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पेश की गयी सप्लीमैंटरी डिमाण्डस फार ग्रान्ट का मैं समर्थन करता हूं और इसके साथ साथ अपने प्रदेश की कुछ समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपने प्रदेश तक ही सीमित रहूंगा । सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार राजस्थान प्रदेश के साथ जिस तरीके का व्यवहार करती है, वह देखने वाली बात है और खासकर पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज के मामले में यदि आप राजस्थान प्रान्त की तुलना किसी भी प्रान्त से कर लीजिये, गुजरात, महाराष्ट्र कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में कुल मिलाकर तीन या चार इंडस्ट्रीज पब्लिक सैक्टर में हैं और उसका दर्जा अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत नीचे है । मेरा निवेदन है कि सरकार इस विषय पर गहराई से विचार करे क्योंकि राजस्थान एक गरीब प्रान्त है, जहां बेरोजगारी काफी ज्यादा है कच्चा माल भी वहां मौजूद है, ब्रोडगेज लाइन भी पर्याप्त है, पावर भी अवैलेबल है, इसके बावजूद उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । हाल ही में राजस्थान में लिगनाइट के विशाल भण्डार निकले हैं । उन पर आधारित प्रोजैक्टस सैंक्शन के लिये भारत सरकार के पास तीन-तीन और चार-चार सालों से लम्बित पड़े हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है । मेरा निवेदन है कि राजस्थान में इन्डस्ट्रियलाइजेशन की बाबत खास ध्यान दिया जाना चाहिये, वहां पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज बढ़ायी जानी चाहिये ।

केन्द्रीय सरकार की ओर से अनेक मामलों में सबसिडी दी जाती है परन्तु ऐसा देखने में आया है कि उसका लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिनके लिये आपने सबसिडी दी है । इस लिये सबसिडी के टोटल कन्सैप्ट पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है, इसका आप फिर से निरीक्षण कराइये । दो साल पहले खाद के दाम कम किये गये थे और सबसिडी बढ़ायी गयी थी परन्तु किसानों तक कम दाम की खाद पहुंची ही नहीं । डिस्ट्रीब्यूटर्स ने लाखों टन खाद अपने भण्डार में इकट्ठा करके रख ली, जखीरेबाजी की । अन्ततः किसानों को उसका कोई लाभ नहीं मिला । इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आई. आर. डी. पी. आदि योजनाओं में जो सबसिडी देते हैं, किसी को बैल खरीदने पर दो हजार या तीन हजार रुपये सबसिडी दी जाती है, मैं समझता हूं कि उसका 30

प्रतिशत भाग ही सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुंच पाता होगा और 70 प्रतिशत हिस्सा रिश्वत में लोग खा जाते हैं, कुछ लोग मिलकर बांट लेते हैं यहां पर इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाने का सुझाव दिया गया, मैं उसे सबसिडी देने की बजाय ज्यादा बेहतर मानता हूं। आज जैसी स्थिति पैदा हो गयी है, उसमें सब-सिडी के मामले पर फिर से विचार किया जाना बहुत आवश्यक हो गया है। दूसरे बैंकों का काम आज हमें जैसा देखने को मिलता है, वह बहुत दोषपूर्ण है। आप किसी भी बैंक को देख लीजिये, जिस तरह उन बैंकों के अधिकारी एक्ट करते हैं उससे मात्र करप्शन का बढ़ावा मिलता है। यदि किसी की ऊपर से सिफारिश कर दी जाती है तो डी. आई.सी. जितना लोन स्वीकृत करती है, पूरे का पूरा लोन सैंक-सन कर दिया जाता है अन्यथा सैल्फ एम्पालायमैन्ट के लिये लोन की एप्लीकेशन देने वाले लड़कों को 40-40 चक्कर लगवाये जाते हैं और यदि उसे 25 हजार रुपया मंजूर हुआ है तो 15 हजार या 12 हजार या 13 हजार रुपया लेने के लिये मजबूर किया जाता है, कहते हैं इससे ज्यादा नहीं देंगे जिससे उनके प्रोजेक्ट ठीक तरह से चल नहीं पाते हैं और लोन का मंतव्य समाप्त हो जाता है मेरा निवेदन है कि आप कोई मोनिटरिंग कमेटी बनाइये जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की बाबत देखें।

राजस्थान में इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट 20 वर्षों से चल रहा है। हर साल उसमें जितनी मदद दी जाती है, वह काफी कम है। मेरा निवेदन है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कहीं से भी, चाहे वर्ल्ड बैंक से ही इसको मदद दिलवाइए और इसे जल्दी से जल्दी पूरा कराइए। इसकी कास्ट रोज बढ़ती जा रही है।

चम्बल सी० ए० डी० फेज-2 का प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक को पहुंचाने के लिए स्टेट गवर्नमैंट ने यहां के इकनामिक एफेयर्स डिपार्टमेंट को भेज रखा है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वर्ल्ड बैंक ने यहां के चम्बल सी० ए० डी० फेज-1 के प्रोग्राम को बहुत एप्रीशियेट किया है और उन्होंने फेज-2 के प्रोजेक्ट को खुद मांगा है इसलिए निवेदन है कि इस फेज-2 के प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी वर्ल्ड बैंक को भिजवाया जाए।

इसके साथ ही राजस्थान के और भी कई मीडियम व स्माल इरिगेशन के प्रोजेक्ट यहां पर विचाराधीन हैं, उनको भी क्लीयर कराने की कृपा करें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी 1988-89 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा चल रही है, उस पर मैं अपने विचार देना चाहता हूं।

जब भारतवर्ष आजाद हुआ था, उस वक्त बिहार का स्थान भारत भर में चौथे स्थान पर था किन्तु आज वह 11 वें स्थान पर पहुंच गया है यानि बिहार में पिछड़ापन बढ़ता चला गया है। इस मामले में वह बहुत से राज्यों से नीचे आ गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब बिहार में सारे खनिज-पदार्थ हैं और दूसरी सारी चीजें मौजूद हैं वहां की कृषि भी बहुत उन्नत है तो फिर वहां पर यह पिछड़ापन क्यों बढ़ा ? मेरा कहना यह है कि केन्द्रीय सरकार के सौतेलेपन के बर्ताव के कारण बिहार को पिछड़ा बनाया गया है। जो सही हिस्सा यहां से इसको मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाया है। इसी कारण वहां का पिछड़ापन बढ़ता चला गया।

मैं आपके सामने कुछ सबूत रख रहा हूं बिहार में सबसे उन्नत कृषि है तो भी वहां के मजदूर पंजाब, हरियाणा जाते हैं वहां जाकर भी वह खेती का ही काम करते हैं और वहां जाकर वह संतुष्ट रहते हैं लेकिन बिहार में मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है इसके लिए किसान दोषी नहीं है

क्योंकि वहां पर खेती अलाभप्रद है। अगर पंजाब हरियाणा की मिट्टी का अनुसंधान करें तो उसके मुकाबले सबसे उपजाऊ मिट्टी बिहार की है लेकिन वहां पर कोई ध्यान नहीं है।

आज बिहार में कृषि चाहे नहर से पटवन से हो, राष्ट्रीय नलकूप से हो लिफ्ट इरिगेशन से हो या प्राइवेट नलकूप से हो, सब मिलाकर 19 प्रतिशत की स्थाई सिंचाई आप देते हैं। जरा गौर कीजिए कि इतनी सिंचाई इतने वर्षों में बिहार को देने के बाद बिहार को क्या मिला है?

बिहार में इसी पिछड़ेपन के चलते वहां पर उग्रवादी ताकतों की बहुत बढ़ोत्तरी हो रही है। अभी आपने हाल में सुना होगा, केन्द्रीय सरकार के कानों तक भी यह बात आई होगी कि 10 मार्च को पटना में प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में कौन लोग थे, इसे भी आंख खोलकर देखना चाहिए। जितने भी युवक और युवतियां उसमें थे वह सब गरीब दलित-वर्ग के लोग थे। आज वह इस चीज को दिखा रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है।

आप हमारे जहानाबाद क्षेत्र की बात ले लीजिए। प्रधान मंत्री ने कई बार अपने भाषण में कहा, उन्होंने लालकिले के अपने भाषण में भी जहानाबाद का नाम लिया। लेकिन नाम लेने से ही काम नहीं चलेगा, यह देखना होगा कि जहानाबाद में क्या हो रहा है?

आप जहानाबाद के विकास के कामों में जो पैसा खर्च कर रहें हैं, वह बहुत ही कम पैसा है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, वह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा बिहार को मिलना चाहिए, वह आप दे क्यों नहीं रहे हैं?

अगर आप बिहार में शांति कायम करना चाहते हैं तो बिहार को काफी हिस्सा दीजिए। अंग्रेजों के समय में सिंचाई के जो साधन थे वह बाढ़ आने की वजह से बरबाद हो गये हैं। राज्य सरकार अपने स्तर पर सिंचाई के कोई साधन वहां के लिए नहीं जुटा पायी है। हमारे क्षेत्र के अन्दर अरवल प्रखंड के सोहता ग्राम में एक पक्का बांध अंग्रेजों के समय में ही था जिससे दस हजार एकड़ तक का स्थायी पटवन होता था लेकिन वह बाढ़ आने की वजह से टूट कर बह गया है राज्य सरकार उसे बनाने की हिम्मत नहीं कर रही है। मैंने खुद अपनी आंखों से फसलों को जलते हुए देखा है।

बिहार में कई ऐसी जगहें हैंजहां गरीबों को आने जाने के कोई साधन नहीं दिये गये हैं। करपी प्रखण्ड में गनियारी गांव के निकट रहने वाले गरीबों को कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। बिहार में खासकर जहानाबाद में यह पिछड़ापन आम देखने को मिलता है।

गया से पटना एक पुरानी रेल लाइन है इस लाइन को डबल लाइन कराने के बारे में कई बार आग्रह किया गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। रेल विभाग को इस संबंध में कहते हैं तो वह कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है आप इसके लिए अलग से धनराशि आवंटित करेंगे।

बिहार में बाढ़ से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिये यहां से पैसा दिया जाना चाहिए। बिहार के पिछड़ेपन की वजह से ही वहां उग्रवाद पनप रहा है। मैं चाहता हूं कि आप बिहार को काफी बड़ी मात्रा में पैसा दें जिससे कि बिहार का विकास हो सके और उसका पिछड़ापन दूर हो सके।

[अनुवाद]

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : आज सुबह मैंने सभा का ध्यान नूह में विधान सभा उप-चुनाव के दौरान की गई नृशंसताओं तथा ज्यादतियों की ओर दिलाना चाहा। हरियाणा में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में मुझे दो शब्द कहने हैं। चुनाव एक तमाशा बन गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां यह कुछ नहीं चलेगा। आपने पहले ही सवेरे यह मुद्दा उठाया है; और अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया है।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : मतदाताओं के साथ क्या किया गया इसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अनुपूरक मांगों से इसका क्या संबंध है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : ये एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सवेरे जब यह मुद्दा उठाया गया था तो अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से अपना विनिर्णय दिया : "मैं इन मामलों को यहां लाने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप इसे चुनाव आयोग के समक्ष ले जा सकते हैं। संसद मंच नहीं है।" अब जबकि अध्यक्ष महोदय जा चुके हैं, वे इसका लाभ उठा रहे हैं और अब इस प्रश्न को उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब अनुपूरक मांगों के संबंध में चर्चा है।

(**व्यवधान**)

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : यह कानून और व्यवस्था के बारे में है।

प्रो० मधु दंडवते : वह कहते हैं कि यह कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में है। उन्हें पता होना चाहिए कि कानून और व्यवस्था की स्थिति राज्य का विषय है।

श्री शान्ताराम नायक। संसद को भी कानून और व्यवस्था की इतनी ही चिन्ता है। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अनुपूरक मांगों के संबंध में बोलिए।

प्रो० मधु दंडवते : श्री शान्ता राम नायक अपने ही विरुद्ध बोल रहे हैं। वह कहते हैं कि यह कानून और व्यवस्था के बारे में है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह एक राज्य का विषय है।

श्री चिरजी लाल शर्मा : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है। चुनाव आयोग केन्द्र के अन्तर्गत आता है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं वह मुद्दा मत लाइए। पूरक मांगों के बारे में बोलिये जो कुछ आप बोलना चाहते हैं।

श्री चिरजी लाल शर्मा : जब मैं पूरक मांगों पर बोलता हूं, तो मेरा यह अधिकार है कि जो कुछ मेरे राज्य में हो रहा है मैं वह बोल दूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हमें बताइए कि पूरक मांगों के साथ इसका क्या सम्बन्ध है। यदि कोई सम्बन्ध है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अन्यथा मैं कैसे इसकी अनुमति दे सकता हूं ?

श्री चिरजी लाल शर्मा : जब धन उपलब्ध करने का प्रश्न आता है और जब बजट पारित किया जाता है प्रत्येक सदस्य को अपने राज्य में संबंध के अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त है कि वहां क्या हो रहा है, क्या किया जाना चाहिए और जो कुछ किया जा रहा है उसे याद रखना।

मेरे आदरणीय मित्र श्री दंडवते ने अभी आपके सामने कहा है कि आज सवेरे अध्यक्ष ने एक विनिर्णय दिया। हम अध्यक्ष के विनिर्णय के आगे अपना शीर्ष झुकाते हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारे मुंह बंद कर दिए जाएं। हमें यह कहने का अधिकार है कि क्या हो रहा है। संयोगवश मैं वहां पर था। क्या हो रहा था कि: मोटर गाड़ियों और जीपों मे भरे हुए पुलिस अफसर—एक दो नहीं, न ही 11 या 15 किन्तु 20 मोटर गाड़ियां इकट्ठे जा रही थी और मतदाताओं को आतंकित कर रहे थे·····(**व्यवधान**)।

2.00 म० प०

मुझे राज्य विधान सभा का बहुत अनुभव है। अब जनता ने मुझे यहां भेजा है, मुझे अपने राज्य की जनता के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए।

प्रो. मधु दंडवते : हम चाहते हैं कि आप यहीं रहें। इसीलिए आप राज्य का उल्लेख न करें।

श्री चिरजी लाल शर्मा : यह अत्यन्त आश्चर्यजनक था कि बहुत सी कारें एक बेड़े की भांति जा रही थी और एक मतदान केन्द्र में जाकर वहां बैठे व्यक्ति पीठासीन अधिकारी तथा मत अधिकारी से कहा "सावधान रहिए, तुम्हें कल दफ्तर जाना है यह मत भूलिये कि तुम राज्य सरकार के कर्मचारी हैं।" क्या आप यह जानते हैं ? इस प्रकार एक मंत्री मतदान केन्द्र की चारदीवारी में बोल रहा था। (**व्यवधान**)*।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नही दी जाती है। किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ आरोप की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

श्री चिरजी लाल शर्मा : मैं किसी व्यक्ति का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं। तथ्य तो तथ्य ही हैं। मैं जो कह रहा हूं वह यह है। मैं एक विशेष मतदान केन्द्र, एक पीठासीन अधिकारी का उदाहरण दे रहा हूं ····(**व्यवधान**)।

प्रो. मधु दंडवते : वे इस मामले को विधान सभा में उठा सकते हैं।

श्री चिरजी लाल शर्मा : उन्होंने लिखित रूप में दिया। उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक पत्र भेजा है कि·····(**व्यवधान**)* ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका बजट के साथ कोई संबंध ही नहीं है।

कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा उस तरह मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता।

(**व्यवधान**)*

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चिरजी लाल शर्मा : मान लीजिए, चुनाव में कोई विशेष व्यक्ति प्रभारी व्यक्ति के हाथ से मत पत्र खींच लेता है तो यह बात इस सभा के ध्यान में न लाई जाए ऐसा कोई कानून नहीं है ? जब मैं एक सक्रिय उदाहरण दे रहा हूं तो क्या उसको महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। मैं अपने आरोप की पुष्टि करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब गृह मंत्रालय की मांगें आये उस समय आप उन पर बोल सकते हो। अगर यह कानून और व्यवस्था से सम्बंधित हों उस समय आप बोल सकते हैं।

श्री चिरजी लाल शर्मा : यह ठीक ही कहा गया है कि जब लोहा गर्म हो तभी चोट मारनी चाहिए कल चुनाव हुए थे। और मुझे निर्वाचन क्षेत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का काफी-बुरा अनुभव हुआ था। मैंने देखा कि निर्वाचन क्षेत्र से बाहर के लोगों को बसों में भरा गया और बूथ के पास बस रोकी गई जिससे कि बूथ पर कब्जा किया जा सके। (**व्यवधान**)।

प्रो. मधु दंडवते : आप मुख्य विषयों पर बोलने में समर्थ हो।

श्री चिरजी लाल शर्मा : श्री दंडवते, मुझे लगता है आप सब कुछ जानते हैं। जो कुछ आपकी पार्टी कर रही है आप सब कुछ अच्छी तरह जानते हो। आप सभा में अपनी पार्टी के नेता हो। (**व्यवधान**)।

प्रो. मधु दंडवते : आप मेरे बारे में बात कर सकते हो। मैं तो चर्चा का एक मुख्य विषय हूं ।

श्री चिरजी लाल शर्मा : महोदय, जो कुछ हो रहा है हम उसे मूक दृष्टा की तरह कैसे देख सकते है ? हमें कहां जाना होगा ? कम से कम हमें अपनी शिकायतों पर आम चर्चा करने का अधिकार है। जब हमें सरकार द्वारा तंग किया जाता है और हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जब हम वास्तविकता बता रहे हैं तो हम क्या करेंगे ? हम कहां जायेंगे ? (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त कीजिए। (घंटी बज गई थी।)।

श्री चिरजी लाल शर्मा : मुझे आपकी घंटी का सम्मान करना चाहिए। मैं बैठ जाऊंगा, यद्यपि, मुझे काफी कुछ कहना था।

प्रो. मधु दंडवते : दुर्भाग्य से उन्होंने विषय से बाहर बात की थी। वह विषय पर नहीं बोले उन्हें समय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : यह वर्ष 1988-89 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का तीसरा बैच है जिसका कुल जोड़ 3491 करोड़ रुपये है। लेकिन इसमें से, प्राप्तियां/वसूलियां 2349 करोड़ रुपये की हैं। इसलिए, कुल अतिरिक्त खर्च 1142 करोड़ रुपये है। और इसमें से 156 करोड़ रुपये योजना के लिए है और 986 करोड़ रुपये गैर योजना व्यय के लिए हैं। महोदय, नौ सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। श्री थामस को छोड़कर जिन्होंने रक्षा व्यय की अनुपूरक मांगों की चर्चा की है, अन्य सभी ने बजट और नीति संबंधी मुख्य मुद्दों पर चर्चा की है, जिसकी इस वर्ष के बजट में घोषणा की गई है। यह पिछले वर्ष के लिए है। संशोधित अनुमानों में सभी अनुपूरक मांगें जिसमें यह मांग भी शामिल हैं, इस पर ध्यान दिया गया है और उसके बाद संशोधित अनुमानों को सभा में प्रस्तुत किया गया। लेकिन चर्चा में हिस्सा लेते हुए

श्री वी. एस. राव और अन्य विपक्षी मित्रों ने कहा है कि सरकार की वित्तीय नीतियां ठीक नहीं हैं और शायद गलत धारणा या गलत फहमी के कारण उन्होंने सोचा कि सभी अनुपूरक मांगें व्यय को बढ़ा रही हैं जिसे मूल बजट पत्र में दिखाया गया था। उनकी जानकारी के लिए, मैं निवेदन करूंगा और सदन के समक्ष यह कहना चाहूंगा कि वह सही विवरण नहीं है। तीन अनुपूरक मांगों में, पहला बैच 1593 करोड़ रुपये का था, दूसरा बैच 845 करोड़ रुपये का था और वर्तमान तीसरा बैच 3491 करोड़ रुपए का था। पूरे वर्ष में तीन अनुपूरक मांगों में कुल राशि 5929 करोड़ रुपये की थी। इस राशि में से बचत और प्राप्तियां 3469 करोड़ रुपये की थी। इसलिए कुल राशि 2460 करोड़ रुपये की थी। उसमें से वर्तमान घाटे में केवल 456 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसलिए कुल मिलाकर 2460 करोड़ रुपये की प्राप्तियां और वसूली हुई है। इससे पता चलता है कि कुछ वित्तीय उद्देश्यों या कुछ तकनीकी उद्देश्यों तथा कुछ वास्तविकताओं के साथ हम अनुपूरक मांगें सदन के समक्ष लाये थे। बजट के तीनों बैचों के बारे में, सदन इस बात की सराहना करेगा कि इससे केवल 456 करोड़ का घाटा हुआ है। और अगर हम अतिरिक्त सहायता जो हमने पंजाब को दी है, पर ध्यान दें तो इससे घाटा वह नहीं बढ़ा है। श्री थामस रक्षा पेंशन और रक्षा सेवाओं के बारे में कह रहे थे। मुझे इसे रिकार्ड में दर्ज करने दीजिए कि रक्षा कार्मिक जिन्होंने राष्ट्र और देश को अपनी सेवाएं दी हैं उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सभी प्रकार के प्रोत्साहन और लाभ दिए जाने चाहिए। सारा सदन इस मुद्दे पर एक मत है कि रक्षा सेवाएं और कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के बाद लाभ दिए जाने चाहिए जिससे कि उनकी सम्मान और उनकी बहादुरी जो उन्हें राष्ट्र को समर्पित की है उसकी प्रशंसा की जा सके। इसीलिए, हम सदन के समक्ष इसे लाये हैं और इसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए कि हम रक्षा उद्देश्यों के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें क्यों दे रहे हैं···(व्यवधान)।

श्री तम्पन थामस : वह मूल बजट में है। क्या यह आकस्मिक व्यय श्री लंका में हस्तक्षेप के कारण हुआ है ?

श्री बी० के० गढ़वी : जी नहीं, यह पेंशन के कारण हुआ है। श्री थामस, आप देख सकते हैं, रक्षा पेंशन 497 करोड़ रुपये और रक्षा सेवाएं 200 करोड़ रुपये हैं हमने पेंशन में वृद्धि की है। इसीलिए, हम भुगतान कर रहे हैं। यह स्पष्ट है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। महोदय, यह अनुदानों की अनुपूरक मांगें रक्षा सेवाओं और निर्यात राजसहायता के लिए है क्योंकि हम सब कहते हैं कि हमारे निर्यात में वृद्धि होनी चाहिए, निर्यात बढ़ाने के लिए अधिक क्षेत्रों को आगे आना चाहिए और इसलिए निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और तीसरा, राष्ट्रीय कपड़ा निगम को ऋण और ब्याज भुगतान करना है। सतलुज यमुना लिंक नहर पर भी विचार करना है। रक्षा खर्च गैर योजना खर्च में आता है। क्या आप सोचते हैं कि यह एक ऐसा खर्च है जिस पर हमें हैरानी हो सकती है ? दुर्भाग्य से आप बजट चर्चा के दौरान उपस्थित नहीं थे क्योंकि आपको आपके स्वभाव के कारण निलंम्बित किया गया है। (व्यवधान)।

श्री तम्पन थामस : जी, नहीं। ···(व्यवधान)।

श्री अनिल बसु (आराम बाग) : आप गलत बात कह रहे हैं···(व्यवधान)।

श्री बी०के० गढ़वी : श्री शर्मा बता रहे थे जिसे उपाध्यक्ष महोदय ने कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी है। अगर हम कोई किसी ऐसे संस्थान, जो लोकतन्त्र का स्तम्भ है, को नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो शायद इससे लोकतन्त्र की जड़ें स्वयं ही कट जायेगी पिछले सप्ताह आप जिस तरह से उत्तेजित हुए थे वह बहुत अशोभनीय है (व्यवधान)।

श्री तम्पन थामस : कांग्रेस वाले भी यहीं बात कर रहे थे। लेकिन उन्हें निलम्बित नहीं किया गया···(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बोलिए।

श्री वसुदेव आचार्य : जो सदस्य सदन में उपस्थित नहीं था और, जो कलकत्ता में था उसे निलम्बित किया गया था···(व्यवधान)।

श्री बी० के० गढ़वी : सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाने वाला बजट बहुत अनिवार्य और महत्वपूर्ण बजट है जिसमें राष्ट्र के वित्तीय कार्यक्रमों और भविष्य में विकास सम्बंधी कार्यों का उल्लेख होता है। और हम सब को इसमें हिस्सा लेने और अपने विचार व्यक्त करने या इसे सुनने और समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह क्या है? लेकिन दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से आपने ऐसा नहीं किया।

आज विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अधिक समय की मांग की क्योंकि पहले उन्हें इसमें भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था और यह उपाध्यक्ष महोदय की सहृदयता थी कि उन्होंने थोड़ा अधिक समय भी दिया यद्यपि कार्यमंत्रणा समिति द्वारा केवल एक घंटा दिया गया था। संक्षिप्त में मैं तो कहूंगा कि ये केवल वे औपचारिक अनुपूरक अनुदानों की मांगें हैं जिनके लिए मैं सभा के समक्ष आया हूं। इन पर गौर करने तथा जांच करने पर आपको पता चलेगा कि इससे घाटा नहीं बढ़ा है दूसरे जैसे कि मैंने तीन अनुपूरकों के आंकड़े पहले से दिए हुए हैं उनका घाटे पर कुल प्रभाव लगभग शून्य है और इससे स्वयं सिद्ध होता है कि वर्तमान संदर्भ में अनुपूरक मांगों की मुद्रा स्फीति बढ़ाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसकी कीमतों में और घाटे में वृद्धि करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन केवल कुछ नियमित लेखे-जोखे रखने के प्रयोजन से, कुछ तकनीकी बातों की वजह से और वास्तविक अतिरिक्त व्यय की वजह से इसे लाने की आवश्यकता पड़ती है।

मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। माननीय सदस्य बजट के कई क्षेत्रों और विकास के संबंध में बोले हैं····(व्यवधान)।

श्री तम्पन थामस : मैंने एक ज्ञापन पत्र का उल्लेख किया है। क्या आप उसे इसमें शामिल करेंगे ?···(व्यवधान)।

श्री बी० के० गढ़वी : श्री थामस ने एक ज्ञापन का जिक्र किया है। मैं तो कहूंगा कि हम इस सभा के समक्ष इसलिए आये हैं क्योंकि हमने राज्यों को अतिरिक्त सहायता दी है। मेरे पास केरल के संबंध में ब्यौरा नहीं है। हम सभा के समक्ष अनुपूरक अनुदानों की मांगों को लेकर क्यों आते हैं, इसका एक कारण यह है कि हम राज्यों को अधिक केन्द्रीय सहायता दे रहे हैं। जहां तक वित्त आयोग की बात है, इसने कुछ मापदण्ड बना रखे हैं जिनके अन्तर्गत राज्यों को सहायता दी जाती है और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जहां तक केरल राज्य की वैधानिक सहायता की आवश्यकता का संबंध है यह दी जा रही है और दी जायेगी।

महोदय, विभिन्न सदस्यों ने विकास, ऋण इकाईयों और अन्य तथ्यों के संबंध में विभिन्न मुद्दे उठाये हैं। वे विभिन्न मंत्रालयों के दायरे में आते हैं। जैसे कि मेरी आदत है, मुझे उनके भाषणों में से उनके मुद्दे चुनने पड़ेंगे और संबद्ध मंत्रालयों को विचार करने हेतु भेजने पड़ेंगे। (व्यवधान)।

श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : आन्ध्र प्रदेश में दंगा पीड़ितों को सहायता देने के बारे में क्या किया गया है? (व्यवधान)।

श्री बी०के० गड्डी : जहां तक दंगा पीड़ितों के बारे में आन्ध्र प्रदेश का संबंध है, मैंने यह बात नोट करली है और हम इसे संबंद्ध मंत्रालय को कार्यवाही करने हेतु भेज देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का वाद विवाद में भाग लेने तथा अपने मूल्यवान सुझाव देने के लिए आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं 1988-89 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखों और पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें :—

मांग संख्या : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23 24, 26, 29, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 85, 89, 90, 91, 92, और 93।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें ((सामान्य)

मांग संख्या और मांग का नाम	सदन द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदानों की मांग राशि	
1	2	
	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मंत्रालय		
1. कृषि	31,90,00,000	...
2. कृषि और सहकारिता विभाग की अन्य सेवाएं	71,77,00,000	11,17,00,000
3. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	5,00,00,000	...
5. उर्वरक विभाग	1,00,000	1,00,000
नागर विमानन मंत्रालय		
6. नागर विमानन मंत्रालय	1,00,000	1,50,00,000

1		2
वाणिज्य मंत्रालय		
8. वाणिज्य विभाग	1,33,50,00,000	....
9. पूर्ति विभाग	1,00,00,000	
संचार मंत्रालय		
11. दूर संचार सेवाएं	1,95,99,00,000	475,98,00,000
रक्षा मंत्रालय		
12. रक्षा मंत्रालय	71,54,00,000	...
13. रक्षा पेंशन	496,81,00,000	...
14. रक्षा सेवाएं-थल सेना	241,10,00,000	...
15. रक्षा सेवाएं-नौ सेना	19,17,00,000	
16. रक्षा सेवाएं-वायु सेना	57,87,00,000	...
17. रक्षा आयुध निर्माणियां	62,75,00,000	
ऊर्जा मंत्रालय		
19. कोयला विभाग		1.00,000
20. विद्युत विभाग		18,51,00,000
21. गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	10,00,00,000	...
विदेश मंत्रालय		
23. विदेश मंत्रालय	27,50,00,000	
वित्त मंत्रालय		
24. आर्थिक कार्य विभाग	38,43,00,000	
26. वित्तीय संस्थानों को अदायगियां	53,69,00,000	298 63,00,000
29. राज्य सरकारों को अन्तरण	156,34,00,000	7,97,00 000
33. लेखा परीक्षा	20,70,00,000	...
35. प्रत्यक्ष कर	20,78,00,000	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय		
39. स्वास्थ्य विभाग	7,51,00,000	9,43,00,000
40. परिवार कल्याण विभाग	50,00,00,000	...
गृह मंत्रालय		
42. मंत्रिमंडल	3,00,00,000	...

1	2	
43. पुलिस	52,16,00,000	...
44. गृह मंत्रालय का अन्य व्यय	...	1,63,00,000
45. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	2,16,00,000	70,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		
46. शिक्षा विभाग	19,32,00,000	45,00,000
48. कला और संस्कृति	6,70,00;000	...
उद्योग मंत्रालय		
50. औद्योगिक विकास विभाग	93,01,00,000	76,79,00,000
52. रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	1,00,000	...
53. सरकारी उद्यम विभाग	1,00,000	1,00,000
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
55. प्रसारण सेवाएं	12,49,00,000	...
संसदीय कार्य मंत्रालय		
58. संसदीय कार्य मंत्रालय	4,00,000	...
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		
59. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	2,36,00,000	...
योजना मंत्रालय		
62. सांख्यिकी विभाग	1,50,00,000	...
विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय		
64. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	...
66. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	...	50,00,000
इस्पात और खान मंत्रालय		
67. इस्पात विभाग	7,16,00,000	11,55,00,000
68. खान विभाग	1,00,000	1,00,000
जल-भूतल परिवहन मंत्रालय		
69. जल-भूतल परिवहन	2,95,00,000	23,00,000

1	2	
70. सड़कें	15,54,00,000	1,00,000
71. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	2,00,000	68,80,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय		
72. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	23,81,00,000	62,00,00,000
पर्यटन मंत्रालय		
73. पर्यटन मंत्रालय	1,01,00,000	...
शहरी विकास मंत्रालय		
76. लेखन सामग्री और मुद्रण		5,92,00,000
जल संसाधन मंत्रालय		
77. जल संसाधन मंत्रालय	32,50,00,000	...
कल्याण मंत्रालय		
78. कल्याण मंत्रालय	3,50,00,000	...
इलेक्ट्रानिकी विभाग		
81. इलेक्ट्रानिकी विभाग	4,45,00,000	22,51,00,000
महासागर विकास विभाग		
82. महासागर विकास विभाग	...	1,00,000
संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
85. राज्य सभा	1,27,00,000	...
विधान मंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र		
89. दिल्ली	39,85,00,000	7,00,000
90. अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	13,53,00,000	...
91. दादरा और नागर हवेली	6,32,00,000	
91. लक्षद्वीप	1,76,00,000	—
93. चंडीगढ़	23,13,00,000	...
जोड़	2142,95,00,000	1074,40,00,000

2.16 म०प०

विनियोग विधेयक*, 1989

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं ।

मैं प्रस्ताव** करता हूं :

" कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि सेऔर में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 27-3-1989 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित/प्रस्तुत ।

कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री बी. के. गढ़वी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

2.18 म०प०

पंजाब बजट 1989-90 सामान्य चर्चा :
लेखानुदानों की मांगें (पंजाब), 1989-90
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1988-89

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब पंजाब बजट लेखानुदानों की मांगें और अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर सामान्य चर्चा आरम्भ करेगी जिसके लिए 3 घंटे दिए गये हैं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियों पंजाब राज्य की संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें ।"

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 5, 7, 8, 10, से 19, 21 से 23, 25 26, 28, और 29 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से लेखे पर राष्ट्रपति को दी जायें ।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1989-90 के लिए लेखानुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत लेखानुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	कृषि तथा वन	49,54,30,000	12,72,33,000
2	पशुपालन तथा मछलीपालन	16,71,31,000	1,31,25,000
3	सहकारिता	7,46,06,000	27,29,50,000
4	रक्षा सेवाएं कल्याण	1,74,84,000	10,00,000
5	शिक्षा	2,27,84,06,000	24,43,000
6	निर्वाचन	56,24,00	
6	उत्पादक शुल्क तथा कराधान	5,94,61,000	...
7	वित्त	1,04,70,32,000	3,79,00,000
9	खाद्य तथा आपूर्ति	1,75,75,000	5,00,34,47,000
10	सामान्य प्रशासन	7,67,24,000	...
11	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	72,86,04,000	...
12	गृह मामले तथा न्याय	104,64,17,000	17,00,00,000
13	उद्योग	6,85,18,000	10,58,,43,000
14	सूचना तथा लोक संपर्क	2 34,00,000	—
15	सिंचाई तथा बिजली	65,11,60,000	3,39,03,85,000
16	श्रम और रोजगार	2,23,63,000	...
17	स्थानीय सरकार, आवास तथा शहरी विकास	14,00,57,000	10,78,25.000
18	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार	47,64,000	
19	योजना	11,92,79,000	...
20	कार्यक्रम कार्यान्वयन	50,000	—
21	लोक निर्माण कार्य	76,90,34,000	39,73,35,000
22	राजस्व तथा पुनर्वास	22,26,39,000	...

1	2	3	
23	ग्रामीण विकास तथा पंचायतें	21,37,63,000	35,00,000
24	विज्ञान प्रद्योगिकी तथा पर्यावरण	18,00,000	1,30,13,000
25	सामाजिक तथा महिला कल्याण और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	26,09,75,000	64,68,000
26	राज्य विधान मंडल	1,08,16,000	
27	तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक प्रशिक्षण	9,71,16,000	15,85,000
28	पर्यटन तथा सांस्कृतिक मामले	98,62,000	83,75,000
29	परिवहन	45,80,06,000	10,20,50,000
30	चौकसी	93,97,000	...

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 1988-89 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत अनुदादान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	कृषि और वन	8,41,20,000	—
2.	पशुपालन और मीन उद्योग	2,65,48.000	65,00,000
3.	सहकारिता	—	8,83,75,000
4.	रक्षा सेवाएं कल्याण	25,46,000	—
5.	शिक्षा	89,66.26,000	—
7.	उत्पाद शुल्क और कराधान	2,46,89,000	—
8.	वित्त	—	1,87,00,000
10.	सामान्य प्रशासन	3,06,72,000	—
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	13,71,38,000	—
12.	गृह कार्य और न्याय	48,54,50,000	30,00,000

1	2	3	
13	उद्योग	3,79,56,000	8,38,28,000
14	सूचना तथा जन संपर्क	82,62,000	—
15	सिंचाई तथा बिजली	66,03,54,000	—
16	श्रम और रोजगार	32,59,000	—
17	स्थानीय सरकार आवास और शहरी-विकास	11,98,77,000	10,29,40,000
18	कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार	1,15,000	—
19	आयोजना	1,15,86,000	—
21	लोक निर्माण कार्य	31,66,59,000	—
22	राजस्व तथा पुनर्वास	8,40,97,000	—
23	ग्रामीण विकास और पंचायतें	11,97,94,000	50,00,000
25	सामाजिक और महिला कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,94,05,000	—
26	तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	2,11,21,000	—
28	परिवहन	—	15,00,00,000
29	चौकसी	31,14,000	—

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री डी० एन० रेड्डी ।

श्री डी० एन० रेड्डी (कडप्पा) : पंजाब जो कि हमारे देश का एक महत्व पूर्ण हिस्सा है और देश का अन्न भंडार है, पिछले चार या पांच वर्षों से अशांति के दौर से गुजर रहा है । मुझे यह कहते हुए खेद है कि पंजाब में रूढ़िवादियों को प्रोत्साहित करके सरकार ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है । भावी इतिहासकार याद करेंगे कि यह हमारे महान देश के इतिहास में एक दुखद अध्याय है ।

जब पीछे देखते हैं, तो माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि एक मुख्य रूढ़िवादी, बहुत खतरनाक और हिंसक व्यक्ति, भिण्डरांवाले को जोकि समस्त राज्य में आतंकवाद का स्रोत था, स्वयं सत्तारूढ़ दल ने प्रोत्साहित किया । यह घटिया राजनैतिक लाभ और अकाली दल को तोड़ने के लिए किया गया था । अशांति का स्रोत उस वक्त आरम्भ हुआ था ।

मैं उद्धृत कर रहा हूं " हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव थे तो उन्होंने स्वयं कहा था कि भिंडरवाले पूर्णत: धार्मिक नेता हैं और राजनीति से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है ।" इस बात से यह स्पष्ट होता है कि हमने पंजाब की समस्या के समाधान में कितनी भूल की है । सत्तारूढ़ दल से हम बार-बार कह रहे है कि इस समस्या को चुनाव सम्बन्धी

समस्या न मानकर राष्ट्रीय समस्या समझा जाना चाहिए। सत्तारूढ़ दल ने अपनी अंतरात्मा के बावजूद भी पंजाब की समस्या पर विचार करने के लिये सर्वदलीय बैठक नहीं की है। सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये यह बड़ी निराशा की बात है कि समस्या को शुरू में ही उचित ढंग से नहीं लिया गया और सरकार ने राज्य के अनेक लोगों की हत्यायें होने तक विचार किया। समस्या का कोई निकट समाधान नहीं है। सरकार ने भी पंजाब की समस्या के परिणामों का कम अंदाज लगाया है।

2.21 म. प.

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं]

इसके अतिरिक्त लोकप्रिय सरकार को बरखास्त कर दिया गया। महोदया आपको याद होगा कि सभी विपक्षी दलों ने लोकप्रिय बरनाला मंत्रिमंडल की बरखास्तगी का विरोध किया था। अपितु खाली राजनैतिकों को राज्य में राज्यपाल का स्थान प्राप्त हो गया। इसका परिणाम यह है कि हमें अब भी शक है और कोई समाधान दिखायी नहीं दे रहा है। जिसके फलस्वरूप सभी वर्गों के लोग अंधाधुंध ढंग से आतंकवादियों की तरह कार्य करने लगे। पुलिस के कार्यों ने पंजाब के लोगों को विदेशी बना दिया है। आर्थिक विकास पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है और अनेक बेरोजगार युवक आतंकवादी आन्दोलन में शामिल हो गये हैं। आन्दोलन हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नृशंस हत्या के बाद शुरू हुआ। दो या तीन दिन तक ऐसा प्रतीत हुआ जैसे दिल्ली में कोई सरकार नहीं थी, अनेक सिखों की हत्यायें की गयीं और उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी। यह स्वर्ण मंदिर की कार्यवाही के अतिरिक्त किया गया इससे सिख समुदाय के बेरोजगार युवक इतने नाराज हो गये कि वे अब भी लोकप्रिय सरकार के दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार तथा उनके साथ किए गए भेदभाव के ढंग को नहीं भूले हैं। जब कि सच यह है कि पंजाब में हिन्दू और सिख खुशी से रह रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र के व्यवहार से उनके बीच दरार पड़ गयी है और सभी समस्यायें पैदा हो गयी हैं।

हाल ही में केन्द्रीय सरकार की अदूरदर्शिता, हत्या के आरोप में दो अपराधियों को दी गई फांसी से प्रकट हुई। समूचे देश ने केहर सिंह को क्षमा करने की वकालत की, जो कि अपराध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं था। केहर सिंह को क्षमा देने से केवल राज्य को नहीं बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र को लाभ होता। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया और उस बेचारे को फांसी दे दी गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि देश में कोई कार्यवाही को न्यायसंगत बतायेगा। परन्तु यदि कुछ शक था तो उसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकते थे। इसलिए मैं सभा को बताना चाहता हूं कि पंजाब में ऐसी कठिन स्थिति पैदा करने के लिये सरकार कुछ हद तक अपराधी है। समाधान के अभाव में पंजाब के सभी लाभ नष्ट हो गये हैं। एक तरफ साधारण लोग आतंकवाद के जाल में फंस रहे हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार तथा उन लोगों का रोबीलापन बढ़ता जा रहा है जो उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। यह बिना किसी कारण लोकप्रिय सरकार को बरखास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का परिणाम है। हम विपक्ष की तरफ से चुनाव के लिये काफी समय से कह रहे हैं परन्तु हमारी सलाह पर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया तथा अब सरकार कह रही है कि राज्य में पंचायती चुनाव कराये जायेंगे। भगवान जाने कि वहां क्या होगा परन्तु उन्हें सबसे पहले लोकप्रिय सरकार बनानी चाहिए और तत्पश्चात पचायती चुनाव कराने चाहिए। मेरे विचार से यदि पंजाब में लोकप्रिय सरकार बनाने से पहले पंचायती चुनाव कराये जायेंगे तो गम्भीर समस्यायें पैदा हो जायेंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार विधान सभा के चुनाव कराने से पहले पंचायती चुनाव

क्यों कराना चाहती है। यह बुद्धिमानी नहीं है, इससे प्रत्येक गांव में समस्यायें पैदा हो जायेंगी इसके अलावा अभी की तरह किसी की सुरक्षा नहीं होगी।

जहां तक हत्याओं की संख्या का सम्बन्ध है राज्य में मई, 1987 से 31 जनवरी, 1989 तक 2688 व्यक्ति तथा 626 आतंकवादी मारे गये। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार किस प्रकार कहती है कि स्थिति में सुधार हुआ है। मुझे कोई परिवर्तन दिखायी नहीं देता, यद्यपि कुछ दूसरे राज्यों में हत्याओं संख्या इसके समान अथवा इससे अधिक है परन्तु पंजाब की समस्या के मुख्य कारण पूर्णतः भिन्न हैं। उदाहरणार्थ बिहार में उसी समय हत्याओं की संख्या अधिक थी, परन्तु सरकार समूचे अपराध की लीपापोती करना चाहती है क्योंकि वहां कांग्रेस-आई का शासन है और समस्या के समाधान की इच्छा नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि हम मुद्दे बार बिचार कर रहे हैं परन्तु विपक्षी दलों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् कोई ठोस समाधान नहीं किया गया है। हमने सभा में प्रधानमंत्री को यह कहते हुए देखा है कि वे इस समस्या पर विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श करेंगे। परन्तु विगत अनेक महीनों से हम विचार-विमर्श की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि हम स्पष्ट कार्यक्रम बना सकें। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है। हमें खुशी है कि हाल ही प्रधानमंत्री ने पंजाब में एक सूत्र उपायों की घोषणा की है। एक तरह से इससे समस्या हल हो सकती है। यद्यपि ये उपाय स्वागत योग्य हैं, परन्तु यदि समस्या के समाधान में सभी राजनैतिक दलों को विश्वास में नहीं लिया जायेगा तो स्थायी हल नहीं निकल सकता और प्रधानमंत्री द्वारा सभा में आश्वासन देने के पश्चात भी कार्यक्रम को विलंब से क्रियान्वित किया गया है।

ओधपुर जेलों के सैकड़ों बंदियों को रिहा किया गया है। परन्तु उन हजारों बंदियों का क्या होगा जो अभी वहां हैं। मुझे जानकारी है कि 200 या 300 बंदियों को रिहा किया गया है और उनमें से कुछ को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनमें से कुछ जेल में पड़े हुए हैं उनकी रिहाई की कोई आशा नहीं है। यद्यपि सभा में आश्वासन दिया गया था कि सभी बंदियों को रिहा कर दिया जायेगा परन्तु उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। उनमें से अधिकांश के विरुद्ध ठोस अभियोग नहीं है तथा उनके विरुद्ध कोई ठोस अभियोग लगाये भी नहीं गये हैं और जो बंदी रिहा किये गये हैं उन्हें पुनर्वासित किया जाना है। वास्तव में यह देखना सरकार का कार्य है कि बंदियों को पुनर्वासित किया जाए। उन्हें उनकी गलती अभियोगों, तथा मामलों के कारण कारावास नहीं दिया गया, कोई निर्णय भी नहीं दिया गया तथा उन्हें किसी न्यायालय में पेश नहीं किया गया और कारावास में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। यह रिकार्ड में है कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोठरी में काफी समय तक पानी नहीं दिया गया। उन्हें अलग रखा गया तथा उनके सम्बन्धियों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गयी। उन्हें यह पता नहीं चला कि उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, तथा पुलिस के व्यवहार से सभ्य समाज को वास्तव में शर्म आयेगी, कि एक लोकतांत्रिक देश में कैदियों के विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध होने पर भी, ऐसे किस्म का अन्याय नहीं किया जाता है।

अधिकांश कैदी अभी जेल में हैं मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसका एक विवरण तैयार करे और देखें कि सभी कैदी रिहा कर दिये गये हैं। वहां शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराये जाने चाहिएं। यदि वहां लोकप्रिय सरकार नहीं बनायी जायेगी तो लोगों को अपने पक्ष में करना और विभिन्न समुदाय के लोगों की भावनाओं को समझना कठिन है। और प्रधानमंत्री की हत्या के बाद दो या तीन दिन के दंगों में जो लोग मर गये हैं अथवा जिनका नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। विशेषतः एक समुदाय का बहुत नुकसान हुआ तथा कुछ मामले अभी भी लंबित पड़े है। हमें

यह नहीं बताया गया है कि कितने मामले दर्ज किये गये हैं तथा कितने लोगों को सजा दी गयी है तथा राहत के क्या उपाय किये गये हैं मुझे कहते हुए खेद है कि जेल से रिहा किए गए बंदियों के मन में यह है कि उनके कारावास के दौरान उनके परिवार नष्ट हो गये उन्हें आगे देखने वाला कोई नहीं है तथा उनका सम्पूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो गया।

मैं समझता हूं कि पंचायतों के चुनाव कराना सही कदम नहीं है। पंचायतों के चुनाव देरी से हो सकते हैं। उन्हें पहले लोकप्रिय सरकार स्थापित करनी चाहिए। इस राज्य के राजनैतिक नेता भी चुनावों के लिए कह रहें हैं। इस बारे में केन्द्र को झिझकने के कोई कारण नहीं हैं संभवत वे डरते हैं कि सत्ताधारी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती है। इस मामले को एक राष्ट्रीय मामले के बजाय चुनावी मुद्दे के रूप में देखा गया है। सारा देश उत्तेजित है और हम चाहते हैं कि यथा शीघ्र पंजाब की समस्या हल की जाए।

पंजाब पर विशेष रूप से कुछ चर्चा हुई है और कुछ आश्वासन भी दिए गए हैं लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें पूरा नहीं किया गया है। हम कहते रहे हैं कि आतंकवादियों को विदेशी सहायता प्राप्त हो रही है और उन्हें कुछ हथियार भी सप्लाई हुए हैं लेकिन सरकार यह पता लगाने में विफल रही है कि ये बाहरी देश कौन से हैं। यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इन देशों का पता लगाए जो देश के अहित में आतंकवादियों को सहायता दे रहे हैं।

जब आतंकवादी सीमा पार करते हैं तब पाकिस्तान से भी उन्हें कुछ प्रोत्साहन मिलता है। पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद से, हमारे देश को बहुत आशा है कि स्थिति में परिवर्तन आएगा। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि पाकिस्तान की नई सरकार के तत्काल बाद जो उत्साह था वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सेना ऐसा दर्शा रही है जैसे वे हमारे देश के खिलाफ हैं आतंकवादियों को मदद मिल रही है और वे किसी कठिनाई के बगैर पिछले कुछ दिनों से सीमा पार कर रहे हैं और पाकिस्तान में कुछ लोगों से सुरक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अतः हमें यह सब ध्यान में रखना है और समस्या को कम मानने तथा यह दर्शाने का कोई लाभ नहीं है कि हम पंजाब में समस्या का समाधान करने वाले हैं, यह तो लोगों को खोखले आश्वासन देना है। सारा देश यह जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक है कि क्या हो रहा है और आप इस समस्या का समाधान कब कर रहे हैं। अब पंजाब की अनेक आवश्यकताएं हैं। उद्योग ठप्प पड़े हैं। यह एक बड़ा कृषि प्रधान राज्य है। न सिर्फ कृषि में बल्कि उद्योगों के मामले में भी यह देश में अत्यधिक विकसित राज्य है और यहां सब कुछ ठप्प पड़ा है। यह उचित समय है जब वहां पर एक लोक प्रिय सरकार स्थापित की जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाए कि राज्य तेजी से तथा रचनात्मक रूप से विकास करे। सारा सिख समुदाय देख रहा है कि सरकार 4 वर्ष पूर्व दिल्ली में इतने अधिक उत्पीड़न के बाद इस समुदाय में विश्वास कैसे उत्पन्न करेगी। सत्ताधारी पार्टी को ये सभी तथ्य ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विपक्षी नेताओं की मदद तथा विचार विमर्श से तत्काल अन्तिम और पूर्ण समाधान निकाला जाए। मैं चाहता हूं कि आप हमें पूर्ण विश्वास में लें ताकि हम यथा शीघ्र इस दुर्भाग्यपूर्ण राज्य की मदद कर सकें।

श्रीमती सुखबन्स कौर (गुरदासपुर) : सभापति महोदया, पंजाब बजट पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। मुझे आशा है कि अगले वर्ष के बजट पर चर्चा यहां संसद में न होकर इसके उपयुक्त स्थान पर होगी।

शुरू में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगी । विपक्ष से मेरे माननीय सहयोगी ने कहा है कि दोनों समुदायों में अच्छे संबंध नहीं हैं । यह पूर्णतया गलत है । किसी भी समुदाय के लोग पंजाब में सद्-भावना, शांति के साथ रहते हैं और सदा की तरह अभी भी उनमें प्यार है । केन्द्र सरकार इस शांति और सद्भावना को बनाए रखने के लिए सब कुछ कर रही है और इन संबंधों को समाप्त करने जैसा कुछ नहीं कर रही है ।

उन्होंने केहर सिंह का मामला भी उठाया । यदि अपने मुकदमे की कार्यवाही का अध्ययन किया है तो मुख्य रूप से बिमल खालसा के साक्ष्य आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे अपराधी ठहराया गया था और इसलिए केन्द्र का इससे कोई सरोकार नहीं है । उसने तो न्यायालय द्वारा उसे दी गई सजा को कार्यान्वित किया है ।

मैं पंजाब के बारे में उठाए गए हाल के कदमों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करती हूं और मुझे विश्वास है कि इन उपायों के कारण शांति और सद्भावना कायम करने में काफी मदद मिलेगी और यथा शीघ्र समाधान में भी मदद मिलेगी ।

माननीय सदस्य पंचायती चुनावों का उल्लेख कर रहे थे । मैं समझती हूं कि पंचायतों के चुनाव अत्यंत आवश्यक हैं और ये होने चाहिएं । यदि विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं तो मैं समझती हूं कि पंचायतों के चुनाव भी हो सकते हैं और ये होने चाहिएं और हमें पंचायत स्तर से ही प्रारम्भ करना चाहिए । यह आवश्यक है कि हमें वहां लोकप्रिय सरकार लानी चाहिए और पंचायतों के चुनाव पहले कराए जाएं और मैं इसका कोई कारण नहीं समझती कि ये क्यों नहीं हो सकते या क्यों नहीं होने चाहिएं । मैं इस संबंध में माननीय सदस्य से असहमत हूं ।

जोधपुर के बंदियों के बारे में मुझे विश्वास है कि जैसे पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार समय समय पर सहायता चाहने वाले सभी व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए सब कुछ करती रही, हैं, ऐसा ही अब भी करेंगी ।

सभापति महोदया, पंजाब बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है और ये कठिनाईयां पिछले सितम्बर में उस समय और अधिक बढ़ गई जब अभूतपूर्व वर्षा के कारण हमने अत्यधिक बाढ़ का सामना किया । सम्पूर्ण पंजाब प्रभावित हुआ और न सिर्फ खड़ी फसलों की कुछ मात्रा नष्ट हो गई बल्कि काफी संख्या में मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए । हजारों पशु मारे गए । कच्चे मकानों में लगभग 90% ढह गए । गावों में पक्के मकान भी क्षतिग्रस्त हुए । जैसा कि मैंने कहा है, खड़ी फसलों को नुकसान हुआ । घरों और अन्य स्थानों पर रखा अनाज भी नष्ट हो गया । इतना अधिक असर हुआ कि सभी सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गईं । रणजीत सागर बांध को भी 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ । पंजाब सरकार ने यथा संभव कार्य किया और पंजाब के लोग केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये देने के लिए इसकी प्रशंसा करते हैं । दुर्भाग्य से वित्त मंत्री यहां उपस्थित नहीं हैं । मैं चाहती थी कि वे यहां होते । वह भी यह स्वीकार करते कि पंजाब को हुए नुकसान की तुलना में 100 करोड़ रुपये कुछ भी नहीं हैं । राज्य सरकार ने लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अनुमान दिया था एक तरफ तो राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों को सहायता देने के लिए सम्पूर्ण प्रयास कर रही है चाहे यह कृषि हो, क्योंकि कृषकों को नुकसान हुआ था या फिर व्यवसाय या उद्योग हों । दूसरी ओर जब भी पंजाब केन्द्र सरकार से सहायता की मांग करता है, तो हमें यह उत्तर मिलता है कि राज्य स्वयं अपने संसाधन जुटाए । मेरी समझ में यह नहीं आता है कि उन संसाधनों का विकास हमें कैसे करना है । इस समय हमारे पास संसाधनों के विकास का कोई अवसर नहीं है क्योंकि राज्य में

भीषण बाढ़ आयी हुई है। राज्य सरकार के लिये यह बहुत ही बुरी बात होगी कि एक ओर तो वह सहायता प्रदान करे और दूसरी ओर वापस कुछ ले ले। अत: मैं संसदीय कार्य मंत्री के माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगी कि पंजाब पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार किया जाये और इसे एक गम्भीर समस्या समझा जाना चाहिए तथा इस संकट की घड़ी में सम्पूर्ण राष्ट्र को पंजाब की सहायता करनी चाहिए।

पंजाब मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है और यद्यपि पंजाब में सिर्फ 3% ही खेती योग्य भूमि है, हम राष्ट्रीय अन्नकोष में 40% से भी अधिक खाद्यानों का योगदान करते हैं और इसलिये यह आवश्यक और सही है कि केन्द्र सरकार हमें कृषि, विद्युत और उद्योग के क्षेत्र में सहायता करे। भारत सरकार की केन्द्रिय औद्योगिक उपदान योजना के अन्तर्गत सिर्फ तीन जिलों—संगरूर, भटिंडा, और होशियारपुर की 'ख' श्रेणी को घोषित किया गया है और गुरूदासपुर तथा फिरोजपुर जिलों को 'ग' श्रेणी का घोषित किया है राज्य के पिछड़े जिलों में कोई सहायता नहीं दी गयी है जबकि 111 खण्डों में से 66 खण्ड गैर औद्योगिक खण्ड हैं। राज्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में पुन: सुधार करने के उद्देश्य से मैं समझती हूं कि यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण राज्य को 'क' श्रेणी के पिछड़े जिले का राज्य घोषित कर दिया जाये और इस श्रेणी को दी जाने वाली सहायता उन्हें दी जानी चाहिए। आज पंजाब पिछड़ेपन से जूझ रहा है क्योंकि छोटे उद्यमी उद्योगों के आधुनिकीकरण और विकास के लिये विकसित तकनीक और आधुनिक तकनीक जो कि उन्हें चाहिए, प्राप्त कर सकने की स्थिति में नहीं हैं। अत: यह आवश्यक है और मैं समझती हूं कि यह समय की मांग है कि इस स्थिति में भारत सरकार को मदद करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि भारत सरकार देश में 66 विकास केन्द्रों की स्थापना कर रही है और इनमें से प्रथम चरण में पंजाब के लिये सिर्फ दो की स्वीकृति दी गयी है। सातवीं योजना में पंजाब में औद्योगिक विकास दर 10%-10.2% से गिरकर लगभग 3.3% हो गई है और भौगोलिक दृष्टि से भी हम घाटे में हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति पंजाब में निजी पूंजी लगाना नहीं चाहता।

पंजाब को अधिक केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए और प्रथम चरण के अन्तर्गत इन विकास केन्द्रों में से कम से कम छ: हमें स्वीकृत किये जाने चाहिएं। लघु उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है लेकिन केन्द्र को हमारी सहायता करनी चाहिए और अधिक उद्योगों की स्थापना हमारे यहां करनी चाहिए। हमने गत वर्ष भी यह कहा था लेकिन कुछ कार्यवाही नहीं की गयी और मैं पुन: दोहरा रही हूं और मेरे अन्य सहयोगी देखेंगे कि पंजाब को कम से कम पेट्रो-केमिकल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट और विडीयो-सेट रिकोर्डिंग प्रोजेक्ट दिये जाने चाहिएं।

कृषि और उद्योग के लिये बिजली बहुत ही आवश्यक है और बिजली की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बहुत ही अच्छी तरह कार्य कर रहा है और मैं समझती हूं कि बाढ़ के दिनों में किये गये कार्यों के लिये उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए लेकिन इस अच्छी कार्य प्रणाली को बनाये रखने के लिये मैं समझती हूं कि यह आवश्यक है कि हम आगे की योजना बनायें और जो योजनायें स्वीकृति के लिये रुकी पड़ी हैं उन्हें तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिए और धनराशी की मंजूरी दी जानी चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को स्वीकृत किया जा सके।

रोपड़ थर्मल प्लांट इन्डस्ट्री के संबंध में पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्र को लिखा है जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जनवरी में हो चुकी है। कोयले की पुष्टि हो

चुकी है लेकिन परियोजना की स्वीकृति नहीं हुई है। इस परियोजना की तुरन्त स्वीकृति अति-आवश्यक है। गुरू नानक देव ताप बिजली परियोजना, चरण III के अनुमोदन की भी आवश्यकता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। मैं समझती हूं कि केन्द्र सरकार को इस परियोजना को स्वीकृति दे देनी चाहिए। समस्या यह है कि हम लोगों ने अपने सारे जल विद्युत स्रोतों को समाप्त कर दिया है और जिन स्रोतों का हम पहले उपयोग कर चुके हैं उसके अतिरिक्त पंजाब में और कोई स्रोत नहीं है। उन्हें कार्यान्वित किया जा चुका है। कुछ देर हो चुकी है। हम आशा करते हैं कि रणजीत सागर बांध जल्द से जल्द पूरा कर लिया जायेगा। उसी प्रकार, पंजाब में ताप विद्युत के विकास की अधिक गुंजाइश नहीं है क्योंकि कोयला बहुत दूर से लाना पड़ता है। अत: हम समझते हैं कि पंजाब में गैस पर आधारित परियोजनाओं को चलाना ही सबसे उचित है। कोयले के सम्बन्ध में, कोयले के पूरे मूल्य का करीब 60 प्रतिशत भाड़े पर खर्च हो जाता है और पंजाब जो कि कोयले की खानों से बहुत दूर है घाटा उठा रहा है। अत: हम अनुरोध करते हैं कि अन्य राज्यों के लिये जो किया गया है पंजाब के लिये भी वही किया जाना चाहिए। इस समस्या के कारण सिर्फ हरियाणा और पंजाब ही कठिनाई का सामना करते हैं क्योंकि दोनों राज्य कोयले की खानों से काफी दूर हैं। अन्य राज्यों के उपभोक्ताओं की अपेक्षा इस राज्य के उपभोक्ता अधिक घाटे की स्थिति में रहते हैं। भाड़े के मूल्य को पूरी कीमत से हटा देने पर यह लाभप्रद होगा। इससे पंजाब राज्य को भी मदद मिलेगी। हम अनुरोध करते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए। कोयले की नीति को युक्तिसंगत करते वक्त यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सम्पूर्ण देश में यह एक समान हो।

महोदया, सभी राज्यों के लिये बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गयी है। पंजाब के मामले में भी, नौजवानों को रोजगार देना बहुत ही आवश्यक है। हमें एक बात महसूस करनी चाहिए कि आबादी बढ़ती जाती है और कृषि भूमि उतनी ही रहती है। इसलिए और अधिक युवा नौकरियां तलाश रहे हैं। वे कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों मे नौकरी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन नौकरी पाने के लिए शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं समझती हूं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पंजाब में दो और इंजिनियरिंग कालेज तथा दो मैडिकल कालेज स्थापित किए जाएं। मैं तो और यह भी कहूंगी कि सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में कम से कम एक मैडिकल कालेज और एक इंजिनियरिंग कालेज स्थापित किया जाए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदया, हम इसका समर्थन करते हैं।

श्रीमती सुखवन्स कौर : राज्य सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के लिए 700 मुर्गीपालन की इकाइयां स्थापित करने की एक योजना बनाई है। इस पर कुल लागत का अनुमान 119 करोड़ रुपये है। यह योजना शिक्षा सचिव के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित की गई है। यह अनुरोध है कि योजना को तत्काल स्वीकृति दे दी जाए और लाभार्थियों को राज-सहायता के रूप में देने के लिए 2100 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की जाए।

कुमारी ममता बनर्जी द्वारा अभी पेश की गई एक और समस्या बैंकों के बारे में है। वह अनुपूरक मांगों पर बोल रही थीं। लेकिन यह समस्या पंजाब राज्य में भी है। बेरोजगार युवाओं या किसी अन्य व्यक्ति को दी जाने वाली धनराशि तत्काल नहीं दी जा रही है। हमें बैंक प्रबंधकों से अनेक कठिनाईयां होती हैं। उनका यह कथन बिल्कुल सही था कि यदि धनराशि का कुछ अंश उन अधिकारियों को दे दिया जाए तो वे धनराशि को आसानी से मंजूरी दे देते हैं। अन्यथा वे इस

धनराशि को देने के लिए उस व्यक्ति को अनेक चक्कर कटवाते हैं। एक मुद्दा और है। केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को उचित तरह से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। गरीब लोगों को उचित मदद उचित तरीके से नहीं मिल रही है। अत: मैं अनुरोध करती हूं कि इस पहलू पर गौर किया जाए।

पंजाब और विशेषकर मेरे जिले गुरदासपुर के सम्मुख एक और समस्या आ रही है। यह जिला दो नदियों रावी और व्यास के बीच स्थित है। गुरदासपुर को मुकरियां से जोड़ने के लिए व्यास नदी पर एक पुल की आवश्यकता है। यदि यह कार्य हो जाए तो गुरदासपुर के लोग आसानी से चंडीगढ़ तथा पंजाब के अन्य जिलों में जा सकेंगे। इससे कम से कम 100 गांव प्रभावित हैं। आपके लिए यह छोटा कार्य हो सकता है। लेकिन मेरे जिले और पंजाब में यह बड़ा क्षेत्र है। यदि यह पुल इस नदी पर थाले में बनाया जाए तो यह लोगों के लिए बहुत लाभकर होगा और यह इस क्षेत्र के लिए अत्याधिक हितकारी होगा क्योंकि गुरदासपुर पंजाब का सबसे अधिक पिछड़ा क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र का भाग, मस्तो नदी पर भी एक पुल बनाने की जरूरत है। जम्मू तथा कश्मीर जाने वाले लोगों के लिए इस क्षेत्र से सीधा रास्ता नहीं है। इसलिए मस्तो नदी पर पुल को मंजूरी दी जाए हम इसके लिए पिछले आठ वर्षों से कह रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह इस पर भी विचार करें।

अन्त में मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। भटिंडा तथा पठानकोट से जालंधर के कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए व्यवस्था की जाए ताकि पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। यदि जालंधर दूरदर्शन पंजाब के लोगों के लिए यह कार्यक्रम बनाए तो पंजाब में अधिक लोग इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को चण्डीगढ़ तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए प्रसारण हेतु कसौली का उपयोग भी किया जा सकता है। हम यह भी चाहेंगे कि दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में एक पूर्ण स्टूडियो और प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जाए। इस समय, दोनों राजधानियों और संघीय क्षेत्र के सभी समारोह, बैठकें और सम्मेलनों को जालंधर के द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। यदि चण्डीगढ़ और जालंधर के बीच रेडियो फोटो व्यवस्था हो तो यह बहुत अच्छा होगा। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि जालंधर सभी क्षेत्रीय समाचारपत्रों का मुख्यालय है और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर इन तीन राज्यों की सभी खबरें यहां से प्रसारित होती हैं।

हमें दी गई धनराशि के बारे में, योजना परिव्यय में केवल दस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि हमें दी गई 89 करोड़ रुपये की विशेष सहायता को, इस योजना परिव्यय में सम्मिलित किया गया है। यदि इसे केन्द्र द्वारा अतिरिक्त सहायता के रूप में दिया जाता तो बेहतर होता। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि पंजाब के लोगों की कठिनाईयों और संसाधन जुटाने में राज्य सरकार की असमर्थता को देखते हुए, पंजाब राज्य को अतिरिक्त धनराशि उदारतापूर्वक दी जाए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : सभापति महोदया, मैं इस वाद विवाद में भाग लेने के अवसर का उपयोग करते हुए पंजाब के लोगों को बधाई देता हूं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान अत्यधिक उकसाने के बावजूद उन्होंने सामुदायिक सद्भावना बनाए रखी है। मैं पंजाब के लोगों को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि अनेक कठिनाईयों के और आतंकवादी गतिविधियों द्वारा उत्पन्न मुसीबतों के बावजूद, किसानों ने कृषि उत्पादन को बनाए रखा और अनाज के केन्द्रीय पूल में काफी

योगदान दिया। यद्यपि हम अथवा विभिन्न राज्यों के लोग, लोगों को भयानक तरीके से मारने की खबरें सुनते हैं लेकिन आतंकवादियों के कार्यों से बहे लोगों के खून और विभिन्न समुदायों में मतभेद उत्पन्न करने के उनके प्रयासों के बावजूद स्थिति आशापूर्ण है और एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के साथ हैं और देश की एकता को बनाए रखने के लिए सतर्क रहते हैं। लेकिन यहां दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लोगों की ऐसी सतर्कता के बावजूद, केन्द्र सरकार अपने सभी कार्यों—आर्थिक, राजनैतिक अथवा अन्य द्वारा पंजाब में लोगों को प्रेरित करने और उनका विकास करने में असफल रही है।

विपक्ष में हमने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण यहां सभा में पेश हुए बजट का अत्याधिक विरोध किया था। इसमें अब हमें कांग्रेस (ई) के संसद-सदस्यों से भी समर्थन मिला है। पिछली बार वाद-विवाद में भाग लेते हुए पंजाब के वयोवृद्ध कांग्रेस (ई) नेता डा० जी० एस० ढिल्लो ने कहा था कि वस्तुत: वह समझते हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होना चाहिए था। अब मैं समझता हूं कि अनेक लोग ऐसा ही सोचते हैं। मैं एक मुद्दे पर थोड़ी देर बाद बोलूंगा।

मैं श्रीमती कौर का भाषण सुन रहा था। आर्थिक स्तर पर यह सच है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दे की कमी है। जिस बात पर जोर दिया जाना चाहिए था, वह उद्योग पर बल देना है। बजट में इसका अभाव है। यह सच है कि पंजाब कृषि में अग्रणी और विकसित राज्य है। हम इसे अत्यधिक समृद्ध राज्य कह सकते हैं। लेकिन औद्योगिकरण की कमी के कारण उन लोगों को शह मिल रही है जो पंजाब में युवा पीढ़ी को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जब मांग की जाती है कि पंजाब में और अधिक उद्योग होने चाहिएं तो हम इस मांग का पूर्ण समर्थन करते हैं।

अनेक वर्षों के बाद पंजाब में उद्योगों की क्या स्थिति है? इन पिछले तीन वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए, सतत कार्य करने के अनेक अवसर मिले कि पंजाब में अधिक से अधिक उद्योग लगें। लेकिन आपने क्या किया है? आपने उन्हें पेप्सी कोला दिया है। हम इसे पंजाब भेजना नहीं चाहते थे। वास्तव में हम नहीं चाहते थे कि यह भारत में भी आए। ऐसे अत्यन्त संवेदनशील राज्य में, जहां पर अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्र किए जा रहे हों, वहां ऐसी बुरी प्रतिष्ठा वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी का प्रवेश न तो आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त है और न ही राजनैतिक एकता के लिए उपयुक्त है। मैं मंत्री तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन बातों को ध्यान में रखें और पंजाब के औद्योगिकरण के मामले पर और जोर दें।

हम पजाब को देश के लिए एक उदाहरण बना सकते हैं। यह कृषि में अत्यधिक विकसित है। हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि कृषि पर आधारित उद्योग स्वदेशी प्रयास से कैसे विकसित हो सकते हैं और इसके लिए कैसे संसाधन जुटाए जाएं और स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार कैसे उत्पन्न किया जाए। लेकिन पहले ऐसा कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए हम देखते हैं कि एक तरफ तो कृषि का अत्यधिक विकास है और दूसरी तरफ औद्योगिकरण की कमी है। यह स्थिति और अधिक समय नहीं रहनी चाहिए।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण प्रशासन के साथ लोगों के संबंध खराब हो गए हैं। अब अधिकारी लोगों से दूर हैं। लोकप्रिय सरकार नहीं है। कोई भी लोगों की शिकायतों को नहीं सुनता है।

3.00 म०प०

अतः उन्हें चोट पहुंची है। और ये असंबद्ध अधिकारी न केवल आतंकवादियों अपितु श्रमिकों और किसानों में भी लोकतन्त्र-विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के लिए पंजाब में विद्यमान इस विशेष स्थिति का लाभ उठा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात को गम्भीरता पूर्वक अपने ध्यान में रखें कि सम्पूर्ण पंजाब में, लगभग सभी कारखानों में, जहां भी श्रमिक अपने अधिकारों की मांग करते हैं, सरकार, प्रशासन और पुलिस उन्हें तुरन्त रोक देते है। इन श्रमिकों को सभायें आयोजित करने और जलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जा रही है। पुलिस और प्रशासन उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। एक अच्छी सरकार को क्या करना चाहिए? यही वे शक्तियां है जिन्होंने आतंकवादियों को समर्थन नहीं दिया है वे लोग आतंकवादियों के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े हैं। इसके बावजूद भी मिलों और कारखानों के श्रमिकों को लगातार यातनायें दी जा रही हैं। प्रबन्ध के गुन्डे फैक्ट्रियों में प्रवेश करके श्रमिकों को पीट रहे हैं और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है यहां तक कि मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों और उनसे संबद्ध मजदूर संघों को परेशान किया जा रहा है। आप पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराइये। वहां इसकी जांच करने वाला कौन है? कुछ महिनों पहले मैं लुधियाना गया था। आप यह जानते हैं कि लुधियाना वस्त्र उद्योग का केन्द्र है। वहां के 80 प्रतिशत मिल पंजीकृत नहीं हैं। श्रमिकों का रिकार्ड कोई भी व्यक्ति नहीं रखता है। श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी तथा कोई अन्य अधिकार भी नहीं मिलते। अतः वे लोग हड़तालें करते हैं और जलूस निकालते है। पंजाब की वर्तमान स्थिति में कोई भी अन्य सरकार श्रमिकों का पक्ष लेती। परन्तु निराशा के साथ मुझे यह कहना चाहिए कि जलुस निकालने वाले लोगों के साथ मैं था। हम लोग जिला आयुक्त से मिलने गये। वे जानते थे कि मैं वहां आऊंगा और श्रमिक भी वहां आयेंगे। वहां हमसे बातचीत करने के लिए कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था। लोग कहां जायेंगे। लोग अपने कष्टों के बारे में किससे बातचीत करेंगे? रैली की रक्षा करने के लिए वहां कोई पुलिस नहीं थी। उन्हें इनकी आवश्यकता भी नहीं थी। वे वास्तव में स्वयं अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। परन्तु वे अपने न्यूनतम अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्हे संरक्षण और समर्थन दिया जाना चाहिए। परन्तु ऐसी स्थिति नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं अब उनकी जांच नहीं कर सकता। पिछले वर्ष 20 मई से महाबीर स्पिनिंग मिल के श्रमिक फैक्टरी से बाहर हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रबन्ध और गुंडे श्रमिकों को फैक्टरी के अन्दर पीटते हैं। उनकी मांग यह थी कि "आप इसे रोकिये।" श्रम आयुक्त प्रबन्ध को श्रमिकों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाधित नहीं कर सके। वहां ऐसी स्थिति जारी है। ऐसे कुछ अन्य उदाहरण भी हैं जिन्हें मैं उद्धृत नहीं करूंगा। जी. आई. एम. अकबरपुर जिले, संगरूर में 6 माह से श्रमिकों को फैक्टरी से बाहर निकाल दिया गया है और गावों से अस्थाई श्रमिकों की भर्ती करने में पुलिस प्रबन्ध की सहायता कर रही है और इन श्रमिकों को फैक्टरी में प्रवेश करने से रोका जाता है। यदि देश की एकता और अखंडता के लिए दृढ़ता पूर्वक खड़े होने वाले लोगों की ऐसी स्थिति है तो मैं यह नहीं जानता कि इस देश की स्थिति क्या होगी।

अब इस अलगाव के कारण, गत वर्ष की बाढ़ से, जिसने पंजाब में तबाही मचा दी थी, लगभग 1200 गांवों में से 400 से अधिक गांव बुरी तरह प्रभावित हुए थे। उन जिलों के पुनर्वास और राहत के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है? इस बारे में क्या कार्यवाही की जा चुकी है? सरकार ने यह घोषणा की है कि एक पक्के मकान बनाने के लिए उन्हें 1000 रुपये दिये जायेंगे। यह कितनी हास्यास्पद स्थिति है। एक हजार ईंटों की कीमत 750 रुपये हैं। वे एक हजार

रुपये लेकर क्या करेंगे ? फिर चारे के लिए 30 रुपये दिये जा रहे हैं। प्रभावित लोगों को यह राशि भी नहीं मिलती है जैसाकि मैंने कहा है जो लोग उचित उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं उनकी रक्षा नहीं की जा रही है। उन्हें यातनायें दी जा रही हैं। इन बातों में भी एक संधि है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इसे गम्भीरतापूर्वक लें। अधिकारीगण गावों में धनी व्यक्तियों के पास जाते हैं, वे लूट के माल में भागेदारी करते हैं और गरीब लोगों को कोई धनराशि नहीं दी जाती है। इस प्रकार की स्थिति को तुरन्त ही रोका जाना चाहिए। अन्य बहुत सी बातें भी हैं परन्तु मैं उनका वर्णन नहीं करूंगा।

मैं कुछ दिन पहले प्रधान मंत्री द्वारा सदन में जोधपुर बन्दियों को रिहा करने विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम लागू करने पर रोक, एन० एस० संशोधन अधिनियम निरोधियों को पंजाब का दौरा करने की अनुमति देने इत्यादि की घोषणा करने का स्वागत करते हैं। ये सभी बातें विलम्बित थीं। इससे वहां सदभावना उत्पन्न करने में सहायता मिलेगी परंतु वहां कुछ अन्य कार्यों का किया जाना बाकी है। यद्यपि उन्होंने दिल्ली दंगों के अपराधियों के बारे में कुछ कहा है, परन्तु उन्होंने तहविल से ऐसा नहीं कहा है। मिश्रा आयोग तथा जे०एन० बनर्जी आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ है ? इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है। यदि आप उन रिपोर्टों पर कार्यवाही करते हैं तो इससे निश्चित रूप से पंजाब के लोगों में विश्वास पैदा होगा।

फिर, पंजाब समझौते का क्या हुआ है ? इससे कुछ महत्वपूर्ण बातों का संबंध है ? भू क्षेत्र के हस्तान्तरण इत्यादि के बारे में क्या स्थिति है। आप हमें यह बताइये कि क्या यह समझौता अभी बना हुआ है या समाप्त हो गया है। यह एक साधारण सी बात है। इस संबंध में अब आपका विकल्प क्या है, यह कोई व्यक्ति नहीं जानता। इस बारे में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई थी। उस स्थिति ने शुरू से लेकर अभी तक किसी भी राजनैतिक दल से बातचीत नहीं की है। क्या आप इस बारे में गम्भीर हैं ? क्या सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इसका समाधान करने के कार्य को यह प्राथमिकता दी जा रही है ? प्रधानमंत्री महोदय ने यह कहा है कि लोगों पर पुलिस की ज्यादतियों की देखरेख करने के लिए जिला स्तर और उपखंड स्तर पर जांच समितियां बनाई जायेंगी। यह बहुत अच्छी बात है। परन्तु क्या इन समितियों का गठन किया गया है ? जब पुलिस को वैधानिक तौर पर आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ती है तो यह आवश्यक है कि वे सामान्य लोगों से उचित व्यवहार करने में सावधानी बरतें। उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाये जाने चाहिएं। यह अति महत्वपूर्ण बात है। उन्हें आतंकवादियों के साथ कठोर होना पड़ता है और लोगों का समर्थन लेना पड़ता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और आपको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए।

अन्त में चीन बांध के निर्माण कार्य को पूरा करने के बारे में क्या स्थिति है ? पिछली बार भी मैंने इस मुद्दे का उल्लेख किया था। इसे कब पूरा किया जायेगा ? मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बांध के निर्माण कार्य की देखरेख नहीं कर रहा है। यह अनिश्चय की स्थिति में लटका हुआ है। बाढ़ के दौरान इसके निर्माण पर असर पड़ा था। आपको भी यह जानकर हैरानी होगी कि वहां कार्यरत श्रमिकों ने कहा है कि वे उपकरणों का निर्माण स्थल से किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सहायता करेंगे। स्वयं ऐसा करना चाहते थे परन्तु प्रशासन ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। आप लोगों का समर्थन कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं ? एक अच्छी राजनैतिक स्थिति के अभाव में वहां की अर्थव्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकता। यह बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में

देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने और पंजाब को बचाने के लिए अब वहां उचित राजनैतिक कार्यवाही की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं और मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : सभापति महोदया, मैं पंजाब राज्य के बजट के बारे में अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं। बजट में यह दिखाया गया है कि राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों में सन्तोषजनक वृद्धि हो रही है जैसा कि वर्ष 1988-89 के आकड़ों और वर्ष 1989-90 के प्राक्कलनों से देखा जा सकता है। अन्य राज्यों की तुलना में पंजाब की समस्याएं अलग ही प्रकार की हैं। जैसा कि उल्लेख किया गया था हमें उस समय तक इन्तजार करना चाहिए था जब इस बजट पर उचित मंच अर्थात् पंजाब विधानसभा में चर्चा की जाती। परन्तु अब इस माननीय सदन में इस बजट पर चर्चा करते समय हमें केन्द्रीय सरकार की ओर से पंजाब राज्य को कुछ अधिक सहायता देने के बारे में सोचना चाहिए।

जैसा कि आप जानते हैं पंजाब राज्य हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं अर्थात् कपड़ा और भोजन दे रहा है। जहां तक भोजन का सम्बन्ध है भारी मात्रा में चावल और गेहूं की फसल का उत्पादन पंजाब में किया जाता है। कपड़े के मामले में भी 23 प्रतिशत कपास की खेती पंजाब में होती है। जैसा कि श्री चौधरी उल्लेख कर रहे थे, कताई मिलों की एक समस्या है। फिर वहां श्रम समस्यायें तथा इसी प्रकार की अन्य समस्यायें भी विद्यमान हैं। अतः हमें पंजाब में कुछ सहकारी कताई मिलों को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि किसान कताई मिलों में अपना अधिकतम योगदान दे सकें।

पंजाब और हरियाणा में हरित क्रान्ति अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। अतः हमें इन राज्यों के किसानों को विशेष प्रोत्साहन देने के बारे में सोचना चाहिए ताकि इन दोनों राज्यों में कृषि उत्पादन की विकास दर को कायम रखा जा सके। यह विशेष प्रोत्साहन क्या होना चाहिए। हम राजसहायता अर्थात उर्वरकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष राजसहायता सम्पूर्ण देश के किसानों को दे रहे हैं। इस राजसहायता की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय बजट में से 4000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं। मैं यह सुझाव दूंगा कि हम कार्बनिक उर्वरक, जिसे खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, को खरीदने के लिए कुछ प्रत्यक्ष राजसहायता की व्यवस्था करके पंजाब की सहायता करने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार खेतों की उर्वरकता को बनाये रखा जा सकता है। यूरिया और सल्फेट जैसे अकार्बनिक उर्वरकों की मात्रा को बढ़ाकर किसान एक वर्ष में तीन फसलें पैदा कर सकता है। उसे कार्बनिक पदार्थ मिलाकर सन हम्प और ढांचा जैसी एक हरित खाद फसल उगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। उसके लिए आपको केन्द्रीय बजट और राज्य सरकार के बजट से राजसहायता देनी होगी। इस प्रकार, भूमि के उपजाऊपन का कायम रखा जा सकता है।

चावल उत्पादन के बारे में भी हरित शैवाल और अन्य ऐसे नाइट्रोजन एकत्रित करने वाले पौधों के बारे में खेती की एक नई अवधारणा है। अतः उसके लिए भी राजसहायता की व्यवस्था करनी चाहिए और इसकी स्वस्थ वृद्धि के लिए आवश्यक नीम केक और अन्य कार्बनिक खादों को खरीदने के लिए भी राजसहायता की व्यवस्था करनी चाहिए।

यदि पंजाब और हरियाणा को, जो अत्यधिक खाद्यान्नों का उत्पादन कर रहे हैं, अधिक राजसहायता दी जाती है तो कृषि क्षेत्र को कितना प्रोत्साहन मिलेगा।

सभापति महोदया, पंजाब में पेप्सी कोला परियोजना लगायी जा रही है। इससे अनेक आशायें की जा रही हैं विशेषतः किसान आशा कर रहे हैं कि उनको सब्जी की फसलों के विशेषतः आलू के बढ़े हुए मूल्य मिलेंगे जिनकी इस उद्योग को आवश्यकता होगी। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना को पंजाब में शीघ्रता से चलाया जाए।

छोटे पैमाने के उद्योग को बिजली की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। हम देख रहे हैं कि गोरड़ ताप बिजली संयंत्र के तीसरे चरण को पहले ही स्वीकृति दे दी गयी है परन्तु इसे योजना आयोग की मंजूरी का इन्तजार है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने गोइंदवाल परियोजना को भी मंजूरी दे दी है।

पंजाब सरकार चाहती है कि लुधियाना के निकट गैस पर आधारित बिजली संयंत्र लगाया जाए। हम गैस पर आधारित बिजली संयत्रों के माध्यम से संपूर्ण देश में 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं। इसलिये लुधियाना में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र के लिये पंजाब सरकार की मांग यथार्थ है, और हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए ताकि सभी राज्यों की विशेषता पंजाब जैसे राज्य की बढ़ती हुई बिजली की समस्या को यदि पूर्णतः हल न किया जा सकता तो कम किया जा सके।

मुर्गीपालन आदि के लिये लगभग 100 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान है। चूंकि कृषि का उत्पादन चरम सीमा तक पहुंच गया है इसलिये पंजाब के किसानों को सुअर पालन और मुर्गी पालन आदि के क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिये यह प्रावधान अत्यधिक स्वागत योग्य है।

अन्त में मैं पंजाब राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं। हम जोधपुर बंदियों को रिहा करने के बारे में प्रधानमंत्री के निर्णय का स्वागत करते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। पुलिस बलों के व्यय को कम करने के लिये हमें अधिक से अधिक होमगार्ड की इकाईयों के विकास के बारे में सोचना चाहिए। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में होमगार्डों की संख्या बढ़ायी जानी चाहिये ताकि आतंकवाद की बुराई से निपटने के लिये लोगों में साहस पैदा किया जा सके। इस काम के लिये पंजाब की जनता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री वी. एस. कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदया, पिछली बार पंजाब के बजट की चर्चा के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से आशा व्यक्त की गयी कि इस सभा में पंजाब के बजट की अन्तिम बार चर्चा की जा रही है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नहीं हुआ है।

मैं पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये जोधपुर बंदियों की रिहाई, केवल पंजाब राज्य पर लागू कुछ अभिनियमों की वापसी तथा पंजाब में विदेशियों के प्रवेश की अनुमति जैसे सरकार द्वारा किये गये कुछ प्रयासों का स्वागत करता हूं। इन उपायों से स्थिति सामान्य हुई है और कुछ संकट टला हुआ है। परन्तु सभा का प्रत्येक सदस्य चाहता है कि पंजाब समस्या का कोई राजनैतिक हल निकाला जाना चाहिए। पंजाब की समस्या केवल सत्तारूढ़ दल की ही समस्या नहीं

है। यह राष्ट्रीय समस्या है। सत्तारूढ़ दल की तरह हम भी यह देखना चाहते हैं कि पंजाब की समस्या का हमेशा के लिए हल की जाए। इसलिये, महोदय, हम विगत दो वर्षों से प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि विपक्षी दलों के साथ बातचीत की जाए। इस समस्या के समाधान के लिये उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए था। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिये प्रधान मंत्री ने अभी तक विपक्षी दलों के नेताओं को विश्वास में क्यों नहीं लिया है। यह बड़े आश्चर्य की बात है।

महोदया, सम्पूर्ण राष्ट्र पंजाब की जनता का सम्मान करता है। विकट परिस्थितियों में तथा उस समय जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था पंजाब की जनता ने खाद्यान्नों का उत्पादन विगत की तरह किया। सूखे और बाढ़ के बावजूद भी पंजाब के बहादुर किसान हमारे राष्ट्र को खाद्यान्नों के भंडार में अपना सहयोग देते रहे हैं। हम उनके सहयोग को नहीं भूल सकते और विशेषत: आतंकवादियों के हमलों का सामना करने के लिये हम उनका स्वागत करते हैं। सुरक्षा बल नहीं बल्कि पंजाब की जनता पंजाब राज्य की सुरक्षा कर रही है। यद्यपि आतंकवाद पर कुछ नियंत्रण हुआ है परन्तु यह थोड़ा बहुत अभी भी है। भारत सरकार अपनी बलों से आतंकवाद समाप्त नहीं कर सकी है। इसलिये हम सब यह मांग करते रहे हैं कि राजनैतिक समाधान निकाला जाए। हमें यह देखने का प्रयास करना चाहिए कि पंजाब के जो युवक भटक गये हैं उन्हें जीवन की मुख्य धारा में वापस लाया जाए। मैं अभी एक या दो और मुद्दे उठाना चाहता हूं। समाचारपत्रों में यह पढ़कर मुझे अत्यन्त खुशी हुई कि कुछ सिख नेताओं ने कहा है कि पंजाब में शीघ्र ही लोकप्रिय सरकार बनायी जाए। मेरे विचार से पंजाब की समूची जनता यही चाहती है। वे अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। वे केन्द्र द्वारा शासित सरकार नहीं चाहते। जब आतंकवाद अपनी चरमसीमा पर था तो आपने यह कदम उठाया था। अब भी वैसी ही स्थिति हैं। तथापि आप एक बार फिर वही मौका देना नहीं चाहते हैं। तथापि पंजाब की जनता ऐसा चाहती है। इसलिये मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वह इस पर गंम्भीरता से विचार करे। इससे पहले आपको यह देखना चाहिए कि आपराधिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त नेताओं को छोड़कर सभी दूसरे नेताओं को रिहा कर दिया जाए। हमारी समझ में नहीं आता कि आपने उन्हें बंदी क्यों बनाया हुआ है। यदि उनका विचारण किया जाना है तो आप उनका विचारण शीघ्र कीजिए। आपने विशेष अदालतें बनायी हैं। आप शीघ्र विचारण करके देखें कि अदालतें शीघ्र निर्णय लें। आपने न तो विचारण किया है और न ही प्रकाश सिंह बादल, और तोहड़ा जैसे अन्य नेताओं को रिहा किया है। वे जेल में बन्द हैं। आप कहते हैं कि आपके पास बातचीत करने के लिये नेता नहीं हैं। यदि आपने उन्हें जेल में बंद कर दिया है तो आपके पास नेता कैसे होंगे ? इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए।

महोदया, मैं इस अवसर पर एक या दो सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक खाद्यान्न का सम्बन्ध है, हमें खुशी है कि पंजाब अपनी परम्परा को बनाये हुए है। यह दुर्भाग्य की बात है कि बेरोजगारी के कारण पंजाब के युवक बहुत अधिक दुखी और असंतुष्ट हैं। यह सच है कि प्रत्येक राज्य में बेरोजगारी है परन्तु पंजाब के युवक काफी मजबूत हैं और वे कार्य कर सकते हैं। काम के बिना उन्हें गुमराह किया जा रहा है और आतंकवादी गतिविधियों में लगाया जा रहा है। इसलिये सभा के सभी सदस्य चाहते हैं कि सरकार को पंजाब में भारी संख्या में उद्योग शुरू करने चाहिए। जब कभी इस विषय पर चर्चा होती है तो प्रत्येक वक्ता मुख्यत: इस बात पर बल देता है कि सरकार

को कुछ उद्योग शुरू करने चाहिएं। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि सरकार ने कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री के अलावा छोटे और बड़े पैमाने के उद्योग शुरू करने के लिये कोई योजना नहीं बनायी है। इससे कुछ लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई दूसरा उद्योग नहीं शुरू किया गया है। राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद, उन्होंने विवादास्पद और अवांछनीय पेप्सी कोला परियोजना के अलावा कोई भी उद्योग शुरू नहीं किया है और वह भी अभी शुरू किया जाना है। अतः मैं केन्द्र सरकार से पंजाब राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान किये जाने का अनुरोध करता हूं। पंजाब में प्रत्येक युवक को रोजगार दिया जाना चाहिए। हमें उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो पंजाब में आतंकवाद का प्रश्न ही नहीं होगा। मुझे आशा है मंत्री जी इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेंगे और पंजाब में बहुत से उद्योग शुरू करने के बारे में विशेष प्रावधान करेंगे।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने कृषि में और डेरी फार्मिंग में काफी उन्नति की है। पंजाब में कृषि पर आधारित उद्योगों का विविधिकरण किया जाना चाहिए। अतः मैं इस संबंध में भी सरकार को कुछ करने का अनुरोध करूंगा।

एक बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं वह यह है कि हमें पंजाब के लोगों पर विशेषतया सिखों पर पूरा विश्वास करना चाहिए। हमें पंजाब के लोगों द्वारा विशेषतया सिखों द्वारा देश की स्वतन्त्रता के लिए किये गये बलिदानों को नहीं भूल सकते हैं। कुछ गुमराह युवाओं को छोड़कर बाकी के लोग देश को मजबूत और अखंड बनाये रखना चाहते हैं। वे राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते हैं। वे अलग राज्य बिलकुल नहीं चाहते। हमें इन लोगों पर विश्वास करना चाहिए और इन्हें विश्वास में लेना चाहिए। मुझे आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी। उन्हें सभी विपक्षी नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए। इसे अगले चुनावों तक स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, क्यों कि चुनाव होने वाले हैं ऐसा न कहिए "हम इसके बाद देखेंगे।" लोक सभा में अन्य लोगों के साथ-साथ पंजाब के प्रतिनिधियों को भी होना चाहिए। अतः हमें देखना है पंजाब में जल्दी ही लोकप्रिय सरकार स्थापित हो।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

चौधरी राम प्रकाश (अम्बाला) : सभापति महोदया, इस बजट में पंजाब को जितना रुपया दिया गया है अगर उसका ठीक ढंग से उपयोग हो तो वह बहुत ज्यादा है। इसके लिए मैं प्रधान मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी का शुक्रगुजार हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। हमारे सामने यह सवाल पैदा होता है कि सही ढंग से रुपया इस्तेमाल हो, तो सही ढंग क्या है? पंजाब के अन्दर जो हालात हैं उनमें कमजोर आदमी वहां नहीं रह सकता। अगर रहेंगे तो शेरदिल आदमी रहेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग रहेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पंजाब से हजारों की तादाद में जिसमें हिन्दू भी हैं और सिख भी हैं आतंकवादियों के डर से दूसरे इलाकों में चले गये हैं और वहां पर भी वे दयनीय स्थिति में हैं। आतंकवादियों का निशाना पहले हिन्दू थे। जब पहली स्पीच मेरी यहां हुई थी तो उस समय मैंने कहा था हमारे बहुत सारे लीडर और कार्यकर्ता इस बात के हिमायती थे कि इनके साथ समझौता किया जाये तो हो सकता है कि वे रास्ते पर आ जायें, मैं पंजाब की असेम्बली में सत्रह साल रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं और मैंने कहा था कि इन आतंकवादियों के साथ नर्मी के साथ वर्ताव नहीं किया जाये, बल्कि इनको गोली मार दी जाये, शूट एट साइट। हम

अखबारों में पढ़ते हैं कि आज इतने आतंकवादी पकड़ लिये गये, अगर 100 पकड़ लिये तो उनमें से पांच मर गये तो 95 पकड़ लिये गये, । मुझे आप बतायें कि कल को उनके ऊपर मुकदमा चलेगा तो उसकी गवाही कौन देगा । जो गवाही देगा उसको भी वह नहीं छोड़ेंगे तो उनको शूट एट साइट ही सही है । पंजाब की पुलिस के बारे में मैंने कहा था उस समय कि वह भ्रष्ट है और आतंकवादियों के साथ मिली हुई है । उनकी मेहरबानी से एक एस. आई. के पास इस समय एक करोड़ रुपया है और एक एस. पी. के पास अरबों रुपया है । आप जांच कराकर देख लें, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे अन्दर का पता है । अगर वहां बी. एस. एफ. और सी. आर. पी. नहीं होती तो पंजाब में आज न खेती हो सकती थी न उद्योग चल सकते थे । मेरी अर्ज यह है कि पंजाब को इतना रुपया देने की जरूरत नहीं है । आप पंजाब की पुलिस को वहां से हटाकर दूसरे राज्य की पुलिस वहां लगा दें तो यह आतंकवाद की समस्या नहीं रहेगी । गृह मंत्री बड़े काबिल हैं, लेकिन उनके दिमाग में यह बात नहीं है जो मैं आपके सामने कह रहा हूं । क्योंकि घर की रखवाली करने वाला ही जब चोर हो जाता है तो रखवाली कैसे हो सकती है । पंजाब की पुलिस भ्रष्ट है और यह सरकार की आखों में धूल झोंकती है तो इसका इलाज यही है कि किसी दूसरे राज्य की पुलिस वहां तैनात की जाये और वहां की पुलिस हटा दी जावे । वहां पर बेगुनाह लोगों को मारा जाता है, अब 95 प्रतिशत सिख मरते हैं । हिन्दू थोड़े मरते हैं, क्योंकि आतंकवादियों का न कोई ईमान है और न ही कोई धर्म । उनका उसूल लोगों को मारना है । हमारी सरकार थोड़ी सी नर्मी बरतती है, सरकार नर्मी के साथ नहीं चलती है, सरकार सख्ती के साथ चलती है । अगर सख्ती से काम लिया जाये तो वहां सब ठीक हो सकता है वहां उद्योग भी ठीक तरीके से चल सकते हैं और खेती भी ठीक हो सकती है । वहां के लोग बहादुर हैं इसमें कोई शक नहीं है··· ।

पंजाब और हरियाणा दोनों ने तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन जब कुछ लोग बीच में आ जाते हैं तो वह तरक्की कुछ रूक सी जाती है । आतंकवादी गतिविधियों के कारण पंजाब के लोगों का सब कुछ तबाह हो गया है । आप रोजाना अखबार पढ़ते हैं, पंजाब से एक अखबार "हिन्द समाचार" शाया होता है और उसमें पंजाब में प्रतिदिन मरने वाले लोगों का समाचार फोटो सहित फ्रंट पेज पर छपता, है चाहे वहां 5 लोग मरे जाते हैं, 10 मारे जाते हैं, 20 मारे जाते हैं या 40 मारे जाते हैं, सब का समाचार फोटो सहित छपता है । यदि वहां 40 लोग आतंकवाद के शिकार होते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें 10 हिन्दू होते है और 30 सिख होते हैं, आप जब चाहें उठाकर देख लीजिए । इसलिए आप पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए, उनके साथ किसी तरह की नर्मी नहीं बरती जानी चाहिए ।

मैं अब आपके सामने पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ राजस्थान तीनों प्रान्तों को लाभ पहुंचाने वाली एस. वाई. एल. कैनाल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, जिसको बनते बनते न जाने कितना समय बीत चुका है परन्तु वह अभी तक तैयार नहीं हो पायी है । उसका उद्घाटन हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था और मैं समझता हूं कि जब तक पंजाब में आतंकवाद की समस्या रहेगी, इस कैनाल का काम पूरा नहीं हो पायेगा क्योंकि लोग उसके पूरा होने में अड़ंगे डाल रहे हैं, शायद उन्हें देश का ख्याल नहीं है, उनमें देशभक्ति की भावना नहीं है, लोगों को क्या हो गया है कहा नहीं जा सकता । उस कैनाल पर देश का अरबों रुपया खर्च हो चुका है परन्तु सब कुछ बर्बाद होकर रह गया है, लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है । यदि वह एस. वाई एल. कैनाल जल्दी से जल्दी पूरी हो तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान की कुल प्रोडक्सन का 50

प्रतिशत हिस्सा इस कैनाल के आसपास के क्षेत्र आपको अनाज पैदा कर के दे सकते हैं। फिर हमें बाहर से अनाज मंगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती कहें या क्या कहें कि हमारे लोगों में कैसी भावनाएं पैदा हो गयी हैं कि उन्हें अच्छा काम भी बुरा लगता है। मेरा निवेदन है कि सरकार एस वाई एल कैनाल को जल्दी से जल्दी पूरा कराये जो पंजाब और हरियाणा का सारा माहौल बदल सकने की क्षमता रखती है।

इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए, मैंने जिन चन्द बुनियादी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराया है, कुछ पुलिस के मुताल्लिक कहा है, लोगों के अमनोअमान के बारे में निवेदन किया है और तीसरे एस. वाई. एल. कैनाल के सम्बन्ध में कहा है, यदि आप इन तीनों विषयों पर ध्यान देंगे तो पंजाब के लोगों को काफी राहत महसूस होगी और उनकी समस्याएं काफी हद तक औटोमैटिकली हल हो जायेंगी।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति महोदया, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा उपस्थापित पंजाब बजट का मैं समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि आतंकवाद की तमाम मुसीबतों को झेलते हुए और अनेक विपत्तियों के बावजूद, पंजाब में जितनी भयंकर घटनाएं और दुर्घटनाएं हो रही हैं, पंजाब की प्रगति रुक नहीं पायी है और पंजाब निरंतर प्रगति के मार्ग पर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 1988-89 में राजस्व की वृद्धि का अनुमान 1980.86 करोड़ रुपये लगाया गया है, जो संशोधित अनुमान की तुलना में 266.84 करोड़ रुपये होते हैं। राज्य के टैक्स और नॉन-टैक्स मद में 1988-89 के लिए जो आंकड़े यहां दिये गये हैं, उसमें भी 257.78 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक मुसीबतों के बावजूद पंजाब के लोगों में अपनी मिट्टी के प्रति प्रेम और उसके प्रति जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं आयी है।

3.33 म०प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इस बार फिर पंजाब के बजट पर यहां पार्लियामेंट में बहस की जा रही है। हम लोगों की हमेशा यही आकांक्षा रहती है और कितना अच्छा होता यदि पंजाब के बजट पर पंजाब की विधान सभा में बहस की जाती और वहां के लोग ही इस पर निर्णय लेते। लेकिन शायद पंजाब के लोगों का दुर्भाग्य है, बल्कि सम्पूर्ण देश का दुर्भाग्य हो कहा जाएगा कि वहां आतंकवाद आज भी किसी न किसी रूप में बरकरार है, जिसकी शुरुआत काफी समय पहले हुई थी। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों की अपेक्षा पंजाब के लोगों में कोई धार्मिक संकीर्णता नहीं है, रिलीजस प्रेजूडिसेज दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहां पर धर्म के नाम पर जो आतंकवाद पनपा है, इसने सारे हिन्दुस्तान के लोगों को ही शंकित नहीं किया है बल्कि इससे सारी दुनिया के लोगों को आश्चर्य हुआ है। धर्म के आधार पर, धार्मिक तूफान के चलते यह आतंकवाद नहीं पनपा बल्कि यह पूरी तरह फासिस्टवाद का हमला देश पर हुआ। पंजाब के लोगों पर आतंक की शुरूआत कर के सम्पूर्ण देश को दंडित करने की यह प्रक्रिया, पूंजीवादी ताकतों और प्रतिक्रियावादी शक्तियों की देश के अन्दर और बाहर उनकी कारस्तानी है जिसकी वजह से न केवल पंजाब इस कष्ट को झेल रहा है बल्कि सम्पूर्ण भारत इस कष्ट को झेल रहा है। अगर लोकप्रिय सरकार वहां पर आ जाए तो हम लोगों के लिए इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? लेकिन आज कांग्रेस की सरकार प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के कयादत में, उनके नेतृत्व में यह उपलब्धियां सम्पूर्ण विश्व देख रहा है कि

पंजाब में खालिस्तान बनाने का जो षडयन्त्र और जो आतंकवाद का सिलसिला फासिस्टवादी प्रक्रिया के मुताबिक उभरा उसके खिलाफ सम्पूर्ण देश में और देश के बाहर जनमत पैदा हो रहा है। जिन देशों से आतंकवाद को सलाह मिल रही थी, उकसावट और इमदाद मिल रही थी, जिन देशों के दिल में घुसकर आतंकवाद हंगामा मचा रहा था आज वहां से भी उसके रिश्ते, सम्बन्ध छूट रहे हैं। पाकिस्तान में भी जो फिजा तैयार हो रही है, अब आतंकवाद को वहां से भी बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। ब्रिटेन और दूसरे प्रान्तों में जहां इसको संरक्षण मिल रहा था वहां भी अब विरोध का वातावरण है, सारे भारतवर्ष में विरोध का वातावरण है, पंजाब में विरोध का वातावरण है। इसलिए जो फासिस्टवादी शक्तियां खालिस्तानी शासक के रूप में उभर रही थीं वह भी अब अन्तिम दौर में जा रही है और अंतिम सांस की घड़ियां गिन रही हैं। अगर पंजाब के लोग हिम्मत दिखाएं और देश के लोग धैर्य रखें तो यह जल्दी दम तोड़ जाएंगी इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि यह सचाई नहीं है, असत्य कभी ठीक नहीं हो सकता।

पंजाब हमेशा से कृषि प्रधान प्रान्त रहा है। पंजाब और हरियाणा सम्पूर्ण देश के लिए अनाज के भंडार रहे हैं। पंजाब आज भी उसी परम्परा को कायम रखे हुए हैं। पंजाब मूल रूप से लघु उद्योगों का प्रदेश रहा है जहां पर सम्पूर्ण राज्य के लोगों का इन्वाल्वमैंट हो रहा है। बड़ी इंडस्ट्री वहां पर नहीं हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की दरियादिली से और प्रयास से जो इंटैग्रल कोच फैक्टरी वहां पर लगाई गई है, मुझे खुशी है कि निर्धारित समय के अन्दर ही तेजी से उसने उत्पादन शुरू कर दिया है और इसमें पंजाब के लोगों ने काफी बहादुरी दिखाई है और प्रगति के मार्ग में जो भी राष्ट्र हैं वहां की सरकार केन्द्र की सरकार के नेतृत्व में काफी आगे बढ़ी है और बहुत सारी बातें सही रूप में वहां पर हुई हैं।

मैं बहुत समय न लेकर यह कहना चाहूंगा कि माननीया सदस्य श्रीमती भिंडर ने रोड के बारे में जो कहा है कि बाढ़ की वजह से वह क्षतिग्रस्त हो गई है, उसके सुधार के लिए अगर बेसी राशि सरकार देती है तो वह देनी चाहिए। पंजाब का एक ऐसा मसला है जिस पर पंजाब की सरकार को तो ध्यान देना ही चाहिए, बल्कि केन्द्रीय सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। पंजाब के विकास में न केवल पंजाब के लोगों की बल्कि प्रवासी मजदूरों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। माइग्रेन्ट लेबर की भूमिका को भी नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। जो प्रवासी मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों, उड़ीसा व मध्य प्रदेश से वहां पर आए हैं, उन्होंने वहां पर अपना खून दिया है और पंजाब को सींचने की कोशिश की है। उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर वहां काम किया है आज भी वह प्रवासी मजदूर पंजाब के हर खेत और खलिहान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन उन प्रवासी मजदूरों का हश्र क्या है ? उनकी किस्मत और बदकिस्मती का अन्दाजा लगाने के लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को इस बात को ताकीद करे, निर्देश दे कि जो प्रवासी मजदूर वहां जा रहे हैं उनको जो न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है, जब प्रवासी मजदूर काम करके घर लौटना चाहते हैं तो उनके पैसे काट लिये जाते हैं जिससे कि वह दुबारा यहां न आयें। जब प्रवासी मजदूर भूख और पेट की पीड़ा से पंजाब में काम करने जाते हैं तो छीना-झपटी होती है। कोई इधर भागता है तो कोई उधर भागता है। जो मेहनत करते हैं और अपने खून पसीने से खेत-खलिहानों को सींचते हैं उनकी ऐसी हालत देखकर हमें बहुत दुख होता है। इतना ही नहीं उनके रहने तक की ठीक व्यवस्था नहीं है। वह एक फटिहाल स्थिति में है। मेरा आपसे यह कहना है कि आप प्रवासी मजदूरों की एक सूची बनाये। पंजाब में डिप्टी लेबर कमिश्नर रैंक

का एक अधिकारी हो जो कि हर जिले में जाकर प्रवासी मजदूरों की सूची तैयार करे और उनके कल्याण के लिए एक कल्याण निधि की व्यवस्था करे, उनके दवादारू की व्यवस्था करे और फिर उनके आने-जाने के खर्च को वहन करे। प्रवासी मजदूर जो कि राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक हैं और जो कि पंजाब, हरियाणा, असम और वैस्ट बंगाल आदि जगहों में जाते हैं व जो कि भारत की एक धरती से दूसरी धरती में विवरण करने वाले मजदूर हैं, जो अपने पसीने और खून की कोई कीमत न समझकर जन्मी जन्म भूमि की मिट्टी को अपना मान कर योगदान कर रहे हैं, उनके लिए अवश्य ही आप कोई न कोई व्यवस्था करें।

मैं मैफुद्दीन चाधरी की इस बात से सहमत हूं कि वहां मजदूर आंदोलनों पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिये। समाजवादी कार्यक्रमों के लिए अगली कतार में लड़ने वाले जो सैनिक हैं उनको संरक्षण अवश्य मिलना चाहिए। उनका जो आज दोहन हो रहा है और गुंडागर्दी के चलते मैनेजमेंट उनको दबाने की जो कोशिश कर रही है उनके लिए पंजाब सरकार की ओर से उन्हें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री राम नारायण सिंह (भिवानी) : चेयरमैन सर, यह बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अबकी बार फिर पंजाब बजट पर यहां डिसकसशन हो रहा है। जब पिछली दफा बजट आया था तो दोनों पक्षों ने यह उम्मीद जाहिर की थी कि अबकी बार यह बजट आखिरी तौर पर यहां आयेगा। लोग यह उम्मीद करते है कि बहुत शीघ्र पंजाब के अन्दर पापुलर गवर्नमेंट आ जायेगी और वह अपना काम करना शुरू कर देगी। लेकिन बदकिस्मती है कि अभी तक वह पापुलर गवर्नमेंट वहां आ नहीं सकी है। अगर वहां कोई पापुलर गवर्नमेंट होती तो वह अवश्य टैरारिज्म का ख्याल करती। हम यह देख रहे हैं कि बरनाला साहब के जमाने में जितने आदमी वहां मारे जा रहे थे उनसे कहीं ज्यादा रोजाना वहां मारे जा रहे हैं। गवर्नमेंट की सबसे पहली ड्यूटी यह होनी चाहिये कि वह लोगों के जान और माल की हिफाजत करे। केन्द्र सरकार जिसने कि वहां प्रेजीडेंट रूल लगा दिया है, वह लोगों की जान-माल की कोई हिफाजत नहीं कर पा रही है। भेड़ बकरियों की तरह लोग वहां मारे जा रहे हैं। अगर केन्द्र सरकार पंजाब समस्या का कोई हल ढूंढना चाहती तो वह कब का ढूंढ लेती। ऐसा लगता है कि वह पंजाब समस्या का कोई हल ढूढ़ना ही नहीं चाहती है।

1987 में हरियाणा में इलेक्शन थे। उसका फायदा उठाने के लिए वहां की मौजूदा गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को फायदा होने की बजाय नुकसान ही हुआ। हरियाणा और पंजाब के अन्दर किसानों और मजदूरों की हालत इस कारण ठीक है कि वहां के लोग मेहनती हैं। वहां के लोग खुद ही अपनी हालत सुधार रहे हैं। गवर्नमेंट उनकी कोई मदद नहीं कर रही है।

पंजाब में जो थीन डैम है वह अभी तक पूरा नहीं बन पाया है। गवर्नमेंट को चाहिये वह उसे जल्दी पूरा करे ताकि पंजाब के साथ-साथ हरियाणा और राजस्थान को भी पानी मिल सके। लेकिन वह पीछे पड़े हुए हैं। इस बार फ्लड आया और नुकसान हो गया। इसी तरह से एस.वाई.एल. कैनाल की श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नींव रखी थी और एलान किया था कि एक साल में यह कैनाल पूरी हो जायेगी लेकिन उसको 4-5 साल हो गये लेकिन अब तक एस.वाई.एल. कैनाल बनने को नहीं आती। हरियाणा के किसानों को इस कैनाल के न बनने से सौ करोड़ रुपये का नुकसान हर

साल हो रहा है लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती । इस दफा इलैक्शन से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने करनाल के अन्दर तेल के कारखाने की नींव रखी और यह एलान किया कि एक साल के अन्दर यह कारखाना बन जायेगा लेकिन उस कारखाने की कोई सुधि नहीं, कुछ नहीं किया जा रहा । मेरे ख्याल में जितने भी अपोजीशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उनके साथ बेइंसाफी की जा रही है, यह बहुत बड़े अन्याय की बात है ।

पंजाब के अन्दर भी आप किसानों और मजदूरों का मामला तय कर लेते तो टैरेरिज्म और आतंकवाद नहीं होता । वहां पढे लिखे लोग हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती तो क्या करें, लूट पाट करते हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई करते हैं । अगर आप वहां इण्डस्ट्रीज लगाते वहां विलेज इण्डस्ट्रीज होतीं तो लोगों को नौकरी मिल जाती तो लोग नौकरी करते । पंजाब इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कई प्रोजेक्टस मंजूरी के लिए भेज रखे हैं उनको गवर्नमेंट मंजूर नहीं करती । किसानों के लिए बिजली और पानी का होना निहायत जरूरी है । अब पोंग डैम के अन्दर बडा भारी पावर हाउस जलकर खाक हो गया, इससे पंजाब और हरियाणा को भारी नुकसान हुआ है लेकिन गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, अब उसके अन्दर हजारों करोड़ों रुपये लगेंगे तब वह ठीक होगा, किसानों का इससे नुकसान हो गया । पंजाब के अन्दर अगर मजदूरों और किसानों की मदद नहीं होगी तो आतंकवाद वहां रहेगा और यह पेचीदा सवाल बढ़ता ही जा रहा है और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की कोई इण्टेंशन इसको ठीक करने की नहीं है । मैं तो कहूंगा कि इन मसलों को ठीक करना चाहिए । किसान और मजदूर गांवों में रहते हैं । हिन्दुस्तान के अन्दर जितनी भी तमाम चीजें हैं, एक दफा उनकी कीमत बढ़ गई तो नीचे नहीं आती, चाहे आप कपड़ा लें, चाहे लोहा लें, चाहे सीमेण्ट लें किसी चीज की कीमत एक दफा बढ़ने बाद नीचे नहीं आती लेकिन किसान बदकिस्मत है । इनकी गेहूं की फसल होती है तो 173 रुपये का भाव होता है और जब उनके पास से गेहूं आ जाता है तो 300 रुपये क्विंटल का भाव हो जाता है । हिन्दुस्तान के अन्दर चने का भाव 800-900 रुपये क्विंटल हो गया था लेकिन अब चूंकि फसल आने वाली है तो 500 रुपए क्विंटल है । इसी तरह से ग्वार जानवर खाते हैं, इसका भाव 1100 रुपए क्विंटल हो गया था लेकिन अब की फसल अच्छी हुई तो 300 रुपए क्विंटल हो गया लेकिन गवर्नमेंट कोई परवाह नहीं करती । यह किसानों के साथ हमेशा होता है । दूसरी तरफ कांग्रेस के अनरेबल मैम्बर्ज हैं, वह भी किसानों की बहुत बात करते हैं, अगर अपोजीशन की बात न रखते हुए उनकी बात मानी जाय तो भी किसानों का बहुत फायदा हो सकता है लेकिन कांग्रेस के एम.पी. साहेबान की बात भी नहीं सुनी जाती, अपोजीशन की बात मानने का तो सवाल ही कहां । आज किसानों और मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और इनको कोई कीमत नहीं मिल रही । इसी तरह आप देखिए, दीए तले अंधेरा है, दिल्ली के अन्दर सैन्ट्रल गवर्नमेंट है । दिल्ली के 360 गांव होते थे उनकी जमीनें 15 रुपए गज में ली जा रही हैं और करोड़ों रुपये डी. डी. ए. खा रही है और यहां भाव 2000 रुपये गज से कहीं कम नहीं है तो किसानों के साथ सब जगह बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, फिर भी आप यह सोचते हैं कि हम किसानों और मजदूरों के लिए यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, अब इलैक्शन आयेंगे तब आपको पता लगेगा कि किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं । पंजाब का अहम मसला है, पेचीदा मसला है, आप जब तक किसानों और मजदूरों के साथ अन्याय बन्द नहीं करेंगे तब तक आपके साथ लोग नहीं होंगे । 80 परसेण्ट लोग देहात में बसते हैं लेकिन उनको न आप पानी देते हैं, न बिजली देते हैं, वह लोग अपनी तरफ से काम करते हैं । गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह थीन डैम बनाए, एस.वाई.एल. कैनाल बनाये, करनाल में तेल का कारखाना लगाये और राजस्थान कैनाल 20 साल से चल रही है, पूरी नहीं हुई, पंजाब और हरियाणा

के अन्दर 30 रुपये मजदूरी मिलती है लेकिन ईस्टर्न यू.पी., उड़ीसा, बिहार, गुजरात और राजस्थान में 10 रुपए रोजाना मजदूरी मिलती है तो उनके पेट में भूख कम लगती है या, सिर्फ इसलिए कि वहां पैसा गवर्नमेंट के लाग रहे हैं और मजदूरों की परवाह नहीं करते। वह पंजाब और हरियाणा के अन्दर अच्छी मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं इसलिए सबकी हालत ठीक है···इसलिए आप अगर किसान और मजदूरों की हालत ठीक नहीं करेंगे, उनके साथ अच्छा सुलूक नहीं करेंगे तो ये मसले ठीक नहीं होंगे। आपने फर्माया था कि पंजाब का मसला नेशनल प्राब्लम बन गया है इसलिए सभी दलों के लीडरों को बुलाकर इस मसले पर गौर किया जायेगा और इसका हल निकाला जाएगा लेकिन आज तक न तो कोई मीटिंग इस बारे में बुलाई गई और न कोई जरूरी बातें की गई तो फिर मसला हल कैसे हो सकता है ?

इस अल्फाज के साथ मैं चेयरमैन साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बोलने का टाइम दिया।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : सभापति महोदय, पंजाब के बजट के संबंध में समर्थन करने के लिए मैं अपने विचार यहां पर प्रकट कर रहा हूं। लेकिन साथ ही यहां संसद में सभी पक्षों और सभी विचारों के लोगों को उपस्थित देखकर मैं कुछ विस्तृत रूप में अपने विचार रखना चाहता हूं। थोड़ा सा परे हटकर भी मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा आज पंजाब की जो समस्या हमारे सामने है, आज वहां की जो स्थिति है उसे हमें गम्भीरता से लेना होगा। हम सभी जानते हैं कि साम्राज्यवाद के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी हैं और आज यदि साम्राज्यवाद की चुनौती इस आधार पर हमारे सामने आ रही है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। हम इसमें अभी भी सफल रहे हैं और आगे भी सफल रहेंगे लेकिन मैं एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूं कि हमने जहां अपने को कमजोर पाया है, जहां पर हम सफल नहीं हुए हैं वहां पर साम्प्रदायिकता ही रही है जिसने हमारे देश के टुकड़े किए। यदि आप गहराई के साथ पंजाब की समस्या को देखना चाहेंगे तो इसके अन्दर भी आपको साम्प्रदायिकता दिखाई देगी। इस साम्प्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हम सब एक हों। यदि एक साथ मिलकर सही मायने में हम इस समस्या को हल करना चाहेंगे तो कुछ ही क्षणों में हम इस समस्या को हल कर सकेंगे। लेकिन हम उस रूप में इस समस्या को नहीं ले रहे हैं, हम उसके उपायों को ढूंढ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हम सब एक साथ मिलकर इसके बारे में सोच सकते हैं। एक खतरा जिसकी तरफ हमने देखा है उसका मुकाबला करने के लिए जिनके पास समझ थी जो धर्म का सही ज्ञान रखते थे-संत लोंगोवाल जी-उन्हें हमने खो दिया। उन्हें केवल अकाली दल ने नहीं खोया पूरे राष्ट्र ने उन्हें खोया है। उनके नेतृत्व में पंजाब की एक रूपता सामने आ रही थी। दूसरे हमने श्रीमती इन्दिरा गांधी को खोया जो राष्ट्र को एक करने के लिए आगे बढ़ीं थीं। इन घटनाओं के पीछे कौन था ? वही साम्प्रदायिकता रूपी नाग था जिसने उनको डसा। फिर भी मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग श्रीमती इन्दिरा गांधी हत्यारों की तरफ हमदर्दी जताते हैं, संत लोंगोवाल के हत्यारों से हमदर्दी दिखाते हैं। इसलिए कि हमारे और आपके विचारों के अन्दर राजनीतिक भिन्नता है। छोड़िए इस राजनीतिक भिन्नता को, यदि देश की रक्षा का सवाल हमारे सामने है तो हम मिलकर एक साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकते है ? अगर हम राष्ट्रीय हैं, चाहे किसी भी दल में हैं, यदि हम संसद में बैठ सकते हैं ? और हम हर कोई राष्ट्रीय हैं तो मैदान में एक साथ क्यों नहीं जा सकते हैं ? यदि हम एक साथ यहां बैठ सकते हैं तो एक साथ मैदान में भी रह सकते हैं और इस प्रकार से एक साथ मिलकर हम जो भी कदम उठाएंगे उससे पंजाब की समस्या का हल

निकलेगा। इस उद्देश्य के लिए हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। पिछले समय में भी हमारा एलान था और आज भी एलान है कि हम एक साथ मिलकर इस समस्या को हल करने के लिए आगे बढ़ें।

दूसरी बात यह है कि चाहे आर्थिक पहलू हो, सामाजिक पहलू हो या राजनीतिक पहलू है, ये सब उसके उपाय है। अगर मूल मुद्दे के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो उपाय हैं वे भी कारगर उपाय होकर हमारे सामने आयेंगे। आर्थिक दृष्टि से अगर हम सोचें—सांस्कृतिक रूप से तो पंजाब आगे है ही—तो हम पंजाब को आर्थिक रूप में देश के कौने कौने में ले जाना चाहते हैं लेकिन आज वही पंजाब उजड़ रहा है। इस उजड़े हुए पंजाब को यदि फिर से बसाना है तो एक बात मैंने सांस्कृतिक और धार्मिक रूप में रखी और एक साथ साम्प्रदायिकता के खिलाफ मोर्चा लेने की बात मैंने सामने रखी। आज यदि वहां पर सबसे ज्यादा किसी की स्थिति खराब हो रही है तो वह खेत मजदूर हैं क्योंकि देश के कौने कौने से वहां पर गए हैं। वहां पर इण्डस्ट्रियलिस्ट्स लूट रहे हैं और खेती उजड़ रही है तो वहां के मजदूरों का क्या होगा? इसलिए आप खेती के आधार पर, कृषि के आधार पर उद्योग वहां पर लगाएं। जब आप कोई उद्योग देश के किसी कौने में लगाते हैं तो उस समय यह नहीं देखते कि विज्ञान के युग में विज्ञान के जो नये नये आयाम आ रहें हैं और उपकरण बनते जा रहें हैं, वे किस तरह से मनुष्य की शक्ति को कमजोर करने लगते हैं। जो इंडस्ट्री मनुष्य की शक्ति को कमजोर करती है, उस उद्योग को आप छोड़ दीजिए ताकि वह मनुष्य पर हावी न हो सके। आप पंजाब के अन्दर कृषि पर आधारित उद्योग लगाइए और वहां के लोगों के हर हाथ को काम दीजिए ताकि वे देश का निर्माण कर सकें। जब हर हाथ को काम मिलेगा, तो वहां का जो मानस है, उस मानस मे परिवर्तन आएगा। उद्योग जो आप वहां पर लगाएं, तो यह देखिये कि उस से वहां पर उत्पादन बढ़े और उसी तरह से कृषि के आधार पर आप उद्योग लगाइए। एक बात याद रखिये। भूमि सुधार का कानून पंजाब में अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ। मैं पंजाब के 12,800 गांवों में घूमा हूं। वहां पर हजार, हजार एकड़ के फार्म बने हुए हैं और भूमि सुधार कानून पंजाब में लागू नहीं हो रहा है। वहां पर जो हरिजन, आदिवासी हैं, उनके पास एक इंच जमीन भी जोतने के लिए नहीं है। अगर शासन भूमि सुधार कानून वहां पर लागू कर देता है, तो हरिजनों के हाथों में वह जमीन आ जाएगी और फिर वे आतंकवाद का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकेंगे। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आप कमजोर वर्गों को ऊपर उठाइए। जब वे ऊपर उठेंगे, तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। जो बड़े बड़े सामंतवादी हैं, वे ही आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। अगर वे मात खाते हैं, तो आतंकवाद वहां समाप्त हो जाएगा। 12,800 गांवों में एक भी गांव आप को ऐसा न ही मिलेगा, जहां पर साम्प्रदायिकता हो। वहां पर सिखों और हिन्दुओं में कोई झगड़ा नहीं है और वे मिल कर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

3.57 म. प.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पंजाब की जनता उनके खिलाफ संघर्ष कर रही है और सारे देश की जनता उनके साथ है। हम और आप भी उनके साथ मिलकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं। यही मुझे निवेदन करना है।

[अनुवाद]

श्री चरण सिंह बालिया (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, हम लोक सभा में फिर पंजाब बजट पर चर्चा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मुझे हैरानी है हम पंजाब बजट पर लोकसभा में

कितनी बार और चर्चा करेंगे। मुझे कहना चाहिए कि यह पंजाब को आर्थिक रूप से छिन्न भिन्न करने का प्रयास है। अगर आप पंजाब में जो कुछ पहले हुआ है उस पर ध्यान दें तो आप जान जाओगे कि पंजाब समस्या कहां से शुरू हुई और सरकार इस समस्या को सुलझाने के लिए गम्भीर क्यों नहीं है। इस समस्या को आधे-अधूरे मन के नहीं सुलझाया जा सकता। इस समस्या को अब राष्ट्रीय समस्या माना गया है। यह अब एक राष्ट्रीय समस्या है और इस समस्या को केवल ठोस राजनीतिक उपायों से सुलझाया जा सकता है और वह उपाय केवल तभी किये जा सकते हैं अगर सरकार की इस समस्या को सुलझाने की इच्छा हो। मूलत: यह समस्या केन्द्र या सत्ताधारी पार्टी द्वारा शुरू की गई थी और इस समस्या से राज्य से प्राप्त आय और सारा राजस्व पुलिस और सुरक्षा सेनाओं पर खर्च किया जा रहा है। इसीलिए, राज्य का विकास बहुत अधिक प्रभावित हुआ है।

4-00 म. प.

प्रशासन में पुलिस और सुरक्षा सेनाओं के सभी स्तर में अत्यधिक भ्रष्टाचार है। हमें गर्व है और हम हमेशा कहते हैं कि पंजाब में कोई साम्प्रदायिक समस्या नहीं है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां इस समय भी कोई साम्प्रदायिक तनाव नहीं है जबकि देश के सभी भागों में दंगे और साम्प्रदायिक झगड़े हम देख सकते हैं। लेकिन पंजाब में.....।

अध्यक्ष महोदय : इसे हम बाद में लेंगे।

श्री चरणजीत सिंह चानिया : महोदय, मैं बाद में अपना भाषण जारी रखूंगा।

4-01 म. प.

ठक्कर आयोग का प्रतिवेदन सभापटल पर रखे जाने के सम्बंध में दिनांक 23 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या का.आ. 223 (ङ) के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

गृह मंत्री (सरदार बूटासिंह) : महोदय, मैं निम्न संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की 23 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या का. आ. 223 (अ), जिसके द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की 15 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या का.आ. 260 (अ) विखण्डित की गई है, का अनुमोदन करती है।"

महोदय, भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या 31 अक्तूबर, 1984 को की गई थी। 20 नवम्बर, 1984 को सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। न्यायमूर्ति एम.पी. ठक्कर भारत के उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश से एक आयोग गठित किया गया।

आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट 19 नवम्बर, 1985 को प्रस्तुत की थी। अन्तिम रिपोर्ट, परिशिष्टों समेत आयोग ने 27 फरवरी, 1986 को प्रस्तुत की थी।

अपनी अन्तिम रिपोर्ट में, आयोग ने सिफारिश की कि व्यापक लोक हित में प्रतिवेदन को प्रकाशित न किया जाये। रिपोर्ट जब सभा के सभापटल पर रखी जायेगी, तब यह स्पष्ट हो जाएगा कि आयोग ने कुछ मामलों की किसी उपयुक्त एजेन्सी द्वारा आगे जांच किये जाने की सिफारिश भी की थी प्रतिवेदन को प्रकाशित न करने की अपनी सिफारिश के समर्थन में आयोग ने कहा कि इसके प्रकाशन से मामले की आगे जांच अवरुद्ध हो सकती है और कतिपय लोगों को परेशानी हो सकती है। इस सम्बन्ध में आयोग ने अपने प्रयास को अन्वेषणात्मक कार्यवाही माना और कहा कि कार्यवाही के दौरान जो जानकारी प्राप्त की गई आयोग द्वारा की गई जांच के आधार पर नहीं थी जैसा कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 8 (ख) अथवा जांच आयोग (केन्द्रीय) नियम 1972 के नियम 5 के अन्तर्गत अपेक्षित थी।

सरकार ने आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया। तदानुसार 14 मई, 1986 को अध्यादेश संख्या 1986 के 6 द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया। इस अध्यादेश के अनुसरण में इस अधिनियम, अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित धारा 3, उपधारा 5 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए 15 मई, 1986 को एक अधिसूचना जारी की गई।

माननीय सदस्य जानते हैं अध्यादेश संख्या 6,1986 जांच आयोग (संशोधन) अधिनियम 1986 के स्थान पर लाया गया था जिसे 20 अगस्त 1986 को राष्ट्रपति ने सहमति दी।

स्वर्गीय प्रधानमंत्री की हत्या के अपराध की जांच करने के लिए 15 नवम्बर, 1984 को एक विशेष जांच दल बनाया गया था। दल का नेतृत्व पुलिस के महानिदेशक रैंक का अधिकारी और बहुत से वरिष्ठ अधिकारी कर रहे थे। विशेष जांच दल ने अपराध की जांच की। स्वर्गीय प्रधानमंत्री के हत्यारों और अन्य दोषी व्यक्ति जो इस अपराध से जुड़े थे, पर मुकदमे चलाये गये। विशेष जांच दल ने इस प्रश्न की भी जांच की थी कि क्या स्वर्गीय प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए कोई बड़ा षड़यन्त्र रचा गया था। इस प्रश्न की जांच चार वर्षों से अधिक समय तक की गई थी सदन को यह जानकारी देना मेरा कर्तव्य है कि विशेष जांच दल ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसने स्वर्गीय प्रधानमंत्री की हत्या करने के षड़यंत्र को सुलझा लिया है। उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी जिनके संबंध में विशेष जांच दल ने यह जानकारी दी है कि इनका षड़यंत्र में हाथ था।

चूंकि विशेष जांच दल ने उसे सौंपे गये काम को पूरा कर लिया है इसलिये आयोग के अंतरिम तथा अन्तिम प्रतिवेदन को जारी करने में अब कोई बाधा नहीं है। इन्हीं परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने 17 मार्च, 1989 को लोक सभा में घोषणा की थी कि अंतराल के पश्चात 27 मार्च, 1989 को सभा के पुनः समवेत होने के तुरन्त पश्चात प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने के लिए उपाय किए जाएंगे।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : रिकार्ड या प्रतिवेदन ?

अध्यक्ष महोदय : प्रतिवेदन।

सरदार बूटा सिंह : सरकार को सलाह दी गई है कि प्रतिवेदनों को सभापटल पर रखने के लिए दिनांक 15 मई, 1986 की अधिसूचना को रद्द करना आवश्यक होगा। सरकार को यह सलाह भी दी गई है, कि पहली अधिसूचना को रद्द करने वाली अधिसूचना को लोक सभा के संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अतः सरकार ने 23 मार्च, 1989 को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना दी है जिसके द्वारा दिनांक 15 मई 1986 की अधिसूचना को

रद्द कर दिया गया है। कुछ मिनट पूर्व मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया था जिसके द्वारा मैंने दिनांक 23 मार्च, 1989 की अधिसूचना के लिए सभा की स्वीकृति की मांग की है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं पिछले 10 दिनों में हुई घटनाओं के संबंध में सदन के साथ साथ अपना दुःख तथा पश्चाताप व्यक्त करना चाहता हूं। 1986 में सभापटल पर प्रतिवेदनों को न रखने का निर्णय लेकर सरकार ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा था। सरकार की कार्यवाही का समर्थन भी संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा किया गया था। 1986 में वाद-विवाद के दौरान जोश में जो कुछ भी कहा गया होगा, कुल मिलाकर राष्ट्र ने सरकार के उस निर्णय को स्वीकार किया जिसे 1986 में संसद ने अनुमोदित किया था। तीन वर्ष की अवधि तक कोई आलोचना या मतभेद नहीं था। (व्यवधान)।

तीन वर्ष की इस अवधि के दौरान विशेष जांच दल ने शान्तिपूर्वक, कुशलता, कर्मिष्ठता और सम्पूर्णता से किया अपना कर्तव्य विशेष जांच दल के प्रयासों से आक्रमणकारियों तथा अपराध से सीधे तौर पर सम्बद्ध व्यक्तियों के अभियोजन तथा दोषसिद्धि में सहायता मिली। विशेष जांच दल द्वारा व्यापक षड़यन्त्र की पूछताछ से अन्य षड़यन्त्रकारियों का भी पता लगा है। जनवरी 1989 में विशेष जांच दल ने अपनी पूछताछ पूरी कर ली थी और वह व्यापक षड़यन्त्र में फंसे व्यक्तियों पर कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाने की तैयारी में था। एक बार यदि विशेष जांच दल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 का पालन किया होता तो सरकार द्वारा सामान्य तौर पर प्रतिवेदन सभा के समक्ष रखे गये होते। फिर भी इस चरण पर, और संभवतः इस प्रत्याशा से कि विशेष जांच दल ने अपना काम पूरा कर लिया था, आयोग की अन्तिम रिपोर्ट का एक अध्याय एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ जिससे एक अत्यन्त अनावश्यक तथा दुखद विवाद आरंभ हुआ। अफवाहों तथा अव्यवहारिक चर्चा को रोकने के लिए सरकार ने आयोग की रिपोर्टों को सभापटल पर रखने का निश्चय किया- इस निर्णय के बावजूद प्रचार माध्यमों का एक वर्ग तथा कुछ राजनीतिक नेता निराधार कल्पना, चापलूसी और व्यंग्य में भाग लेते रहे। पिछले 10 दिन में, इन्होंने सरकार के साथ उद्देश्य जोड दिये और सरकार की संस्थाओं और सरकार में उच्च पदों पर तैनात व्यक्तियों को बदनाम करना चाहा। जब प्रतिवेदन सदन के समक्ष रखे जाएंगे और जब विवेकपूर्ण पुरुष तथा महिलाएं इन प्रतिवेदनों को पढ़ेंगी तो सच्चाई का पता चलेगा और कुछ लोगों द्वारा आरंभ किया हुआ भ्रष्टता अभियान स्पष्ट हो जाएगा।

भारत देश ने विगत में अनेक संकटों का मुकाबला किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह देश इस संकट का भी मुकाबला करेगा। वास्तव में जो हंगामा उठाते हैं। वे कल्पना में खोये रहते हैं न तो वे भारत की जनता की सेवा करते हैं और न ही उनके मन में व्यापक लोक हित के प्रति कोई रुचि होती है।

इन शब्दों के साथ मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं और सदन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि यह सभा, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसरण में, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की 23 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या का. आ. 223 (अ), जिसके द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय की 15 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या का.आ. 260 (अ) विखण्डित की गई है, का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.10 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र—जारी

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के संबंध में ठक्कर जांच आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन और अन्तिम प्रतिवेदन, प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन और दस्तावेजों के हिन्दी संस्करण को साथ साथ सभापटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला विवरण

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(क) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :

(एक) स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के संबंध में न्यायमूर्ति ठक्कर जांच आयोग का दिनांक 19 नवंबर, 1985 का अन्तरिम प्रतिवेदन :—

[पंचालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस०टी०7589/89]

(दो) स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के संबंध में न्यायमूर्ति ठक्कर जांच आयोग का दिनांक 27 फरवरी, 1986 का था अन्तिम प्रतिवेदन । तथा परिशिष्ट ।

(तीन) इन प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन ।

(ख) उपर्युक्त दस्तावेजों के हिन्दी संस्करण को साथ साथ सभापटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण ।

[पंचालय में रखा गया । देखिये संख्या एस०टी० 7590/89]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह लोकतन्त्र की जीत है ।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री सोमनाद्रीश्वर राव (विजयवाडा) : यह जनता की विजय है ।

प्रो. मधु दंडवते : मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मैं एक प्रक्रिया सम्बन्धी मुद्दा उठा रहा हूं । (व्यवधान) ।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : कैसा प्रक्रिया संबंधी मुद्दा ? (व्यवधान) ।

प्रो. मधु दंडवते : मैं आपकी अनुमति चाहता हूं इस सभा के सदस्यों की नहीं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मुझे निर्णय देना है या आपको ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, आपको किसने ऐसा करने की अनुमति दी है ? मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । इसकी अनुमति नहीं दी जाती है ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : फिर आप आकर अध्यक्ष का स्थान लीजिए । मैं अन्दर चला जाऊंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

प्रो० मधु दंडवते : मैं उसे उठा रहा हूं । पहले तो मैं मानता हूं कि व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए मुझे आपकी अनुमति चाहिए, इस सभा के माननीय सदस्यों की नहीं । **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का अच्छा प्रश्न भी हो सकता है । मैं नहीं जान सकता ।

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी. शंकरानन्द) : जब कोई प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जान सकता हूं । जाने बिना मैं कैसे जान सकता हूं ?

(हिन्दी)

जब तक इनके पाइंट आफ आर्डर का मुझे पता नहीं लगेगा तो पहले कैसे रिजेक्ट करूंगा ।

(अनुवाद)

किन्तु यह इनका अधिकार है । यदि यह कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको रद्द कर सकता हूं । यदि ठीक है, तो मैं इसका समर्थन कर सकता हूं । यह कोई समस्या नहीं है ।

(व्यवधान)

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : अगर काम खराब करने की आपकी इच्छा है तो मैं क्या कर सकता हूं ।

(व्यवधान)

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है । कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा ।

(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(हिन्दी)

अध्यक्ष महोदय : इतनी देर में तो फैसला कर दिया होता कि सही है या गलत ।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चार्ल्स, आप ठीक तरह से बैठकर मुझे अपना काम क्यों नहीं करने देते हैं ? मुझे पहले उनकी बात सुननी है ।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दंडवते : मैं आपको नियम बताता हूं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपना काम करने दीजिए । मुझे पहले उनकी बात सुननी है और अपना विनिर्णय देना है ।

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : महोदय, ऐसा कौन सा नियम है जिसके अन्तर्गत वह यह व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं भी जानना चाहता हूं कि वह किस आधार पर यह प्रश्न उठा रहे हैं ? कि आप जानते हैं कि वह क्या कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं नियम ···· ····के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अनेक सदस्य बोल रहे हैं । मैं क्या कर सकता हूं ? श्री चार्ल्स, आप वहां क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री शान्ताराम नायक : वह किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ? (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या मालूम ? मैं तो यही जानना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 376 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं । व्यवस्था के प्रश्न पर हमें बताना है कि किन उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है । मैं यह कह रहा हूं ··(व्यवधान) · मेरे हाथों में···।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 जिसके आधार पर वह सभा पटल पर ठक्कर आयोग की रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज रख रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० मधुदण्डवते : महोदय, मैं चाहता हूं कि आप धारा (3) की उपधारा (5) और विशेषकर उसके स्पष्टीकरण को देखें। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : यह उप-धारा (4) के अन्तर्गत है न कि उपधारा (5) के अन्तर्गत।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं स्पष्टीकरण की बात कर रहा हूं। (**व्यवधान**)।

कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है ।

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : पाइंट ऑफ आर्डर पर पाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता। आप बैठ जाएं तो मेरा म क चल पायेगा। आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कोई पाइंट आफ आर्डर होता है तो बीच में पाइंट आर्डर नहीं होना है ।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका निर्णय लेना है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक ढग से क्यों नहीं बैठ सकते। आप हमेशा उछलते रहते हैं जैसे कि आप के पीछे स्प्रिंग लगा हो।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधुदण्डवते : मुझे औचित्य का प्रश्न करने दें। वह इस अधिनियम की धारा (3) उपधारा (5) के अन्तर्गत ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सभा पटल पर रख रहे हैं और इसके स्पष्टीकरण में यह कहा गया है : "उपधारा (5) अर्थात् सभापटल पर रिपोर्ट रखना के प्रयोजनार्थ "रिपोर्ट" में अन्तरिम रिपोर्ट और आयोग की सभी कार्यवाहियां शामिल हैं।" मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह अनुबंधों के साथ आयोग की कार्यवाहियां सभापटल पर रख रहे हैं। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

[**हिन्दी**]

आप बैठ जाइये।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह रिपोर्ट और अनुबंध के साथ आयोग की सभी कार्यवाहियां सभा पटल पर रख रहे हैं, जैसाकि परिभाषित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था यह है : यह उपधारा (4) के अन्तर्गत है न कि उपधारा (5) के अन्तर्गत । यह उपधारा (4) के अन्तर्गत है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मेरे भी कान हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उपधारा (4) के अन्तर्गत है इसे अस्वीकृत किया जाता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल स्पष्ट है । स्पष्टीकरण उपधारा (5) के लिए है न कि उपधारा (4) के लिए । यह बिल्कुल स्पष्ट है । आप जो पढ़ रहे हैं वह उपधारा (5) के अन्तर्गत है न कि उपधारा (4) के अन्तर्गत । इसका संबंध उससे नहीं है । इसे अस्वीकृत किया जाता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सरल और स्पष्ट है । मैं नहीं मानता । श्री वालिया ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वह रिपोर्ट आयोग की रिपोर्ट है और स्पष्टीकरण में कहा गया है । **(व्यवधान)**··· ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है कि प्रोफेसर साहिब । यह पूर्णतः स्पष्ट है और अब आप मेरे निर्णय पर बहस कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है **(व्यवधान)** ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वालिया बोलेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : उपधारा (4) में क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह उपधारा (5) के अन्तर्गत आता है । मैंने इसे देखा है और मैंने किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है । मैं अपनी व्यवस्था पर चर्चा करने की अनुमति नहीं देता ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी व्यवस्था से संतुष्ट हूं ।

जी हां, अब आपको क्या कहना है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था, व्यवस्था है । आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी (गौवाहाटी) : क्या हमें रिपोर्ट की प्रतियां मिल रही हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री शंकरानन्द को बोलने को कहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दे दी है । अब आसकी ओर से उस विषय पर कोई औचित्य का प्रश्न नहीं होगा ।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य प्रोफेसर दण्डवते ने नियम 376 के अधीन औचित्य का प्रश्न उठाया था । क्या मैं नियम 376 को पढ़ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था दे चुका हूं ।

श्री बी० शंकरानन्द : सभा को यह तो पता लगना चाहिए कि वह क्या मुद्दा उठाना चाहते हैं और किस प्रावधान के अधीन उठाना चाहते हैं । मैं उद्धृत करता हूं ।

> "376 (1) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनमें सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।
>
> (2) औचित्य प्रश्न तत्समय सभा के समक्ष कार्य के संबंध में उठाया जा सकेगा ।"

अब आज इस समय ··(**व्यवधान**)··· ।

अब माननीय गृह मंत्री ने सभा पटल पर अनुबंधों सहित रिपोर्ट रख दी है । सभापटल पर रिपोर्ट रखने का कार्य पूरा हुआ । अब आपने अगले मद को ले लिया है । यदि कोई औचित्य प्रश्न है तो उसे केवल अगले मद पर ही उठाया जा सकता है ··(**व्यवधान**) ।

प्रो मधु दण्डवते : मैं उसी समय उठा था जब वह सभापटल पर रिपोर्ट रखने के लिए उठे थे । (व्यवधान) ।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं इसी बात पर आ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है ।

श्री बी० शंकरानन्द : आपने औचित्य के उप प्रश्न को अस्वीकार किया है । आपने अगला विषय ले लिया है । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था दे चुका हूं आपको भी यह समझ लेना चाहिए कि मैंने सभी पहलुओं पर विचार करके ही व्यवस्था दी है ।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आपकी व्यवस्था के तहत मेरा औचित्य का प्रश्न यह है ''। (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं होगी।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चटर्जी को अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)*

श्री बी० शंकरानन्द : यही तो मैं भी कह रहा हूं कृपया उन्हें, इस विषय पर बोलने की अनुमति न दें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी है।

मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं। श्री वालिया बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था पर कोई चर्चा न की जाए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इन सज्जनों को अनुमति नहीं दी है। मैंने श्री वालिया को कहा है। मैंने श्री वालिया को कहा है यदि वह बोलना नहीं चाहते हैं तो मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह विषय बंद कर दिया है? बस, मैंने इस विषय पर अपनी व्यवस्था दे दी है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। मैंने माननीय सदस्यों को अनुमति नहीं दी है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री वालिया। केवल श्री वालिया की बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित की जाएगी।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, मुझे दुख हो रहा है कि मेरी व्यवस्था के बाद आप यह कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहता। कुछ भी नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमें रिपोर्ट पढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके निर्देश क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्देश यह है कि प्रतियां संसदीय ग्रंथागार में रखी जाएं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वहां तो कुछ ही प्रतियां होंगी। इनसे इतने अधिक सदस्यों का काम कैसे चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इसका अध्ययन करने के लिए काफी समय दूंगा और हम इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी बुलाएंगे। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप कार्य मंत्रणा समिति में इसे उठा सकते हैं और समय तय कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल आधी दर्जन प्रतियों से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं और अधिक प्रतियों के लिए कहूंगा मैं सरकार से और प्रतियां देने के लिए कहूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : कल जनता को इसके बारे में कैसे पता चल सकेगा ? क्या आप प्रेस को इसका सारांश दे रहे हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ले कर दिया है, और कापियां ले लेंगे गवर्नमेंट से।

[अनुवाद]

बूटा सिंह जी उन्हें और प्रतियां उपलब्ध करायी जाएं।

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : ठीक है, श्रीमान। उन्हें ठीक रवैया अपनाने दें, हम उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कह तो दिया कि भिजवा देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : क्या प्रेस को पूरी प्रति मिलेगी ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो हमने यहां रखा है, सारा दे देंगे।

[अनुवाद]

जो कुछ भी है, वह पूरा दे देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : कल जनता को इसके बारे में कैसे पता लगेगा ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब आप कमाल करते हैं, जो चीज पब्लिक की हो गई, अब उसमें क्या कसर रह गई ? कापीज भी आएंगी, आपको मिलेंगी। उन्होंने कहा है कि और कापियां दे देंगे, अब कोई घबराने की बात नहीं है।

[अनुवाद]

आप अनावश्यक रूप से राई का पहाड़ क्यों बना रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर बहस का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय से सम्बन्धित कोई प्रश्न न पूछा जाए। सभा का समय नष्ट करने का क्या अर्थ है? क्या आपको जनता के धन का कोई खयाल नहीं?

(व्यवधान)

4-31 म०प०

[श्री शरद विवे पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया कार्यवाही में बाधा न डालें। श्री वालिया भाषण दे रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, अब आप पीठासीन अधिकारी हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पद का इस्तेमाल करते हुए हमें रिपोर्ट की प्रतियां पढ़ने के लिए सुलभ कराएं। चर्चा बेशक कल हो सकती है। पूरी रात हम रिपोर्ट पढ़ कर बहस के लिए तैयारी कर सकते हैं। इसलिए, क्या आप हमें रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त करने के लिए कोई तरीका बताएंगे?

सभापति महोदय : रिपोर्ट की प्रतियां सभी सदस्यों को दी जाने वाली हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : मुझे रिपोर्ट चाहिये। सचिवालय हमें नहीं बता पाया है। आप हमें प्रतियां दिलाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल क्यों नहीं करते?

सभापति महोदय : हम सभी सदस्यों को प्रतियां देने का प्रयास कर रहे हैं। यथा समय प्रतियां दे दी जाएंगी। अब श्री वालिया अपना भाषण प्रारम्भ करें।

4.32 म०प०

पंजाब बजट 1989-90 सामान्य चर्चा :
लेखानुदानों की मांगें (पंजाब), 1989-90
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (पंजाब), 1988-89—[जारी]

सभापति महोदय : श्री वालिया।

श्री चरनजीत सिंह वालिया (पटियाला) : सभापति महोदय, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और पंजाब के किसान पूरी-पूरी प्रशंसा के हकदार हैं। क्योंकि इस देश में हरित क्रांति लाने

और पंजाब को सुदृढ़ बनाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। पंजाब में अब कृषि अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी है और अब वहां कृषि उत्पादन में वृद्धि करना कठिन है। इसलिए राज्य में फसलों का विविधिकरण और औद्योगिकीकरण समय की मांग है। विशेष तौर पर कृषि पर आधारित उद्योगों को हर संभव सहायता दी जानी चाहिए। परन्तु दुर्भाग्य वश पंजाब को कभी प्रोत्साहन नहीं दिया गया। बड़ी परियोजनाओं और भारी उद्योगों की तो बात ही क्या है यहां लघु उद्योग भी नहीं लगाए गये। पंजाब के साथ प्रत्येक क्षेत्र में और विशेष तौर पर औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में सदैव पक्षपात होता रहा है।

जहां तक लघुउद्योगों का सम्बन्ध है, यहां के कुछ क्षेत्रों में होजरी, सिलाई की मशीनों, अतिरिक्त पुर्जों और साइकिल आदि के कुछ कारखाने हैं। पंजाब में कुल 118 खण्ड हैं। इनमें से 66 खण्डों में कोई कारखाने नहीं हैं। मैं यह अनुरोध और आग्रह करता हूं कि केन्द्र सरकार पंजाब को औद्योगिक पिछड़ा राज्य घोषित कर दे ताकि पंजाब की जनता को वे प्रोत्साहन और लाभ मिल सकें। जो उद्योग रहित क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त पंजाब को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह विशेष क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। इस समय पंजाब के केवल तीन जिले 'बी' श्रेणी के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और तीन जिले 'सी' श्रेणी के और कोई भी जिला 'ए' श्रेणी का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार पंजाब को विशेष दर्जा प्रदान करे और इसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित करें।

दूसरे पंजाब को बिजली के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। हम इस विषय में बातचीत करते रहे हैं और हमने सभा में भी कहा है कि पंजाब में परमाणु बिजली संयंत्र लगाया जाना चाहिए। राज्य में सर्वेक्षण भी किया गया था और दो स्थलों का चयन किया गया था। एक पटियाला जिले में पटटां और दूसरा रोपड़ जिले में चमकोर साहिब। परन्तु इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया जिसके कारण सरकार बेहतर जानती है।

पंजाब में, रोपड़ ताप बिजली संयंत्र का तीसरा चरण और भटिंडा में गुरू नानक देव ताप बिजली संयंत्र का तीसरा चरण सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ा है। राज्य की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि इन दोनों परियोजनओं को स्वीकृति प्रदान की जाए। हमें पता लगा है कि पहले आठवीं योजना में इनकी स्वीकृति हुई थी परन्तु हमें आशंका है कि इन्हें नौवीं योजना में कार्यान्वित किए जाने का विचार है। इससे राज्य में बिजली की भारी कमी हो जाएगी। अतः इन्हें अब अवश्य स्वीकृत किया जाना चाहिए।

पंजाब में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र की भी आवश्यकता है, क्योंकि राज्य की पानी की क्षमता लगभग समाप्त हो गई है। कोयला बहुत दूर से आता है और बहुत मंहगा है। साठ प्रतिशत राशि भाड़े पर खर्च हो जाती है। इसलिए पंजाब में गैस पर आधारित ताप बिजली संयंत्र की आवश्यकता है। लुधियाना जिले में ऐसा संयंत्र लगाने के लिए केन्द्र सरकार को अनुमान और परियोजना रिपोर्ट भेजी जा चुकी हैं। इस पर विचार करके इसे शीघ्र स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है।

पंजाब सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान करने के लिए और वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए अब तक अनुमानों में लगभग 200 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि सभी श्रेणियों के कर्मचारियों

में असंतोष व्याप्त है, आन्दोलन कर रहे हैं ; डाक्टर बिजली बोर्ड के कर्मचारी और सभी विभागों के ही कर्मचारी आन्दोलन के मार्ग पर चल रहे हैं। मेरा सरकार से अनुरोध और आग्रह है कि वे उनके साथ बातचीत करें ताकि उनमें व्याप्त असंतोष और अक्रोश को दूर किया जा सके। सरकार को शीघ्र ही कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ समझौता करना चाहिए।

पिछले सितम्बर में भीषण बाढ़ आई थी। और पांच सौ करोड़ रुपये मूल्य की फसल और सम्पत्ति नष्ट हो गई थी। इसके अतिरिक्त हजारों व्यक्ति और पशु मारे गए थे। इस आपदा की क्षतिपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार ने 150 करोड़ रु. ही मंजूर किए थे। परन्तु वह राशि भी नहीं दी जा रही है। हमें मालूम हुआ है कि बाढ़ के लिए लगभग 100 करोड़ रु. दिए जा रहे हैं, परन्तु उसमें से केवल 30 करोड़ रु. फसल और जान-माल की क्षतिपूर्ति के लिए जनता को दिए जा रहे हैं, और लगभग 70 करोड़ रु. सरकारी सम्पत्ति के लिए दिए जा रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को उदार होना चाहिए। जैसाकि मैंने कहा जनता को फसल, जान-माल की लगभग 500 करोड़ रु. की क्षति हुई। परन्तु केवल 30 करोड़ रु. दिए जा रहे है। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार को उदारता से सहायता प्रदान करनी चाहिए और जिन लोगों की जान माल की हानि हुई हैं विशेषतौर पर पांच-छह सीमावर्ती जिलों में उन्हें कुछ और राशि दी जानी चाहिए। बाढ़ के कारणों का पता लगाने के लिये और भाखड़ा प्रबन्धन बोर्ड के प्रबन्धों में हुई चूक के लिए दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिये जांच की जानी चाहिये थी परन्तु नहीं की गई।

महोदय, मैं कह रहा था कि मुख्य समस्या अभी भी यथावत बनी हुई है। राज्य में उद्योगों तथा अन्य विकास कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। मैं कह सकता हू कि हमें आशंका है और हम महसूस करते हैं कि केन्द्रीय सरकार पंजाब समस्या के समाधान के लिए बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है आखिरकार वे पंजाब समस्या को हल करना क्यों नहीं चाहते ? उन्हें प्रत्येक वर्ग के लोगों को विश्वास में लेकर उनसे बातचीत करनी चाहिये ताकि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो। मैं कहूंगा कि सरकार सिख समुदाय की भावनाओं को शांत करने में असफल रही है। सिखों ने सदैव देश की खातिर कुर्बानी दी है। देश की आजादी की रक्षा के लिए उन्होंने सभी कुछ किया। परन्तु जब 1984 में हजारों सिखों को कत्ल किया गया, तब इसके लिए दोषी लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज तक उन्हें सजा नहीं मिली है। सिख ऐसे लोगों को देखकर उत्तेजित होते हैं जिन्होंने देश की राजधानी और अन्य भागों में उनकी हत्या की और उनकी सम्पत्ति को लूटा। इसके विपरीत सिखों के आदरणीय नेताओं, जैसे अकाली दल के अध्यक्ष श्री सुमरनजीत सिंह मान, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री बादल को जेल में डाल दिया गया। सैकड़ों, हजारों लड़कों को जेलों में डाल दिया गया और उसमें से बहुत को नकली मुटभेड़ों में मार दिया गया है। सरकार को पंजाब समस्या के समाधान में अपनी असफलता को महसूस करना चाहिए। दमन और गोलियों के बल पर किसी समस्या का समाधान सम्भव नहीं है। पंजाब समस्या के समाधान के लिए सरकार को दमन और बल प्रयोग की अपनी नीति को बदलना चाहिए। सरकार को पंजाब या इससे बाहर जेलों में ठूंसे गए लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए और बड़ी संख्या में सिखों की हत्या करने और उनकी सम्पत्तियों को तबाह करने के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। इसी प्रकार इस समस्या को हल किया जा सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को तुरन्त ईमानदारी से ठोस राजनैतिक कदम उठाने चाहिए। इस समस्या के समाधान का मात्र यही उपाय है। सुरक्षा बलों और पुलिस पर हो रहा भारी व्यय राज्य के विकास हेतु इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(हिन्दी)

श्री बद्रि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, पंजाब का जो 1989-90 का बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, उस का मैं समर्थन करता हूं।

पंजाब ने कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इसी कारण हमारा भारतवर्ष कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है। इसके लिए मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूं। गत साल वहां पर लोगों को बड़ी बाढ़ का मुकाबला करना पड़ा। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी भी मौके पर गये और जो भी मदद पंजाब को दी जा सकती थी, वह मदद वहां पर दी गई। यहां तक कि नार्म्स में परिवर्तन करके अधिक से अधिक मदद पंजाब को बाढ़ का मुकाबला करने के लिए दी गयी और इस प्रकार से हमारी केन्द्रीय सरकार ने समय समय पर पंजाब सरकार को मदद दे कर, उसकी प्रगति में, उस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कपूरथला में जो काच फैक्टरी बनाई गई, वह फैक्टरी भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और बहुत अच्छी कोचेज वहां पर मैन्यूफैक्चर हो रही हैं। इस तरह से कपूरथला में जो कोच फैक्टरी स्थापित की गई है, वह भारत सरकार की देन है। पंजाब की उन्नति के लिए, उस की प्रगति और विकास के लिए भारत सरकार ने बहुत सहयोग दिया है।

पंजाब में अभी भी आतंकवाद की समस्या है। हमारी सरकार ने मिजोरम, त्रिपुरा और असम में जो समस्याएं थीं, उनको हल किया है और पंजाब की समस्या को हल करने के लिए पूरे तौर पर प्रयास किए जा रहें हैं और आतंकवाद का मुकाबला किया जा रहा है। अब इस प्रकार की रिपोर्टें आ रही हैं कि पुलिस और बी० एस०एफ० आतंकवादियों का मुकाबला कर के, उनको पकड़ रही है और जो आतंकवादी मुकाबला करते हैं वे मारे भी जा रहे हैं। इस तरह से आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार पूरे तौर पर कोशिश कर रही है। हम यह चाहते है कि वहां के जो जनता के प्रतिनिधि हैं, अकाली दल हैं दूसरे अकाली दलों की भी मांग हैं, उनके अपने कुछ दृष्टिकोण हैं। जितने भी अकाली दल हैं सभी हमें सहयोग दें और जितनी भी हमारी अपोजीशन पार्टिया हैं उन सबका सहयोग भी हमें मिले। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री राजीव गांधी इस समस्या से पूर्णतः ग्रस्त हैं। वे सभी का सहयोग ले कर के इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं।

उन्होंने और हमारी केन्द्र सरकार ने यह निर्णय किया है कि पंजाब में पंचायतों के चुनाव कराये जाएं। वे जल्दी से जल्दी वहां इनके चुनाव कराना चाहते हैं। हम भी यह चाहते हैं कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव कराये जाने चाहियें। इस सम्बन्ध में हमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाये जायें। अगर हम आतंकवाद की समस्या को हल करना चाहते हैं तो हम ऐसा करें और ऐसा करके ही समस्या को हल करने में समर्थ हो सकते हैं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सभी आपोजिशन पार्टियां राष्ट्रीय एकता के लिए हमें हमारे इस प्रयास में अपना समर्थन प्रदान करेंगी। कुछ पार्टियां जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियां अभी भी हमें अपना सहयोग दे रही हैं। यह राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है और इसमें हम सभी का सहयोग ले कर के इस समस्या को हल करना चाहते हैं।

साम्प्रदायिक एकता के बारे में मेरे मित्र ने बात कही। कुछ पार्टियां जरूर इस प्रकार की हैं जो कि साम्प्रदायिक एकता में विश्वास नहीं करतीं लेकिन यह बड़े खुशी की बात है कि हमारी जागरूक जनता

इन साम्प्रदायिक शक्तियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। पंजाब में हम देख रहे हैं कि वहां हिन्दु और सिखों में कभी भी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई और उनमें आपस में बड़ी शांति और भाई चारा रहा है। इसके लिए मैं वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी नाजुक और विशेष परिस्थितियों में भी वहां की जनता ने साम्प्रदायिक एकता दिखायी और उसमें वह पूर्णत: सफल रही।

एक बात मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि सारे देश में भूमि सुधार का काम हुआ लेकिन पंजाब के अन्दर भूमि सुधार के लिए कदम नहीं उठाये गये। वहां पर किसी किसी के पास तो एक एक हजार और पांच पांच सौ एकड़ जमीन है। हमारे प्लानिंग कमीशन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना से इसबात को कहा है कि सारे देश में लेंड रिफॉर्म्स होना चाहिए। अगर पंजाब में भी भूमि सुधार करने के लिए कदम उठाये जाते तो आजकल जो समस्याएं वहां उठ खड़ी हुई हैं वे खड़ी नहीं होती। वे इसीलिए खड़ी हुई हैं कि वहां कुछ शक्तियां बहुत ही पावरफुल हैं और वे अपनी पूंजी के बल पर इस प्रकार की समस्याएं वहां पैदा करना चाहती हैं। इसलिए यह आवश्यक और जरूरी है कि पंजाब के अंदर लेंड रिफार्म्स के बारे में ठोस कदम उठाये जाएं। वहीं ठोस कदम उठा कर ही हम वहां भूमि सुधार के काम कर पायेंगे। वहां बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। वे अपनी जीविका के लिए पूंजीपतियों पर निर्भर हैं। उन्हीं की मदद के लिए हमारे राजस्थान और बिहार से गरीब लोग पंजाब जाते हैं। उन पर टार्चर होता है, अन्याय होता है, जुल्म होता है। और वह इसीलिए होता है कि उन पूंजीपतियों की स्थिति बहुत सुदृढ़ है क्योंकि वहां लेंड रिफार्म्स के लिए कदम नहीं उठाये गये। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि लेंड रिफार्म्स के बारे में ठोस कदम उठाये जाने चाहिएं। तभी जा कर के यह जो संकट वहां है वह दूर हो सकता है। जब वहां भूमि सुधार होगा तभी वहां समाजवाद आयेगा। जब तक वहां समाजवाद नहीं आयेगा तब तक वहां आम लोगों की प्रगति नहीं हो सकती।

इन शब्दों के साथ मैं इस पंजाब बजट का समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि यह बजट बहुत अच्छा है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभापति महोदय, प्रधान मंत्री ने हाल ही में जोधपुर के बन्दियों को छोड़े जाने तथा दिल्ली में नवम्बर, 1984 के सिख-विरोधी दंगों के अभियुक्तों को तुरन्त सजा देने आदि जैसे कुछ कदमों की घोषणा की है। जहां तक इन आश्वासनों का संबंध है, हालांकि वह देर से दिए गए है, किन्तु वे स्वागत योग्य हैं। मुझे इस बारे में सन्देह है कि उन्हें किस सीमा तक कार्यान्वित किया जाएगा। मेरे शक की वजह यह है, उदाहरण के लिए अखबारों में बार-बार यह घोषणा की गई है कि प्रधान मंत्री और सरकार द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ गम्भीर बातचीत आरम्भ की जाने वाली है—कई बार यह कहा जाता है कि केन्द्रीय स्तर पर राजनैतिक दलों से यह बातचीत की जाएगी और कई बार यह कहा जाता है कि पंजाब समस्या का राजनैतिक हल ढूंढने के लिए राज्य स्तर पर ही राजनैतिक दलों से बातचीत की जाएगी। किन्तु बार-बार की गई इन घोषणाओं के बावजूद तथा कुछ दिन पूर्व दिए गए आश्वासन के बावजूद, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस सदन में बार-बार यह कहा गया है कि कम से कम प्रत्येक उस व्यक्ति, जो धर्मनिरपेक्ष है, साम्प्रदायिकता के विरुद्ध है, अलगाववाद का विरोधी है, खालिस्तान के विचार तथा आतंकवादियों के विरुद्ध है चाहे वह कोई भी हो, उसे, राजनैतिक हल ढूंढने के लिए सामूहिक

बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। किन्तु सरकार इस मामले में बिल्कुल गंम्भीर नहीं है। इसलिए, मुझे सन्देह है कि जिन अन्य उपायों की घोषणा की गई है, सरकार उन्हें सच्चे तथा पूरे मन से कार्यान्वित करेगी ?

हाल ही में, पंजाब में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर ज्यादतियों के बहुत से समाचार आए हैं। मैं जानता हूं कि पुलिस को बड़ी कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ रहा है, शायद मंत्री महोदय पुनः यही राग अलापेंगे। किन्तु सच्चाई यह है कि जब तक पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों की छानबीन नहीं होती और सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते, तब तक इससे आतंकवादियों को निश्चित रूप से मदद मिलती रहेगी। इससे न केवल उन्हें अपने प्रचार में मदद मिलेगी बल्कि अधिक से अधिक युवा लोगों को अपने साथ मिलाने में भी मदद मिलेगी।

हाल ही में आपने बटाला, गुरदासपुर जिलों में हुई घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा, जहां बड़ी संख्या में पंचायतों के सरपंचों ने विरोध प्रकट करते हुए त्याग पत्र दे दिए—कुछ ने पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरोध में तथा कुछ ने, डर के कारण। बहुत सी पत्रिकाओं ने विस्तृत समाचार दिए हैं और इनमें से कुछ सरपंचों के साथ बातचीत का ब्यौरा भी दिया है, जो आतंकवादियों के डर से और पुलिस के डर से बोलना नहीं चाहते थे, किन्तु सच्चाई यह है कि पुलिस लोगों से जबरदस्ती धन वसूल कर रही है और उन्हें गिरफ्तार करने और बन्द करने की धमकी देती है। पंजाब के लोग इतने वर्षों से जिस पीड़ा और यंत्रणा को भोग रहे हैं उसके पश्चात हम सुरक्षा बलों से इस प्रकार की उम्मीद नहीं करते। आतंकवादी जो कुछ कर रहे हैं क्या वही काफी नहीं है। किन्तु ऊपर से पुलिस का आतंक भी है। मैं जानता हूं कि जब रिबेरो पुलिस के प्रधान थे उस समय कुछ बातचीत हुई थी। वह कहते थे—कम से कम मैंने उनके कई वक्तव्य पढ़े हैं- वह विभिन्न गांवों में लोगों को सीधे आश्वासन देते थे कि यदि किसी भी स्थान पर पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है तो वह बिना किसी झिझक के सीधे उनके पास आ सकते हैं, उन्हें अपनी शिकायत दे सकते हैं और वह उन्हें आश्वासन देते थे कि वह इसकी पूरी जांच कराएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो अपनी सीमा से बाहर जाने वाले पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। मैं नहीं जानता कि वह किस सीमा तक सफल हुए। किन्तु अब वह वहां नहीं है, और मेरे विचार से अब पंजाब प्रशासन द्वारा गुड समारिटन के समर्थन से यह नीति अपनाई जा रही है कि इस बात की परवाह किए बिना कि कौन निर्दोष हैं और कौन नहीं, आपको केवल सख्ती से काम लेना है।

5.00 म. प.

तभी आपका पलड़ा भारी होगा। महोदय, यह कभी नहीं होगा। यह मूल और सिद्धान्त रूप से एक राजनैतिक समस्या है। मैं यह नहीं कहता कि सुरक्षा उपाय न किए जाएं। किन्तु वास्तव में मेरी शिकायत यह है कि जो सुरक्षोपाय किये जा रहे हैं, वे अप्रभावी हैं। जिस प्रकार से वे किए जा रहे हैं वे अप्रभावी हैं। उदाहरणा के लिए, मैंने इस सदन में भी यह मामला उठाया है कि मण्ड क्षेत्र जो सीमा पर है—सीमावर्ती तीन जिले हैं जहां पर—वहां सरकंडे उगते हैं जो आतंकवादियों के छिपने के लिए आदर्श प्राकृतिक शरण स्थल है, वहां इन साफ करने के लिए कोई अभियान आरम्भ नहीं किया गया। एक बार उन्होंने मण्ड क्षेत्र में एक अभियान चलाने की एक योजना तैयार की थी ; परन्तु अभियान आरम्भ करने से पहले ही यह खबर आतंकवादियों तक पहुंच गई। किसी को भी नहीं पकड़ा जा सका। कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरे विचार से सुरक्षोपाय इतने प्रभावी नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। स्थिति और अधिक खराब हो गई है। मुझे पंजाब में अपने लोगों द्वारा

बताया गया है कि सतवंत सिंह और केहर सिंह को फांसी दिए जाने के पश्चात स्थिति और खराब हो गई है। मुझे सतवंत सिंह के बचाव में कुछ नहीं कहना। वह नौजवान था और हो सकता है कि धार्मिक उकसावे में आ गया हो। चाहे जो भी हो, इस बारे में कोई संदेह नहीं कि वह प्रधान मंत्री की हत्या के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था। किन्तु जहां तक केहर सिंह का संबंध है, उसके दोषी होने के बारे में काफी सन्देह है ; किन्तु क्या कोई ऐसा कानूनी सबूत है जिसके आधार पर निश्चित रूप से यह कहा जा सके कि वह मृत्यु दण्ड का अधिकारी था। मैं नहीं जानता किन्तु मेरे विचार से सरकार असफल रही। सरकार सिखों के प्रति सदभावना दर्शाने में असफल रही है। सरकार राष्ट्रपति को, केहर सिंह की मौत की सजा को उम्रकैद में तबदील करने की सलाह दे सकती थी। यह तो किया जा सकता था। एक आदमी को फांसी पर लटका कर क्या मिला ? यदि उसे आजीवन कारावास दे दिया जाता, तो भी वह सजा काफी कड़ी थी। यह सिख सम्प्रदाय के प्रति सद्भावना का प्रदर्शन होता जो यह विश्वास नहीं करते कि उसे समुचित न्यायिक साक्ष्य के आधार पर फांसी दी गई।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है ; यह अत्यंत दुर्भाग्य पूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : आप बैठिए, ये ठीक कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं।

सभापति महोदय : वह अपना मत व्यक्त कर रहे हैं। आप भी अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है। यह राजनैतिक सवाल है, कानूनी सवाल नहीं है। आप कभी मेरे साथ पंजाब चलिए। तभी आपको विश्वास होगा कि वहां क्या हो रहा है। परेशानी यह है कि आप पंजाब से बहुत दूर है। आपका पंजाब से कुछ लेना देना नहीं है। अन्य राज्यों के लोगों को भी पंजाब जाना चाहिए और वहां के लोगों से बातचीत करनी चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि वहां क्या हो रहा है। इस कैंसर में वर्ष दर वर्ष मवाद भरता जा रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं।

अब मुझे विश्वास हो गया है कि कांग्रेस पार्टी—मैं यह भी कहूंगा हालांकि मेरे कुछ मित्रों को यह बात शायद पसन्द न आए—और अकाली दल के बहुत से नेता अगले चुनावों तक पंजाब के इस मामले को जिन्दा रखना चाहते हैं।

वह चुनावों में इसका लाभ उठाना चाहते हैं (व्यवधान)। कांग्रेस पार्टी भी यही खेल खेल रही है। कभी वह जसजीत सिंह रोडे को और कभी दर्शन सिंह रागी को या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को गले लगाते हैं जो उग्रवादियों के किसी ग्रुप का नेता के रूप में स्वीकार्य हो। वह उनके साथ मेल-जोल बढ़ाते हैं और उनके माध्यम से उग्रवादियों के किसी एक या दूसरे ग्रुप के साथ बातचीत करते हैं। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं ? वह यहां राजनैतिक दलों से बात नहीं करते, वह उन तत्वों के साथ बातचीत नहीं करते जो धर्म-निरपेक्ष राजनैतिक हल चाहते हैं ; बल्कि वह इन उग्रवादियों के नेताओं

के साथ गुप्त वार्ता करते हैं; कभी वह उन्हें जेल से छोड़ देते, कभी फिर बन्द कर देते हैं। मुझे कोई ऐतराज नहीं है किन्तु उद्देश्य क्या है ? वह क्या पाने का प्रयत्न कर रहे है ?

इसलिए मैं समझता हूं कि यह बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है। इससे न केवल पंजाब का अपितु समूचे देश का और अंततः देश की एकता और अखंडता का विध्वंस हो जाएगा। मैं पंजाब में रहने वाले उन सिखों और हिन्दुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान प्रकट करता हूं जिन्होंने बड़े पैमाने पर हो रहे हिन्दु-सिख सांप्रदायिक दंगों का डटकर मुकाबला किया, उन्होंने उस उत्तेजना का साहस से सामना किया। कुछ जगहों पर छुट-पुट घटनाएं हुई थी, लेकिन ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जिसकी आशा की जा सकती थी। कुछ मामलों में आतंकवादियों ने पंजाब की सीमा, पंजाब से बाहर हरियाणा में और कुछ अन्य स्थानों पर भी कार्यवाही की, उन पर दबाव डाला गया था कि वे लोगों की हत्या करें और यह इस आशा से किया गया था कि हिन्दुओं के मन में पंजाब से बाहर रहने वाले सिखों के प्रति घृणा उत्पन्न हो। उसमें भी वे असफल रहे, वहां भी वे हिन्दुओं को उत्तेजित करने में सफल नहीं हो पाए। मैं सचमुच पंजाब की जनता को उनकी देशभक्ति पर और एकता बनाए रखने के लिए बधाई देता हूं क्योंकि पूरी स्थिति को देखते हुए यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार लोगों की अच्छी बातों पर भरोसा करना नहीं चाहती, वे लोगों को विश्वास में लेना ही नहीं चाहती और उसे उनकी देशभक्ति और एकता पर भरोसा नहीं है। उसके बजाय वे विभिन्न संदेहास्पद तत्वों के साथ मिलकर अन्य षडयंत्र रच रहे हैं और उनके साथ मेल-जोल रख रही है, यहां तक कि उन्होंने संयुक्त राज्य कांग्रेस के श्री स्टीफन सोलार्ज को पंजाब के दौरे पर भेजा। मैं जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है ? उनके दौरे का इन्तजाम हमारी सरकार ने किया था। वह संयुक्त राज्य की कांग्रेस के सदस्य हैं। इस समय किसी भी विदेशी को पंजाब जाने की इजाजत नहीं है, संभवतः कुछ दिन पूर्व तक तो ऐसा ही था। मैं नहीं जानता। इसे एक अशांत, नाजुक क्षेत्र माना जाता है किन्तु संयुक्त राज्य कांग्रेस के श्री स्टीफन सोलार्ज को यहां बुलाया गया उन्हें पंजाब ले जाया गया और आस पास की स्थिति के बारे में बताया गया। उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें यह कहने का प्रयास किया गया था कि वे वाशिंगटन में रहते हुए भी किसी तरह इस समस्या का राजनैतिक समाधान कर सकते हैं। यह क्या है ? यह हास्यास्पद बात है। वे आग से खेल रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक खेल खेला जा रहा है जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में सैनिक शासन के पीछे संयुक्त राज्य अमरीका का ही हाथ है जो इन वर्षों के दौरान ये सब काम कर रहा था, वह न केवल उन्हें शस्त्र दे रहा था अपितु आतंकवादियों को उन कैम्पों में शरण देकर और उन्हें प्रशिक्षण देकर उनकी सहायता कर रहा था। पाकिस्तान में चुनाव होने के बाद वहां लोकतांत्रिक सरकार निर्वाचित हुई। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने भी भारत-पाक संबंधों को सुधारने तथा सहयोग और मैत्री बढ़ाने के संबंध में कुछ उत्साहवर्धक बातें कहीं। उनकी हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता काफी अच्छी रही। लेकिन ऐसा लगता है कि दो कारणों से वह विवश है : एक कारण तो है वहां सेना का होना, जिसे अभी भी पाकिस्तान में काफी अधिकार प्राप्त हैं, दूसरे पंजाब के उस हिस्से में, जो पाकिस्तान में है, जो हमारा सीमावर्ती क्षेत्र है, प्रांतीय सरकार, उनके दल की नहीं है, यह सरकार उस दल की है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की विरोधी है। ये दो कारण और बाहर से अमरीका के संरक्षण के कारण उस कार्यवाही में बाधक बन रहे हैं जिनसे उन आतंकवादियों को शरण मिलने में कठिनाई होगी। जो सीमा से बाहर जाकर पुनः वापिस आते हैं और जिन्हें निर्भय होकर शास्त्र आदि मिल जाते हैं। अतः यह सचमुच हमारे हित में है कि हमें पाकिस्तान में नई सरकार के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और

उन्हें इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि वह हमारे साथ मिलकर एक संयुक्त कदम उठाए ताकि आतंकवादी जिस बात का फायदा उठा रहे हैं उसे समाप्त किया जा सके। लेकिन मैं नहीं जानता कि इस सरकार की नीति क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी नीति केवल यही है कि चुनाव आने तक पंजाब की समस्या ज्वलन्त ही बनी रहने दी जाए, और अंतिम क्षण में अर्थात् चुनावों से पहले, वे कुछ उपाय करने की घोषणा करेंगे और उसका लाभ उठाकर वोट प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। वे एक बहुत ही खतरनाक तरीके को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

आर्थिक स्थिति को सुधारने, उद्योग शुरू करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने आदि के बारे में जो सुझाव दिए जा रहे हैं, मेरे विचार से वे बुरे नहीं हैं। मैं इन सबका समर्थन करता हूं यद्यपि मुझे जरा भी भ्रम नहीं है कि इन बातों से पंजाब की समस्या का हल होने वाला है।

मुद्दा यह है कि सबसे पहले तो कांग्रेसी नेताओं तथा बहुत से अकाली नेताओं को भी राजनैतिक हथकंडों का खेल खेलना छोड़ देना चाहिए। वे सत्ता की राजनीति में एक दूसरे का विरोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस बीच पूरा पंजाब नष्ट हो रहा है। मंत्रियों के यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि स्थिति में सुधार हुआ है, आतंकवादी खतम हो गए हैं, आदि आदि। कई बार यह बात वहां के राज्यपाल कहते हैं तो कई बार यहां से गृह मंत्री कहते हैं। किन्तु विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी से मैं आपको बता सकता हूं कि स्थिति ऐसी नहीं है कम से कम तीन सीमावर्ती जिलों गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर में रहने वाले लोग बहुत भयभीत हैं। वे लोग बुरी तरह से आतंक में रह रहे हैं और केहर सिंह तथा सतवंत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद, जब आतंकवादियों ने उन क्षेत्रों पर बन्द का आह्वान किया सब सब दुकानें, बाजार और स्कूल पूर्णतः बन्द कर दिए गए थे। सब कुछ बंद था और लोगों में कुछ भी करने का साहस नहीं था। लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे।

सीमा के साथ-साथ एक ऐसा क्षेत्र बनाया जा रहा है और इसे 'किसी की भूमि नहीं' माना जा सकता है, जहां किसी का रहना और सामान्य जीवन बिताना संभव नहीं होगा। एक ऐसा क्षेत्र बनाया जा रहा है और सीमा के साथ-साथ आतंकवादियों के निर्देशों अथवा आदेशों पर नए गुरुद्वारे बनाने के लिए पंचायतें बनाई जा रही हैं। आप तो कहेंगे कि इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे विचार से ये गुरुद्वारे धर्म के प्रति श्रद्धा से नहीं बनाए जा रहे हैं। गुरुद्वारे आम जगह से हटकर ऐसे स्थानों पर बनाए जा रहे हैं, जहां लोग ज्यादा नहीं रहते क्योंकि आतंकवादी जानते हैं कि अब केवल वही स्थान सुरक्षित है, जहां सुरक्षा बल प्रवेश नहीं कर सकते —हमने इसी तरह का निर्णय लिया है—और उन गुरुद्वारों का प्रयोग शस्त्र जमा करने तथा बैठकें करने आदि के लिए किया जा रहा है न कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए।

अतः मैं समझता हूं कि यहां यह मानना कि स्थिति से सुधार हुआ है, गलत है। एक विशेष अवधि के दौरान मारे जाने वालों की गिनती में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है किन्तु सरकार को इस पर संतोष नहीं कर लेना चाहिए। जैसा कि मेरे मित्र ने ठीक ही कहा है यदि आप वर्ष 1988 को लें तो इस वर्ष मारे गए लोगों की संख्या पहले जो कुछ हुआ उससे काफी अधिक थी। और यदि आप पिछले 2-3 वर्षों के दौरान हुई हत्याओं की संख्या जोड़ें तो यह संख्या भारत-पाक के बीच हुए तीन युद्धों के दौरान मारे गए जवानों की संख्या से अधिक है। लेकिन यह क्या है? अब कोई युद्ध नहीं चल रहा है लेकिन फिर भी इतने अधिक लोगों की हत्या क्यों हो रही है।

अतः मैं समझता हूं कि सरकार को मानव जीवन और भावनाओं तथा पंजाब के लोग के लिए अधिक आदर भाव दिखाना चाहिए, मैं सोचता हूं कि वे ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां वे इन सब आतंकवाद और ऐसी अन्य गतिविधियों से ऊब चुके हैं। अब अधिकांश रूप से जिन लोगों की हत्या की जा रही है वे हिन्दू नहीं है। वे सिख हैं। पिछले वर्ष जिन लोगों की हत्या हुई है वे अधिकांशतः सिख थे, हिन्दू नहीं थे तथा सिख समुदाय भी इससे पूरी तरह ऊब चुका है और इससे घृणा करने लगा है। आपरेशन ब्लैक थंडर के पश्चात् एक बहुत अच्छी स्थिति पैदा की गई थी लेकिन यदि सरकार ने उस वक्त कोई राजनैतिक पहल की होती तो आतंकवादियों को अलग-थलग करना और उनके विरुद्ध सिखों सहित जन समुदाय को संगठित करना संभव हो जाता। परन्तु क्या उन्होंने ऐसा कुछ किया? क्या उन्होंने कोई पहल की? ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन पहल करने का वह अवसर गवां दिया गया और आतंकवादी पुनः सक्रिय हो गए।

अतः मैं यह कहते हुए समाप्त करूंगा "कृपया सत्ता की राजनीति से ऐसा जुआ खेलना छोड़ दें, गंभीरता से काम लें, और उन सभी राजनैतिक ताकतों को एक करें जो इस काल के प्रति वास्तव मे निष्ठावान हैं तथा इस बुराई से लड़ने में रूचि रखती हैं तथा वे जो धर्म-निरपेक्ष हैं और जो देश की एकता और अखंडता को बनाये रखने से लिए मिलकर कार्य करने को तैयार हों तथा साम्राज्यवादी षड़यन्त्र करने वाले लोगों जैसे स्टीफन सोलाजे और अन्य ऐसे लोगों के शिकार नहीं बनें जो यहां आकर हमारे मामलों में दखल देना चाहते हैं।"

अब सारे विश्व मे एम्नेस्टी इन्टरनेशनल और मानव अधिकार संबंधी संस्थायें पंजाब के बारे में बातें कर रही हैं और कह रही हैं, "हम भारत को दंड देंगे क्योंकि वे बाहर के लोगों को वहां जाकर स्वयं यह देखने नही देते कि पंजाब में क्या हो रहा है।" निःसंदेह हम उन्हें वहां नहीं चाहते, वे कौन होते है? वे हमारे मामलों में क्यों दखल दें? हम यहां मोजूद हैं। हमें उस बात पर एक हो जाना चाहिए। वह एक अलग मसला है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम इन चीजों को अपने देश में चलने की अनुमति दें। भगवान के लिए कृपया पुलिस को ज्यादतियां आदि करने से रोकिये। अन्यथा आप आतंकवादियों को वहां नये लोग भर्ती करने हेतु अपने आधार बनाये रखने तथा लोगों में अपना प्रचार करने में सहायता देंगे। महोदय, मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो वह हमें वास्तविक स्थिति तथा जोधपुर बन्दियों की रिहाई के बारे मे ताजे आंकड़े बतायेंगे। उनमें से कुछ को रिहा कर दिया गया था। रिहा करने के बाद उनमें से कुछ को पुनः गिरफ्तार किया गया और नये सिरे से मुकदमा चलाया गया। हम कुछ नहीं जानते। हमें यह बताने के लिए ऐसे कोई आकड़े नहीं हैं कि वास्तव में क्या हुआ है, कितने लोगों को वास्तव में रिहा किया गया है और कितने अभी तक बन्दी हैं। दूसरी बात यह है कि प्रधान मंत्री ने कुछ आंकड़े दिये हैं, जोकि मुझे बहुत चकित करने वाले लगे हैं क्योंकि हमने उन आंकड़ों के बारे में कभी भी नहीं सुना है। कुछ लोगों पर मुकदमा चलाया गया है। कुछ लोगों को तो दिल्ली में इन्दिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी भूमिकायें निभाने के लिए सजा दी गयी है इस संबंध में क्या स्थिति है? कितने लोगों पर मुकदमा चलाया जा रहा है? कितने लोगों पर आरोप है? क्या उन पर आगे जांच कार्यवाही होगी या क्या मामला वापस ले लिया गया है हम नहीं जानते। जहां तक सिखों की मनस्थिति की बात है यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

तीसरे ऐसा नहीं कहें कि हम राजनैतिक पार्टियों के साथ बात करेंगे जबकि आप ऐसा नहीं करना चाहते। आप इसके बारे में गंभीर नहीं हैं। आप यह कहते जाते हैं लेकिन आप कभी भी

उनके साथ नहीं बैठते हैं, आप कभी भी उनसे बात नहीं करते हैं, आप कभी भी अन्य लोगों की राय नहीं सुनना चाहते और इस तरह आप समझते हैं कि आप स्वयं इस स्थिति को नियंत्रित कर पायेंगे, जोकि आप कभी भी नहीं कर पायेंगे। स्थिति ऐसी भी नहीं है जिससे किसी प्रकार का संतोष पैदा होता हो। यह बेहद गंभीर स्थिति है। हम यहां वर्ष दर वर्ष बजट पारित कर सकते हैं, लेकिन इससे स्थिति में कतई सुधार नहीं होगा।

अतः मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस पूरे मामले पर संकुचित पक्षपाती रवैया नहीं अपनायें। यह वह चीज है जो पूरी तरह से हमारे देश के भविष्य के साथ जुड़ी है और उन्हें उचित देश भक्ति की भावना और एकता के साथ तथा उन अन्य ताकतों को विश्वास में लेकर कार्य करना चाहिए जोकि पहले से ही लड़ाई लड़ रही हैं और देश की एकता की रक्षा के लिए लड़ना चाहती हैं।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : सभापति महोदय, आज पंजाब का बजट, जिसके पास होने के लिए जगह चंडीगढ़ में है, बड़े दुःख की बात है कि कांग्रेस पार्टी हर जगह अपना अधिकार जमाये रखना अपना हक समझती है। राष्ट्रपति शासन को कंटीन्यू करते हुए हर साल पंजाब का बजट यहां पार्लियामैंट में लाया जाता है। हमको यह समझ नहीं आता इस बजट में शेयर करते हुए हम एम० पी० की तरह बोल रहे हैं या एम० एल० ए० की तरह। मेरे ख्याल में पिछले सालों में हमारे लैजिस्लेचर के जो मेम्बर थे, उन्होंने उतने बजट पास नहीं किए जितने पार्लियामैंट में हमारे सामने पास हो रहे हैं। यह बहुत गलत है।

जो पंजाब का बजट हर साल की तरह इस साल हमारे सामने आया है, इसे हमारे पंजाब के आई० ए० एस० अफसरों ने बहुत मेहनत और अपनी तानाजही से तैयार किया है। उन्होंने बहुत कोशिश की है कि पंजाब की डैवलपमैंन्ट के लिए कुछ न कुछ किया जाए मगर मैं कहूंगा कि इसे पंजाब बजट न कहकर, इसमें एक शब्द डाल दिया जाए कि पंजाब पुलिस बजट, तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना पैसा इस बजट में आएगा, उसका मेजर शेयर तो पंजाब पुलिस पर चला जाएगा, बाकी जो पैसे बचेंगे उनके साथ यह टूटी-फूटी पंजाब की गाड़ी, जिसको हमारे काबिल अफसर ढकेलते जा रहे हैं, न तो किसी सड़क पर नई सड़क बन पाएगी, किसी हस्पताल की मरम्मत नहीं हो पाएगी, कोई नये स्कूल नहीं खुल पायेंगे। विल्डिंगों के लिए पंचायतों को कहा जायेगा। पंचायतों के पास लैंड नहीं है और इनकम का कोई सोर्स नहीं है आखिर कब तक ऐसा चलता जायेगा अगर कांग्रेस पार्टी की ऐसी नीति है तो मैं भारत सरकार से यह कहना चाहूंगा कि आपके पास जो सैकड़ों-करोड़ों रुपये यूं ही पड़े हुए हैं उसमें से कुछ हमारे पंजाब को दे दिये जायें जिससे पंजाब का विकास हो सके।

यह तो सब जानते हैं कि पंजाब में शूगर का, दूध का और गेहूं का उत्पादन बहुत अधिक होता है इतना ही नहीं बिजली का उत्पादन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। पंजाब के आफिसर लोग जब फाइलें उठाकर दिल्ली लाते हैं तो दिल्ली के अफसरान लोग नाक ऊपर कर उनसे बातें करते हैं और बहुत एहसान जतला कर यह कहते हैं कि हमने आपको इतना पैसा दिया है। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने कोई एहसान तो नहीं किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि पंजाब के लोग दूध, गेहूं और चावल कितनी अधिक मात्रा में देते हैं।

मैं इन्द्रजीत गुप्ता जी का बहुत धन्यवादी हूं कि वह अपनी पार्टी वालों को तथा अन्य अपोजीशन पार्टीज वालों को पंजाब समस्या सुलझाने के लिए साथ लेकर चले। मैं उनका बहुत शिरोधी हूं

जो अपनी शक्ति बढाने के चक्कर में पंजाब समस्या को और बिगाड़ रहे हैं। इनको इस बात का तब पता चलेगा जब पंजाब बहुत रुग्ण हो जायेगा। मैं उन्हें यह कहना चाहूंगा कि वह यह खेल खेलना बंद कर दें।

अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किये हुए हैं। जो लोग पंजाब का विकास करना चाहते हैं और जिनके ऊपर लोगों को भरोसा है व जो पंजाब को एक प्रभावशाली सूबा बनाना चाहते हैं उन लोगों को पकड़ कर सालों से जेलों में बिना मुकदमों के बंद किया हुआ है। जब तक यह सरकार यह खेल खेलना बंद नहीं करेगी तब तक पंजाब में शांति कायम नहीं हो सकेगी।

अभी गुप्ता जी ने स्टीफन सोलाज के सम्बन्ध में यहां जिक्र किया। हिन्दुस्तान की सरकार ने उन्हें इधर बुलाया। हमने उनके सामने अपनी समस्यायें रखीं। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमारी बात सुनी और अपने मुल्क में जाकर इसकी सारी जानकारी दी। मैं गुप्ता जी से यह कहना चाहता हूं कि अगर वह मास्को फोन करें और उन्हें चिट्ठी लिखें या फिर वहां से किसी को यहां बुलायें तो भी हम उनका स्वागत करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे। हरमंदिर साहब के प्रति जो कोई भी श्रद्धा रखेगा हम उसका स्वागत करेंगे। अमेरिका ने उनको भेजकर कोई बुरा काम नहीं किया।

आज पंजाब में जिस हिसाब से बिजली और गेहूं आदि चीजों का उत्पादन होता है उसके हिसाब से यह बहुत छोटा बजट है उस बजट को लेकर साल भर आपके लायक अफसर टूटी फूटी गाड़ी को धकेलते रहेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि इस बजट से पंजाब का विकास नहीं हो सकता है। अगर पंजाब का विकास नहीं होगा तो उसका असर सारे हिन्दुस्तान पर पड़ेगा। अच्छा बजट तब कहलायेगा जब आप इस बजट में रखी राशि को डबल कर देंगे और कोई प्लान कट नहीं करेंगे। ऐसी व्यवस्था होने के बाद ही पंजाब का विकास हो सकेगा।

इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (संगरूर) : सभापति महोदय, पंजाब बजट पर चर्चा करते हुए कई मित्रों ने पंजाब की स्थिति और पंजाब समस्या पर सरकार के निपटने के तरीके पर अपना रोष जाहिर किया है। अपनी पूरी गंभीरता और निष्ठा से जिसके लिये यह सभा देश के प्रति जिम्मेदार है मैं एक बात कहना चाहूंगा कि प्रत्येक पंजाबी के मन में आम राय यह है कि केन्द्र में सरकार की पंजाब के प्रति कोई नीति नहीं है। क्या कोई व्यक्ति मुझे बता सकता है कि भारत सरकार की पंजाब संबंधी नीति क्या है? ऐसी कोई भी नीति नहीं है। मेरे विचार से उनकी एकमात्र नीति गलत ढंग से कार्य करने तथा निष्क्रियता की और भ्रान्ति पैदा करने की है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री ने पंजाब के संबंध में एक मुश्त रियायतों की घोषणा की है। उन्होंने कहा था कि जोधपुर बन्दियों को रिहा कर दिया जायेगा। परन्तु क्या उन सभी को रिहा कर दिया गया है? उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। युवा छात्रों के बारे में तो क्या कहें, सिख गुरूद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष सरदार गुरचरण सिंह तोहड़ा को भी पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। भारत सरकार को चेष्ठा उन सभी लोगों को रिहा करने की होनी चाहिए जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। सरकार को पंजाबियों पर ऐसा प्रभाव पैदा करना चाहिए ताकि उन्हें लगे कि सरकार की उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, वह खुले दिलवाली, उदार है और प्रत्येक सुझाव सुनने के लिए वह

तैयार है। लेकिन केन्द्र सरकार का इतिहास अवसर खो देना है। जैसे कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है, भारत सरकार आतंकवादियों को अलग-थलग करने में असफल रही है। यही कारण है कि पंजाबियों के मन में अविश्वास की भावना है कि भारत सरकार के कुछ वर्ग चाहते हैं कि पंजाब की समस्या को बने रहने दिया जाये। जिम्मेदार व्यक्ति ऊंची आवाज में कहते हैं :

> "ओह, हम देश को बताना चाहते हैं कि हम पंचायती चुनाव कराने जा रहे हैं।"

क्या पंजाब समस्या केवल पंचायती चुनाव है? समस्या राजनैतिक हल निकालने की है। आप पंजाब में चुनाव कराईये आपको सच्चाई के दर्शन हो जायेंगे। मेरा आरोप है कि पंचायती चुनाव कराने का सरकार का विचार केवल ग्रामीण लोगों में फूट डालने का है इसी वजह से चुनाव पर उनकी गन्दी नजर है क्योंकि वे जानते हैं कि गांवों में 95 प्रतिशत लोग अकालियों के समर्थक हैं। वे पंचायती चुनाव राजनैतिक प्रणाली को बहाल रखने के लिए नहीं करा रहे हैं। बल्कि वे ग्रामीण लोगों को बांटने जा रहे हैं। इसलिए, महोदय, जैसे कि मैंने पहले कहा था यह इस मामले को गलत ढंग से हल करना है।

पंजाब में प्रत्येक व्यक्ति हंसता है जब राज्यपाल प्रतिदिन कहते हैं, "ओह, मैं एक लाख नई नौकरियां पैदा करूंगा।" सिद्धार्थ शंकर भी कहते हैं कि अर्द्ध-सैनिक बलों में दस हजार युवकों को भर्ती किया जायेगा। हम पंजाब में राज्यपाल के वक्तव्यों को सुन सुन कर थक चुके हैं। कोई नयी नौकरियां पैदा नहीं की गयीं हैं और हर बार पंजाब के राज्यपाल कहते हैं कि भारत सरकार के पास पंजाब समस्या का हल है। वे कहते हैं" हमारे पास हल है और हम इस हल का उचित समय पर खुलासा करेंगे।" महोदय, क्या मैं सरकार से जान सकता हूं कि यह उचित समय कब आयेगा? आप कब इस हल का खुलासा करेंगे? यदि जोधपुर बन्दियों की रिहाई और पंजाब में विदेशियों के प्रवेश पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने के संबंध में प्रधान मंत्री के वक्तव्य जिनकी पहले घोषणा की गई थी, इसके हल हैं तो मैं समझता हूं कि इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ है क्योंकि न्याय में विलम्ब का मतलब है कि न्याय नहीं मिला है। आप एक व्यक्ति से मीठी आवाज की आशा कैसे कर सकते हैं जिसे पांच साल तक बन्दी बनाए रखा गया हो। उनका भविष्य तो पूरी तरह से चरमराया हुआ है इसलिए मैं सरकार से कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। सरकार को पंजाब के लोगों को संतुष्ट करना चाहिये। पंजाब समझौते को कूड़े की टोकरी में क्यों डाल दिया गया है? यह वह क्षेत्र है जहां संदेह उत्पन्न होता है, जहां पंजाबियों और भारत सरकार के बीच अविश्वास है। क्या सरकार हमें बतायेगी कि पंजाब समस्या के राजनैतिक हल को ढूंढने के लिए वह क्या कदम उठाने वाली है?

5.32 म. प

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

क्या सरकार हमें बतायेगी कि पंजाब के संबंध में उनकी क्या नीति है? क्या सरकार हमें बतायेगी कि उन्होंने आपरेशन ब्लैक थंडर के बाद स्थिति को गलत ढंग से क्यों लिया जबकि सभी पंजाबी, सिख हिन्दू, हरिजन और मुसलमान, आतंकवादियों के खिलाफ एक होकर मजबूती से खड़े थे? उन्होंने उन लोगों से बात की जो आतंकवाद का प्रचार कर रहे थे। उन्हें जेल से रिहा किया गया और उन्होंने जेल के परिसर में ही आतंकवादी समर्थकों के माध्यम से प्रेस कान्फ्रेंस की।

क्या यह पंजाब संबंधी नीति है ? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों ने दिल्ली में दंगे कराये जिनमें बहुत से निर्दोष सिख मारे गये थे, सरकार ने उन लोगों को सजा देने के लिए क्या कदम उठाये हैं। आपने जैन-बनर्जी समिति को निष्क्रिय समिति क्यों बनाया ? मिश्रा आयोग ने सिफारिश की थी कि एक समिति बनाई जानी चाहिए जो दोषी पाये गये अपराधियों के विरुद्ध मामला दायर करके अनुवर्ती कार्यवाही करें। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यहीं से शंका शुरू होती है। और भविष्य में यह बहुत दुखद स्थिति उत्पन्न कर सकती है।

महोदय, मैं वित्त राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पंजाब राज्य से बाहर हजारों सिखों को जेल में रखा गया क्योंकि उनके विरुद्ध झूठे मामले दायर किये गये थे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या वे समिति बनायेंगे जिससे कि कम से कम जो लोग निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दिया जाये। बहुत से मामलों में पुलिस अधिकारी कहते हैं "हम इस लड़के को जानते हैं, वह निर्दोष है; यह युवा व्यक्ति निर्दोष है' इसका किसी आतंकवादी मामले और बम के मामले से कोई सम्बन्ध या इरादा नहीं था। लेकिन महोदय उन पर मुकदमें चल रहे हैं। अतः सरकार के इस अन्याय पर आधारित रवैया से कभी भी शान्ति नहीं होगी, पंजाब में सरकार और सिखों के बीच कभी भी मैत्री सम्बंध नहीं होंगे।

महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से पंचायती चुनाव न कराने का अनुरोध करता हूं। अगर आप पंचायती चुनाव करायेंगे तो कम से कम 40 प्रतिशत पंचायतें आतंकवादियों को जायेंगी। आतंकवादी जानते हैं कि पंचायतों में उन्हीं के लोगों को लाने में कैसे सहायता की जाये और इस समय पंचायती चुनाव कराकर आप आतंकवादियों को मान्यता देने जा रहे हैं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। मैं पंजाब में राजनीतिक प्रणाली का स्वागत करता हूं। लेकिन केवल पंचायती चुनाव करा कर और पंजाब में सामान्य स्थिति लाने के लिए कोई उपाय न करना एक आत्मघाती कदम होगा। मैं सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। निःसंदेह मैंने अनेक प्रश्न पूछे थे, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं कि इस बार आप मेरे प्रश्न नोट नहीं कर रहे जैसे आपने पहले नोट किये थे।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी. के. गढवी) : जब मैं उत्तर दूंगा तब आप महसूस करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपने जवाब में उनके उत्तर देंगे।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : सरकार को राष्ट्र को बताना चाहिए कि वे विपक्ष से कब बात करेंगे ? बारम्बार, आपने देश को बताया कि 'हम विपक्ष से बात करेंगे' लेकिन क्या आप विपक्ष से पंजाब की समस्या पर बात करेंगे ? मेरा एक प्रश्न है। सरकार ने पंजाब राज्य में अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये हैं क्योंकि बेरोजगारी के कारण भी लोग आतंकवादी बन रहे हैं।

एक बात मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि सरकार और पंजाब के कर्मचारियों के बीच की खाई बढ़ रही है। सभी वर्गों के कर्मचारी —डाक्टर नर्स आंगनवाड़ी श्रमिक, अध्यापक, रोडवेज कर्मचारी सब में व्यापक असंतोष है। डाक्टर भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। पंजाब राज्य में विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार को पंजाब सरकार की स्थिति को नियन्त्रित करने के लिए कहना चाहिए।

अन्त में महोदय..... ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : कृपया मुझे थोड़ा समय दीजिए । आप बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, अन्य सदस्यों को भी बोलना है ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अन्त में मैं सरकार से पंजाब में तैनात इतने अर्धसैनिक बलों पर किये गये खर्च को स्वयं वहन करने का अनुरोध करूंगा । अगर पंजाब एक राष्ट्रीय समस्या है तो सारा खर्च पंजाब राजकोष से क्यों लिया जा रहा है ? राष्ट्र को इस खर्च को वहन करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं पंजाब बजट का विरोध करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, पंजाब का जो 1989-90 का बजट हमारे सामने पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मैं चन्द बातें यहां पर कहना चाहता हूं । हमारे जो विरोध पक्ष के काफी विद्वान सदस्य इस बजट पर बोले हैं, वे इस का विरोध भी करते हैं और साथ ही साथ यह मांग भी करते हैं कि यह होना चाहिए और वह होना चाहिए । पंजाब के हालात को खराब करने के लिए जिस तरह से वहां पर काम किये गये, उनको ठीक करने के लिए और डैमोक्रेसी को वहां पर बहाल करने के लिए जो पग हमारी सरकार ने उठाए, वे बहुत सराहनीय कदम हैं । पंजाब में चुनाव हुए और पंजाब में अकाली पार्टी की गवर्नमेंट बनी । अकाली पार्टी ने वहां शासन चलाने की कोशिश की लेकिन उसमें वे उस पार्टी से चुन कर आए थे लेकिन अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे, वे यहां पर उस पार्टी के नेता थे । उसके बाद आपस में लड़ लड़ कर और एक दूसरे का विरोध करके, पंजाब का पूरा नक्शा यहां पेश किया गया । जो बात मैं खासतौर से कहना चाहता हूं, वह यह है कि पंजाब के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए जितने कदम प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उठाए, वे सराहनीय हैं । जैसाकि जिक्र किया गया, पंजाब में कपूरथला में रेलवे की इंडस्ट्री दी गई । हमने बहुत बड़ी रेलवे इंडस्ट्री का वहां विस्तार किया । हमने पंजाब में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बहुत से काम किये । एक अकाली मेम्बर ने कहा कि वहां 118 ब्लाक्स हैं जिनमें कोई डवलपमेंट का काम नहीं हुआ । वहां कोई कारखाना नहीं लगा । मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब में कोई भी ऐसा ब्लाक नहीं होगा जहां पर कि कोई कारखाना न हो । वहां के हर ब्लाक में लोग रोजगार प्राप्त करते हैं और वहां के लोगों को तमाम मान-सम्मान मिलता है ।

वहां का किसान बहुत पैदावार करने वाला है । सारे देश के अनाज भंडार को पंजाब सब से ज्यादा अनाज देता है । देश के सभी प्रान्तों में वहां का अनाज जाता है । मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि पंजाब के लोग बड़े मेहनती हैं । वे बधाई के पात्र हैं कि वहां के हिन्दू और सिखों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है । यह सब कुछ वहां के लीडरों में है । इनमें आपस में छोटे-मोटे झगड़े चले आ रहे हैं तभी ये हमको क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं ।

ये लोग इस चीज को नहीं देखते कि पंजाब के अंदर आतंकवाद किसने फैलाया । यह वहां के कुछ मुट्ठीभर लोगों का फैलाया हुआ है । पहले वहां के लोग इस चीज को जानते नहीं थे । यह आतंकवाद कुछ अकालियों का फैलाया हुआ है । इनमें से कुछ लोग उग्रवादियों को उकसाने वाले हैं ।

पंजाब में जनतंत्र को खत्म करने वाले ये लोग हैं। इन्हीं के ऊपर वहां पंजाब के जनतंत्र को खराब करने की जिम्मेदारी है।

पहले जब पंजाब एक था तो पंजाब में हमारा पटियाला डिस्ट्रिक्ट भी था। अब वहां की तहसील कन्डा घाट हिमाचल प्रदेश में चली गयी है। मनाली, नालागढ़, लाहोल स्पीती काणा ऐसे कई इलाके हिमाचल में चले गये हैं। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में चले गये। वहां पर सिख अफसर हैं। वहां आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई आपसी झगड़ा नहीं है। वहां सिख अफसर और दूसरे अफसर बड़े आराम से रहते हैं। वहां पर एक आदमी का भी कत्ल नहीं हुआ। लेकिन पंजाब में क्या होता है? वहां आपस में लोग टकराते हैं, लड़ते हैं। मैं यहां कहना चाहता हूं कि भगवान इनको बुद्धि दे। अगर ये पंजाब की अच्छी तरह से सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें हमारी सरकार से सहयोग करना चाहिये।

हमारी सरकार ने वहां इनके साथ समझौता किया और फिर उसको इम्पलीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन इनके जो नेता हैं वे आपस में लड़े। वे आज भी पुराने जमाने की तरह पंजाब को चलाना चाहते हैं। जब अकालियों की वहां हुकूमत आयी तो उसने वहां पुलिस में बदलाव कर दिया। वैसे ये पंजाब के लोग बड़े मान-सम्मान वाले लोग हैं। ये बहुत बहादुर कौम है। लेकिन इन्होंने सब को डुबो दिया।

मैं समझता हूं कि पंजाब की बदकिस्मती रही है। इनको चाहिए था कि***

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यथार्थवादी भाषण दिया है और कुछ बुराइयों और समस्याओं का उल्लेख किया है जिनका पंजाब सामना कर रही है। मैं उनके भाषण में उठाये गये मुद्दों और विचारों से सहमत हूं। मैं उनके कुछ विश्लेषणात्मक मुद्दों से असहमत हो सकता हूं लेकिन मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त का पूरी तरह नहीं बल्कि 95 प्रतिशत समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह सर्वथा असंभव है।

डा० जी०एस० ढिल्लों : मैं हैरान हूं कि श्री रामूवालिया ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी ही है जिसने राजीव लोंगोवाल समझौता लागू नहीं किया। मैंने अधिकतर बातें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए अपने भाषण में कह दी है मुझे देश के विकास और जिन मुद्दों का हमने सामना किया है उस पर बोलते हुए प्रसन्नता हो रही है। श्री रामूवालिया ने एक मुद्दे का जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस लोंगोवाल समझौता लागू करने में बहुत ईमानदार नहीं रही है। मेरे विचार से बात कुछ और ही है। समझौतें के बाद चुनावों के लिए उचित वातावरण बनाया गया था। अकाली दल के सभी गुटों, ने राजीव लोंगोवाल समझौते के अन्तर्गत चुनाव लड़े चाहे यह सरकार बरनाला या अन्य पार्टी सरदार बादल सभी ने एक टिकट पर चुनाव लड़ा। हमने सोचा कि सरकार बनाने या सरकार बनाने का अवसर देने, उन्हें ऐसा वातावरण बनाना होगा ताकि हम सब पंजाब की समस्या का समाधान ढूंढ़ सके। लेकिन जब सरकार बनाने की प्रक्रिया चल रही थी सारी समस्या के बारे में एक प्रश्न उठा कौन व्यक्ति नम्बर एक स्थान पर होगा और कौन व्यक्ति दूसरे स्थान के पद पर होगा। किसी व्यक्ति को भी तीसरे स्थान का पद स्वीकार नहीं था। राजीव लोंगोवाल समझौते के अन्तर्गत एक ही टिकट पर चुनाव लड़े जाने के बाद यह पार्टी टूट गई क्योंकि श्री बादल किसी भी हालत में अन्य स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते थे कम से कम दूसरे पद से नीचे नहीं आना चाहते थे और श्री बलवन्त सिंह, मैं क्षमा चाहता हूं आपका नाम नहीं लेना चाहता वह आपके भूतपूर्व वित्त मंत्री थे। आपकी पार्टी के नेता ने इसे नम्बर दो स्थान पर समायोजित किया था और बादल निकल गये थे और नम्बर दो के स्थान के व्यक्ति भी निकल गये थे क्या आप या हम इस समझौते को तोड़ने के लिए जिम्मेदार हैं? अन्ततः ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हे संधि वार्ताओं द्वारा निपटाया जायेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पंजाब ने कृषि में अच्छी उन्नति की है। विरोध के बावजूद हमने पेप्सीकोला को स्वीकृति दी। सारी परियोजना को स्वीकृति दी थी। हमने नई रेलवे लाइन व्यास गोइंदवाल को मंजूरी दी और हमने ऐसी कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी। मैं पिछले सप्ताह को इस अवधि के दौरान नौ दिन पंजाब में रहा। मैं पांच जिलों में गया। मैं चण्डीगढ़, लुधियाना, जालन्धर, अमृतसर और फिरोजपुर गया। लोगों ने एक ही प्रश्न पूछा जिसकी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उल्लेख किया जो रात को तथाकथित उग्रवादियों या आतंकवादियों द्वारा उत्पन्न स्थिति के बारे में था और पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों ने स्थिति उत्पन्न की थी और यद्यपि पूरा प्रशासन नहीं बल्कि प्रशासन का एक हिस्सा है। दिन में एक तरफ से धन लूट कर दूसरी तरफ दे दिया जाता है। प्रत्येक स्थान पर लोगों ने मुझ से इस तरह पूछा क्या आप जो कुछ रात में होता है उससे नहीं निपट सकते क्या आप आतंकवाद से नहीं निपट सकते? पुलिस आपकी है, प्रशासन आपका है. आप उन्हें नियन्त्रित नहीं कर सकते मैं सत्ताधारी पक्ष की ओर से बोल रहा हूं ? लेकिन मैं जो कुछ लोग मुझे कह रहे हैं मैं उस बारे में बात कर रहा हूं। मेरे विचार से लोगों को हमारी कठिनाइयों को महसूस करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाये? यदि मुख्य समस्या है। जब मैं पंजाब का मंत्री था तब मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी

थी जब मैं यहां था, लोग प्रशासन के बारे अच्छे शब्द इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब पहली बार मैंने प्रशासन के बारे में लोगों के मुंह से अच्छाई नहीं सुनी। वहां लूट खसोट, डर, भेदभाव दुर्व्यवहार और उनके विरुद्ध ऐसे सभी प्रकार के आरोप लगाये गये हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाये। एक तरफ ऐसी स्थिति विद्यमान है और दूसरी तरफ कोई समाधान नहीं है। जब मैं इन जिलों के सैंकड़ों लोगों से मिला तो यह बात जानकर प्रसन्नता नहीं हुई। श्री गुप्त मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि आपने अपने ढंग से बढ़िया तरीके से बताया है। जो कुछ आपने कहा है वह सच है।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी 16 सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने पंजाब के बजट पर इस चर्चा में भाग लिया है। वर्ष 1989-90 सातवीं योजना का अन्तिम वर्ष है। इसलिए, कानून और व्यवस्था की स्थिति अथवा पंजाब समस्या, जैसाकि सदस्यों ने इसका वित्तीय पक्ष रखने की बजाय राजनैतिक पक्ष अधिक रखा है, पर विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि मैं सभा को यह बताना और इस सभा के जरिये पंजाब के लोगों को यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं कि सातवीं योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कार्य निष्पादन बहुत बढ़िया तथा प्रशंसनीय रहा है। योजना निष्पादन 105 प्रतिशत है, निर्धारित लक्ष्य से 5 प्रतिशत अधिक है। इसका श्रेय पंजाब के लोगों और किसानों को जाता है जो पूरे राष्ट्र की ओर से इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में निष्पादन 105.71% है, चावल के क्षेत्र में यह 85.45% है और तिलहनों के क्षेत्र में—जो राष्ट्र के लिए एक बहुत नाजुक क्षेत्र था—पंजाब ने 131.50% उत्पादन किया है। कपास के क्षेत्र में यह निष्पादन 117.86% है और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्षेत्र में लाभी भोगी 153.65% हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ सालों से जारी ऐसी स्थिति के बावजूद उत्पादन के क्षेत्र में पंजाब के लोगों का सामान्य कार्य-कलाप कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में, कम नहीं हुआ है, धीमा नहीं हुआ है और इससे लोगों की बहुत विषम परिस्थिती का सामना करने की शक्ति तथा लचीलेपन का आभास होता है। (व्यवधान) हम कोशिश कर रहे हैं और हमें इस बात की जानकारी है तथा मैं इस विषय पर कुछ देर बाद चर्चा करूंगा। आप पंजाब में प्रचलित स्थिति—आतंकवाद, हत्यायें हिंसा इत्यादि—सामान्य जीवन में सहायक नहीं है। परन्तु इसके बावजूद, यद्यपि लोग तनाव और हिंसा से पीड़ित हैं, सामान्य क्रिया-कलाप जारी हैं और इससे पंजाब के लोगों की बहादुरी भी सामने आती है। मैं जानता हूं कि पंजाब में, जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, किसानों को सहायता की जरूरत है और किसानों की जो बहुत आवश्यक जरूरतें ये हैं कि उन्हें बेहतर सिंचाई सुविधायें तथा विद्युत उपलब्ध होनी चाहिए। इन दोनों क्षेत्रों में, मैं यह कहता हूं कि ये योजना लक्ष्य प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। विद्युत क्षेत्र में 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है और सिंचाई क्षेत्र में भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु कुछ सिंचाई परियोजनाओं और विद्युत परियोजनाओं जैसे कि थीनडैम और सतलुज यमुना सम्पर्क नहर इत्यादि के सम्बन्ध में, दुर्भाग्यवश कुछ देरी होगी, जो किसी मानव असफलता के कारण नहीं परन्तु भयंकर बाढ़ के कारण, जो पंजाब में आई है। के कारण होगी। इसलिए, थीनडैम और सतलुज, यमुना सम्पर्क नहर में भी भूगर्भीय परिस्थितियों प्रारम्भिक परियोजना तैयार करते समय जिनको ध्यान में नहीं रखा गया, के कारण नये सिरे से विचार करना होगा। नहरों के स्वरूप तथा लागत इत्यादि में कुछ परिवर्तन करना होगा। परन्तु मैं सभा को इस बारे में आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार को इसकी पूर्णतया जानकारी है और सरकार सचेत है। वे परियोजना को कम से कम समय में पूरा करना चाहते हैं।

विद्युत के क्षेत्र म, मैं यह कहता हूं कि सातवीं योजना का लक्ष्य 768 मेगावाट था और इसे प्राप्त कर लिए जाने की सम्भावना है। सिंचाई के क्षेत्र में, सातवीं योजना में 1,95,400 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का प्रावधान किया गया है और इसमें से 560 69 हैक्टेयर क्षेत्र को पहले ही सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा चुका है और 1989-90 के लिए लक्ष्य 30,000 हैक्टेयर है। इसमें चूक सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के विस्तार के पूरा होने में देरी के कारण हो रही है जिससे पंजाब की खरीद तथा राजपुरा तहसीलों को सुविधायें प्राप्त होंगी। सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के लिए यदि हम इसे बहुत शीघ्र पूरा करना और काम में लाना चाहते हैं तो तीन राज्यों—हरियाणा, पंजाब और राजस्थान—को पानी छोड़ने के लिए एक वाल्व लगाने पर सहमत होना होगा और यह मामला विचाराधीन है।

दूसरी बात जो उठाई गई है वह पेप्सी कोला के बारे में है। चाहे हमारी राजनैतिक विचार-धारा कुछ भी हो, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता हैं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य तथा पंजाब के लोग भी चाहते थे कि पेप्सी कोला परियोजना पंजाब मे स्थापित की जानी चाहिए। (व्यवधान)।

श्री सी. जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : कौन चाहता है ?

श्री बी०के० गढ़ची : पंजाब के लोग चाहते हैं। मैं पंजाब के लोगों की बात कर रहा हूं।

6.00 म.प.

हम सभी जानते हैं और मुझे याद है कि श्री बिस्सों, जो केन्द्रीय मंत्री मंडल में कृषि मंत्री थे, ने कहा था कि पंजाब में हरित क्रान्ति अथवा श्वेत क्रांति—आप इसे कुछ भी कह सकते हैं—चरम सीमा पर पहुंच गई है और इसलिए कृषि क्रिया कलापों में विविधता होनी चाहिए तथा कृषि उत्पादन के प्रसंस्करण तथा बेचने के लिए नये बाजार होने चाहियें। इस पेप्सी कोला परियोजना में पेप्सी कोला की ईक्विटी भागीदारी केवल 39.9% है और बाकी की हिस्सेदारी पंजाब कृषि तथा निवेश निगम (पी.ए.आई.सी.) और वोल्टाज की है। पंजाब कृषि तथा निवेश निगम की भागीदारी 36.1 प्रतिशत है और वोल्टाज की 24% है। इसके द्वारा एक फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई, जो होशियारपुर में स्थापित की जायेगी, वर्ष भर मे 80 हजार टन फल एवं सब्जियां प्रसंस्कृत करेगी और मुख्य रूप से इसका निर्यात किया जायेगा। एक अनाज प्रसंस्करण इकाई होगी जो 30000 मीट्रिक टन कच्चा माल प्रसंस्कृत करेगी जो नास्ते का भोजन तथा सांपट ड्रिंक कन्संट्रेट तैयार करेगी जो 360 लाख सॉफ्ट ड्रिंक केसिज के लिए पर्याप्त होगा। एक तरह से यह किसानों को अधिक लाभ अर्जित करने तथा उनके कृषि उत्पादनों के एवज मे अधिक धनराशि के मिलने में सहायक होगा। इससे राज्य के औद्योगिक क्रिया-कलापों में भी वृद्धि होगी और इससे पंजाब के लोगों की मांग भी पूरी होगी।

कृषि के अतिरिक्त जैसाकि मैंने आंकड़े दिये हैं, उद्योग भी एक महत्वपूर्ण पहलू है मैं जानता हूं कि उद्योग में कुछ क्षेत्रों में जैसे ढलवा लोहा इत्यादी की कमी है। हम कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आबंटित कोटे तथा मांग में बहुत अन्तर है। हमें इसकी जानकारी है और भारत सरकार इसका ध्यान रखने की कोशिश करेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में भी पंजाब का निष्पादन उतना ही शानदार है जितना कि कृषि क्षेत्र में है। आंकड़े देने में मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा। पंजाब को अप्रेल 1988 तथा जनवरी 1989

के बीच 37 आशयपत्र, 37 डी-जी.टी.डी. पंजीकरण, 6 औद्योगिक लाइसेंस और एक टेक्सटाईल पंजीकरण जारी किया गया है। इस अवधि के दौरान औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए सरकार को 20 परियोजनायें भेजी गई हैं और वर्ष 1988-89 के दौरान 55.75 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत करके पंजाब वित्त निगम ने भी वृद्धि दर को तेज किया है। (31 जनवरी, 1989 तक) इस अवधि के दौरान 33.08 करोड़ रुपये दिये गये ।

कुछ सदस्यों ने यह कहा है कि भूमि सुधार नहीं किये जा रहे हैं। मैं यह निवेदन करता हूं कि गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में 153% उपलब्धि है। परन्तु गरीब वर्ग को अभी और अधिक सहायता की जरूरत है। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत 1987-88 के दौरान जो वास्तविक धन-राशि खर्च की गई थी वह 167.91 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1988-89 में वास्तविक खर्च 204.17 करोड़ रुपये था। इसके अतिरिक्त 1987-88 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए यह राशि 58.16 करोड़ रुपये थी और 1988-89 में खर्च की गई राशि 76.18 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार इन क्षेत्रों में 1987-88 में किया गया कुल खर्च 226.07 करोड़ रुपये तथा 1988-89 में कुल खर्च 280.35 करोड़ रुपये है। यह खर्च 20 सूत्री कार्यक्रम के क्षेत्र में है जो मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए है। अब जहां तक संस्थागत वित्त का सम्बन्ध है, 1989-90 में लक्ष्य 992 करोड़ रुपये है और पंजाब के लिए 1988-89 में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए संस्थागत वित्त के रूप में लक्ष्य 871 करोड़ रुपये रखा गया था। इस प्रकार, आप इस बात की प्रशंसा करेंगे कि जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, उद्योग के क्षेत्र में, कृषि पर आधारित उद्योग के क्षेत्र में, तथा अन्य कृषि से सम्बद्ध अन्य उद्योगों के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। हम जानते है कि ये कार्यकलाप सामान्य रूप से चल रहे हैं । इसके साथ शैक्षिक गतिविधियां, जैसे विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्व-विद्यालयों में समय पर परीक्षा करवाना इत्यादि सामान्य स्थिति के परिचायक हैं परन्तु साथ ही हम जानते हैं और हमें इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए और यह कहना कतई नाइसाफी होगी कि पंजाब में हालात सामान्य हैं। सभी सदस्यों जिन्होंने समय-समय पर चर्चा में भाग लिया है का यही कहना है कि वही पुराने राग अलपाया जा रहा है कि एक राजनैतिक हल होना चाहिए, राजनैतिक हल क्या है, किससे बातचीत की जाये, आतंकवाद और उग्रवाद पर कैसे रोक लगाई जाये अथवा उसका मुकाबला कैसे किया जाये इत्यादि। इन क्षेत्रों में बहुत से कदम उठाये जा रहे हैं। श्री इन्द्र जीत गुप्त यह बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब तक लोगों के मन से आतंक नहीं निकलेगा, पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो सकती। उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूं कि एक महीने में कम हत्यायें हुई और दूसरे महीने में अधिक हत्यायें हुई ।

इस तरह की परिस्थिति को आंकने का यह संकेत या मापदंड नहीं है। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एके-47 लेकर एक व्यक्ति एक साथ 20 व्यक्तियों को मार दे। यह अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना कि एक व्यक्ति 20 गांवों में जा कर पांच या छः व्यक्तियों को मार डाले। अपराध करने की स्वतंत्रता अधिक है। सिर्फ व्यक्तियों के मारे जाने के सन्दर्भ में नहीं बल्कि उस पूरे वातावरण के सन्दर्भ में जो तैयार हो रहा है, अपराध को आंकना है। यह प्रतिष्ठित सभा और माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि जोधपुर नजरबंदीयों के रिहा किए जाने और सीमावर्ती जिलों के कुछ आतंकवादियों के विरुद्ध विशेष मुकदमों को वापस लेने तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री ने कुछ उपायों की घोषणा की है। अब भी हम परिणाम की अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है और सभा की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस उपाय की घोषणा के

कारण शांति की पुर्नस्थापना के लिये एक सहायक वातावरण तैयार हो रहा है, हम लोगों को सिर्फ इसकी जरूरत है कि हम इसे और मजबूत बनायें और इसे इस रूप में बढ़ाएं जो लोगों द्वारा स्वीकार किया जाए और लोगों के हृदय में विश्वास और आत्मविश्वास की भावना जगे और इस उपाय द्वारा ही उग्रवादियों और आतंकवादियों का सफाया होगा। विगत काल में सौदा के पार जो हुआ है उस स्थिति का विश्लेषण गुप्ता जी ने किया है। प्रान्तीय सरकार बिल्कुल भिन्न दल की होने के कारण पाकिस्तान की सरकार भी कुछ परेशानी में है। गुप्ता जी ने जानना चाहा कि हमारी सरकार क्या कर रही है। सरकार ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर रखी है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है कि दो शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सरकार बात करने के लिये तैयार है। पहली शर्त है कि उन्हें हिंसा छोड़ देनी चाहिए और दूसरी है कि उन्हें संविधान के ढांचे के अन्तर्गत बात करनी चाहिए। अतः यह कहना है कि हमलोग शक्ति की राजनीति का प्रयोग कर रहे हैं हमारे विरुद्ध एक मानने योग्य आलोचना या आरोप नहीं है। जबकि अनेक बार ऐसा कहा गया है।

हम लोगों ने कभी शक्ति की राजनीति का प्रयोग नहीं किया है। पंजाब विधानसभा के लिये चुनाव हुए थे। इस सभा के समक्ष इस बजट को प्रस्तुत कर के भी हम खुश नहीं है। यदि पंजाब विधानसभा इस बजट पर विचार करती और इसे पारित कर देती तो हम खुश होते।

इस सरकार ने कभी शक्ति की राजनीति का प्रयोग नहीं किया है। मेघालय, मिजोरम, असम और अन्य जगहों पर हुए समझौतों से यह बिल्कुल स्पष्ट है। हम यह जान गये कि सत्ता का सुझाव किसके पक्ष में होगा। लेकिन यह बात विचारनीय नहीं थी। बल्कि सामान्य जनजीवन, सामान्य प्रजातांत्रिक प्रणाली और एक सामान्य प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की बात विचारनीय थी। अतः यह बिल्कुल आधारहीन और भ्रमित करने वाला आरोप है कि केन्द्र सरकार अथवा कांग्रेस दल पंजाब में शक्ति की राजनीति का उपयोग कर रही है।

अब डा. ढिल्लों और श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रशासन और पुलिस की ज्यादतियों की शिकायतों की चर्चा करते हैं। मैं यह कहता हूं कि सरकार इन शिकायतों के बारे में जानती है कुछ शिकायतों में सच्चाई भी है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इस विषय में जानते हैं। राज्यपाल को इन शिकायतों पर बहुत ही ठोस और उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से कार्यवाही करने के लिये कहा गया था। अब इस उद्देश्य के लिये जांच समिति, शिकायत समिति और निगरानी प्रणाली की स्थापना की जा रही है। कितने लोग थानों में लायें जाते हैं, कितनी देर तक उन्हें वहां रुकने के लिए कहा जाता है और कितनी देर तक उनसे पूछताछ की जाती है आदि बातों को जानने के लिये हम कंप्यूटरों की स्थापना करने जा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग स्वयं उग्रवादि अथवा आतंकवादी नहीं होते लेकिन आतंकवादियों के साथ उनका संबंध होता है।

[हिन्दी]

श्री शमिन्दर सिंह : कंप्यूटर भी आपको तो यही बतायेगा कि कितने पैसे पुलिस ने लिए।

श्री बी. के. गढ़ची : अच्छा हम देख लेंगे।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार शिकायतों को अनसुना नहीं कर रही है, सरकार बिल्कुल जागरूक है और मैं सभा को यह विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक अधिकारियों और प्रशासकों द्वारा

ज्यादतियां किये जाने के संबंध में, वैधानिक और सच्ची शिकायतों का प्रश्न है, सरकार के ध्यान में उन्हें लाने पर निश्चित तौर पर उन पर कार्यवाही की जायेगी और जांच की जायेगी ।

श्री शमिन्दर सिंह : बटाला में क्या हुआ ?

श्री बी. के. गढ़वी : तथ्यों की जानकारी हासिल कर मैं आपको बताऊंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपने अखबारों में अवश्य पढ़ा होगा । पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बटाला के सरपंचों ने, जो सभी सिक्ख थे और निर्वाचित हुए थे, त्यागपत्र दे दिया ।

श्री बी. के. गढ़वी : आपने त्यागपत्र देने के दो कारण बताए हैं—पहला कारण पुलिस अत्याचार के विरुद्ध है जो कि विरोध में किया गया था और दूसरा कारण उग्रवादियों का भय था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे पुलिस के पास जा रहे थे और ऐसा नहीं करने को कह रहे थे ।

श्री बी. के. गढ़वी : मैं यह नहीं कहूंगा कि कोई ज्यादतियां नहीं हुई हैं । डा. डिल्लों ने शायद इसे अधिक स्पष्ट रूप से कहा है कि दिन प्रशासन के लिये हैं और रात आतंकवादियों के लिये । इस स्थिति में मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग निश्चित रूप से निगरानी प्रणाली को ठोस बनायेंगे और इस प्रकार के प्रत्येक उचित शिकायत की जांच-पड़ताल करेंगे ।

अनेक बार ऐसा ही होता है कि ये शिकायतें परोक्ष अभिप्राय से भी की जाती हैं । लेकिन ऐसा समाज के एक हिस्से के रूप में होता है । इससे हम इन्कार नहीं कर सकते । लेकिन यह आरोप लगाना और साथ ही यह कहना कि पूरे पुलिस बल को दूसरी जगह भेज देना चाहिए और किसी अन्य जगह से कुछ नये बल लाने चाहिए यह बात पूर्ण रूप से अवांछनिय है । ये आरोप मानें जाने योग्य नहीं हैं । मैं यह भी कहूंगा कि पंजाब में पुलिस और अर्द्ध-सैनिक बल अपने कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं । कुछ बेईमानी और पथभ्रष्ट लोग हो सकते हैं, इससे मैं इन्कार नहीं करता हूं ।

श्री शमिन्दर सिंह : 50 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे हैं ।

श्री बी० के० गढ़वी : मैं इससे सहमत नहीं हूं । पूरे पंजाब पुलिस बल के लिए ऐसा कहना हमारे लिए शोभनीय नहीं है ! एक उत्तरदायी व्यक्ति के द्वारा ऐसा आरोप लगाना अनुचित है । हम जानते हैं कि किन कठिन परिस्थितियों और समस्याओं के बीच पुलिस को वहां काम करना पड़ता है । वहां पुलिस स्वयं नुकसान उठाती है । हम जानते हैं कि आतंकवादियों के पास ए के -47 रायफल्स, रोकेट लांचर, ग्रेनेड इत्यादि हैं जो कि पुलिस के पास नहीं है हम पुलिस के शस्त्रों, उपकरणों और संचार व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं । लेकिन साथ ही मैं यह नहीं कहता हूं कि हम लोगों को सिर्फ लालच ही करना चाहिए और हमें प्रशासन और पुलिस द्वारा लोगों पर किये गये अत्याचारों की वास्तविक शिकायतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए । ऐसा सिर्फ पुलिस ही नही बल्कि कोई भी सरकारी अधिकारी, प्रशासन या उसका कोई भाग कर सकता है । लेकिन मुझे यह बताया गया है कि जहां तक इन शिकायतों का सम्बन्ध है प्रधानमंत्री ने कुछ शिकायतों की सुनवाई के लिए मशीनरी की स्थापना करने के लिए राज्यपाल को निर्देश देने में विशेष सावधानी बरती है । मैं यह जानकारी दे सकता हूं कि रिड्रेसल मशीनरी की स्थापना हो गयी है और इसे और भी

मजबूत बनाया जायेगा जिससे कि इस तरह की आशंकाओं को दूर किया जा सके और इन गतिविधियों में संलग्न लोगों पर ध्यान दिया जा सके। हम लोगों ने समय से पहले अवकाश देने और इसी प्रकार के अन्य कार्यों के लिए उनके गुप्त रिकार्ड की जांच शुरू कर दी है। वहां सामान्य प्रक्रिया अपनायी गयी है और अब इसका कड़ाई से पालन किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त जोधपुर नजरबंदियों और दिल्ली में हुए दंगों के आकड़े चाहते थे। प्रधानमंत्री ने उन आंकड़ों को दिया था और अभी मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं। मैं उन्हें आपको बता दूंगा। लेकिन जहां तक जोधपुर नजरबंदियों का सम्बन्ध है, 4 मार्च 1989 को जोधपुर में 186 व्यक्ति नजरबंद थे। दिनांक 6. 3. 89 को 104 को पंजाब लाया गया था और वे रिहा कर दिये गये। दिनांक 7. 3. 89 को 182 के विरुद्ध वारण्ट जारी करने पर, 78 को प्रस्तुत किया गया था जिन पर हत्या, हत्या के प्रयास, और डकैती आदि के संगीन जुर्म में शामिल होने का आरोप था। उनमें से 33 आपरेशन ब्लू स्टार के समय के थे। लेकिन वहां भी एक जांच समिति स्थापित की गयी है और 45 व्यक्तियों की रिहाई का आदेश दिया गया है। बचे हुए 6 की जरूरत अन्य मामलों में, अन्य राज्यों में है। अतः उन्हें रिहा नहीं किया गया है।

डा० जी.एस. छिब्बर : उन्होंने पूछा है कि कितने लोगों को पुनः गिरफ्तार किया गया।

श्री बी० के० गडची : मैंने ये आकड़े दिए हैं उनका वारंट जारी किया गया था। 4 मार्च 1989 को जोधपुर में नजरबंदियों की संख्या 188 थी और 6 मार्च 1989 को 104 नजरबंदियों को पंजाब लाकर रिहा कर दिया गया था। फिर पेश किये जाने वाले वारंट जारी करके 7 मार्च 1989 को 78 लोगों को पंजाब लाया गया। यह कहा गया है कि कई गंभीर अपराधों में उनका हाथ था जोधपुर के मुख्य मामले में लिप्त व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया था। यदि आप चाहते हैं तो मैं और ब्यौरा एकत्रित कर सकता हूं। कुछ अन्य लोगों को, जो किन्हीं अन्य मामलों में अपराधी थे और इस मामले से इनका कोई संबंध नहीं था, शायद पुनः गिरफ्तार किया गया था। फिर एक जांच समिति बनाई गई थी ताकि यदि अपराध लघु स्वरूप के हैं और यदि उनमें कोई ढील बरती जा सकती हो तो वह समिति कार्यवाही कर सके। अतः 45 व्यक्तियों की रिहाई के आदेश दिए जाने वाले हैं और उनकी जांच चल रही है।

जहां तक दिल्ली में हुए दंगों का संबंध है मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं लगभग 225 मामलों, में जिनमें 2329 अभियुक्त थे मुकदमा चलाया गया। इन मामलों में से 93 मामले निपटाये जा चुके हैं जिनमें अभियुक्तों की संख्या 369 है।

11 मामलों में दोषसिद्धि हो गई है जिनमें अभियुक्तों की संख्या 80 है। 68 मामलों में दोषमुक्त व्यक्तियों को रिहा किया गया जिनमें अभियुक्तों की संख्या 231 थी। बाहरी मामलों की संख्या 14 थी जिसमें 54 लोग दोषी अभियुक्त थे मुकदमों के 132 मामले लंबित हैं जिनमें 1960 अभियुक्तों पर मुकदमा चल रहा है।

अतः आप देखेंगे कि 225 मामलों में 2329 लोगों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें विचारणार्थ भेजा गया। इन विचारणों के ये परिणाम निकले हैं। जानकारी के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से यह कहना कि सरकार ने दिल्ली में दंगे करने वाले लोगों या अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही, नहीं की है, गलत है। यह बात इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाती है? माननीय सदस्यों द्वारा और विशेष रूप से श्रीमती भिंडर द्वारा सड़कों और अन्य बातों के संबंध में

उठाए गए कुछ विशिष्ट मुद्दों के बारे में, मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उन मुद्दों को उनके भाषणों में से नोट करके उन्हें उन मंत्रालयों के पास भेजा जाएगा जो उनके कार्यान्वियन अथवा विचारण के लिए जिम्मेदार हैं। उन पर कार्यवाही की जाएगी।

मुझे आशा है कि मैंने सभी मुद्दों का विस्तार से उत्तर दिया है क्योंकि उन राजनैतिक मुद्दों के अलावा ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं था। जिनको पंजाब की स्थिति के वाद-विवाद अथवा चर्चा के दौरान यदि उठाया जाता तो बेहतर होता, जिसका संबंध गृह मंत्रालय से है। फिर भी मैंने उन मुद्दों का जवाब देने का भरसक प्रयास किया है। सरकार का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। सरकार पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करना चाहती है। ये सभी राष्ट्रीय मामले हैं।

श्री शमिन्दर सिंह : आपको कितना समय लगेगा ?

श्री बी. के. गढ़वी : हमारे पास आतंकवाद और उग्रवाद के बारे में सारे विश्व से प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किसी चीज को भड़काना तो आसान होता है लेकिन उसे रोकना बहुत कठिन होता है। श्री जंगा रेड्डी को आंध्र प्रदेश में हो रही नक्सलवादी गतिविधियों की जानकारी है। वे इसे नहीं रोक सकते। वहां तो, वहां पर तो उनके पुलिस कर्मियों तक को घात लगाकर मार दिया गया हालांकि वे बहुत ही कार्यकुशल हैं।

(हिन्दी)

श्री शमिन्दर सिंह : चार-पांच साल के बाद आज आपने बहुत खुशी से यहां पर बता दिया कि हमने जोधपुर डेटेन्यूज को रिहा कर दिया, उनके खिलाफ कोई केसेज नहीं थे तो क्या चार-पांच साल के बाद आपको यह पता चल सका कि उनके खिलाफ कोई केसेज नहीं हैं ? यही एफिशिएन्सी रहेगी सरकार की तो कैसे चलेगा यह मुल्क ?

श्री बी. के. गढ़वी : देखिये, इस बात में मैं और ज्यादा तो नहीं कहूंगा लेकिन सच्चाई का पता तो कुछ समय के बाद लगता है। जब केस चलता है और ट्रायल का अन्त होता है तब पता चलता है कि एक्वीट होना है या कन्विक्ट होना है—उसके पहले तो कुछ पता होता नहीं है। फिर तो आप कहेंगे कि पांच साल के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया तो क्या पहले से पता नहीं था कि कोर्ट बरी कर देगी। वह तो होता नहीं है। पूरी दुनिया का यही सिस्टम है।

श्री शमिन्दर सिंह : आपने जिनकी लाइफ पांच साल खराब कर दी क्या उनको भी कुछ दिया जायेगा ? इसके लिए आपने बजट में कुछ रखा है ?

[अनुवाद]

श्री बी. के. घढ़वी : मुठभेड़ों के दौरान मारे गये पुलिस कार्मिकों और अन्य लोगों के बारे में मेरा कहना यह है कि सरकार कल्याण संबंधी उपाय कर रही है। हमने पुलिस कार्मिकों अथवा अर्द्ध सैनिक बलों को 1-1 लाख रुपए दिए और साथ ही उन्हें सेवा निवृत्ति की अवधि तक उतनी पेंशन भी मिलती रहेगी जितना उनका अन्तिम वेतन होगा।

श्री सी. जंगा रेड्डी : वह नजरबन्द लोगों की बात कर रहे हैं और आप पुलिस कार्मिकों की पेंशन के बारे में बता रहे हैं।

[हिन्दी]

जोधपुर में जो पांच साल तक रहे उनको भी क्या आप कोई कंपेन्सेशन देने वाले हैं यह बताइए।

श्री बी. के. गढ़वी : अभी उसके लिए कुछ तय नहीं किया है।

[अनुवाद]

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का धन्यवाद देता हूं और बजट की प्रशंसा करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पंजाब राज्य की वर्ष 1989-90 की लेखा अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखता हूं :—

प्रश्न है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 मे मांग संख्या 1 से 30 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान, होने वाले खर्चों की अदायगी करने के लिए या के संबंध में, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत पंजाब राज्य की संचित विधि में से, लेखे पर, राष्ट्रपति को दी जाऐं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1988-89 की अनुदानों की अनुपूरक मांगें (पंजाब) मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :-

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में निम्नलिखित मांगों के सामने दिखाए गए भाड़ा शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए, कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनाधिक संबंधित अनुपूरक राशियां पंजाब राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

मांग संख्या—1 से 5,7,8,10 से 19 21 से 23,25,26, 28 और 29।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.24 म.प.

पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक* 1989

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम पंजाब विनियोग विधेयक पर चर्चा करेंगे ।

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढवी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की निधि में और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी. के. गढवी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे ।

श्री बी. के. गढवी : मैं प्रस्ताव करता हूं* :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

श्री सी. अंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : महोदय, कृपया मुझे दो मिनट दीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं । आप हमेशा सबसे बाद में आकर ऐसे निवेदन करते हैं । आपको अवसर दिया गया था । बहुत से सदस्यों ने इन्तजार किया, और फिर वे बोले । आप भी वैसे ही कर सकते थे । आपको समय दिया गया था, लेकिन आप नहीं आए । मैं क्या कर सकता हूं ?

अब प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के एक भाग की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी ।

---

*दिनांक 27.3.89 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 1, खंड 2, में प्रकाशित ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगें ।

श्री बी. के. गढ़वी : कि मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

6.26 म०व०

पंजाब विनियोग विधेयक, 1989**

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढ़वी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री बी. के. गढ़वी : मैं विधेयक **पुर:स्थापित करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगें ।

---

*दिनांक 27.3.1989 के भारत के राजपत्र —असाधारण के भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

श्री बी. के. गडवी : मैं प्रस्ताव करता हूं** :

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि वित्तीय वर्ष 1988-89 की सेवाओं के लिए पंजाब राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी। प्रश्न यह है :-

"कि खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :-

"कि खंड अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंश बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी बोलेंगे।

श्री बी. के. गडवी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.27 म. प.

सभा का कार्य

जल भूतल परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० नामग्याल) : महोदय, केन्द्र राज्य संबंधों के बारे में सरकारिया आयोग की रिपोर्ट पर कल चर्चा की

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित/प्रस्तुत।

की जानी है ।चूंकि इस चर्चा में बहुत से सदस्य भाग लेना चाहते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि अनुदानों की मांगों (सामान्य) पर चर्चा, 30 मार्च 1989 को रिपोर्ट पर चर्चा समाप्त होने के बाद ही, शुरू की जाए ।

महोदय, मुझे आशा है कि आप तथा यह सम्माननीय सदन मेरे उपरोक्त सुझाव से सहमत होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से सभा इससे सहमत है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म. पू. पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.28 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 28 मार्च 1989 /7, चैत्र 1911 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई ।